खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01) / अंक-72

सोमवार 26 मार्च, 2018 / 05 चैत्र, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 के अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; l|ph

सत्र-7 भाग (1) सोमवार, 26 मार्च, 2018/05 चैत्र, 1940 (शक) अंक-75

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (101 से 104 एवं 106 से 108 व 110) (प्रश्न सं. 109 का उत्तर विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।)	3–77
3.	ताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. श. 105 व 110 से 120)	77–129
4.	अताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न सं. 280 से 322)	130–267
5.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थाः विशेष उल्लेख नियम (नियम–280) पर	267–303
6.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था (विभागों से कथित आरक्षित विषयों के उत्तर प्राप्त न होने पर)	
7.	ध्यानाकर्षण (नियम–54) 'बोर्ड परीक्षाओं में पास प्रतिशत में वृद्धि के लिए दिल्ली के प्राईवेट स्कूलों द्वारा उठाये जा रहे कदमों और विद्यार्थियों के मानसिक दबाव झेलने' पर	303–308
8.	सरकारी संकल्प (नियम–90)	308–312
9.	वार्षिक बजट (2018–19) पर चर्चाः	312–355

fnYyh fo/kku lHkk

dh

dk;Zokgh

सत्र-7 भाग (1) सोमवार, 26 मार्च, 2018/05 चैत्र, 1940 (शक) अंक-72

---

fnYyh fo/kku lHkk

lnu vijkg~u 2%00 cts leosr gqvkA
lnu esa mifLFkr lnL;ksa dh lwph%

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी

23. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
24. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री गुलाब सिंह
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओम प्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. श्रीमती सरिता सिंह
51. मो. इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान
55. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-7 भाग (1) सोमवार, 26 मार्च, 2018/05 चैत्र, 1940 (शक) अंक-72

lnu vijkgu 2-05 cts leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xks;y½** *पीठासीन हुए ।*

rkjkafdr iz'uksa ds ekSf[kd mÙkj

v/;{k egksn;% सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। स्टार्ड क्वेश्चन श्री राजू धिंगान जी। नहीं, एक सेकेंड।

श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष से नियम 54 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। आज बजट पर चर्चा होनी है और माननीय सदस्य चर्चा के दौरान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त सकते हैं, सदन के समय की अधिकतम सदुपयोग के लिए मैं किसी अन्य सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम समय में आप करिये, कम से कम समय में।

Jh fotsUæ xqIrk% लीजिए न अपने टाइम में।

v/;{k egksn;% किसको?

Jh fotsUæ xqIrk% बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप...

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

v/;{k egkn;% करिये आप, स्वीकार कर लिया चलिये।

Jh fotUæ xIrk% आप इसकी घोषणा कर देंगे तो मुझे भी कम्फरटेबल... मैं कोई सरकार के समक्ष कोई एक विषय सा रखना चाहता हूँ।

v/;{k egkn;% ये 280 के बाद प्लीज। हाँ, नहीं, विजेन्द्र जी, जो नियम एक मैंने बनाया हुआ है, पहले स्टार्ड फिर 280 फिर उसके बाद मैं ले लूँगा इसको प्लीज। ऐसा कोई नियम नहीं कि यह प्रारंभ में होता है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं फिर लूँगा। हाँ, श्रीमती प्रमिला टोकस, वो कहाँ है... ग्रीन बुक कहाँ है?

Jherh ifeyk Vkdl% धन्यवाद अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% प्रश्न संख्या 101, हाँ, चलिये, करिये

Jherh ifeyk Vkdl% माननीय शहरी विकास मंत्री प्रश्न संख्या 101 का उत्तर देने की कृपा करें:

क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भू—माफियाओं द्वारा लगातार अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली में इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों का विवरण क्या है;

(ग) जिन अधिकारियों की तैनाती के दौरान ये अतिक्रमण और अवैध निर्माण हुए हैं, उनका विवरण क्या है;

(घ) उन जमीनों का विवरण क्या है जहाँ, टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं; और

(ङ) इन टैक्सी स्टैंड से प्राप्त होने वाले राजस्व का, यदि कोई प्राप्त हो रहा है तो, पूर्ण विवरण क्या है?

v/;{k egksn;% मंत्री जी।

Jh lR;sUæ tSu ¼ykd fuekZ.k e=h½% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रश्न संख्या 101 का उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग डिपार्टमेंट ने दी है, डिपार्टमेंट वाइज ऐसे हैं:

(क) **mÙkj fnYyh uxj fuxe** : यह सत्य नहीं है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जमीनो पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के विरूद्व जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसे हटाने के लिए सबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डी.एम.सी. एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई की जाती है;

iwohZ fnYyh uxj fuxe % अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कों एवं भूखण्डों पर स्थायी अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है;

fnYyh oDQ cksMZ % दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण के कुछ मामलें संज्ञान में आये हैं, ये मामले तकिया काले खां, माता सुन्दरी देवी रोड एवं तुर्कमान गेट से सबंधित है। इन्हें हटाने का प्रयास किये जा रहे हैं;

eSMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % राजस्व विभाग से ग्राम सभा की जमीनों पर अतिक्रमण की सूची संलग्न है[2]। वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर तिहाड़ गांव में अतिक्रमण का मामला सामना आया है;

---

2. *www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के विरूद्व जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उसे हटाने के लिए तुरंत सबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डी.एम.सी. एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है;

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्तानुसार

iohl fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार, सभी ने कहा है उपरोक्तानुसार;

fnYyh oDQ ckM % उपरोक्त 'क' के अनुसार

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % उपरोक्तानुसार

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्तानुसार

iohl fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार

fnYyh oDQ ckM % ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

¼eMyk;Dr jktLo foHkkx½

ऐसी कोई जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शहरी सदर पहाड़गंज तथा करोल बाग क्षेत्र में निम्नलिखित वैध टैक्सी स्टैंड चल रहें है;

'kgjh lnj igkMxat {k= % विष्णु दिगम्बर मार्ग, बाल भवन, प्रेस रोड, जगत सिनेमा एवं कॉर्नर स्पलैंडर रोड, टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं;

djkyckx {k= % पूसा रोड, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, गंगा राम अस्पताल के पास, राजेन्द्र नगर, ओल्ड राजेन्द्र नगर मार्किट के पास, पूसा रोड बाजार मार्ग, वाजीराम इन्सटीट्यूट के सामने राजेन्द्र नगर, डबल क्वाटर्स फुटपाथ के पास देव नगर के सामने, ए ब्लाक शॉपिंग सैन्टर, रिंग रोड नारायणा विहार, राजेन्द्र प्लेस, ईस्ट पटेल नगर, गोपाला टावर के पास, प्रसाद नगर के पास झील ईस्ट पटेल नगर;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % नजफगढ़ क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—नजफग़ढ़ क्षेत्र में पाँच टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं;

मध्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—मध्य क्षेत्र दिल्ली नगर निगम विभिन्न जगहों पर 32 टैक्सी स्टैंड चल रहे है;

दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर 64 टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं;

पश्चिमी क्षेत्र के प्राप्त सूचना के अनुसार — कोई नहीं;

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** % टैक्सी स्टैंड के बुकिंग बूथ की आय का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता इनकी आय का विवरण तहबाजारियों की आय में सम्मिलित है जो कि 20/3/2018 तक रूपये 1,74,00,342/— तथा करोलबाग क्षेत्र से 16,627/— हुई है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % नजफग़ढ़ क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—15000 राजस्व प्राप्त होता है;

मध्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सूची सलंग्न[3] है;

दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार –प्रति टैक्सी स्टैंड से प्रति वर्ष 3600 रूपये तहबाजारी के रूप में राजस्व प्राप्त होता है; और

पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार–कोई नहीं।

v/;{k egkn;% हाँ, सप्लीमेंटरी। हाँ, रखिये।

l|Jh jk[kh fcMyk% मंत्री जी, आज इन्क्रोचमेन्ट से सम्बन्धित सवाल है लेकिन जब भी हम पीडब्ल्युडी की सड़कों पर इन्क्रोचमेन्ट को हटाने के लिए बात करते हैं तो अफसर ये बोलते हैं कि हम इन्क्रोचमेन्ट हटा तो देंगे लेकिन इस सामान को रखने के लिए और उठाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और वो एमसीडी के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की कोई जो है, कार्यक्रम है विभाग का? अगर नहीं तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर तय करेंगे क्योंकि एमसीडी तो ध्यान देती नहीं है और इन्क्रोचमेन्ट लगातार बढ़ती जा रही है।

ykd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्युडी की जो रोड्स हैं, उनके ऊपर अवैध कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी केवल एमसीडी की ही है और एमसीडी को ही तहबाजारी और जिस तरह का सामान जब्त करने की पॉवर भी है। अगर एमसीडी जो प्रोग्राम के हिसाब से आती है तो पीडब्ल्युडी के लोग अपनी मशीनरी, मैन पॉवर लगा के कब्जे हटा सकते हैं परन्तु उसको जो जब्त करने की पॉवर है, सारी एमसीडी के पास है, एक्ट के अन्दर। कोशिश करते है कि अगर ये जितनी भी पीडब्ल्युडी रोड्स हैं। ये सारा का सारा अधिकार इसमें पीडब्ल्युडी को दे दिया जाए, इसके लिए प्रोग्राम बनाके एलजी साहब को कहा जाएगा।

---

3. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

v/;{k egkn;% दो सप्लीमेन्टरी ले लीजिए। सोमनाथ भारती जी और राजेश ऋषि जी। देखो, मैंने सोमनाथ जी बोला है न। देखिए, सप्लीमेन्टरी है। विशेष रवि जी, दो मिनट बैठिए, प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, एक नोटिफिकेशन मेरे संज्ञान में लाया गया है, पीडब्ल्युडी के द्वारा और उसमें कहा गया है पीडब्ल्युडी के द्वारा कि एलजी महोदय ने कहा है कि इन्क्रोचमेन्ट हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के पास है, पीडब्ल्युडी के पास नहीं है, क्या ये सत्य है?

ykd fuekZ.k ea=h% अध्यक्ष महोदय, मैंने यही बताया है कि सभी सड़कों के ऊपर इन्क्रोचमेन्ट हटाने का अधिकार एमसीडी के पास ही है परन्तु पीडब्ल्युडी की रोड पर जब हटाया जाता है तो पीडब्ल्युडी के अधिकारी और कर्मचारी उनके सहयोग के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं परन्तु अधिकार जो अधिकार है, वो पीडब्ल्युडी के पास नहीं है, एमसीडी के पास है।

v/;{k egkn;% ठीक हो गया अब। हाँ, ऋषि जी।

Jh jkts'k _f"k% अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पीडब्ल्युडी की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पीडब्ल्युडी में मेरा यहां एक साइकिल पथ बन्द पड़ा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्क्रोचमेन्ट है और एमसीडी को लिख–लिखके थक गये, वो हटाया नहीं जा रहा है। बल्कि एमसीडी ने उसके ऊपर पेशाब घर बना दिये हैं, कूड़ा घर बना दिये बड़े–बड़े और साइकिल पथ की जगह ही नहीं छोड़ी है। मैं चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लें के इसके लिए एमसीडी को कुछ करें क्योंकि हमारे यहां बहुत बुरा हाल है। हम ये भी आपसे एक अनुरोध करते हैं कि पीडब्ल्युडी को पॉवर दी जाए कि वो चालान

कर सके। सामान उनका हटवा सके और कहीं रखने की व्यवस्था करे। क्योंकि एमसीडी इस काम को करने में असमर्थ है।

Jh fo'k"k jfo% अध्यक्ष जी, 22 तारीख को मंत्री जी से एक सवाल पूछा गया था तथा आश्वासन दिया गया था कि हम तीन दिन में जवाब दे देंगे कि करोल बाग जोन के अन्दर कूड़ा मुक्त कराने के लिए।

v/;{k egksn;% मैं देखता हूँ अभी इसको। अभी ये होने दीजिए। स्टार्ड क्वेश्चन जैसा पूरा होगा, आप अपनी बात रखिएगा।

Jh iadt iq"dj% अध्यक्ष जी, सवाल दिल्ली सरकार की जमीनों के बारे में है सर। सड़क के बारे में नहीं है, वो अलग तरह का सवाल है। मैंने अन्यत्र लगाया भी था, वो आ नहीं सका। सर, वो सवाल ये है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पीडब्ल्युडी की जमीनें और इरिगेशन फ्लड कन्ट्रोल की जमीनों का ब्यौरा इसके साथ नहीं आया है, सड़कों का नही। जो पीडब्ल्युडी के क्षेत्राधिकार में जमीनें हैं, इरिगेशन फ्डल कन्ट्रोल के क्षेत्राधिकार की जमीनें हैं, उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसका ब्यौरा नहीं है। तो कृपया करके माननीय मंत्री जी महोदय वो सुनिश्चत कैसे कर पाएंगे, ये एक प्रश्न है और एक बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न माननीय स्पीकर महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र में राम घाट, वजीराबाद क्षेत्र में पीडब्ल्युडी और इरिगेशन फ्लड कन्ट्रोल की जमीनों पर अतिक्रमण का तीन साल से लगातार चल रहा मामला है जिसमें कि राजस्व, जो हमारे एसडीएम हैं, उनकी संलग्नता से पीडब्ल्युडी के अधिकारियों...

v/;{k egksn;% पुष्कर जी, क्वेश्चन निकालिए ना।

Jh idt i"dj% सर, उसमें प्रश्न ये है कि जो बिल्कुल लम्बित मामला है, उस पर पीडब्ल्युडी और इरिगेशन फ्लड कन्ट्रोल से की गयी कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बारे में प्रगति क्या है? इरिगेशन फ्लड कन्ट्रोल और पीडब्ल्युडी की जमीनें वजीराबाद क्षेत्र में है। बिल्कुल खुलेआम उस पर अतिक्रमण हो रहा है जिसका कि मामला लम्बित है।

v/;{k egkn;% हाँ, माननीय मंत्री जी।

ykd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब के अन्दर इसमें था नहीं, परन्तु मैं आदरणीय सदस्य से कहूँगा कि मुझे लिखकर ये दे दें। इनका जवाब सभी डिपार्टमेन्ट से ले के इनको दिया जाएगा।

v/;{k egkn;% प्रश्न संख्या 102, श्री गिरीश सोनी जी।

Jh fxjh'k lkuh% धन्यवाद अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 102 का उत्तर देने की माननीय मंत्री जी कृपा करें। प्रश्न संख्या 102 निम्नानुसार है।

क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्वामित्व वाली जमीनों, पार्कों, खुली जगहों, सड़कों इत्यादि पर अवैध अतिक्रमण कर चल रही दुकानों, टैंट की दुकानों, बिल्डिंग मैटिरियल के लिए घेरी गई जगहों, टैक्सी स्टैंडों इत्यादि को हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, नगर निगम के उपायुक्तों एवं दिल्ली पुलिस के उपायुक्तों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) इन वर्षों के दौरान हटाए गएं अतिक्रमणों का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के होते हुए भी ये अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि ये अधिकारी सरकार के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि फील्ड विजिट करने के लिए इन अधिकारियों के पास पर्याप्त वाहन एवं स्टाफ मौजूद है; और

(च) पिछले 10 वर्षों में इन अतिक्रमण करने वालों एवं जिन अधिकारियों ने इन अतिक्रमणों को होने दिया, उनके विरूद्ध हुई कार्रवाई, यदि कोई हुई, तो उसका विवरण क्या है?

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी।

“kgjh fodkl ea=h% अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 102 का उत्तर निम्नानुसार है:

(क) दिल्ली पुलिस सबंधित विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए मदद् देती है तथा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 (28/2/2018 तक) में अतिक्रमण के खिलाफ धारा 283 भा.द.स. के तहत की गई कार्रवाई का ब्यौरा परिशिष्ट– 'क' पर

संलग्न है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्व वर्ष 2015, 2016, 2017, व 2018 (28.2.2018 तक) अतिक्रमण के सन्दर्भ में की गई कार्रवाई का ब्यौरा परिशिष्ट –'ख' पर संलग्न है[4]।

4. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe : यह सत्य नहीं है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्व जब भी मामला संज्ञान में आता है तो उसे हटाने के लिए सबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है तथा सबंधित थाना अध्यक्ष को पत्र द्वारा अवगत कराया जाता है कि सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न होने दें।

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % जमीन स्वामित्व एजेंसी द्वारा अपनी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रस्ताव डीटीएफ/एसटीएफ में लाये जाते हैं। तदुपरान्त सबंधित जमीन स्वामित्व एजेंसी, दिल्ली पुलिस व राजस्व विभाग मिलकर स्थाई अतिक्रमणों को हटाने के सबंध में यथोचित कार्रवाई करते हैं। मूल रूप में जो भूमि जिस विभाग के स्वामित्व में है, उस पर अतिक्रमण न हो यह उसी विभाग का दायित्व है। अस्थायी अतिक्रमण जैसे बिल्डिंग मैटिरियल डालना, टैक्सी स्टेंड के रूप में जमीन पर अतिक्रमण इत्यदि को संबंधित भू–एजेन्सियाँ स्वंय अपने स्तर पर हटवा लेती हैं। लकिन यदि इस संबंध में विभाग से सहयोग माँगा जाता है तो उस एजेन्सी को सहयोग कर अतिक्रमण हटवा दिया जाता है;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्व जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसे हटाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित थानाध्यक्ष को पत्र द्वारा अवगत कराया जाता है कि सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न होने दें।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत चारों क्षेत्रीय कार्यालयों का पिछले 10 वर्ष का अतिक्रमण विरूद्व कार्रवाई का विवरण संलग्न है;

iloh fnYyh uxj fuxe % पूर्वी दिल्ली नगर निगम सड़कों पर किये गये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की मदद से करती है। इसके अंतर्गत 08/06/2017 से 17/03/2018 तक किए गए कुल 208 कार्रवाई में 2760 सामान व 3426 वाहन जब्त किये गये हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान सात पार्को में किए गए अतिक्रमण को निगम द्वारा हटाया गया है;

(ख) **fnYyh i|fyl** : उपरोक्त 'क' के अनुसार;

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्रिय विभागों द्वारा हटाई गये अतिक्रमणों का विवरण 'क' पर संलग्न[1] हैं;

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½

1. जिन ग्राम सभा की जमीनों पर अतिक्रमण है, उसकी सूची संलग्न है। 001 ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है।

2. इसी प्रकार जिला दक्षिण पश्चिम में कापसहेडा में ग्राम सभा की जमीनों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है।

3. दक्षिणी जिला में बीआरटी रोड चिराग दिल्ली की दुकानों बिल्डिंग मैटिरियल से संबंधित थी जो लगभग 50 वर्षो से अधिक से चिराग दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हुई थी, यह चिराग दिल्ली में एक बीघा सत्रह बिस्वे भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया;

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

4. दक्षिणी जिला में लैंड ओनिंग एजेंसी आदि, से अतिक्रमण की सूचना मिली;

5. और एमॅ बी रोड से जेड पॉइट इग्नू रोड तक लगभग 200 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया है;

6. वर्ष 2017–18 में रोहिणी में अतिक्रमण हटाने संबधी कार्रवाई का विवरण संलग्न है;

7. जिला शाहदरा में पिछले दो वर्षो में ताहिरपुर रेड लाइट जी.टी. बी. अस्पताल दिलशाद कॉलोनी, रोड न.–70 निकट बस डिपो, अप्सरा बॉर्डर, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, सुन्दर नगरी, मंडोली, लेप्रसी कॉम्पलेक्स ताहिरपुर एवं शाहदरा फ्लाई ओरवर के नीचे, कृष्णानगर लाल क्वाटर्स और गांधी नगर, जीटी रोड शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे, एम.आई.जी लोनी रोड के पास से अतिक्रमण हटाया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मुख्य रूप से अतिक्रमण हटाने का जिम्मेदार है।

8. उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला पश्चिम में अतिक्रमण हटाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गयी। पिछले एक वर्ष में तिहाड़ गाँव में एसटीएफ द्वारा 12 बीघा 8 बिस्वा वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाकर दीवार करवाई गई।

मुख्य मार्केट जैसे कि ज्वालापुरी मार्केट, मादीपुर मार्केट, नागंलोई मार्केट, पंजाब बस्ती, पी.वी.सी मार्केट ज्वालापुरी एवं मुख्य रोड यातायात की समस्या रहती है। जिसमें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ जैसे कि पीरागढी

फ्लाईओवर, नांगलोई रोड, नजफगढ रोड पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है।

विकासपुरी से मीराबाग फ्लाईओवर के आसपास से अतिक्रमण को हटाने के लिए एसटीएफ द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रोग्राम तय किया गया था। परन्तु माननीय हाईकोर्ट ऑफ स्टे के बाद एसटीएफ के निर्देशों को रोक दिया गया था। डीडीए रोड कठपुतली कॉलोनी का अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें राजस्व विभाग शामिल नहीं था। इसके अलावा बहुत सी शिकायतें भू–मालिक एजेंसी को कार्रवाई हेतु भेजी गई;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार;

iohl fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार 'क'

(ग) **fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार;

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है;

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % यह सत्य नहीं है। अतिक्रमण रोकने/हटाने की कार्रवाई समय समय पर की जाती है;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है;

iohl fnYyh uxj fuxe % अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए पुलिस विभाग को लिखा जाता है;

(घ) **fnYyh ifyl %** उपरोक्त 'क' के अनुसार;

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है;

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % उपरोक्तानुसार;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार;

iohl fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है;

(च) **fnYyh iqfyl** % उपरोक्त 'क' के अनुसार;

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सीमित संसाधन उपलब्ध हैं;

mÙkjh fnYyh uxj fuxe

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % स्टाफ और संसाधनों की कमी के बावजूद जनहित में बेहतर कार्य किये जा रहे हैं;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % निगम के फील्ड स्टाफ प्रतिदिन फील्ड में जाकर अतिक्रमण हटाने का कार्य करते है। अधिकृत अधिकारियों के पास वाहन हैं। विभाग में कुछ पद खाली हैं।

(छ) **fnYyh iqfyl** % उपरोक्त 'क' के अनुसार;

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभाजन मई 2012 से आज तक सतर्कता विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 03 अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबधित शिकायतों पर मेजर पैनल्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है;

eMyk;Dr ¼jktLo foHkkx½ % जब भी अतिक्रमण से संबधित मामला संज्ञान में लाया जाता है उनके संबध में संबधित भू–स्वामित्व एजेंसियों को सहयोग दिया जाता है तथा अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है;

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 2012 में अस्तित्व में आया दिल्ली नगर निगम के विभाजन के बाद/तत्पश्चात् ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

iwohZ fnYyh uxj fuxe % सभी अधिकारी एवं फील्ड स्टाफ अतिक्रमणों को रोकने हेतु पूरा प्रयत्न करते हैं एवं निरन्तर रेड प्रोग्राम किये जाते हैं। किसी के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

v/;{k egksn;% llyhesVjh gS गिरीश सोनी जी।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% पहले उनको तो पूछने दो, जिनका मेन क्वेश्चन है।

Jh fxjh'k lksuh% अध्यक्ष महोदय, निगम और पुलिस दोनों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सदन को, जिस तरह के जवाब इसमें दिए गए हैं, बिल्कुल गोल–मोल जवाब दिए गए हैं। कोई ऐसा ब्यौरा भी नहीं दिया गया, जो मैंने सवाल पूछा है कि कब–कब ये ड्रॉइव चलाई गई, यह मुझे लगता है पहले डीडीसी में भी यह मैटर आया और मैंने बहुत कुछ लिखकर दिया वहाँ, पर और कितनी सड़कें... मैंने अपनी विधान सभा में लिखकर दीं, अभी तक उस पर कोई ड्रॉइव नहीं चलाया है। इतना जरूर होता है कि निगम के अधिकारी उन लोगों से मिले होते हैं, पैसा वसूलते हैं, निगम पार्षद की मिली–भगत होती है और उनको पहले से सूचित कर दिया जाता है कि आपके यहां, एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगा, फलां–फलां जगह से थोड़ा सा सामान हटा लो और कल लगा लेना।

v/;{k egksn;% क्वेश्चन निकालो।

Jh fxjh'k lkuh% यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी पूरी की पूरी जानकारी दी जाए कि किस–किस जगह कब–कब ड्रॉइव इन्होंने चलाई, जो गोल–मोल जवाब दिया हुआ है इन्होंने कि समय–समय पर ड्रॉइव चलाई जाती है; वो समय बतायें और कौन सी तारीख को कब वहाँ ड्रॉइव चलाई गई, यह मेरा सवाल है।

Jherh cnuk d|ekjh% यह पूरा क्वेश्चन गोल–मोल है।

...(व्यवधान)

Jh lkeukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो सवाल...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सरिता जी, बैठिये।

Jh tju|y fl|g% इसमें लिखा है परिशिष्ट 'ख' पर, यहां पर लिख दिया है 'क' में ब्यौरा है। कोई है नहीं, जवाब।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% जरनैल जी, एक बार सोनी जी के क्वेश्चन की सप्लीमेंटरी है...

...(व्यवधान)

Jherh lfjrk fl|g% आज की तारीख में एनक्रोचमेंट है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सरिता जी, बैठिये।

Jh tjuSy flag% इसमें जवाब ही नहीं है।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% सोनी जी की सप्लीमेंटरी है ऐसे नहीं।

Jh fufru R;kxh% 'ग' क्वेश्चन की एक्सरसाइज, सर, यह यूजलैस एक्सरसाइज है स्टार्ड क्वेश्चन की। हम सवाल पूछते हैं, इतनी परेशानियों के बाद सवाल आते हैं गोल–मोल जवाब दे देते हैं, इनके आंसर मंत्री जी के पास नहीं होंगे।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% एक बार सोनी जी की सप्लीमेंटरी का उत्तर देने दो।

Jh fufru R;kxh% उनका उत्तर नहीं होगा।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% नहीं होगा, देखते हैं। नई सप्लीमेंटरी है? पूछें।

Jh fufru R;kxh% सर, ये अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% माननीय मंत्री जी।

Jherh cnuk dqekjh% सर, यह लिखित क्वेश्चन से...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी, सोनी जी ने...

...(व्यवधान)

Jh tjuSy flag% परिशिष्ट 'ख' में लिखा है 'क' में...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% जगदीप जी, जरा उनको बैठाइये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% मैं दो सप्लीमेंटरी ही अलाउ करूंगा। सोमनाथ जी, रुक जाइये। जरा पहले सोनी जी का उत्तर देने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चल पाएगा। सोनी जी का मेन क्वेश्चन है, उनका सप्लीमेंटरी है। समय खराब हो रहा है।

ykd fuekZ.k ea=h% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने पूछा है कि पिछले दस साल में जिस–जिस भी जमीन पर जो भी कार्रवाई की गई है, सभी डिपार्टमेंटों से लेकर सदस्य को उपलब्ध कराई जाएगी और जितनी भी ड्रॉइव चलाए गए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं; ईस्ट दिल्ली नगर निगम है, नॉर्थ एमसीडी है, साउथ एमसीडी है, राजस्व विभाग है, दिल्ली पुलिस है, सभी से दस साल का पूरा ब्यौरा डिटेल में लेकर जैसा वो चाहते हैं, वो दिया जाएगा।

v/;{k egkn;% सरिता सिंह जी, दो मिनट बैठिए अभी करता हूँ। सरिता सिंह जी।

Jherh lfjrk flag% अभी जो माननीय मंत्री जी ने मेरे एरिया के तीन–चार नाम लिए हैं; एमआईजी फ्लैट्स लोनी रोड, जीटी रोड शाहदरा और शाहदरा फलाईओवर के नीचे, यह कहा गया है कि एनक्रोचमेंट हटा दी गई हैं, तो मैं आज की फोटोग्राफ आपको दिखा सकती हूँ कि आज भी वहाँ पर पहले से ज्यादा एनक्रोचमेंट हैं, हटाई कहाँ गई है, यह तो नहीं पता। तो वो ड्रॉइव कब चली और यह झूठा ब्यौरा जो विधान सभा को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है, इस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो झूठा तथ्य विधान सभा के सामने रखा जा रहा है। आज भी पूरा एनक्रोच्ड है वो एरिया, वो आपको भी पता है, आप डेली वहाँ से निकलते हो। फुल एनक्रोचमेंट है वहाँ पर।

v/;{k egksn;% सरिता जी, क्वेश्चन निकालिये।

Jherh lfjrk flag% क्वेश्चन यही है कि यह जो झूठा किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है विधान सभा को गुमराह क्यों किया जा रहा है और अगर एनक्रोचमेंट हुआ, अगर ड्राइव चला तो कब चला और अगर चला तो वो आज तक कायम क्यों नहीं है, दोबारा एनक्रोचमेंट कैसे हो गया वहाँ पर, किसकी मिली–भगत है वो?

Jh lkseukFk Hkkjrh% एक सवाल पूछूँ?

v/;{k egksn;% देखिये, एक ही क्वेश्चन में उलझ कर रह जाएंगे। फिर बाकी जितने क्वेश्चन एमएलएज के लगे हैं, राखी जी बैठिए प्लीज।

mik/;{k egksn;% यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% प्लीज बैठिये, वो आ गई बात समझ में।

Jh tjuy flg% अध्यक्ष जी, 'क' में लिखा है ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है और परिशिष्ट 'ख' पर लिखा है 'क' के अनुसार।

...(व्यवधान)

lqJh jk[kh fcMyk% ये घुमा रहे हैं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh% ये दिल्ली पुलिस क्या बेवकूफ...

...(व्यवधान)

lqJh jk[kh fcMyk% ये गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा अध्यक्ष जी। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, क्वेश्चन रेफरेंस कमेटी में भेजिये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, बैठिये। राखी जी, बैठिये, दो मिनट तो बैठिये।

...(व्यवधान)

lqJh jk[kh fcMyk% क्या फायदा सवाल पूछने का?

v/;{k egkn;% तो बैठिए तो सही, बोलने दें। दो मिनट बैठिए प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh% ये हाउस का अपमान है अध्यक्ष महोदय। दिल्ली पुलिस का जो आंसर है, ये हाउस का अपमान है। कमिश्नर को बुलाइये यहां पर। कमिश्नर साहब को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए। ... (व्यवधान) नाम क्या है?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, दो मिनट बैठिए अब। मुझे बात करने देंगे?

lqJh jk[kh fcMykuk% इस सवाल का।

v/;{k egkn;% राखी जी, दो मिनट बैठिये, राखी जी बैठिए अब प्लीज।

lqJh jk[kh fcMykuk% मैं बैठ जाऊँगी लेकिन आप क्वेश्चन करने दीजिए।

v/;{k egkn;% नहीं बैठिये, प्लीज बैठिये।

Jh lkeukFk Hkkjrh% बेवकूफ बना रखा है हाउस को!

lqJh jk[kh fcMykuk% पागल समझते हैं ये हम लोगों को!

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी, हाँ माननीय मंत्री जी, इसमें जो 'छ' भाग है उसमें क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि जिन अधिकारियों ने इन अतिक्रमणों को होने दिया उनके विरुद्ध हुई कार्रवाई, यदि कोई हुई हो तो उसका विवरण क्या है। भई सोमनाथ जी, दो मिनट रुक जाइये। उसका विवरण क्या है। उस विवरण में इन्होंने दिया कुल तीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन पर पेनल्टी के अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कौन कौन अधिकारी थे उनके नाम नहीं दिये गये हैं। क्या पेनल्टी डाली

गई, नहीं दिये गये हैं। कितनी पेनल्टी डाली, नहीं दिये गये हैं। सदन को ऐसे गोलमोल उत्तर देने से अगर बचेंगे, आगे पेनल्टी डाली गई, अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, वो अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई पूरा ब्यौरा इसमें नहीं दिया है।

ykd fuek.k e=h% नहीं, अध्यक्ष जी, ये तो मैं अपने एक्सपीरियेंस से बता सकता हूँ। सारे वहीं पर काम कर रहे होंगे। एमसीडी के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी को पेनल्टी करके हटा दिया जाए।

v/;{k egkn;% उनके नाम भी नहीं दिये हैं।

ykd fuek.k e=h% हाँ, वो नाम पता करके दे देंगे।

v/;{k egkn;% और क्या पेनल्टी डाली गई, वो भी नहीं दिया है।

ykd fuek.k e=h% पता करके बताना पड़ेगा।

lqJh jk[kh fcMyk% सर, इसे आप क्वेश्चन एंड रेफ्ररेन्सेज में दीजिए, बस।

Jh fufru R;kxh% आप खुद सर, यदि इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। अगर आप खुद कनविंस्ड हैं इन आंसर से, तो आप बता दीजिए। आई एम श्योर मंत्री जी भी कनविंस्ड नहीं होंगे ...(व्यवधान) क्वेश्चन में सर बहुत...

v/;{k egkn;% सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन एण्ड रेफ्रेन्स कमेटी को भेज रहा हूँ। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, प्रश्न संख्या 103।

Jh fotUæ xIrk% अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 103 प्रस्तुत है। मंत्री जी इसका विधिवत जवाब दें।

(क) क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, योजना विभाग एवं विधि विभाग ने घर–द्वार पर राशन की सप्लाई की योजना पर आपत्ति उठाई है;

(ख) इन आपत्तियों का एवं जिस आधार पर ये आपत्तियाँ हटाई गई, उनका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन विभागों की आपत्तियों के बावजूद इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय केबिनेट मीटिंग में लिया गया;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन विभागों की आपत्तियों को हटाकर केबिनेट मीटिंग में इस प्रकार का निर्णय ले सकती है; और

(ङ) क्या यह निर्णय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत नहीं है?

Jh lkeukFk Hkkjrh% 102 रेफर करें पहले अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% 102 का क्वेश्चन रेफरेंस को दे दिया गया है।

Jh bejku gqlu¼[kk| ,o lHkj.k e=h½% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 103 का क, ख, ग, घ, एवं ङ) का उत्तर है; घर द्वार पर राशन की सप्लाई की विभाग की योजना पर विधि, वित्त, योजना, आईटी एवं फूड सेफ्टी विभाग को टिप्पणी के लिए भेजे गए थे। उन विभागों की टिप्पणियों को केबिनेट नोट में सन्निहित करने के उपरान्त केबिनेट के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया जिसे केबिनेट द्वारा आदेश संख्या–2561 दिनांक 06/03/2018

द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः केबिनेट ने सभी पक्षों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् इस योजना को स्वीकृति दी है, धन्यवाद।

Jh fotUæ xqIrk% अध्यक्ष जी, मेरे पाँच प्रश्न हैं और मंत्री जी ने सब घल्लूघारा करके उसको कौन से सवाल का कौन सा जवाब है, ये ही समझ में नहीं आ रहा, मेरा प्रश्न है क्या यह सत्य है...

v/;{k egkn;% घल्लूघारा!

Jh fotUæ xqIrk% घल्लूघारा।

Jh ukjk;.k nÙk% ये क्या होता है जी?

Jh fotUæ xqIrk% ये हाउस के बाद बताएंगे आपको। क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, योजना विभाग एवं विधि विभाग ने घर–द्वार पर राशन की सप्लाई की योजना पर आपत्ति उठाई है इसका सीधा सीधा जवाब सदन के समक्ष आना चाहिए लेकिन अगर इस तरह से गोलमोल जवाब यहां दिया जा रहा है, इसका अर्थ ये है कि सदन को अवगत नहीं कराया जा रहा, उस उत्तर से और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए मेरे पहले प्रश्न का सीधा सीधा जवाब मंत्री जी दें। उसके बाद अगले प्रश्न पर आएं। क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, योजना विभाग एवं विधि विभाग ने घर–द्वार पर राशन की सप्लाई की योजना पर आपत्ति उठाई है, इसका सीधी सीधा जवाब दीजिए।

v/;{k egkn;% उन्होंने उत्तर दिया है इसमें।

Jh fotUæ xqIrk% नहीं दिया न।

v/;{k egkn;% इसमें दिया है।

Jh fotsUæ xqIrk% कहाँ दिया है।

v/;{k egkn;% उन्होंने लिखा है कि घर–द्वार पर राशन की सप्लाई।

Jh fotsUæ xqIrk% अध्यक्ष जी, सवालों पर...

v/;{k egkn;% इसको 'क', 'ख' करके बता दीजिए।

Jh fotsUæ xqIrk% क, ख, ग, ग, घ और ङ) ऐसे करके बताइये। 'क' का जवाब।

v/;{k egkn;% वैसे तो विभाग द्वारा ही ये क, ख, ग... जैसे प्रश्न हैं, उसी ढ़ंग से लिखकर आना चाहिए था।

[kk| ,oa lHkj.k ea=h% जी, क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, योजना विभाग एवं विधि विभाग ने घर–द्वार पर राशन की सप्लाई की योजना पर आपत्ति उठाई है। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के मंत्री जी और वित्त विभाग, विधि विभाग और योजना विभाग के जो मंत्रियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इस पर जो हमने योजना...

Jh fotsUæ xqIrk% ...मंत्री से बात हुई, मंत्री तो केबिनेट में आते हैं।

[kk| ,oa lHkj.k ea=h% तो मंत्री तो विभाग हैं।

v/;{k egkn;% नहीं, वो अधिकारियों की पूछ रहे हैं। क्या अधिकारियों ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज की है?

...(व्यवधान)

[kk| ,o lHkj.k e=h% मैं आपको कोई भी जो केबिनेट के डिसीजन हैं या जो भी...

Jh fotUæ xqIrk% ये सदन कुछ भी माँगने के लिए हकदार है और ये कोई ऐसा डाक्यूमेंट नहीं है, जो छिपाया जाए। ये तो आरटीआई में भी आ जाएगा प्रश्न और सदन के समक्ष ही नहीं आ रहा रिप्लाई।

v/;{k egksn;% चलिए, चलिए, बताइये, बताइये।

[kk| ,o lHkj.k e=h% नहीं अगर आपको...

Jh fotUæ xqIrk% आप सीधा सीधा रिप्लाई दीजिए न।

[kk| ,o lHkj.k e=h% अगर आपको फाइल की नोटिंग ही चाहिए।

Jh fotUæ xqIrk% मुझे नोटिंग चाहिए होती तो मैं वो भी लिख लेता। मैंने नोटिंग तो नहीं मांगी यहाँ। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है...

v/;{k egksn;% भई प्रश्न सीधा है। इमरान जी इन्होंने... क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग, योजना विभाग एवं विधि विभाग ने घर–द्वार पर राशन की सप्लाई की योजना पर आपत्ति उठाई है?

[kk| ,o lHkj.k e=h% नहीं, कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इन्होंने अपने कमेंट्स दिये थे, कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

v/;{k egksn;% हाँ, वही कमेंट्स, वही आपत्ति...

Jh fotUæ xqIrk% वही कमेंट्स ही में तो आपत्ति है। यही होता है और क्या होता है?

[kk| ,o lHkj.k e=h% तो मैं कह तो रहा हूँ, आपत्ति नहीं उठाई।

Jh fotsUæ xqIrk% आप वो सदन के समक्ष रख दीजिए। मेरा आपसे ये आग्रह है। और जो भी कमेंट्स हैं, जो आपत्तियाँ हैं, सदन के समक्ष रख दी जाएं।

v/;{k egksn;% इसको कल, एक सेकेंड विजेन्द्र जी, इस प्रश्न को कल इमरान जी, इसको कल दुरस्त करके क, ख, ग, घ, च इसको कल दुरस्त करके अलग अलग उत्तर दिलवाइये।

[kk| ,o lHkj.k e=h% ठीक है, धन्यवाद।

v/;{k egksn;% प्रश्न संख्या 104 श्री अजय दत्त जी।

Jh vt; nÙk% धन्यवाद अध्यक्ष जी, क्या उप–मुख्यमंत्री जी प्रश्न संख्या 104 का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) पिछले 10 वर्षों में कितनी बार 'आउटकम बजट' पेश किया गया;

(ख) क्या भारत में किसी सरकार ने 'आउटकम बजट' पेश किया है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 'आउटकम बजट' में कितने इंडिकेटर चिन्हित किए गए; और

(घ) पिछले 10 वर्षों में 'आउटकम बजट' को रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्री के स्तर पर कितनी बैठकें की गई?

mi e[;e=h ¼Jh euh"k fl lkfn;k½% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 104 के संदर्भ में मुझे बताना है कि:

(क) आउटकम बजट दिल्ली सरकार ने बजट भाषण के दौरान केवल 2017–18 में प्रस्तुत किया। इसकी प्रतियाँ बजट भाषण के पश्चात् माननीय विधायकों को वितरित की गई;

(ख) जी हाँ;

(ग) आउटकम बजट 2017–18 में कुल 1069 आउटपुट इंडिकेटर और 869 आउटकम इंडिकेटर हैं; और

(घ) पिछले 10 वर्षों में केवल वर्ष 2017–18 में ही माननीय मुख्यमंत्री और मेरे स्तर पर 40 बैठकें आयोजित की गईं।

v/;{k egksn;% हाँ जी, सप्लीमेंटरी। अजय दत्त जी कोई सप्लीमेंटरी? नहीं, सोमनाथ जी कोई पूछना है?

Jh lkseukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, ये सवाल 'ख' का जो जवाब है किस साल में भारत में ये सरकार ने आउटकम बजट पेश किया है कि साल क्या है वो, भारत सरकार का?

mi eq[;ea=h% जहाँ तक मेरी जानकारी है हमने जिस वित्त वर्ष में... इसी वित्त वर्ष के लिए बजट जो चालू वित्त वर्ष है, उसके लिए आउटकम बजट पेश किया था और इसी वित्त वर्ष में आउटकम बजट की बात भारत सरकार के बजट में भी की गई थी हालाँकि उसमें इस तरह से कोई इंडिकेटर सेट नहीं किये गये, न उसमे कोई डिपार्टमेंट वाइज जाकर इस तरह से एक एक परफार्मेंस की कोई इंडिकेटर आउटकम इंडिकेटर्स दिये गये, न बेस लाइन टारगेट या वो रखे गये तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, बजट में तो इसी में ही शामिल किया गया था।

Jh lkeukFk Hkkjrh% आपके ...(व्यवधान)... में कह सकते हैं कि भारत सरकार में भी कभी भी ऐसा आउटकम बजट पेश नहीं किया जिस फारमेट में आपने पेश किया है?

mi eq[;ea=h% देखिये कागजों में उन्होंने कहाँ, क्या लिखकर रखा है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता लेकिन मुझे याद है क्योंकि जब हम आउटकम बजट पिछला बना रहे थे तो पहली बार वित्त मंत्री जी ने भी कहा था, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने कि हम पहली बार लेकर आ रहे हैं और उन्होंने आउटकम की बात कहीं थी। उसमे हालांकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने न कोई बेसलाइन सर्वे किये थे उसके, न कोई बेसलाइन डेटा जारी किया था, जैसे हमने किया और न उसके कोई इस तरह से इंडिकेटर क्रिटिकल इंडिकेटर आदि का कोई विवरण जारी किया था।

v/;{k egksn;% अजय दत्त जी, जब मैंने पूछा तब आपने पूछा नहीं। नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, कुछ तो नियम होता है न। हो क्या गया! ये जवाब नहीं दे सकता मैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा, अजय दत्त जी कोई सप्लीमेंटरी?

Jh vt; nÙk% जब भी समय सदन में बोलता हूँ तो आप वैसे ही कम टाइम देते हो। जब बोल देते हो तो पूछ नहीं सकते।

v/;{k egksn;% मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूँ। बैठ जाइए। अब मैं अलाऊ नहीं कर रहा। प्रश्न संख्या 105, सुश्री भावना गौड जी। अनुपस्थित हैं, प्रश्न संख्या 106 राखी बिड़ला जी। प्रश्न संख्या 106।

lqJh jk[kh fcMyk% अध्यक्ष जी, कृपया माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 106 का जवाब देने की कृपा करें।

(क) मंगोलपुरी विधान सभा में डीयूएसआईबी द्वारा कुल कितने बारात–घर बनाए गए;

(ख) आबंटित किए जा चुके, खाली पड़े बारात–घरों का विवरण क्या है;

(ग) इन बारात–घरों को आबंटित किए जाने के नियमों एवं शर्तों का विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा के एल ब्लॉक में स्थित बारात–घर पिछले कई वर्षों से एक ही एनजीओ को आबंटित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या यह अनुमति नियमानुसार दी गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय से इस बारात–घर को इस एनजीओ द्वारा चलाए जाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

'kgjh fodkl e=h ¼Jh lR;Uæ tSu½ माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 106 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) मंगोलपुरी विधानसभा में डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा 6 बारात घर बनाए गये हैं जिनमें से 5 बारात घर एससी/एसटी विभाग के फण्ड द्वारा बनाये गये हैं;

(ख) एक बारात घर ए बी सी ब्लाक मंगोलपुरी में इलेक्शन आफिस (भूतल) व रैन बसेरे (प्रथम तल) के लिए अलाट किया हुआ है और बाकी पाँच बारात घर एससी/एसटी विभाग के निशानिर्देशों (संलग्नक–1) द्वारा

स्थानीय संस्थाओं को आबंटित किया हुआ है (संलग्नक–2) इन सभी आबंटित बारात घरों का प्रयोग संस्थाओं द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रतिदिन की बुकिंग के आधार पर किया जा रहा है और इनमें से कोई भी बारात घर खाली नहीं है;

(ग) इनके आबंटन की नीति निम्न प्रकार है:–

सामुदायिक भवन/बारात घर का निर्माण सामाजिक कार्य जैसे कि शादी, ब्याह एवं क्रिया इत्यादि के लिए किया जाता हैं वर्तमान में इन भवनों की बुकिंग प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर की जाती है। किराये की राशि जगह व क्षेत्र के हिसाब से तय की गई है। अति आवश्यक पब्लिक के कार्य हेतु सामुदायिक भवन का आंबटन सरकारी विभाग को किया जाता है। वर्तमान में गैर सरकारी संस्था को आबंटन करने की कोई नीति नहीं है;

(घ) जी हाँ यह सत्य है कि एल ब्लाक में स्थित बारात घर एक संस्था– मंगोलपुरी जनहित विकास मंच को 3.10.2013 से आबंटित है जो कि एससी/एसटी विभाग के उस समय के नियमानुसार तथा दिशा निर्देशों के तहत बिना किसी समय सीमा के अलाट किया गया है। (संलग्नक–3)

(च) जी हाँ; और

(छ) एस–सी/एसटी विभाग के तत्कालीन दिशा निर्देशों के तहत जो कि दिनाँक 15/01/2018 को जारी किये गये हैं, उनके अनुसार डीयूएसआईबी विभाग की जमीन पर एससी/एसटी फण्ड द्वारा बने बरातघरों का प्रबन्धन डीयूएसआईबी द्वारा ही किया जायेगा। (संलग्नक–4)[5] अत ऐसे पाँच बारातघरों को संस्थाओं से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस बारे

सभी संलग्नक **5. *www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

में विभाग के अधिशासी अभियन्ता (सी–3) द्वारा एक पत्र एससी/एसटी विभाग को भेजा गया है। (संलग्नक–5) यह प्रक्रिया पूर्ण करके इन बारात घरों का प्रबन्धन का कार्य डीयूएसआईबी द्वारा शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

एक चीज में बताना चाहूंगा साथ–साथ इसमें कि ऑर्डर हो चुके हैं। पाँचों के पाँचों का जो कैंसल करके इसके आर्डर मुझे मिल गए हैं कि पाँचों कैंसल कर दिये हैं। तो इनके आदेश 16 मार्च डूसिब की ओर से 16 मार्च को पाँच जो थे, जो सरकार को दिये हैं, उसके छोड़ कर पाँचों का कैंसल कर दिया गया है। एक दूसरा मैं बता देता हूँ कि इनकी अलाटमेंट के लिए जो कमेटी बनाई गई है, जो भी अलाटमेंट होगी, उसके चेयरमैन जो होंगे, एरिया एमएलए। ही विल बी दा चेयरमैन, एरिया एसई उसके मैम्बर होंगे, आई एफ सी के डेपुटी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एससीएसटी के मैम्बर होंगे, एसडीएम मैम्बर होगें। ***two representatives of local area society association*** के मेम्बर होंगे और एरिया एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जो मैम्बर सैक्रेटरी होंगे।

v/;{k egkn;% कोई स्पलीमैन्टरी? हाँ, सप्लीमेंटरी है बन्दना जी?

Jherh cUnuk dqekjh% मंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी बस्ती विकास केन्द्र डूसिब के अंडर स्लम के अंदर और बारात घर बने हुए हैं, नए बनाए गए हैं। लेकिन वो बंद पड़े हैं। अलाटमेंट नहीं हुए है तो इसके आगे की क्या प्रक्रिया है?

LokLF; ea=h% अध्यक्ष महोदय, इनको अलाटमेंट करने का सरकार ने निश्चय किया है कि अलाटमेंट संस्थाओं को न करके इसकी एक कमेटी बनाई जा रही है जो कि मैने अभी बताया है, जिसका चेयरमैन लोकल एमएलए जो हैं, इसके चेयरमैन होंगे और मैंने अभी जो पाँच लोग बताएं

है, दोबारा बता देता हूँ। सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट, एरिया एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर एससीएसटी, दो रिप्रेजेटेटिव आरडब्ल्यूएस के और एक एक्जीक्युटिव इन्जीनियर; तो ये पाँच सात लोग और चेयरमैन होंगे, एमएलए।

Jherh cUnuk dqekjh% कब तक कर लेंगे हम लोग ये सारी चीजें? कब तक अलाटमेंट की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी?

LokLF; ea=h% ये तो लागू है, आप करिए।

Jherh cUnuk dqekjh% नहीं हमारे यहां सब बंद थे। वह जर्जर स्थिति में आ रहे हैं। कितनों के तो शीशे टूट गए हैं। वो वहाँ जो बच्चे हैं, जेजे क्लस्टर के, वो सारी चीजें...

LokLF; ea=h% मैं सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र लिखकर सारी प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दूँगा।

v/;{k egksn;% श्री प्रवीण जी।

Jh izoh.k dqekj% अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ कि जो कई सारी एनजीओ जो पिछला जवाब दिया, एक तो कन्सर्ड उसी से है, उसका जवाब मिल चुका है। दूसरा सवाल है कि कई सारे ऐसे जो बारात घर हैं, वो बन कर तैयार हैं, काफी टाईम से और वो अलाट नहीं हो पाए हैं। उसमें बहुत ज्यादा कूड़ा और इस तरीके के अलाट न होने के कारण बहुत ज्यादा बिजली की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। न ही पानी की व्यवस्था है और न ही इस तरीके की... वहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो उसको रख–रखाव करने की किस तरीके से करेंगे, तब तक कि अलाटमेंट नहीं होता तो?

LokLF; ea=h% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो एनजीओज को या संस्थाओं को दिये जा रहे थे, उसकी बहुत सारी कम्पलेंटस आई और उसके अंदर ऐसी कम्पलेंट भी आई कि लोगों ने अपने प्राईवेट आफिस खोल लिए या अपने, कहते हैं; पॉलिटिकल पर्पज के लिए उन्होंने कुछ करना चालू कर दिया। तो बहुत सारी शिकायतें आने के बाद आलटमेंट बंद कर दी गई है। अब डिपार्टमेंट खुद चलाएगा और चलाने का पूरा जो प्रोसिजर है, जैसे मैने बताया कि कमेटी बनाई गई है। कमेटीज लोकल एमएलए के अंडर होगीं। अलाटमेंट क्या होता था कि जो प्रपज के लिए दिया गया है, उस प्रपज को डिफीट करके उन लोगों ने पर्सनल प्रोपर्टी बनाना चालू कर दिया था। इस वजह से इसको कैंसल किया गया है और सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।

v/;{k egksn;% श्री रामचन्द्र जी। प्रश्न संख्या 107

Jh jkepUæ% माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्य मंत्री से प्रश्न संख्या 107 का जवाब जानना चाहूँगाः

(क) क्या आबकारी नियमों में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न हिस्सेदारों; जैसे दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग से परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन बैठकों का, इनमें मौजूद रहे अधिकारियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार का परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में आम जनता से परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

mi e[; e=h% अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 107 का जवाब प्रस्तुत है:

(क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) लागू नहीं;

(घ) जी नहीं;

(ङ) दिल्ली में शराब तथा अन्य मादक पदार्थो के विनिर्माण का विनियमन, नियन्त्रण एवं आवेक्षण, विनिर्माण कब्जा, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री तथा उपयोग दिल्ली आवकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार किया जाता है;

(च) उपरोक्तानुसार।

v/;{k egkn;% स्पलीमैन्टरी। राखी जी।

lJh jk[kh fcMykj% माननीय मंत्री जी ये बताएं कि जिस तरह से बाहरी दिल्ली में हर दूसरे घर के अंदर शराब और ओपन में नशा बिक

रहा है, उसके ऊपर नवम्बर 2016 के अंदर आप लोग एक पॉलिसी लाए थे कि खुले में कोई भी शराब पीता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा–सा अभी कमी आई है। इतनी एक्टिवनेस नहीं है। तो बस रिक्वेस्ट है कि इसे और मजबूती के साथ और जो है कड़ाई से इसका पालन हो और पिछले दिनों में वहाँ से कितनी गिरफ्तारियां कितने एक्शन हुए हैं। अगर अभी उपलब्ध नहीं है तो कल उपलब्ध करा दें, धन्यवाद।

mi e[; e=h अध्यक्ष महोदय, खुले में शराब पीने का हालाँकि सम्बन्ध इससे नहीं है लेकिन खुले में शराब लोकल लिक्कर कन्जम्शन के खिलाफ कानून तो पहले से बना हुआ था पर उसको कभी इम्पलीमेंट नहीं किया गया था ठीक से। हमने इसका पूरा अभियान चलाकर आबकारी विभाग ने उसको लोगों को प्रचार करके लोगों को इस कानून के बारे में अवगत कराके लोगों से इनपुट माँगे और जहां–जहाँ,से शिकायतें आईं, काफी हद तक उन पर एक्शन लिया, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई, अभी तक कितना हुआ। मुझे लगता है, मैंने बजट में भी जिक्र किया था, अन्यथा भी मैं उपलब्ध करा दूँगा इसका विवरण। अभी तक हुई गिरफ्तारियों का जितना भी विवरण है, लेकिन क्योंकि आबकारी विभाग की टीम बहुत छोटी है और दिल्ली पुलिस से लोग मिलते हैं। मूलतः आबकारी विभाग के तहत दिल्ली पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन कराए। आबकारी टीम के हिस्से और भी जिम्मेदारियाँ हैं जैसे तस्करी को रोकना, आबकारी नियमों का अनुपालन कराना लेकिन साथ–साथ खुले में अगर शराब पी जाती है कहीं, खुले में ओपन कन्जम्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हम कॉल पर या सूचना मिलने पर एक्शन लेते हैं।

Jh tjuy flg अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एक्साईज डिपार्टमेंट द्वारा ये पॉलिसी बनाई गई थी कि जो शराब की दुकान है अगर उस क्षेत्र के लोग कम्पलेंट करते है तो वो दुकान बंद हो जाएगी। तो उनकी कम्पलेंट पर मेरे क्षेत्र में एक मोहल्ला सभा रखी गई जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उप मुख्य मंत्री जी भी आए थे। उसके बाद उस शराब की दुकान के मालिक को नोटिस ईश्यू कर दिया गया कि यहां से आप एक महीने में दुकान बंद कर दो। एक महीने के बाद उसने दो दिन के लिए दुकान बंद की और तीसरे दिन वो हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गया। तो अब उस केस में जो वहाँ के लोग थे, वो फिर परेशान हैं और मैटर भी कोर्ट के अंदर में है तो उस केस में क्या डिपार्टमैंट की तरफ से किया जा जायेगा? क्योंकि वहाँ कुछ खास... कोर्ट में जो डिपार्टमैंट का वकील था, वह कुछ खास दलील नहीं दे पाया, इसलिए इस मामले में स्टे मिल गया और उसको अपडेट नहीं किया गया था। जब मैंने वकील से बात की तो डिपार्टमेंट ने उस वकील को पूरा अपडेट नहीं किया था उस वकील ने कोई जो कोर्ट के अंदर ये बात नहीं बताई कि वहाँ पर ऐसे मोहल्ला सभा हुई है, लोगों की कंपलेंट थी उसने बोला कि कुछ लोगों ने बस शिकायत दी थी, यही स्टे ऑर्डर के अंदर लिखा है। तो इस तरीके के आगे भी केस जाएं तो सख्ती से कोर्ट के अंदर उनसे निपटा जाए और सरकार की भी बात बार लोगों को भी विश्वास कम होता है और वो परेशानी एज इट इज, जस की तज बरकरार है।

mi e[;e=h अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का कोई सवाल नहीं है, मूलतः उनका सुझाव है। मैं उनका सुझाव नोट कर रहा हूँ और साथ

साथ उन्होंने खुद ही माना है कि वो मैटर कोर्ट में है इसलिए मेरी तरफ से यहां कहीं पे भी कुछ कहना उसके लिए उचित नहीं होगा और दूसरा इसका क्योंकि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन से डायरेक्ट लिंक नहीं है। मैं बहुत ज्यादा...

ekuuh; v/;{k egksn; % हाँ, ऋषि जी।

Jh jktsa'k _f"k % अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहां अनआथोराइज्ड कालोनियों में अवैध शराब बिकती है, इसको बंद करने की कोई योजना है आपके पास? क्योंकि इसके द्वारा अगर कोई जहरीली शराब बिक जाए और लोग मरेंगे तो सरकार को बदनाम किया जाएगा न कि पुलिस को। कोई योजना हो, इसके लिए बताएं सर?

mi eq[;ea=h % अवैध शराब के खिलाफ पूरी कार्रवाई करने की योजना हमारे नियमों में है और जहाँ भी सूचना मिलती है, वहाँ एक्शन आबकारी विभाग या पुलिस को सूचना देके कराया जाता है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी है; पता या गली या उस तरह की सूचना है तो हमें उपलब्ध करा सकते हैं, हम उसपे एक्शन लेंगे।

ekuuh; v/;{k egksn;% प्रश्न संख्या 108

Jh lqjsUæ flag % मैं माननीय उपमुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र से पार्षद की कैपेसिटी में भी काम करता हूँ और विधायक की कैपेसिटी में भी काम करता हूँ और साथ में आरडब्ल्यूए ने भी लिख के दिया है कि नई दिल्ली के क्षेत्र में बार के जो लाइसेंस हैं, वो ऐसे बाँटे जा रहे हैं जिसका कोई अनलिमिटेड... तो मैंने एक शिकायत बिल्कुल लिखित

में और कई बार मैं दे चुका हूँ। उसके बिल्कुल क्लोज स्कूल है वहाँ पे और मैंने क्वेश्चन भी लगाया था इतने साफ तरीके से अधिकारियों ने उसका जवाब दिया जी, हमने पूरा नियम के तहत इसको दिया है तो बार के लाइसेंस क्या कैंसिल हो सकते हैं, लगभग 180 लाइसेंस जो कनॉट प्लेस के एरिया में बांटे गये हैं?

ekuuh; v/;{k egkn;% ये इस प्रश्न से जुड़ेगा नहीं। जो प्रश्न है, उस से नहीं जुड़ता।

Jh lqjsUæ flag% अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक स्कूल के पास है बिल्कुल। सौ मीटर के दायरे में... इनके नियम के अनुसार है कि सौ मी. के दायरे में नहीं होना चाहिए।

ekuuh; v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी का आग्रह है कि इसको लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए माननीय मंत्री जी को।

प्रश्न संख्या 108। नहीं और नहीं, मनोज जी, देखिए, तीन सप्लीमेंटरी हो चुके हैं। नहीं, ऐसे सदन नहीं चल पाएगा। कोई नियम तो होगा न!

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आप लिख के दीजिए माननीय मंत्री जी को लिख के दीजिए।

...(व्यवधान)

हाँ, ऋतुराज जी, प्रश्न संख्या 108।

Jh _rjkt xkfon % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि प्रश्न संख्या 108 का जवाब देने की कृपा करें:

(क) पिछले 20 वर्षों में कितनी शराब की दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में जिन दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए, उनका विवरण क्या है; और

(ग) इन लाइसेंसों को प्रदान करने के लिए जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, उनका विवरण क्या है?

mi e[; e=h % मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायकों ने जो सवाल उठाए थे अभी दोनों लास्ट में कंसर्न व्यक्त किए थे, उनका जवाब भी इसी के प्रश्न में मिल जायेगा। प्रश्न ये है ऋतुराज जी का कि पिछले बीस वर्षों में कितनी शराब की दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। मैं बहुत विस्तृत इसका उत्तर देना चाहता हूँ:

(क) आबकारी विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विगत 20 वर्षो में शराब की दुकानों के लिए निर्गत लाईसेंसों की कैटेगरी वाइज सूची निम्नवार है:

क्र. सं.	वर्ष	*L-6*	*L-7*	*L-8*	*L-9*	*L-10*	*L-12*	*L-22*
1.	*1997-98*	*03*	-	*03*	-	-	-	-
2.	*1998-99*	*32*	-	*02*	-	-	-	-
3.	*1999-00*	*20*	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	वर्ष	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10	L-12	L-22
4.	2000-01	10	-	07	-	-	-	-
5.	2001-02	23	-	01	-	-	-	-
6.	2002-03	03	14	25	-	-	-	-
7.	2003-04	16	18	07	-	-	-	-
8.	2004-05	36	58	28	-	-	-	-
9.	2005-06	07	-	01	-	-	-	-
10.	2006-07	01	-	-	-	-	01	-
11.	2007-08	06	-	-	-	-	06	-
12.	2008-09	01	-	-	-	-	02	-
13.	2009-10	20	-	11	-	-	04	-
14.	2010-11	11	-	02	-	04	04	01
15.	2011-12	04	-	01	02	24	07	-
16.	2012-13	28	-	-	-	50	12	-
17.	2013-14	06	-	-	-	22	15	-
18.	2014-15	08	-	-	-	26	21	-
19.	2015-16	09	-	01	01	51	46	-
20.	2016-17	-	-	-	-	09	20	-
	Total	244	90	89	03	186	138	01

(ख) विगत तीन वर्षों में दुकानों के लिए प्रदान किये गये लाईसेंसो का विवरण निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	लाईसेंस	***01.04.2014 to 31.03.2015***	***01.04.2015 to 31.03.2016***	***01.04.2016 to 31.03.2017***
1.	***L-6***	***08***	***09***	***Nil***
2.	***L-7***	***Nil***	***Nil***	***Nil***
3.	***L-8***	***Nil***	***01***	***Nil***
4.	***L-9***	***Nil***	***01***	***Nil***
5.	***L-10***	***26***	***51***	***09***
6.	***L-12***	***21***	***46***	***20***
7.	***L-22***	***Nil***	***Nil***	***Nil***

(ग) उपरोक्त लाईसेंसों को प्रदान करने के लिए जिन अधिकारियों ने निरिक्षण किया उनका विवरण **lyXud ^d*** पर हैं।

lyXud ^d*

List of site Inspection officials for grant of license.

1. ***Sh. Manoj Jain, Assistant Commissioner (Excise)***
2. ***Sh. Rajesh Ranjan, Assistant Commissioner (Excise)***
3. ***Sh. Pawan Ahlawat, Assistant Commissioner (Excise)***
4. ***Sh. Rajesh Kumar, Assistant Commissioner (Excise)***
5. ***Sh. Adeshwar Kant, Assistant Commissioner (Excise)***

6. *Sh. Pawan Kumar, Assistant Commissioner (Excise)*
7. *Sh. Rajesh Kaushik, Assistant Commissioner (Excise)*
8. *Sh. O.P. Pandey, Assistant Commissioner (Excise)*
9. *Sh. P. K. Goel, Assistant Commissioner (Excise)*
10. *Sh. M.B. Vij, Assistant Commissioner (Excise)*
11. *Sh. Kumar Rahul, Assistant Commissioner (Excise)*
12. *Sh. K.K. Mishra, Assistant Commissioner (Excise)*
13. *Sh. Lalit Mohan, Assistant Commissioner (Excise)*
14. *Sh. J. P. Singh, Assistant Commissioner (Excise)*
15. *Sh. S. K. Sharma, Assistant Commissioner (Excise)*
16. *Sh. K.P. Singh, Assistant Commissioner (Excise)*
17. *Sh. Sombir Singh, Superintendent (Excise)*
18. *Sh. Amit Kumar, Superintendent (Excise)*
19. *Sh. Sunder Singh, Superintendent (Excise)*
20. *Sh. Amit Chhabaria, Superintendent (Excise)*
21. *Sh. Vijay Dabas, Excise Inspector*
22. *Sh. Ravinder Singh Rawat, Excise Inspector*
23. *Sh. Jagjit Singh, Excise Inspector*
24. *Sh. Sunil Atal, Excise Inspector*
25. *Sh. Anil Kumar, Excise Inspector*
26. *Sh. Amit Sharma, Excise Inspector*
27. *Sh. Ajay Tiwari, Excise Inspector*

28. *Sh. Alok Aggarwal, Excise Inspector*
29. *Sh. Jai Kumar, Excise Inspector*
30. *Sh. Manoj Kumar, Excise Inspector*
31. *Sh. Amit Dabas, Excise Inspector*
32. *Sh. Pradeep Suri, Excise Inspector*
33. *Sh. Satya Prakash, Excise Inspector*
34. *Sh. Alok Kumar Mishra, Excise Inspector*
35. *Sh. Neeraj Singha, Excise Inspector*
36. *Sh. S.K. Sharma, Excise Inspector*
37. *Sh. MukeshYadav, Excise Inspector*
38. *Sh. Ramesh Chand, Excise Inspector*
39. *Sh. Anil Ahuja, Excise Inspector*
40. *Sh. Varun Anand, Excise Inspector*
41. *Sh. AjayTiwari, Excise Inspector*
42. *Sh. R. Gopinath, Excise Inspector*
43. *Sh. Purshottam Yadav, Excise Inspector*
44. *Sh. Ashok Bansal, Excise Inspector*
45. *Sh. J.M.S. Rawat, Excise Inspector*
46. *Sh. Sudhir Kumar, Excise Inspector*
47. *Sh. Subhash Chand, Excise Inspector*
48. *Sh. K.K. Malhotra, Excise Inspector*
49. *Sh. Raviridran P.K., Excise Inspector*

50. Sh. Praveen Kumar, Excise Inspector

51. Sh. Sunil Kumar, Excise Inspector

52. Sh. Parveen Tak, Excise Inspector

53. Sh. Rakesh Kumar, Excise inspector

54. Smt. Girija Tomar, Excise Inspector

55. Sh. Ramesh Kumar Rawal, Excise Inspector

56. Sh. Dinesh Chandra, Excise Inspector

57. Sh. VirenderTyagi, Excise Inspector

58. Sh. Mohan Kumar, Excise Inspector

59. Smt. Upnita Chauhan, Excise Inspector

60. Sh. Arun Kumar, Excise Inspector

61. Sh. Victor Raj, Excise Inspector

62. Sh. Rajesh Kumar Batra, Excise Inspector

63. Sh. Sanjay Bhatia, Excise Inspector

64. Sh. Ravi Babu, Excise Inspector

65. Sh. Deepak Kumar, Excise Inspector

66. Ms. Usha Bhatia, Excise Inspector

67. Sh. H.K. Popli, Excise Inspector

68. Ms. Asha Singh, Excise Inspector

69. Sh. Rajesh Vij, Excise Inspector

70. Sh. Vijay Raj, Excise Inspector

71. Sh. Surender Singh, Excise Inspector

mi e[;e=h% मुझे लगता है कि इससे, जो ये है कि भई बहुत ज्यादा खुल रहे हैं; पूरा डेटा हमने यहां दे दिया है कि कितने लाइसेंसिस किस वर्ष में, किस कैटेगरी में दिए गए हैं, पहले कितने दिए गए, अभी कितने दिए गए हैं, एक एक पूरा ब्यौरा है यहां पे।

ekuuh; v/;{k egkn; % हाँ, ऋतुराज जी,

Jh _rqjkt xkfon% अध्यक्ष महोदय, मेरा एक इसमें वो है कि जैसे कि मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूँ अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर शराब के ठेके नहीं होने के चलते पूरे तरीके से एक इल्लीगल काम साँसियों के थ्रू चलता है जिससे कि सरकार का राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है और लोग गलत चीज पीते हैं, उससे बीमार पड़ते हैं। तो सरकार को एक बार मेरा सुझाव है कि इसकी पॉलिसी पे थोड़ा सा नजर देने की जरूरत है कि इसको किस आधार पे खोला जाए जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाईन शॉप, उस हिसाब से हो ताकि हर व्यक्ति के रीच में हो।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय विधायक ने बड़ा... मतलब हम उसपे लाइटर नोट पे ले सकते हैं लेकिन शराब के सारे बिजनेस में और गवर्नमेंट के रेगुलेशन में ये लाईन बहुत इंपोर्टेंट है, मतलब हम रोमांटिज्म ऑफ एल्कोहल बैन और इन सबमें जाके पालिटिसाईज करते हुए कह सकते हैं, बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें लेकिन ये भी हकीकत है कि शराब लोग कंज्यूम कर रहे हैं और अगर लोग शराब कंज्यूम कर रहे हैं और अगर उसको रेग्यूलेट नहीं किया गया, सेल के प्वाईंट ऑफ व्यू से भी, रेवेन्यू तो एक अलग घटना है। रेवेन्यू तो उसमें नहीं आए शराब से रेवेन्यू अगर शराब की पूरी कंसेप्ट ही खत्म हो जाए तो दुनिया में, देश

में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर शराब पी जा रही है, समाज कंज्यूम कर रहा है शराब और उसको हम अनरेगुलेटिड छोड़ दें तो मतलब हमारे देश का ही अपना इतिहास गवाह है कि जब जब जहाँ जहाँ बैन लगाए गए हैं वहाँ वहाँ इल्लीगल शराब खूब बिकती है और किस तरह की... जो उन्होंने जिक्र किया कि हूच ट्रेजडी होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है जैसे जैसे आप शराब को किसी पर्टिकुलर एरिया में बैन करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, इल्लीगल तरीके से शराब बॉर्डर पार से जिन राज्यों में अलाउड है, वहाँ से आती है। जिन एरियाज़ में ठेके नहीं खुले हुए, वहाँ भी यही जो बता रहे हैं, वो होता है और नकली शराब बिकती है। मतलब अगर हम आज... ये आज का मतलब कभी भी किसी समय में कोई भी सरकारें ये डिसीजन लेती हैं कि हम शराब की बिक्री बंद करते हैं तो उसमें रेवेन्यू की चिंता मुझे नहीं लगता है कि हमारे जैसी सरकार को या किसी भी सरकार को बिल्कुल होनी चाहिए कि रेवेन्यू का क्या होगा! चिन्ता इस बात की ही होती है कि अगर शराब बंद की गई तो हूच ट्रैजेडी जैसी घटनाएं ना घटें, लोग नकली शराब का कारोबार ना फैला के वो ना कर दें। इसलिये वो माननीय विधायक जी की बात इम्पोर्टेंट है। मुझे विभाग द्वारा सूचना दी गई है, जो पिछले प्रश्न के संदर्भ में शायद पूछा गया था 01/04/2017 से 2/07/2018 तक जो हमारा आबकारी विभाग है, उसकी टीमस जो छापे मारती है, ओपन कंजमशनस के खिलाफ 618 एफआईआर की गई हैं और 696 लोगों को अरेस्ट किया गया है।

v/;{k egksn;% चौ. फतेह सिंह जी।

Jh Qrsg flag% अध्यक्ष महोदय, पिछले बीस वर्षो में जो शराब के ठेके के लाइसेंस दिये गये, आज वहाँ पर कुछ परिस्थितियां बदली हैं। वहाँ स्कूल

भी खुले हैं, प्राईवेट स्कूल भी खुले हैं जिसके कारण से वहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी सरकार की नीति है कि भई कोई भी स्कूल या कोई ऐसा आधुनिक स्थल जहाँ हो वहाँ वाइन शॉप न हो तो सरकार का इसमें क्या संज्ञान लेने का इरादा है? क्या ऐसे ठेके को बंद किया जायेगा जो स्कूल के आसपास आयें या खुल गये हैं या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं?

mi e[; e=h% आबकारी नियमों में इसका पूरा प्रावधान है और जब भी लाइसेंस दिया जाता है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है फिर भी अगर वॉयलेशन का कोई मामला माननीय सदस्य के संज्ञान में है, तो उसको सूचना दे दें।

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, नहीं अब नहीं। विशेष जी, देखिये मैं तीन लूँगा... नहीं, तीन सप्लीमेंटरी हैं, लूँगा। पहले हाथ उठा हुआ था फतेहसिंह जी।

Jh fo'k"k jfo% उनके एरिया वाइज तो बड़ी सहूलियत हो जायेगी, शिकायत करने के लिए।

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh% v/;{k egkn;] मैं माननीय मनीष जी की बात से सहमत हूँ कि जहां जहां, शराबबंदी हुई है, वहां पर घटनायें घटी हैं। इनफैक्ट बिहार के अंदर शराबबंदी के बावजूद भी भाजपा के एक नेता ने शराब के नशे में कुचल दिया है... कुछ लोगों को सबने देखा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मनीष जी से ये है कि एक पॉलिसी बनी थी कि आरडब्ल्यूए

की मदद से और आरडब्ल्यूए की एक मीटिंग बुला कर के आप किसी भी शराब की दुकान के खिलाफ कोई जजमेंट पास कर सकती है तो उस पॉलिसी के तहत कितनी दुकानें दिल्ली में बंद हुई और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस है जिससे कि हम उन आरडब्ल्यूएज और उन रेजिडेंटस की बातों पर अमल कर सकें जिनको हमने प्रॉमिस किया था कि हम दुकानें बंद करेगें?

mi e[; e=h अध्यक्ष महोदय, शराब का जो कारोबार है और उसकी जो गवर्नेंस है, उसमें गडबड़ियां भी बहुत थीं और स्कोप भी बहुत रहता था इसीलिये हमने ये आइडिया फ्लोट किया था कि जिस और उसमें आपस में बहुत पॉलिटिक्स होती है कि एक दो शराब के ठेके हैं तो एक कंपलेंट कराता रहता है और दूसरा... उस तरह से भी माहौल चलता है कि एक शराब के ठेके वाला दूसरे के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड में कम्पलेंट कराता रहे तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक विचार पर काम करना शुरू किया था सरकार ने कि उस क्षेत्र के लोगों से और अधिकृत उस क्षेत्र के निवासियों से इनपुट ले के, उनकी राय से, उनकी बैठक में इसके फैसले लिया जाये। इसका पहला प्रयोग हुआ था जिसका जिक्र माननीय विधायक जरनैल सिंह जी ने भी किया लेकिन अभी वो मामला कोर्ट में है। वो जिन वजहों से कोर्ट में है, उन्होंने कुछ मामले संज्ञान में... उन्होंने कुछ तथ्य संज्ञान में लाने की कोशिश की है मैं उनसे और तथ्य ले के उन पर विचार करूंगा कि कैसे हुआ लेकिन जहां तक और ऐसे प्रयोगों का सवाल है, ये एक पॉलिसी है जो ऐस्टेब्लिश होनी है। तो ये एक स्थानीय लोगों से पूछ के स्थानीय लोगों से बात करके शराब के ठेकों के खुलने, न खुलने, नये लाइसेंस देने शिफ्ट करने, इन सब चीजों पर विचार किया

जाये, बंद होने पर विचार किया जाये। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे मुझे लगता है, दिल्ली में डेवलेप हो रही है। इसके कुछ प्रयोग निश्चित रूप से होंगे। उसमें कुछ अनुभव आयेंगे, उन अनुभवों के आधार पर हो सकता है, हम किसी समय पर एक ऐसी बहुत कान्सोलिडेटेड पालिसी पर पहुँच पायें जिसका सब लोग और बाकी राज्यों की सरकारें भी फायदा उठा पायें।

v/;{k egkn;% चलिये, भई एक बार बंदना जी। बंदना जी का हाथ खड़ा था, बंदना जी।

Jherh cnuk dqekjh% अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगी जो हमारे क्षेत्र में लिक्कर सब सरकारी लिक्कर्स बहुत ज्यादा है। मॉल में है, डीडीए की मार्केट में है लेकिन फिर भी हमारे जस्ट हमारे ऑफिस के जस्ट दो गली छोड़ के खुले में लिक्कर बिक रहे हैं अनओथराईज, और मैं इसको ले के एलजी साहब से भी मिली, पुलिस से भी मिली तो सभी ने कहा... एलजी साहब ने तो कह दिया कि पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है जो लिक्कर शॉप बंद करवाते चलें और मै एक्साईज डिपार्टमेंट से मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो इसको बंद करवाये और मैंने बहुत बार खरीदते बिकते उसकी सीसी की फोटो ले के भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दी लेकिन इस पर हम कैसे करें और क्या करें ...(व्यवधान) ये मुझे लगता है कि सभी हमारे विधायकों की ये समस्या होगी।

lqJh jk[kh fcMyk% ये बाहरी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है।

Jherh cnuk dqekjh% और सर, अभी जो हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है... बीस रूपये में भी पाऊच मिल जाता है।

v/;{k egkn;% बंदना जी, क्वेश्चन क्या निकला आपका?

lJh cnuk dekjh% और छोटे छोटे नहीं, इसमें सर क्या है जो अभी जितने भी क्राईम हो रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे...

v/;{k egkn;% माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

mi&e[;e=h% अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा...

Jh fotUæ xlrk% एक दुकान को ले के मौहल्ले के बीच में है बिल्कुल लोग इतना इरीटेशन करते हैं, धरना करते हैं महिलायें, और मैं उपमुख्यमंत्री से चाहूंगा कि जो नीति सरकार ने एडॉप्ट की थी लाखों से निकालने की क्या उसको कंटीन्यू किया जायेगा कि नहीं किया जायेगा?

v/;{k egkn;% अभी अभी जरा विशेष रवि के बाद आप, प्लीज।

mi e[;e=h% उसके तहत सुनवाइयाँ हो रही हैं, सुनवाईयां।

v/;{k egkn;% नहीं, विशेष जी के बाद नहीं। भई और नहीं, एक क्वेश्चन पर क्या छः छः सप्लीमेंटरी लेंगे।

mi e[;e=h% एकदम से मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की एकदम पुख्ता पॉलिसी अब लागू कर दी गई है, दिल्ली के कौने कौने में। लेकिन जैसा एक उदाहरण ये आया और भी कई जगह इसके प्रयोग किये जा रहे हैं। एक बार इसके प्रयोग... जैसे जैसे सफल हो जाएंगे, हमें विभाग को भी लर्निंग बनेगी इसमें; कहाँ किस तरह कि पहला मामला आया, कोर्ट में चला गया, किन वजहों से कोर्ट में गया ताकि अगले मामले कोर्ट में न जाए। पहले से उन चीजों का ध्यान या कोर्ट में स्टे न मिले। विभाग

चाहेगा कि जब भी ऐसा कदम उठाया जाए तो स्टे ना मिले तो उससे पहले क्या कदम उठाये जाएं, इन सबकी लर्निंग के बाद में बता पाऊंगा कि किसमें क्या है लेकिन इस पर प्रयोग जारी हैं। मैं थोड़ा सा फेक्चुअल करेक्शन करना चाहूंगा जो मुझे सूचना दी गई थी। पहले जो मैंने 698 एफआईआर बताया और 696 लोगों को गिरफतार किया गया; ये शराब के अवैध कारोबार के संबंध में गिरफ्तारियां थी, ओपन कंजम्पशन की नहीं थी। ओपन कंजम्पशन की जानकारियां; 2144 ओपन कंजम्पशन के मामले, अरेस्ट 2144 अरेस्ट किये गये हैं। 2144 लोग ओपन लिक्कर कंजम्पशन के मामले में अरेस्ट किये गये हैं, ये जो सूचना थी कि 698 एफआईआर की गई हैं और 696 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये निश्चित रूप से वो लोग हैं जो अवैध रूप से शराब बेक रहे हैं, दिल्ली में। मुझे नहीं पता एलजी साहब अपना धर्म क्या मानते हैं, कानून के हिसाब से क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता। पुलिस कितनी मिली भगत से काम करती है और कितनी दिल्ली के लोगों के इटरेस्ट में काम करती है, पर मैं दिल्ली का आबकारी मंत्री होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में कहीं भी अगर अवैध शराब का कारोबार होगा और अगर उसकी सूचना हमें मिलेगी तो चाहे मुझे जाना पड़े साथ में, हम रेड डलवाएंगे, उनको पकड़वाएंगे और ये 698 एफआईआर 696 लोगों के अरेस्ट इसी क्रम में किये गये हैं।

v/;{k egksn;% विशेष रवि जी। इसके बाद आपका।

Jh fo'k"k jfo% छोटे छोटे तीन सवाल हैं सर। सर ये जो बताया गया है कि लाइसेंस एल–6 एल–7 ऐट नाईन टवेल्व; इसकी विस्तार से जानकारी सदन को दे दी जाये कि ये क्या है? सवाल नंबर दो; ये जो लोकेशन बताई गई हैं कि जहाँ पर पिछले दो साल में, तीन साल में नये

शराब की दुकानें खुली हैं, इनकी लोकेशन सदन को दे दी जाये? और सवाल नंबर तीन कि जो आबकारी अधिकारी, जो बताया जा रहा है कि जिनको शिकायत करने पर अवैध शराब और खुले में शराब पीने की दोनों पर कार्रवाई होती है, उसमें जो अधिकारी हैं, उनकी जानकारी सदन के साथ शेयर कर दी जाये, धन्यवाद। विधानसभा वाईज या डिस्ट्रिक्ट वाईज है?

v/;{k egkn;% क्या जानकारी?

Jh fo'k"k jfo% तीन हैं सर, क्वेश्चन।

v/;{k egkn;% बता दिया माननीय मंत्री जी ने खुले में शराब का भी बता दिया, इलीगल शराब का भी बता दिया।

Jh fo'k"k jfo% सर, इसमें शिकायत करने के लिये सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी हैं या विधानसभा वाईज अधिकारी हैं, शिकायत करने के लिये? और साथ में जो नये ठेके खुले हैं या नई शराब की दुकानें खुली हैं, इनकी लोकेशन्स और जो लाइसेंस बताये गये हैं; तीन चार श्रेणी के, इसमें विस्तार से जानकारी कि ये लाइसेंस क्या है और इसका मतलब क्या है एल–6 एल–7 का?

v/;{k egkn;% लाइसेंस की इनकी?

mi e[; e=h% ये एल–6 एल–7 जितने लाइसेंस हैं, उनकी प्राइमाफेसि जानकारी मैं दे देता हूँ। बाकी पूरी एल–6 की पूरी कैटेगरी क्या है, माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे। जो ई. कैटेगरीज हैं; एल 6 सरकारी दुकानें हैं, एल–7 प्राइवेट आईएमफिल हैं। एल–10 मॉल में प्राइवेट

आईएमफिल है और एल–12 डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। पर विस्तृत जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, हरेक कैटैगरी की लेकिन साथ साथ जो इन्होंने जिक्र किया कि शिकायतें कहाँ करें, विधानसभा वाइज मुझे नहीं लगता कि विधानसभा वाइज आबकारी अधिकारी या उस तरह से हो सकते हैं। हमने दिल्ली सरकार की ओर से एक नम्बर भी जारी किया हुआ है, वो नम्बर मैं आपको बता दूॅगा, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन जो आप कह रहे है कि किस क्षेत्र में कौन अधिकारी है, मुझे लगता है ये विभाग का अपना एक मोडस ऑपरेण्डी ही है, किस वक्त किस अधिकारी को, किध ार की जिम्मेदारी दे रहे है और वो आज कुछ हो सकती है, कल उसी इंस्पेक्टर को किसी दूसरे क्षेत्र में भेजा जा सकता है, कल उसी अधिकारी को दूसरे, तो ये स्टेटिक जानकारी नहीं हो सकती है कि किसी क्षेत्र के विशेष में... हम कोई जानकारी दें कि आज ये, पर अगर आप चाहें तो हम अधिकारियों... हमने जैसे यहां भी अधिकारियों की सूची तो संलग्न की है, वो अलग–अलग अधिकारियों की सूची है। यहां 71 अधिकारियों की सूची यहां पर संलग्न की गई है। अलग से कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वो भी उपलब्ध करा देंगे।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नहीं, विशेष जी, पूरा उत्तर दिया है मंत्री जी ने।

Jh fo'k"k jfo% लोकेशंस का नहीं बताया सर।

v/;{k egkn;% लोकेशन का आज इस क्वेश्चन से रिलेटिड नहीं है। लोकेशन का उत्तर उनके पास नहीं होगा। लोकेशन वो बाद में भेज देंगे, कहा है, माननीय मंत्री जी ने। हाँ जी?

Jh 'kjn dqekj: अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा अगर खुलवानी हो तो उनका क्या करा जाए क्योंकि वजह क्या है जी, मैं बताता हूँ, नरेला विधान सभा पूरी की पूरी बॉर्डर से लगी हुई है, सारी बॉर्डर से लगी हुई है और 40 गाँव हैं, कमर्शिलय रोड है ही नहीं गांव में कोई भी और वो 25–25 किलोमीटर दूर लेने जाते हैं और पर डे एक–दो की मौत होती ही होती है जी। अब उनका क्या इलाज करा जाए, उनके लिए भी दारू चाहिए। अभी मैं बताना चाहूँगा एक मिनट, कि स्वाति मालीवाल ने जितने भी केस हुए, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा ब्लैक में दारू नरेला विधान सभा में, मुझे नहीं लगता कि हर गाँव में, हर कॉलोनी में... क्योंकि आस पास कोई ठेके नहीं हैं। 20–20, 25–25 किलोमीटर दूर है, उसकी वजह से अवैध शराब ज्यादा बिक रही है अभी। एक लेडी को नंगा तक करा गया, आपने देखा था, वहाँ पे कितना बुरा हाल हुआ। वो मीडिया में भी छाया रहा...

v/;{k egksn;% हो गया, अब हो गया? क्वेश्चन हो गया आपका क्लीयर?

Jh 'kjn dqekj: तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक खोलने का ऐसी जगह जो या तो उनको कमर्शियल रोड है नहीं वहाँ पे, तो खोलने की भी प्रक्रिया बता दी जाए कि वहाँ खुलेंगे कैसे जी और... वहाँ मॉल नहीं है, कोई प्राइवेट मॉल नहीं है, कोई।

v/;{k egksn;% माननीय उप मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे है भई, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे है प्लीज।

mi eq[;ea=h: अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने जब विधायक ऋतुराज जी बोले थे तो उस वक्त मैंने कहा था कि शराब माफिया और शराब माफिया

की पॉलीटिक्स, शराब के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाते हो, उसको भी समझ के काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो अभी... शरद जी तो अभी विधायक है वहाँ से, उससे पहले भी बहुत लोग उस क्षेत्र में कोई न कोई तो विधायक रहा है और उसकी पॉलीटिक्स का हिस्सा रहा है कि उस एरिया में शराब की दुकानें नहीं खुलने का सीधा सीधा सा एक बड़ा नेक्सस... मेरे पास डेटा नहीं है, इसका कोई और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ तस्करी की शराब और अवैध शराब का कारोबार ज्यादा होता है और वो अगर कोई दुकान खुलती भी है तो सबसे ज्यादा नियम, कायदे–कानूनों को उठा के सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग वो ही होते हैं जिनका नम्बर दो... कॉलोनी में शराब की दुकान खुल रही है, निश्चित रूप से महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और कई सदस्यों ने बात की, स्कूल और इन सब के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी उसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है। कहीं मार्केट में खुल रही है, वहाँ अगर न्यूसेंस फैल रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और वो सरकार ने इसीलिए ये फैसले लिये कि लोग अगर तय करें लेकिन इस तरह के जो मामले आते हैं, वहाँ उसकी बहुत बड़ी मतलब माफिया पॉलीटिक्स है और उस माफिया पॉलीटिक्स को रैगुलेट करने के लिए ही सरकार को सख्ती करने की जरूरत पड़ती है। मैं इनसे सहमत हूँ। बाकी अगर आप बता दीजिएगा, खोलने की तो जो भी पॉलिसिज हैं, वो गवर्मेंट की पब्लिक डोमेन में है, वह उपलब्ध करा देंगे।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% भई प्लीज, प्रश्न संख्या 109, रघुविन्द्र शौकीन जी।

...(व्यवधान)

Jh vke idk'k 'kek: सर, इसका आन्सर नहीं है, 109 का।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% एक सैकेंड, भई माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, शौकीन जी, आप रखिए, बात रखिए।

...(व्यवधान)

Jh j?kfoUæ 'kkdhu: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 109 प्रस्तुत है:

क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 15 वर्षों में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का विवरण क्या है;

(ख) किन–किन अधिकारियों ने किन–किन देशों का दौरा किया एवं प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च किया गया, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन दौरों से सरकार एवं आम जनता को हुए लाभों का विवरण क्या है;

(घ) विदेशी दौरों के लिए अधिकारियों को चुनने का क्या मानदंड है; और

(ङ) इंजीनियर्स, डाक्टरों, अर्थशास्त्रियों एवं अन्य सेवाओं के निमित कोर्स के लिए आईएएस एवं दानिक्स अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों का विवरण क्या है?

mi e[;e=h: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 109 के संदर्भ में कहूँगा, पहले मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ दूँ ताकि सदन के रिकार्ड में, वैसे तो है

ही, माननीय रघुविन्द्र शौकीन जी ने, विधायक जी ने पूछा है कि पिछले 15 वर्षों में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और स्वायत्त निकायों के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरण क्या है? किन–किन अधिकारियों द्वारा किन–किन देशों का दौरा किया गया और प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च किया गया, इसका पूर्ण विवरण क्या है? इन दौरों से सरकार एवं आम जनता को हुए लाभ का विवरण क्या है? विदेशी दौरों के लिए अधिकारियों को चुनने का मानदंड क्या है और इंजीनियर्स, डाक्टर्स, अर्थशास्त्रियों और अन्य सेवाओं के निमित कोष के लिए आईएएस एवं दानिक्स अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे का विवरण क्या है? मुझे लगता है ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है अगर...

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% भई, दो मिनट रूक जाइए। माननीय मंत्री जी बोल रहे है, कोई गंभीर विषय है।

mi&eq[;ea=h% विधान सभा से इस प्रश्न को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट सामान्य रूप से इस तरह का विवरण नहीं रखता है अधिकारियों के दौरे का तो इसको जीएडी डिपार्टमेंट को भेजा गया। जीएडी डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका जवाब सर्विस डिपार्टमेंट देगा, जब मेरे संज्ञान में ये दुबारा से बात आई, मैंने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वो तय करे कि कौन अधिकारी इसके, कौन सा विभाग इसका जवाब देगा। अब फाइनली ये सर्विस विभाग को भेजा गया है और अभी तक इसका जवाब नहीं आया है।

...(व्यवधान)

Jh fotUæ xlrk: मेरे प्रश्न का भी जवाब, जिसमें विधायक और मंत्रियों के 20 साल के दौरे की बात की गई थी, वो भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया था। दोनों प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए सदन के समक्ष। उत्तर न आना कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी परम्परा है...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सौरभ जी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;: भई मैं किसको सुनूँ? या तो बैठ के हाथ खड़ा कर लें, बैठ के हाथ खड़ा कर लें

...(व्यवधान)

Jh vtl'k ;kno: अध्यक्ष महोदय, इस दौरान दिल्ली सरकार के बहुत बड़े डिपार्टमेंट के कौन से अधिकारी विदेश के दौरे पर थे, ये जानकारी सदन चाहता है कि क्या वो सरकार से पूछ के गए, जब ये उनके यहां पर डिपार्टमेंट के... अगर दिल्ली सरकार से वो पूछ के नहीं गए हैं, मंत्री जी से पूछ के नहीं गए है तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो बाहर अब भी हैं और पहले भी थे, ये मैं पूछना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सौरभ जी, क्या कह रहे है आप?

Jh lkjHk Hkkj}kt: मेरा ये, एक साल पहले भी इसी तरीके का प्रश्न विधान सभा के अंदर लगाया गया था सर, और उसका जवाब भी अभी

तक नहीं आया है और ये बात बड़ी अजीब है। गुप्ता जी भी ये कह रहे हैं कि भई इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। देखिए इस सवाल के जवाब के लिए अधिकारियों को यहां बुलाना पड़ेगा विधान सभा में और अधिकारियों को जैसे ही विधान सभा बुलाया जाता है, एलजी साहब उनको वकील कराते हैं और वो वकील को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं तो ये पूरी की पूरी मिलीभगत तो केंद्र सरकार की है, जिस कारण से ये सारा का सारा मामला चल रहा है। तो विजेन्द्र गुप्ता जी खुद इस बात को समझते हैं, हाथ हिलाने से नहीं होगा, ये सच्चाई है।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% अखिलेश जी, अब दो मिनट बस, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ओम प्रकाश जी, मैं इस पर अपनी रूलिंग दे रहा हूँ, इसी विषय पर रूलिंग दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn;% फिर क्वेश्चन रह जाएगा।

Jh vkse izdk'k 'kekZ: सर, मेरा नम्र निवेदन ये है कि सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। क्या ये जो दौरे हैं, सरकारी दौरों की बात कर रहे है या पर्सनल दौरे भी उसमें मिक्स कर लिए, नम्बर एक। दूसरी बात ये है कि जो सरकारी दौरों का जो रिकॉर्ड है, तो वो तो सदन में देना ही चाहिए और ये जो बात कह रहे हैं केंद्र सरकार की इसमें... बिना मकसद तोहमत लगाने का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपने बनाना, कहीं दर्ज कराना है तो बात अलग है। वरना जो रूटीन में चीज है, उसको रूटीन में कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% अभी विशेष जी बैठिए। दो मिनट ये बहुत गंभीर विषय है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% भई, सारी बातचीत आ गई है, दो मिनट मैं...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% भई विशेष जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। मैंने सुन लिया, आपकी भावनाएं सुन रहा हूँ, सबकी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नहीं, अभी बैठिए आप, प्लीज बैठिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ। बैठ जाइए अब।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% बैठिए ऋतुराज जी बैठिए। नहीं, ऋतुराज जी, मैं अब समय नहीं...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% मैं रूलिंग दे रहा हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं। ये जो विषय है, ये बड़ा गम्भीर हो गया है। मैं इस पर एलजी साहब का आदेश पहले पढ़ रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद अपनी रूलिंग दे रहा हूँ। इतना गम्भीर हो गया है ये विषय कि क्या किया जाए, क्या नहीं, इस पर

मुझे विचार करके और बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ***on the issue of questions being raised in Legislative Assembly of Delhi...*** मैं एलजी साहब का लेटर पढ़ रहा हूँ ***...of Delhi matter related to reserved subjects.*** माननीय सदस्य समझ रहे होंगे... ***The following advice of the Deptt. of Legal Affairs, Govt. of india has been received through the Ministry of Home Affairs, Govt. of india as per article…***

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% हाँ, पूरा पढ़ रहा हूँ मैं। अब ओम प्रकाशजी पूरा सुन लीजिए। दो मिनट रुक जाइए। उतावले न हों।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% भई सोमनाथ जी, मुझे पूरा पढ़ने देंगे? छोड़ दूँ?

"As per Article 239AA(3)(a) of the constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List, or in the Concurrent List except matters with respect of Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of the List in so far as they related to the said Entries 1, 2 and 18.

Furhter as per Article 239AA (4), the responsibility of Council of Ministers of the NCT of Delhi to aid and advice to Lt. Governor is restricted to matter only on which the Legislative Assembly has power to make rule. Thus on reserved subjects, i.e. subject mentioned in entry 1, 2 and 18, the State Govt. has no power either on make law or take an executive action.

Rule 29 of Procedure and Conduct of the Business of the Legislative Assembly of the National Capital Terriotry of Delhi States that the subject

matter of questions must relate to matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be elicit information or to give suggestions of action on matter of public importance.

In view of the provisions contained in Article 239AA(3) and 4 read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, Legally the Speaker of the Legislative Assembly can not admit any question on any reserved subjects."

The above legal position may kindly be brought to the notice of the Secretary of Legislative Assembly, Delhi for kind information of Hon'ble Speaker, Legislative Assembly, Delhi and departments concerned for necessary actions.

ये एक बहुत गंभीर विषय है इस पर मैं अपनी रूलिंग दूँ, उससे पहले ओमप्रकाश जी ने टिप्पणी की इसको पूरा पढ़ दीजिए। मुझे लगता है इस पत्र की पूरी ओमप्रकाश जी को जानकारी थी। इन्होंने पूरा पढ़ा हुआ था, तभी उन्होंने इस पर उन्होंने कमेंटस किया। नहीं, ओमप्रकाश जी, ये गंभीर विषय है। टिप्पणी की कि पूरा पढ़ दीजिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं पत्र पढ़ रहा हूँ।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नहीं, मैं बिल्कुल, इन्होंने उनको कहा। चलिये, अब जो भी है मैं अपने शब्द वापिस ले रहा हूँ। बैठिये।

Jh vke izdk'k th% मेरा कहना केवल इतना है।

v/;{k egkn;% देखिये, मेरा इसमें ये कहना है... बैठिए फिर, बैठ जाइए। मैं इसमें रूलिंग दे रहा हूँ। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, पहले मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अंग्रेजों का शासन लाने का प्रयास है ये। दिल्ली को परतंत्र करने का प्रयास है। दिल्ली में किसी लड़की के साथ रेप हो जाये, क्या एमएलए यहां क्वेश्चन नहीं उठा सकता! क्वेश्चन नहीं लगा सकता! क्योंकि रिर्जवड सब्जेक्ट है! दिल्ली की लैंड को कोई अपराधिक लोग कब्जा कर लें। रिजर्व सब्जक्ट है! कोई विधायक क्वेश्चन नहीं लगा सकता! आखिर एलजी साहब क्या चाहते हैं? और अधिकारियों को समझना पड़ेगा। मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूँ। विधि विभाग के प्रधान और मैं यहां ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने 1993 से लेके आज तक पूरा सब कुछ उठाकर देखा और पूरा अध्ययन किया है। 239 ए में... डबल ए में कहीं ये नहीं है कि विधान सभा में उठाये हुए प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जायेंगे। ये इतना शर्मनाक विषय है। मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूँ।

कथित आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों की स्वीकार्यता के बारे में अध्यक्ष महोदय के निर्देश और व्यवस्था जो मैं दे रहा हूँ:

विधि विभाग के प्रधान सचिव ने कथित आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों की स्वीकार्यता के बारे में उपराज्यपाल महोदय के संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2018 की प्रति प्रेषित की है। मैं यहां बताना चाह रहा हूँ। ये लैटर 19/3/2018 को लिखा गया था और 24/3/2018 को हमें यह प्रति प्रेषित की गई। इस पत्र में गृह मंत्रालय के माध्यम से विधि कार्य विभाग, भारत सरकार के परामर्श को संप्रेषित किया गया है। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 239 एए (3) तथा (4) के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 29 के दृष्टिगत विधानसभा के अध्यक्ष वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिनाँक 19 मार्च, 2018 को सदन में सूचित किया था कि सर्तकता विभाग के अधिकारियों ने ताराँकित प्रश्न संख्या चार तथा 16 के उपयुक्त उत्तर देने से इन्हीं आधारों पर मना कर दिया था। मैंने यह मामला पहले ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है और मुख्य सचिव को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उत्तर तत्काल दिये जायें। सचिवालय के कुछ विभागों जैसे सर्विसिज, विजिलेंस, भूमि एवं भवन से पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने संबंधित मंत्रियों के साथ ब्रीफिंग मीटिंग करने से मना कर दिया है। यहां मैं फिर टिप्पणी कर रहा हूँ। विजिलेंस में कोई कंपलैंट जाती है, कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो विजिलेंस विभाग से उत्तर नहीं आयेगा विधानसभा में? उससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? क्या तमाशा बनाया है एलजी ने? ये चुने हुए विधायक हैं। यहां सचिवालय को इस विधानसभा के विशेष अधिकारों को चुनौती देने के इन बचकाना प्रयासों के कारणों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि उप मुख्यमंत्री महोदय ने कल सदन में कहा था कि इस सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत देने से भी मना नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिस सूचना को हम... नागरिक भी प्राप्त कर सकता है, आश्चर्यजनक रूप से उसे इस विशेषाधिकार प्राप्त सदन को देने से मना किया जा रहा है। आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों को इस सदन की स्थापना के बाद ही पूछा जाता रहा है और उनके उत्तर भी दिये जाते रहे हैं। सर्विसिज की आड़ में विजिलेंस से जुड़े प्रश्नों से बचने का प्रयास करना भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की

मंशा जाहिर करता है। विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 29 के अनुसार प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से संबंध होना चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ। विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 29 के अनुसार प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से संबंध होना चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्रवाई का सुझाव देना होगा। सबसे पहले इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम 291 के अनुसार प्रक्रिया नियमों की व्याख्या के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके अलावा नियम 293 स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी संकल्प या प्रश्न एवं किसी अन्य विषय की स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बारे में अध्यक्ष का जो निर्णय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 29 के समान ही लोक सभा के नियमों में भी ऐसी व्यवस्था है। लोक सभा नियमों, नियम 41, (2), (8) के अनुसार प्रश्न उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः भारत सरकार का विषय न हो। लेकिन ऐसे प्रश्नों को माननीय अध्यक्ष के विवेक के आधार पर स्वीकार किया जाता है। मैं कौल एवं शकधर की पुस्तक 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' को उद्धरित करना चाहूंगा जिसमें उल्लेख है कि किसी ऐसे विषय से जो भारत सरकार का विषय नहीं है, उससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न को गुण दोष के आधार पर स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष को है। ऐसे मामलों में लोक महत्व के आधार पर निर्णय किया जाता है। अधिकारियों को देखना चाहिए कि आरक्षित विषयों पर कानून बनाना और दिल्ली की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले जनहित से जुड़े मुद्दों पर उत्तर प्राप्त करना दोनों अलग–अलग विषय हैं, अलग–अलग मामले

हैं। इसलिए मैं यह निर्देश देता हूँ कि अधिकारी उन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं जो स्वीकार किये जाते हैं। विधानसभा और इसकी समितियों को सूचना देने से मना करने का किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वह किसी भी पद पर कार्य करता हो, उसे गंभीरता से लिया जायेगा और सदन की अवमानना माना जायेगा। मैं यह साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि ऐसे सभी प्रश्नों को जिनके उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जायेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता जी: ये 109 नम्बर का पूछना है। इसका तो इससे सीधा संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: ये एलजी साहब से पूछिए, एलजी साहब से पूछिए विजेन्द्र जी, आप मिलते रहते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मैं जानना चाहता हूँ 109 का और उनके सवाल का... अखिलेश पति त्रिपाठी के सवाल का जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं पढ़ देता हूँ। विजेन्द्र जी, पढ़ देता हूँ। विजेन्द्र जी, सर्विस डिपार्टमेंट...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हाँ–हाँ, करवाते हैं अभी करेंगे बात।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक सैकेंड, भई सोमनाथ जी, विजेन्द्र जी ने इस 109 क्वेश्चन के बारे में कहा है। जो जवाब आया है, मैं वो पढ़ देता हूँ:

"Reply to the assembly questions of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi by Services Deptt.

This is with reference to reply to Starred Question No.109 due for reply on 26.3.2018 and transferrd to Services Deptt. by Finance Deptt. on 23.3.2018 at 8.30hrs. for treating the matter as service matter for being dealt under the provision of the chapter-7 of the Rules of the Procedures and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

In this regard, I am directed to refer to this department's letter dt. 21.3.2018 through which it was conveyed that in view of advice received from Deptt. of Law, Justice and Legislative Affairs vide letter 19.3.2018 (copy enclosed). This department is unable to send replies to the assembly questions on services related to the matters.

The above position may be brought to the notice of the hon'ble Dy. Chief minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.

ये... माननीय मंत्री जी, सिर्फ एक मिनट... ये मुझे यहां कहने में कोई संकोच नहीं, एलजी साहब वहाँ बैठकर अधिकारियों को इतनी छूट दे रहे हैं। शायद अंग्रेजों ने भी कभी अपने अधिकारियों को इतनी छूट नहीं दी थी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% वो बहुत गंभीर विषय है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। नहीं ये विषय मुझे... ओमप्रकाश जी, मुझे रोका गया है, ओमप्रकाश जी मेरी बात सुनें, ओमप्रकाश जी, एक सेकेंड, सोमनाथ जी, दो मिनट बैठिए।

ओमप्रकाश जी ने एक बात की है शायद या तो आपने सुना नहीं, उन्होंने अध्यक्ष को कहा है, एलजी ने... एक सेकंड ओमप्रकाश जी, आप सुन लीजिए, उन्होंने अध्यक्ष को कहा है लैटर द्वारा कि अध्यक्ष ऐसे प्रश्न स्वीकार न करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, अब ओमप्रकाश जी समझ लीजिए बात को, उन्होंने जो पत्र लिखा है, आप कह रहे हैं कि आप ही बोल लेंगे सब कुछ? उन्होंने अध्यक्ष को लिखा है कि आप ऐसे प्रश्न, प्रश्न ही स्वीकार न करें। मुझे चेलेंज किया है उन्होंने।

Jh vkse izdk'k 'kekZ% मेरा केवल ये कहना है अध्यक्ष जी, आप पूरे सदन के अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा ये सभी सदस्यों को ये भाव प्रेषित किया गया है और मेरा केवल इसमें ये कहना है कि ये जो बात आप कह रहें है, इस सदन में जो 70 सदस्य हैं, हो सकता है कि हमारी और आपकी सोच में इसमें बदलाव न हो। इस काम में ट्राँसपेरेंसी होनी चाहिए और जहाँ तक सवाल भूमि, सेवा और पुलिसिंग का है, तो ये तो मशीन की तरह है ये तो। पूरे सदन का और सरकार का तार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका डायरेक्ट सेवा से संबंध नहीं है जो लोग विदेश गए हैं, जिन्होंने सरकारी जनता के पैसे का जो इस्तेमाल किया है, उसका ब्यौरा अगर लोग माँगते हैं तो उसका सेवा से संबंध नहीं है और जो पूरा सदन को चर्चा करनी चाहिए और यदि कोई गलत जवाब आया तो उसमें ट्रॉसपेरेंसी की माँग करनी चाहिए और अगर कोई गलत जवाब है, किसी की भी तरफ से हो, उसकी निंदा करनी चाहिए, मेरा केवल ये कहना है। केवल आप सरकार की तरफ से, आप मत बोलिए, सरकार के जो सदस्य हैं, उनको भी बोलने दीजिए, हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। आप हर चीज का निपटारा अपने आप कर देंगे तो फिर बाकी ये लोग क्यों बैठे हैं यहां पे?

mi e[;e=h% अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सूचना... क्योंकि आपने जिस जवाब का जिक्र किया, आप शायद रैफरैंस दे रहे थे उसमें बिजली भी 1993 से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस से लेके डीडीए तक से जवाब आते रहे हैं। जब हम 49 डेएज के दौरान गवर्नमेंट में थे, उस दौरान भी और अभी भी शुरूआत के दौर में मैंने देखा है कि डीडीए से सवाल पूछे जाते रहे हैं, डीडीए से संबंधित जिनका जवाब यूडी डिपार्टमेंट से, पार्टली डीडीए से भी आता रहा है और मैं खुद सत्येन्द्र जैन जी के पास में यूडी डिपार्टमेंट में जाने से पहले सरकार बनने की शुरूआत में यूडी मिनिस्टर रहा हूँ और मेरे खुद की क्वेश्चन ब्रीफिंगस में डीडीए ने जवाब दिए हैं अभी भी दे रहे हैं, लेकिन जवाब आने का एक नियम, कायदा, कानून होता है कुछ। विधान सभा तक जवाब आने से पहले संबंधित विभाग के मंत्री या उससे संबंधित मंत्री जैसे पुलिस से संबंधित कोई जवाब आता है तो होम मिनिस्टर को ब्रीफिंग के बाद आता है। अगर डीडीए से कोई जवाब आएगा तो यूडी मिनिस्टर से जवाब होके आएगा। अगर विदेश यात्रा, अधिकारियों का दौरा इन सबकी मान लीजिए सर्विसिज को भी देना है तो वो सर्विस मिनिस्टर इंचार्ज सर्विस डिपार्टमेंट के उससे होके आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि विधान सभा के पास जवाब आ गया और अभी तक मेरे साइन नहीं है उसपे। ये आप विधान सभा के रिकॉर्ड में अगर कोई जवाब लाया जा रहा है किसी प्रश्न का, बिना मिनिस्टर को दिखाए हुए, ये कैसे संभव है? ये तो घोर... मतलब अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक काम किया है, जिसने भी किया है। ये जवाब विधान सभा के पास में पहुँचा कैसे, इसकी जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना मिनिस्टर को ब्रीफ किए हुए, बिना मिनिस्टर के सिग्नेचर कराए हुए, बिना मिनिस्टर से अप्रूवल लिए हुए... आज डीडीए का

भी कोई जवाब आता है तो यूडी मिनिस्टर से आता है। दिल्ली पुलिस से भी कोई सूचना आती है, तो इससे आती है।

अभी चार दिन पहले टूरिज्म से संबंधित कोई सूचना मेरे पास में आ रही थी। भारत सरकार के विभिन्न विभागों से संदर्भ थी। उन्होंने जितनी भी जानकारी दी है, वो मेरे थ्रू हो के आएगी, ये सीधे कैसे आ सकती है, स्पीकर महोदय के पास में या विधान सभा के सचिवालय में, बिना सिग्नेचर के? इसकी जाँच करवाने की जरूरत है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ये एकदम सब मनमानी पे उतरे हुए हैं। आपने, मुझे लगता है, सही उल्लेख किया है इसका। मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा क्योंकि ये बड़ा, आपने इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ भारत का सपना देखा गया है सामाजिक, आर्थिक, सब तरह से समानता हो, उसमें अच्छा एक बड़ा सपना देखा गया, उससे बढ़िया सपना मानवता के लिए किसी व्यवस्था के लिए नहीं देखा जा सकता। लेकिन उस व्यवस्था में बार–बार कील ठोकने का काम, उस सपने को सच करने के जितने प्रयास हुए जिस–जिस लोगों ने भी किए होंगे, उन सब में कील ठोकने का काम ऐसे लोगों ने किया है। जैसे लोग इस तरह के अभी हरकत कर रहे हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, ये लोग लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ हैं। वो जो भी हो, अधिकारी कर रहे हैं, एलजी साहब कर रहे हैं, भारत सरकार में बैठा कोई अधिकारी कर रहा है। संविधान के तहत अगर दिल्ली की विधान सभा बनी है तो यह सेकेंड टीयर ऑफ गवर्नेंस के तहत बनी है। कौन सा जूरिस्डिक्शन है, कौन सा नहीं है, ये सेकेंडरी मैटर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ये एक सर्वस्वीकृत विषय है लेकिन दिल्ली

असैंबली भारत सरकार के गृह मंत्रालय में बैठे हुए बाबू की कोई सबोर्डिनेट बॉडी नहीं है, ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूँ और ये सब सुन लें इसे। भारत सरकार में बैठे हुए किसी भी कुर्सी पे बैठे हुए बाबू के मन में कुछ भी आएगा, कल से कहेगा, दिल्ली असेंबली के सारे लोग रैड शर्ट पहन के आएंगे और यहां पे लागू हो जाएगा! यहां पे दिल्ली की असेंबली में, केंटीन में चाय नहीं बिकेगी, लागू हो जाएगा! दिल्ली असेंबली किसी की बपोती नहीं है, दिल्ली की जनता की बपोती है दिल्ली असेंबली। ये संविधान के तहत बनी हुई है। ये संविधान पे कलंक हैं ऐसे लोग जो इस तरह के जवाब दे रहे है और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये लोकतंत्र पर कलंक है ऐसे लोग और मैं खुलके कहना चाहता हूँ इन्हीं लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ाया हुआ है, इन्हीं लोगों ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हुई है। इनसे कुछ करने के लिए कह दीजिए, सबसे पहले इनको नियम कायदे कानून ढूँढ के लाते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं इस काम को? जब भी किसी गरीब को कुछ हक मिलने की बात आती है सारे कानून स्ट्रैच कर करके लेके आते है पूरी मेहनत करके, इतनी मेहनत अगर गरीब लोगों के कुछ इनकी होती तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को बनाने की जरूरत नहीं होती आज। पूरी मेहनत होती है, पूरा रिसर्च होता है, पूरा अध्ययन जितना 20–25 साल का अनुभव और पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सारा एक्सपिरियंस, जितनी नॉलेज स्कूल और कॉलेज से मिली है, सारी की सारी उड़ेली जाती है कि किस तरह से गरीब लोगों को मिलने वाला हक रोका जाए कैसे भ्रष्टाचार से। क्या मांगा है; 20 साल में कौन अधिकारी गया, इस सूचना में क्या छिपा हुआ है, इस सूचना में कौन सा ट्राँस्फर–पोस्टिंग का मसला आ गया! इसमें कौन सा सर्विस रूल का मसला आ गया! कैसे

हो सकता है सर्विस का मैटर! क्यों नहीं है विधान सभा के दायरे में! कौन विधायक कहाँ गया, कौन एमएलए कहाँ गया, कैसे ये सूचना छिपाई जा सकती है! अभी मैं कह रहा हूँ, सदस्य टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि जिस तरह से सरकार में काम कर रहे हैं, लोग... मेरा दावा है अध्यक्ष महोदय, अब तो ये पूछ लिया गया और मैं आज इसपे बोल रहा हूँ। यही सूचना यहां बैठे हुए छः मंत्रियों के बारे में पूछी होती, अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराके यहां भी आ गई होती और मीडिया में भी पहुँच गई होती और वहाँ भी दे दी होती। देखो, इसमें ये पूरक प्रश्न बनता है। लेकिन क्योंकि 20 साल का पूछ लिया अब बीस साल में तो जितना काला, जिसने भी पूछा है, 20 साल में तो सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा, इस काले चिट्ठे को दबाने के लिए कि 20 साल में रही सरकारों ने क्या–क्या काले कारनामें किए हैं, कौन–कौन अधिकारी कैसे–कैसे जाते रहे हैं, कौन–कौन मंत्री कैसे–कैसे जाते रहे हैं; ये सर्विस की तो आड़ ली जा रही है, असल में तो पुराने पापों को छिपाने की कोशिश है। कई अधिकारी और कई पुराने मंत्री और कई नेता इसके दायरे में आएंगे, इस जवाब को, अगर सामने आएगा और मैं कहता हूँ इसका जवाब दिलवा के रहेंगे।

Jh fotUæ xIrk अध्यक्ष महोदय, मैं मनीष जी की बात, उन्होंने तो काफी कुछ कहा है, मैं सारी बात तो इनकी नहीं कहूँगा, न मैं पूरी बात से सहमत हूँ लेकिन ये मैटर सर्विसेज का नहीं है। अगर वो डिबेट है, वो एक अलग इश्यू है लेकिन ये इस असेम्बली के अधिकार क्षेत्र में है कि इस असेम्बली में जो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में अधिकारी काम कर रहे हैं। चूंकि वो सरकार की योजना से बाहर जाते हैं, सरकार के कार्यक्रम से बाहर जाते हैं, इसलिए उसको सर्विसेज का मैटर कहकर नहीं रोका जा सकता, उसका जवाब हमको चाहिए।

दूसरा, हमें अखिलेशपति त्रिपाठी जी के सवाल का भी जवाब चाहिए। दोनों सवालों के जवाब इस असेम्बली के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और हमको उसका जवाब चाहिए।

v/;{k egkn;% विशेष रवि जी।

Jh fo'k"k jfo% सर, इस तरह से...

rkjkfdr i'uk d fyf[kr mÙkj

105- lJh Hkkouk xkM % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा में नियमित एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध भवनों का निर्माण लगातार जारी है;

(ख) क्या ये निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक है;

(ग) भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित नियमों एवं उप–नियमों का विवरण क्या है; और

(घ) वर्ष 2015 से महावीर एंकलेव, पालम, मधु विहार एवं साध नगर के निगम वार्डों में बने बड़े–बड़े भवनों जैसे मल्टी–स्टोरी बिल्डिंग्स, व्यवसायिक भवनों इत्यादि का विवरण क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध भवनों का निर्माण के बारे भवन विभाग नजफगढ़ के संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नहीं होने पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जिसका विवरण ***www.mcdonine.gov.in*** सार्वजनिक पोर्टल पर है।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित नियम एवं उपनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण एकीकृत भवन उप निर्माण 2016 (शुरू संशोधित उपनियम दिनांक 05.04.2017) में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं। जिससे उपयुक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % वर्ष, 2015 से महावीर एंक्लेव पालम, मधुविहार एवं साध नगर के निगमों वार्डों में 13 मार्च, 2018 तक 528 भवनों का नोटिस दिये गये है। उस पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है तथा भवन मु.द.न.नि. द्वारा या बड़े व्यवसायिक भवन की स्वीकृति नहीं दी गई है।

110- Jh txnhi flg % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों को आवंटित किए गए फंड का विस्तार क्या है; और

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा खर्च की गई राशि का प्रत्येक काम के लिए खर्च की गई राशि के ब्रेकअप सहित पूर्ण विवरण क्या है;

'kgjh fodkl e=h % (क) **'kgjh fodkl** % विस्तृत सूचना संलग्न 'क' पर उपलब्ध है[1]। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

Name of MCD	2015-16	2016-17	2017-18* Rs. in crore
East	908.53	1117.52	903.26
North	1512.82	1691.26	1483.24
South	1121.94	1365.53	1133.51

*वर्ष 2017–18 की गणना केवल 20.03.2018 तक की है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आवंटित किए गए फंड का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Scheme	2015-16	2016-17	2017-18 (up to 28.2.2018
1	2	3	4
Education (Capital)	8900.00	7700.00	1575.00
Education (General)	2100.00	1800.00	6675.00
Education (Salary)	500.00	400.00	375.00
Physical education general	18.00	30.00	22.50
Physical education capital	7.00	70.00	52.50
Nutrition (Mid-day-Meal)	514.56	760.18	1285.77

1	2	3	4
Cost of Food Grains	*152.31*	*69.12*	*79.77*
Transportation Charges	*45.39*	*20.88*	*27.10*
MME Fund	*7.95*	*9.62*	*5.58*
Honorarium to cook cum helpers	*355.94*	*199.76*	*272.13*
Subsidy on LPG cylinders	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Kitchen Devices	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Total	*12601.15*	*11059.56*	*10370.35*

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः–

वर्ष	आवंटित राशि (रु. लाख)	खर्च की गई राशि (रु. लाख)
2015–16	300.00	215.28
2016–17	500.00	196.25
2017–18	100.00	104.86

vfHkfu;kf=d foHkkx ls izkIr lwpuk ds vuqlkj % 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न मदों में आवंटित किए गए फंड के पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं:

o"kZ 2015&16

1. शहरी विकास क्षेत्र रुपये 36624.82 लाख जिसमें रुपये 6124.16 लाख मोरीटोरियम में प्राप्त हुए थे।

2. परिवहन क्षेत्र – रुपये 900.06 लाख जिसमें रुपये 396.35 लाख मोरीटोरियम क तहत प्राप्त हुए।

o"k 2016&17

1. शहरी विकास क्षेत्र– रुपये 27903.42 लाख जिसमें रुपये 12306. 67 लाख मोरीटोरियम में प्राप्त हुए थे।

2. परिवहन क्षेत्र – रुपये 4233.69 लाख जिसमें रुपये 490.54 लाख मोरीटोरियम में प्राप्त हुए थे।

o"k 2017&18

1. शहरी विकस क्षेत्र – रुपये 34638.49 लाख जिसमें रुपये 10788.49 लाख मोरीटोरियम में प्राप्त हुए तथा इस राशि से रुपये 3668.00 लाख अमरूत में प्राप्त हुए थे जो दिल्ली जल बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए गए।

2. परिवहन क्षेत्र – रुपये 1103.44 लाख जिसमें रुपये 184.41 लाख मोरीटोरियम के तहत प्राप्त हुए।

,y-,y-,- yM ¼ के अन्तर्गत आवंटित फंड का विधानसभा अनुसार **fooj.k ^d* ij lyXu** है।

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe ¼** शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आवंटित किए गए फंड में से किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Scheme	2015-16	2016-17	2017-18 (up to 28.2.18)
Education (Capital)	*5436.57*	*5408.51*	*1545.45*
Education (General)	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Physical Education General	*84.23*	*18.00*	*1.50*
Phsical Education Capital	*0.75*	*87.46*	*43.91*
Nutrition (Mid-day-Meal)	*1364.42*	*1318.42*	*1063.69*
Cost of Food Grains	*211.71*	*104.89*	*62.50*
Transportation Charges	*28.50*	*48.20*	*13.45*
MME Fund	*1.00*	*8.41*	*4.12*
Honorarium to cook cum helpers	*279.74*	*300.98*	*208.74*
Subsidy on LPG cylinders	*22.41*	*0.00*	*0.00*
Kitchen Devices	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Total	*9617.15*	*9317.65*	*7708.77*

उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार—उपरोक्त राशि पार्कों के विकास हेतु खर्च की गई है।

vfHk;kf=d foHkkx l ikIr lpuk d vulkj

उपरोक्त वर्षों के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में खर्च की गई राशि का प्रत्येक काम के लिए खर्च की गई राशि के ब्रेकअप का पूर्ण **fooj.k ^[k* ij lyXu** है तथा एम.एल.ए.लैड के अन्तर्गत आवंटित फंड का विधानसभा अनुसार **fooj.k ^d* ij lyXu** है।

111- Jh iou dqekj 'kekZ% क्या **i;kZoj.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहांगीर पुरी और आदर्श नगर क्षेत्रों की सड़कों पर विषैले रसायनों के बहने के लिए जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) विषैले रसायनों का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ग) क्या फैक्ट्री मालिकों को उनकी गतिविधियों जैसे काम करने के घंटें, विषैले रसायनों का निस्तारण इत्यादि को नियमित करने हेतु विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ङ) क्या फैक्ट्री मालिकों द्वारा इनका पालन किया जा रहा है?

i;kZoj.k ea=h % (क) जहांगीर पुरी और आदर्श नगर क्षेत्रों में विषैले रसायनों के बहने के संबंध में कोई सूचना डीपीसीसी को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) इस क्षेत्र में एस.एस.ए, एस.एस.आई. एवं राजस्थान उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र है तथा इनमें औद्योगिक ईकाईयों के निस्राव को संयुक्त निस्राव शोधन संयंत्र; (***CETP***) से जोड़ा गया है। इस संयंत्र के निस्राव की जांच समय–समय पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के जल प्रयोगशाला; (***;ter Lab***) द्वारा की जाती है तथा रिर्पोट को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

की वेबसाईट पर अपडेट किया जाता है। इस क्षेत्र में ***Conveyance System*** के रखरखाव की जिम्मेदारी डी.एस.आई.आई.डी.सी. पर है।

अपशिष्ट पदार्थों को संयुक्त निस्राव शोधन संयंत्र, ***(CETP) Conveyance System*** के द्वारा ही प्रवाहित करने की विशिष्ट शर्त औद्योगिक ईकाईयों पर लगायी जाती है।

(ग) यदि किसी विशेष औद्योगिक ईकाई की शिकायत आती है तो उस शिकायत पर ***DPCC*** द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(घ) और (ङ) अधिकृत ईकाईयों को कुछ शर्तों के साथ वायु एवं जल अधिनियम के अर्न्तगत और खतरनाक अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत संचालन की सहमति जारी की जाती है।

यदि उपरोक्त उद्धृत अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपालन नहीं किया जाता तो डीपीसीसी द्वारा कार्यवाही की जाती है।

112- Jh idt i"dj ¼ क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधान सभा में 1.04.2015 से 28.02.2018 तक उचित दर दुकानों के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण क्या है;

(ख) इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उचित दर दुकान संख्या–5509 के विरूद्ध की गई जांच का विवरण क्या है; और

(घ) इस संबंध में किए गए समस्त पत्राचार की प्रतियां प्रदान करें?

mie[;e=h % (क) मंडल संख्या 03 तिमारपुर में दिनांक 01.04.2015 से 28.02.2018 तक उचित दर दुकानों की विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक 'अ' व 'ब' के अनुसार संलग्न है।

(ख) उपरोक्तानुसार विवरण संलग्न है।

(ग) 1. दिनांक 11.03.2015 को उचित दर दुकान सं. 5509 मैसर्स मॉर्डन स्टोर का निरिक्षण किया गया था तथा अनियमितता पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया। रद्द करने के आदेश को पत्र दिनांक 08.05.2015 द्वारा रिवोक कर दिया गया।

2. खाद्य एवं संभरण विभाग की इंर्फोसमेंट टीम द्वारा दिनांक 27.10.2017 को उक्त दुकान का निरिक्षण किया गया जिसमें 41 किलो का स्टाक में वेरिएशन पाया गया था। इस संबंध में मंडल कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही के लिए दिनांक 17.03.2018 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। लाईसेंसी को एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26.03.2018 निश्चित की गई है।

(घ) इस संबंध में की गई पत्राचार की प्रति संलग्नक 'स' व 'ड' के अनुसार संलग्न है।

lyXu ^v*

01-04-2015] 28-02-2018 rd eMy l[;k&03] frekjiqj esa ikIr f'kdk;rksa fnukd 01-04-2015 ls 28 ,oa mu ij dh xbZ dk;Zokgh dk fooj.k&

क्र. सं.	उचित दर दुकान संख्या तथा नाम	शिकायत का विवरण	कार्यवाही का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	3255-*M/s* दीवान चंद नानकचंद	श्री पंकज पुष्कर, माननीय विधायक, तिमारपुर विधान सभा से दिनांक 17.07.2015 को फोन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई।	सहायक आयुक्त (उत्तर) के आदेश संख्या ***No. F.AC(N)F&S/FPS-3255/ 2015/1051-59*** दिनांक 05.10.2015 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या 3255 का लाइसेंस रद्द किया गया तथा उचित दर	उचित दर दुकान संख्या 3255 का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है तथा ***FIR*** दिनांक 1120 संख्या 21.08.2015 का फैसला अभी लंबित है।

			दुकान के खिलाफ ***FIR*** संख्या 1120 दिनांक 21.08.2015 भी दर्ज की गई है जो अभी लंबित है।	
2.	9169 (अस्थाई)-***M/s*** जायेना फेयर प्राइप शॉप	मंडल कार्यालय द्वारा निरिक्षण किया गया।	सहायक आयुक्त (उत्तर) के आदेश संख्या ***No.F.A.AC (N)F&S/FPS-9163/(Temp.)/ 2015/1554-1562*** दिनांक 03.12.2015 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या 9169 (अस्थाई) का लाइसेंस रद्द किया गया तथा उचित दर दुकान के खिलाफ ***FIR*** संख्या 0969 दिनांक 17.12.2015 भी दर्ज की गई है जो अभी लंबित है।	उचित दर दुकान संख्या 9169 (अस्थाई) का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है तथा संख्या ***FIR*** 0969 दिनांक 17.12.2015 का फैसला अभी लंबित है।

1	2	3	4	5
3.	0001-***M/s*** हरबंस लाल सोहन लाल	श्री पंकज पुष्कर, माननीय विधायक, तिमारपुर विधान सभा से उचित दर दुकान 0001 द्वारा दिखाई जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई।	उचित दर दुकान संख्या 0001 का लाइसेंस सहायक आयुक्त के आदेश संख्या ***No. F.AC(N)F&S/SPS-0001/877-880*** दिनांक 08.09.2015 के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया जो ***Appllete Authority*** के आदेश संख्या ***PS/SS/APPEAL/F&S/2015/576-77*** दिनांक 16.10.2015 द्वारा इस मामले में की गई ***FIR*** संख्या 0781 दिनांक 15.10.2015 का फैसला आने तक ***stay*** कर दिया गया तथा लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही उपरोक्त ***FIR*** का	***FIR*** संख्या 7081 दिनांक 15.10.2015 अभी लंबत है।

			फैसला आने के बाद की जाएगी। उपरोक्त ***FIR*** संख्या 0781 दिनांक 15.10.2015 अभी लंबित है।	
4.	0001-***M/s*** हरबंस लाल सोहन लाल	श्री पंकज पुष्कर, माननीय विधायक, तिमारपुर विधान सभा से उचित दर दुकान संख्या–0001 के द्वारा खराब गुणवत्ता का गेहूँ देने तथा समय पर दुकान न खोलने एवं पब्लिक से बुरा व्यवहार करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई।	सहायत आयुक्त (उत्तर) के आदेश संख्या ***No.F.01/AC (N)F&S/FPS-0001/2017/ 3893-95*** दिनांक 19.12.2017 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या 0001 को कारण बताओ नोटिस दिया गया तथा उसके बाद आदेश संख्या ***No.F.01/AC(N)lF& S/FPS-2017/196-97*** दिनांक 25.01.2017 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या.0001 को 2000/– रुपये के दण्ड के	संबंधित शिकायत के संबंध में कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।

1	2	3	4	5
			भुगतान का आदेश किया गया जिसका भुगतान उचित दर दुकान द्वारा कर दिया गया।	
5.	742-*M/s* किशन लाल एंड संस	श्रीमती रेखा बंसल द्वारा पूरा स्थान ना मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***FS0215003702*** (कॉल सेण्टर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2015/468*** दिनांक 09.03.2015 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता द्वारा राशन मिलने के संबंध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

6.	0001-***M/s*** हरबंस लाल सोहन लाल	श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा समय पर दुकान ना खोलने तथा पूरा राशन ना मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***FS04150-05404 & FS0415005405*** (कॉल सेंटर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2015/609*** दिनांक 20.04.2015 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्त्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
7.	0001-***M/s*** हरबंस लाल सोहन लाल	श्रीमती महेंद्री देवी राशन ना मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***FS04150-05911*** (कॉल सेन्टर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No. FSO/Circle-03/2015/ 8555-56*** दिनांक 07.05.2015 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता की	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

1	2	3	4	5
			गई कार्रवाही से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	
8.	4235-***M/s*** गुप्ता प्रोविजन स्टोर	श्रीमती जमना द्वारा पूरा राशन ना मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***FS081-5007899*** (कॉल सेंटर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2015/895-96*** दिनांक 19.08.2015 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

9.	0001-***M/s*** हरबंस लाल सोहन लाल	श्री जफुद्दीन द्वारा राशन ना मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***CNCTD/E/2016/05728(PGC)*** की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/PGC/2016/2223*** दिनांक 05.10.2016 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
10.	8374-***M/s*** शेर सिंह	श्रीमती कुसुम देवी द्वारा राशन ना मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***FS0916002951*** (कॉल सेंटर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2016/2216*** दिनांक 01.10.2016 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

1	2	3	4	5
			शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	
11.	8374-***M/s*** शेर सिंह	श्रीमती रामवती द्वारा राशन ना मिलने के सम्बन्ध में शिकायत संख्या ***FS09160-02952*** तथा ***FS091600-2953*** (कॉल सेंटर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2016/2217*** दिनांक 01.10.2016 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा इस	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

		संबंध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	
12. 8374-***M/s*** शेर सिंह	श्री मोनू द्वारा पूरा राशन न मिलने के संबंध में शिकायत संख्या ***201707-2027 (PGMS)*** की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/PGMS/2017/290*** दिनांक 14.09.2017 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
13. 0001-***M/s*** हरबंस लाल सोहन लाल	श्री पंकज पुष्कर, माननीय विधायक, तिमारपुर विधान सभा से उचित दर दुकान	सहायक आयुक्त (उत्तर) के आदेश संख्या ***No.F.01/AC (N)F&S/FPS-0001/2017/***	संबंधित शिकायत के संबंध में कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं

1	2	3	4	5
		संख्या–0001 के द्वारा खराब गुणवत्ता का गेहूँ देने तथा समय पर दुकान न खोलने एवं पब्लिक से बुरा व्यवहार करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई।	***3893-95*** दिनांक 19.12.2017 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या 0001 को कारण बताओ नोटिस दिया गया तथा उसके बाद आदेश संख्या ***No.F.01/AC(N)F&S/FPS-0001/2017/196-97*** दिनांक 25.01.2017 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या–0001 को 2000/– रुपये के दण्ड के भुगतान का आदेश किया गया जिसका भुगतान उचित दर दुकान द्वारा कर दिया गया।	है।
14.	9237-***M/s*** दुर्गा स्टोर	उचित दर दुकान संख्या 9237 पर एन्फोर्समेंट टीम,	विभाग के सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुपालन के	इस संदर्भ में कोई कार्यवाही लंबित नहीं

	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2017 को निरीक्षण किया गया था।	उचित दर दुकान संख्या–9237 के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही की गई तथा लाइसेंसी पर 10,000/– का जुर्माने के साथ भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।	है।
15. 7455 -*M/s* श्याम स्टोर	(1) सर्कल–03 के खाद्य एवं संभरण अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उचित दर दुकान संख्या 7455 के लाइसेंसी ने विभाग के निर्धारित तय सीमा के अंदर अर्थात लाइसेंस की अवधि के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अपने	(1) इस संबंध में लाइसेंसी विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही की गई तथा लाइसेंसी पर 2000/– के जुर्माने के साथ भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई। (2) विभाग के सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुपालन में	***(1)*** इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। ***(2)*** इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

1	2	3	4	5
		लासेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। (2) उचित दर दुकान संख्या 7455 पर एन्फोर्समेंट टीम, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2017 को निरिक्षण किया गया था।	उचित दर दुकान संख्या– कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही की गई। लाइसेंसी पर 10,000/– का जुर्माने के साथ भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।	
16.	4760-***M/s*** राम लुभाया	उचित दर दुकान संख्या 4760 पर एन्फोर्समेंट टीम, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 11.02.2016 को निरिक्षण किया गया	विभाग के सक्षम अधिकारी के आदेश अनुपालन में उचित दर दुकान संख्या– 4760 के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा ***(as par guidelines and various control***	इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

			orders issued under Essential Commodities Act 1955) विभागीय कार्यवाही की गई तथा लाइसेंस को दिनांक 28.04.2016 को रद्द कर दिया गया।	था।

l yXud c

01-04-2015 28-02-2018 rd eMy l [;k&03] frekjiqj e iklr f'kdk;rk fnukd 01-04-2015 l 28 ,o mu ij dh xbl dk;okgh dk fooj.k

क्रम सं.	उचित दर दुकान संख्या तथा नाम	शिकायत का विवरण	कार्यवाही का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	5509-***M/s*** मॉडर्न स्टोर	(1)खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा दिनांक	(1) सहायक आयुक्त (उत्तर) के आदेश संख्या ***No.F.AC***	(1) इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई लंबित

1	2	3	4	5
		11.03.2015 को निरीक्षण किया गया। (2) उचित दर दुकान संख्या 5509 पर एन्फोर्समेंट टीम, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2017 को निरिक्षण किया गया था। निरिक्षण रिपोर्ट जो कि विभाग के समक्ष अधिकारी को प्रेषित की गई थी उसकी प्रतिलिपि संलग्न है (***Annexure-"K"***)	***(N)F&S/FPS-5509/2015/ 136-43*** दिनांक 25.04.2015 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या 5509 का लाइसेंस रद्द किया गया तथा रद्द करने के आदेश को आदेश संख्या ***F.No.SS/F&S/FPS APPEAL/2015/202-204*** द्वारा ***remoke*** कर दिया गया। (2) विभाग के समक्ष अधिकारी के आदेश के अनुपालन में उचित दर दुकान संख्या–5509 के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही ***(as per guidelines***	नहीं है। (2) विभाग के सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुपालन में उचित दर दुकान संख्या–5509 के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही ***(as per guidelines and various control orders issued under Essential Commodities Act 1955)*** के लिए दिनांक 17.03.2018 को कारण बताओं

			and various control orders issued under Essential Commodities Act 1955) के लिए दिनांक 17.03.2018 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ***(Annexure-"A")***।	नोटिस जारी किया गया है ***(Annexure-"A")***।
2.	5509***M/s*** मॉडर्न स्टोर	श्रीमती मीना द्वारा पूरा राशन ना मिलने के सम्बन्ध में शिकायक संख्या ***FS0915008364*** (कॉल सेण्टर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायतकर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2015/996*** दिनांक 14.09.2015 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा इस	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

1	2	3	4	5
			सम्बन्ध में संतुष्टि पत्र दिया गया है।	
3.	5509*M/s* मॉडर्न स्टोर	श्री तरुण शर्मा द्वारा कम राशन मिलने के सम्बन्ध में शिकायत संख्या 201645451 ***(PGMS)*** की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायत कर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/2016/9040*** दिनांक 19.05.2016 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायत कर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायत कर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

4.	5509***M/s*** मॉडर्न स्टोर	श्रीमती हाजरा खातून द्वारा राशन ना मिलने के सम्बन्ध में शिकायत संख्या ***FS0617004095*** (कॉल सेण्टर) की गई।	शिकायत निवारण के लिए उचित कार्यवाही की गई तथा शिकायत कर्ता को मंडल कार्यालय के पत्रांक संख्या ***No.FSO/Circle-03/PGMS/2017/175*** दिनांक 30.06.2017 द्वारा जवाब दिया जा चुका है तथा शिकायत कर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट है। शिकायत कर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में संतुष्टि पत्र भी दिया गया है।	कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

OFFICE OF THE ASSTT. COMMISSIONER ....

23-27, SHOPPING COMPLEX, GULABH BAGH, DELHI - 110007

F.No. 01/AC(N)/G&S/FPS-5509/2018/......... Dated:.............

SHOW-CAUSE NOTICE

M/s Modern Store, FPS No. 5509, under the Jurisdiction of Circle-03 (Timarpur) is supposed to carry out business in accordance with the provisions of Delhi Specified Article (Regulation of Distribution) Order 1981 and instructions issued from time to time thereunder.

And whereas, a surprise visit made by the worthy CFS along with Enforcement team visited to the business premises of FPS No. 5509, M/s Modern Store at 3.15 P.M. on 27.10.2017 and found the following discrepancies/ shortcomings were noticed:

1. ***Net variation of SFAs of 0.41 Qtl. (Wheat 0.41 Qtl. Excess)***

And whereas, the above discrepancies/shortcomings explicitly indicates that the FPS holder is not running the FPS in accordance to the terms & conditions of the authorization and is also detrimental to the Public Distribution System.

The authorization holder has thus violated the terms & conditions of its authorization which is mandatory for continuation of authorization and thus attracts action under the provision of Delhi Specified Article (Regulation of Distribution) Order 1981 and instructions issued thereunder.

Now, therefore, I Desh Raj Singh, Assistant Commissioner (North), Food & Supply Department call upon the FPS holder to explain his above conduct in writing by appearing in person or through authorized representative on 20.03.2018 at 4.05 as to why action may not be taken against the said FPS holder under Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981 and entire security forfeited to the State. In case of his failure to appear on the above said date and time the matter shall be decided ex-parte.

(Desh Raj Singh)
Asstt. Com (North)

M/s Modern Store, FPS No. 5509
FSO (Circle-03) Timarpur

F.No. 01AC(N)/F&S/FPS-5509/2018/......... *Dated ....*

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. *FSO, (Circle-03, Timarpur) with the direction to ensure the delivery of Show Cause Notice.*
2. *Guard File*

Asstt. Com (North)

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

*'K' Block, Room No. 106, 1st Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi-110 002*

........../F&S/FPS/Appeal/2015/202-2014 Dated : 08.05.2015

Appeal No. 30/2015

In the matter of:
M/s Modern Store
FPS........
.... Nehru Vihar
Delhi

Through its Proprietor

SMT. SAVITA	....	*Appellant*
	Versus	
THE ASSISTANT COMMISSIONER (NORTH) DEPTT. OF FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS NEW DELHI	....	*Respondent*

ORDER

This order shall dispose of the appeal of M/s. Modern Store, FPS 5509 Circle-3, C-359. 364, Nehru Vihar, Delhi, filed by the Appellant under Clause 6 of Delhi Specified Articles /Regulation or Distribution) Order, 1981 and PDS Order, 2001 against the FPS Cancellation Order No. AC(N)/F&S/136-43 dated 25.04.2015 issued by the Assistant Commissioner (North).

The hearing in the instant case was held on 06.05.2015. Smt. Savita, Proprietor was present along with Sh. Shailendra, A.R. Sh. T.N. Meena, A.C.

(North) was not present as he was preoccupied with other urgent official work assigned to him. Para-wise comments requested from him are also not received from him.

Briefly stated the facts of the case are that the business premises of the Appellant M/s. Modern Store, FPS No.5509 was conducted by the officer of the department on 11.3 2015 and certain shortcomings were reported by the inspecting team. A show cause notice vide No.AC(N)/F&S/2015/FPS-5509/ 2000-03 dated 26.3.2015 was issued to the FPS to explain the following charges :

1. *No stock information was displayed.*
2. *The FPS was not found open at the time of visit.*
3. *List of BPL / AAY card holders was not displayed.*
4. *No complaint book produced before the team.*
5. *No leave applied by the FPS owner for 11.3.2015.*
6. *SFA's stock balance was not displayed.*
7. *41 Kg. shortage of SFAs (Wheat and Rice) was detected during the inspection.*
8. *No names of cardholders to whom SFAs issued was mentioned in cash memo of APL Fresh (3.3.2015) on receipt No.901/3-3-15, receipt No.936 to 950, 953, 963 to 1000 and APL fresh dated 4.3.2015 on receipt No.003 to 047.*
9. *Some cardholders stated that FPS holder distribute Aata @ Rs.12/- to 16/- to them in place of wheat from Durga Aata Chakki Opp: C-360-361 Nehru Vihar.*

On. 6.3.2015, the Appellant appeared before the Licensing Authority and submitted a written reply denying all the charges. The case was adjourned to 18.4.2015. During the proceedings of the second hearing, the Appellant has submitted a written statement stating that she has given her FPS Lic. No. 5509 to Sh. Sanjay Kumar, a resident of Mukherjee Nagar, Delhi on contract basis on monthly payment and does not know at what rate the wheat/rice/sugar is sold to the card holders and what quantity is given to them.

As the Appellant confessed that she had given the FPS on contract to someone else, which is in violation of the condition of the licence, licensing authority, i.e., Assistant Commissioner (North) cancelled the FPS licence of the Appellant vide Order Nno. AC(N)/F&S/136-43 dated 25.04.2015 under Clause 4(1) and the entire security money forfeited under clause 4(2) of Delhi Specified Food Article (Regulations & Distribution) order 1981 under Clause 6(2) without issuing a separate show cause notice declaring that SCN in such cases is not required. Aggrieved by the said order, the Appellant filed the present appeal for quashing the said impunged order issued by the AC(N).

On the other hand, the Appellant in her appeal 29.04.2015 submitted the following :

1. *That on 11.3.2015, thejbusiness premises of the appellant was inspected by officials of the department in the presence of its salesman, it has been alleged against the appellant that the concerned officials found shortage of 41 Kg. Wheat and Rice among other minor discrepancies.*

2. *That a Show Cause Notice dated 26.3.2015 was issued by the respondent on account of above shortage of food grains and other discrepancies. The Appellant submitted her reply dated 6.4.2015 giving explanation regarding discrepancies mentioned in the SCN.*

3. *That on 18.4.2015, the FPS holder and concerned officials of the inspecting team appeared before the respondent and after perusing*

the reply and explanation of the FPS holder, the respondent was convinced that there is no violation on the part of the appellant. However, the respondent forced FPS holder to give him in writing that Sh. Sanjay Kumar, a resident of Mukherjee Nagar, Delhi, has been running FPS of the Appellant on contract basis. In this regard, it is submitted that Sh. Sanjay Kumar is real brother or the FPS holder. Relevant copies are filed on record.

4. *It is submitted that since 2013 the FPS holder is not maintaining good health and since then she is undergoing treatment of cancer disease at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Centre. It is submitted that the FPS holder engaged a salesman namely Toni Verma for the purpose to distribute the food grains to the card holders. It is submitted that due to illness of the FPS holder, her above named real brother keep the account of above FPS and he also operates Bank account of the above FPS along with the FPS holder for smooth running of above FPS. Relevant copies are filed on record.*

5. *It is pertinent to mention herein that there are number of approximately 2400 cards registered with the above FPS, so due to such large number of card holders, there is great rush of public at the above FPS. FPS holder is constrained to take assistance of some reliable person who is her real brother for functioning of the above FPS.*

6. *It is submitted that the impunged cancellation order is arbitrary and unlawful orders of the respondent and the same are without application of mind and against the principle of natural justice.*

7. *It is submitted that no notice was given to the FPS holder before cancellation of her licence on the ground that the above FPS is being rund on contract basis. However, in view of above averments the said allegation against the FPS holder is absolutely false. It is submitted that the inspecting team has not mentioned above charge anywhere in*

its report nor the said charge has been mentioned in show cause notice dated 26.3.2015.

8. *It is submitted that there is no complaint either from the department or from any of the card holder against the FPS holder and hence she has been diligently running the same as per norms of the department.*

9. *It is submitted that the concerned official found no serious charge against the FPS holder. It is submitted that as per circular dated 16.3.2004 an FPS is to be suspended only when there are charge of more than 50 Kg. of food grains. In the present case the only charge as far as shortage is concerned is for 41 Kg. of food grains and even the same is not correct. Therefore, the cancellation of license is harsh punishment against the lady licence who is suffering from cancer disease.*

I have gone through the documents placed before me in the matter including the cancellation order as well as appeal memorandum filed by the appellant along with supporting documents including documents showing the relationship of real-brother status in respect of Sh. Sanjay Kumar and medical records of the Appellant regarding her cancer treatment. I have also heard the appellant in person.

In view of the facts and circumstances of the case and without going into the merit of the case, I am of the view that the licensing authority has grossly erred while passing cancellation order without issuing even Show Cause Notice to the Appellant, which is against the principles of natural justice. Further, the licensing authority has also ignored the department's circular dated 16.03.2004 issued regarding minimum limit of stock variation on which the departmental proceedings be initiated on the erring FPSs.

It is, therefore, cancellation order dated 25.04.2015 passed by the Asstt. Commissioner (North) is being revoked in the interest of natural justice.

Ordered accordingly. Parties to be informed.

(B.R SINGH)
Special Commissioner

No.PS/SS(Admn)/FPS Appeal/F&S/2015/202-204 *Dated: 08.05.2015*

Copy to:

1. *The Asstt. Commissioner (North), F&S Deptt.*
2. *FSO Circle-3 (Through AC North)*
3. *M/s. Modern Store, FPS 5509 Circle-3, C-359, 364, Nehru Vihar, Delhi (Through AR)*

113- Jh vke i.dk'k 'kek % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा कितनी बैठकें की गई;

(ख) वर्ष 2017—18 में ट्रांस यमुना बोर्ड को आवंटित किए गए फंड का विवरण क्या है;

(ग) वर्ष 2017—18 में वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;

(घ) पिछले 3 सालों में ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और वास्तव में कार्यान्वित की गई योजनाओं का अलग—अलग विवरण क्या है;

(ङ) जिन परियोजनाओं पर अब काम हो रहा है, उनका विवरण क्या है;

(च) अगले 2 सालों में ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का विवरण क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं के लिए कितना फंड प्रस्तावित है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा 05 बैठकें की गई है।

(ख) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** वर्ष 2017–18 में ट्रांस यमुना बोर्ड को 48 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

(ग) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** ट्रांस यमुना बोर्ड योजना के अंतर्गत डूसिब द्वारा फरवरी, 2018 तक रुपये 88.47 लाख खर्च किये गये है।

(घ) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** पिछले तीन वर्षों में (2014–15 से 2016–17 तक) ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** वर्ष 2017–18 में ट्रांस यमुना बोर्ड योजना के अंतर्गत, शहरी विकास विभाग द्वारा 27 कार्यों के लिए 17.95 करोड़ रुपये ईडीएमसी व डूसिब को जारी किये गये है।

(च) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** वास्तव में, ट्रांस यमुना बोर्ड योजना के अंतर्गत, शहरी विकास विभाग द्वारा 27 कार्यों के लिए 17.95 करोड़ रुपये ई.डी.एम.सी. व डूसिब को जारी किये गये है।

(छ) **'kgjh fodkl foHkkx ¼;kstuk½ %** अनुमानतः अगले वर्ष के लिए रुपये 48 करोड़ का फंड प्रस्तावित है।

114- Jh ,l- d- cXxk % क्या **mi eq[;eU=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28.02.2018 तक जी.एस.टी. के अंतर्गत कितने डीलर पंजीकृत किए गएं;

(ख) वर्ष 2016 से आगे उन डीलरों की संख्या और राशि का वर्षवार विवरण जिनके वैट रिफंड लम्बित हैं;

(ग) जिन डिलरों ने जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड क्लेम किया है, उनकी संख्या और राशि का विवरण क्या है; और

(घ) जी.एस.टी. के अंतर्गत कितने डीलरों को कितनी राशि का रिफंड जारी किया गया?

mi i/kkueU=h % (क) 28.02.2018 तक जीएसटी के अन्तर्गत 6,60,856 कर दाता पंजीकृत किये गये हैं।

(ख) वर्ष	संख्या	डीलर द्वारा आवेदित दावा राशि
2016—17	13657	706.45 करोड़
2017—18	27538	453.81 करोड़

(ग) 497 डीलरों ने जी.एस.टी. के अंतर्गत 112.68 करोड़ रुपये का रिफंड क्लेम किया है।

(घ) जी.एस.टी. के अंतर्गत 77 डीलरों को 9.20 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।

115- Jh euftUnj flag fljlk % क्या **LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में हुक्का बारों को प्रतिबंधित किया गया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली पुलिस और नगर निगमों को उनके लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया गया है;

(ग) प्रतिबंधित किए जाने से लेकर अब तक हुक्का बारों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(घ) प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी रूप से चल रहे हुक्का बारों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ङ) इन हुक्का बारों का दुबारा चलना रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या निजी संपत्तियों से हुक्का बारों के चलने के मामले भी सामने आए है; और

(छ) ऐसे हुक्का बारों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

LokLF; e=h % (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में हुक्का बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 500 (ई) दिनांक 23.05.2017 के तहत दिनांक 21.07.2017 से पूर्णतः गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। तदनुसार दिल्ली पुलिस एवं नगर निगमों को ऐसे सभी ईटरीज/रेस्तरां/होटलों का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दे दिया जिनमें हुक्का बार संचालित हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस एवं नगर निगमों से कार्यवाही रिपोर्ट बार–बार माँगी जाती रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोष्ठ पश्चिमी जिला तम्बाकू नियंत्रण कोष्ठ के साथ दिनांक 24.08.2017 को रेड भी की गई थी कुछ नमूने लेकर भारत सरकार की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भिजवा दिया जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। ***COTPA-2003*** के तहत चालान जारी कर दिये गये थे मामला दिल्ली पुलिस को कार्यवाही के लिऐ भिजवा दिया गया था।

(घ) स्वास्थ्य विभाग को केवल 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो दिल्ली पुलिस एवं नगर निगमों को कार्यवाही के लिए भिजवा दिया गया है।

(ङ) स्वास्थ्य निदेशालय समय–समय पर दिल्ली पुलिस नगर निगमों एवं नई दिल्ली नगर परिषद को दिल्ली को हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रेड करने का अनुग्रह करता रहता है। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हुक्का बार के प्रतिबंध को लागू करने की निगरानी रख रहा है।

(च) एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो जिला स्वास्थ्य टीम एवं दिल्ली पुलिस को कार्यवाही के लिए भिजवा दी गयी है।

(छ) दिल्ली पुलिस एवं नगर निगमों को समय–समय पर ईटरीज/रेस्तरां/होटलों पर रेड करने के लिए सूचित किया जाता है। जिला तम्बाकू नियंत्रण कोष्ठ को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है जिससे गैर कानूनी हुक्काबार संचालित नहीं कर सकें। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर जनता को हुक्काबार के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाता है।

116- Jh lgh jke % क्या **mi e[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 20 वर्षों में बंद की गई शराब की दुकानों की संख्या का वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) इन दुकानों के पतों का विवरण क्या हैं;

(ग) इन दुकानों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दुकानों के विरूद्ध की गई जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें?

mi e[;e=h % (क) विगत 20 वर्षों में विभिन्न प्रकार के दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	वर्ष	*L-6*	*L-7*	*L-8*	*L-9*	*L-10*	*L-12*	*L-22*
1.	***1998 to 2010***	-	-	-	-	-	-	-
2.	***2010-11***	-	-	-	-	-	-	-
3.	***2011-12***	-	***01***	-	-	-	-	-
4.	***2012-13***	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	वर्ष	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10	L-12	L-22
5.	2013-14	-	-	-	-	-	-	-
6.	2014-15	-	01	-	-	01	-	-
7.	2015-16	01	01	01	-	03	-	-
8.	2016-17	01	-	-	-	-	05	-
9.	2017-18	-	-	-	-	01	-	-
	Total	02	03	01	-	05	05	-

(ख) सूची संलग्न है। **lyXu ^^d**1-**

(ग) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी निगम, 2010 तथा लागू शर्तों के उल्लंघन के कारण ये लाईसेंस रद्द कियें गये हैं।

(घ) जांच के विवरण सहित निरस्त्तीकरण आदेश की प्रतियों की सूची संलग्न हैं। **lyXud ^^[k**2**

117- Jh fnus'k eksgfu;k % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार, एमसीडी व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा कितने साप्ताहिक बाजारों का अधिकृत किया गया है;

(ख) जहां इन बाजारों का लगाया गया हैं वहां की सड़कों के चारों और की हरियाली और ग्रीन बेल्ट को हुए नुकसान का विवरण क्या है;

(ग) इन तेहबाजारियों के लिए जारी की गई रसीदों और उनसे सरकार को प्राप्त हुए राजस्व का विवरण क्या है;

---

1. 2. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) तेहबाजारियों को अनुमति देने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी का उनके पद एवं क्षेत्राधिकार सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) इन बाजारों के नियंत्रित करने में पुलिस अथोरिटीज की क्या भूमिका है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **nf{k.k fnYyh uxj fuxe %** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 66 अधिकृत साप्ताहिक बाजार है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत अधिकृत साप्ताहिक बाजारों का विवरण निम्नलिखित है:—

क्षेत्र	अधिकृत साप्ताहिक बाजार
शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र	31
शाहदरा उत्तरी क्षेत्र	33
कुल संख्या	64

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 106 साप्ताहिक बाजार अधिकृत है।

ubZ fnYyh uxjikfydk ifj"kn % नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगता है।

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** जहां पर बाजारों को लगाया जाता है वहां की सड़कों के चारों ओर की हरियाली और ग्रीन बेल्ट को कोई नुकसान नहीं किया जाता है।

iloh fnYyh uxj fuxe % साप्ताहिक बाजारों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है एवं किसी ग्रीन बेल्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % साप्ताहिक बाजार जिन सड़कों पर लगाया जाता है वहां बड़े–2 पेड़ लगे है जिनका इन पेड़ों पर कोई नुकसान नहीं होता तथा किसी भी ग्रीन बैल्टों में साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति नहीं हैं।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % इन साप्ताहिक बाजारों में पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में रुपये 58,93082/– रसीदे जारी की गई जिनसे चारों जोनों में रुपये 90,59,319/– का राजस्व प्राप्त हुआ है।

iloh fnYyh uxj fuxe % साप्ताहिक बाजारों से आर–4 नामक रसीद द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता है एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभी तक प्राप्त किये गये राजस्व का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्षेत्र	अधिकृत साप्ताहिक बाजार
शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र	13,19,940/–
शाहदरा उत्तरी क्षेत्र	25,48,870/–

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % वर्ष 2016–17 से प्राप्त आय 107,95,640/– रुपये एवं इस वर्ष 31.08.2017 तक प्राप्त आय 43,23,440/– रुपये।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % साप्ताहिक बाजारों में प्रतिदिन के हिसाब के वैडिंग गतिविधि करने की ही अनुमति दी जाती है। जिसके

लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त होते हैं। टाउन वैडिंग कमेटी के प्रभावी होने पर सभी प्रकार वैडिंग गतिविधियों का संचालन/नियंत्रण टाउन वैडिंग के कार्य क्षेत्र में रहेगा।

iloh fnYyh uxj fuxe % वर्तमान से तेहवाजारी देने के लिए नियम एवं नीति दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसके अनुसार तहवाजारियों को अनुमति एवं नियमतीकरण टाउन वैडिंग कमेटी द्वारा किया जाना है।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % शहरी पंथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के अनुसार टाऊन वैडिंग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ङ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % साप्ताहिक बाजार क्षेत्र की कानून व्यवस्था, असामाजिक गतिविधि का नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था के नियन्त्रण में पुलिस विभाग की अथोरिटिज की भूमिका हो सकती है।

118- Jh vf[ky'k ifr f=ikBh % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब की दुकानों के विरूद्ध दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या हैं;

(ख) इन शिकायतों पर की गई जांच का विवरण क्या हैं;

(ग) जिन अधिकारियों ने ये जांच की उनका विवरण क्या हैं;

(घ) क्या कोई दुकानें आबकारी नियमों एवं नॉर्म्स के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाई गई;

(ङ) यदि हां, तो उस उल्लंघन के लिए जारी किए गए नोटिसों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या हैं; और

(च) ये जांचें किन अधिकारियों द्वारा की गई?

mi e[;e=h ¼ (क) शराब की दुकानों के विरूद्ध दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न है।

क्र.सं.	शिकायकर्ता	प्रत्रांक सं./दिनांक	विषय
1.	सदस्य, दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग	***No.S/RTE/DCPCR/ 17-18/130/4921 dated 21.09.2017***	नियमों के विरूद्ध स्कूलों के करीब चल रही शराब की दुकानों के संदर्भ
2.	सदस्य, दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग	***No.S/RTE/DCPCR/ 17-18/130/7130 dated 20/12/2017 and No. S/RTE/ DCPCR/17-18/130/ 9292 dated 05.03.2018***	स्कूलों द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार नियमों के विरूद्ध स्कूलों के करीब चल रही शराब की दुकानों के संदर्भ

(ख) इन शिकायतों की जांच विभाग द्वारा करवाई गई तथा शिकायत में उल्लिखित शराब की दुकानों को दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, एवं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों/शर्तों के अधीन सही पाया गया। जांच रिपोर्टों की प्रति **lyXud ^d*** पर है।

(ग) जिन अधिकारियों ने ये जांच की उनका विवरण निम्न हैं।

नाम	पद
श्री विजय राज	निरिक्षक
श्री जितेन्द्र कुमार	निरिक्षक
श्री राजेश विज	निरिक्षक
श्री अशोक मोरली	निरिक्षक
श्री परवीन भारद्वाज	निरिक्षक
श्री नरेन्द्र टोकस	निरिक्षक
श्री लक्ष्मी नारायण	निरिक्षक
श्री रमेश कुमार	निरिक्षक

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।

(च) उत्तर ''ग'' में वर्णित हैं।

119- Jherh cnuk dekjh ½ क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के सिविल विभाग को विभिन्न विकास कार्यों के लिए फंड प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद नगर निगमों द्वारा इन कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया है;

(ग) सरकार ने नगर निगमों द्वारा इन कार्यों का शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि शालीमार बाग विधान सभा में स्थित पार्क अत्यंत दयनीय अवस्था में है; और

(ङ) इन पार्कों की दशा सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या यह भी सत्य है कि वृक्षों की कांट–छांट करने हेतु अनुमति प्राप्त करना एक अत्यंत थकाउ एवं कठिन प्रक्रिया है; और

(छ) वृक्षों की कांट छांट हेतु अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** जी हां, यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम के सिविल विभाग को विभिन्न विकास कार्यों के लिए फंड प्राप्त हुआ है।

iwoh fnYyh uxj fuxe % जी हां।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जी हां, यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम अभियान्त्रिक विभाग को वर्तमान वित्त विभाग ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिल्ली सरकार से फंड प्राप्त हुआ है।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** जी हां, यह सत्य है कि कुछ कार्यों का जनविरोध एवं दूसरी साईट समस्याओं के कारण निष्पादन समय के अनुसार नहीं हुआ है।

iwoh fnYyh uxj fuxe % जी नहीं।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % यह सत्य नहीं है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अभियान्त्रिक विभाग ने विकास कार्यों को निष्पादित नहीं किया जब कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने वर्तमान वित्त वर्ष में 300.24 करोड़ रुपये को विकास कार्यों में खर्च कर दिया है जोकि कुल प्राप्त राशि 96 प्रतिशत है।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** इन कार्यों का शीघ्रतिशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु जन–प्रतिनिधि एवं ***RWAs*** की सहायता से समस्याओं का समाधान निकाला जाता है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % यह एक सतत प्रक्रिया है, बजट मिलने के बाद निर्धारित समयानुसार कार्य का निष्पादन कर दिया जाएगा।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर अभियान्त्रिक विभाग के विकास कार्यों को समयानुसार सम्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कुछ कार्यों को सम्पन्न कराने के दौरान अगर कोई बाधा आती है। तो उसको भी अतिशीघ्र दूर किया जाता है।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** यह सत्य नहीं है, क्योंकि शालीमार विधानसभा के अन्तर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 480 न. पार्क आते हैं। जिनमें से 338 अलंकृत पार्क हैं व 142 न. पार्क साधारण श्रेणी में आते हैं। जिनकी सिंचाई हेतु 116 न. ट्यूबवैल स्थित हैं तथा देख–भाल करने के लिए 144 न. माली नियुक्त किये गये हैं। पार्कों की स्थिति अच्छी है। इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है एवं नियमित रूप से पार्कों की सफाई का कार्य किया जा रहा है।

fnYyh ikdZ ,.M xkMZu lkslkbVh % जी नहीं।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** पार्कों की दशा सुधारने के लिए नियमित रूप से पार्कों में कटाई–छटाई, सिंचाई एवं सफाई का कार्य कराया जा रहा है।

fnYyh ikdZ ,.M xkMZu lkslkbVh % दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाईटी (डी.पी.जी.एस.) द्वारा स्थानीय आवासीय कल्याण समितियों को पार्कों के रख–रखाव हेतु, संबंधित भूस्वामी निकाय के सहमति के उपरांत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

डी.पी.जी.एस. द्वारा शालीमार बाग विधान क्षेत्र में स्थानीय आवासीय कल्याण समितियों को पार्कों (जिसकी सूची संलग्न) के रख–रखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और डीपीजीएस के क्षेत्र सर्वेक्षको के द्वारा निरिक्षण के दौरान पार्कों की स्थिति संतोषजनक पाया गई है।

(च) **iohl fnYyh uxj fuxe %** वृक्षों की कांट–छांट की अनुमति देना वन विभाग, दिल्ली सरकार से संबंधित है, वन विभाग के दिशा निर्देशानुसार हल्की कटाई–छटाई (15.7 से.मी. तक शांखाओं की मोटाई तक) हेतु वन विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है।

i;kZoj.k ,oa ou foHkkx % जी नहीं, दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा के अन्तर्गत लैंड ओनर फॉर्म–बी के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज देकर आसानी से वृक्षों की कांट–छांट करने हेतु अनुमति प्राप्त कर सकता है।

(छ) **i;kokj.k ,o ou foHkkx %** वृक्षों की कांट–छांट करने की अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल करने हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग, दिल्ली सरकार ने ऑन लाईन प्रक्रिया भी शुरू की है जिसके तहत लैंड ओनर बड़ी ही आसानी से इस वेब साईट ***https://treeremoval.delhigovt.nic.in*** पर आवेदन कर सकता है तथा ऑन लाईन भुगतान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

List of RWAs in Shalimar Bagh Assembly Constituency to whom Financial resistance is being provided by Delhi Parks and Gardens Society

Name of RWA: Shalimar Bagh RWA, Pocket U & V, Block - B

Sl. No	*Area in acre*	*Location of Park*
1	*0.165*	*Nr. H. No.4 A*
2	*0.1*	*Nr. H. No.9A*
3	*0.243*	*Nr. H. No. 18 A*
4	*0.157*	*Nr. H. No.21 A*
5	*0.07*	*Nr. H. No.21 A*
6	*0.203*	*Nr. H. No.36 A*
7	*0.74*	*Nr. H. No.76 A*
8	*0.236*	*Nr. H. No.85 A*
9	*0.02*	*Nr. H. No.90 A*
10	*0.019*	*Nr. H. No.116A*
11	*0.072*	*Nr. H. No.93 A*

Sl. No	*Area in acre*	*Location of Park*
12	*0.073*	*Nr. H. No. 105 A*
13	*0.086*	*Nr. H. No.149 A*
14	*0.656*	*Nr. H. No. 133 A*
Name of RWA: Shalimar Bagh RWA, CA - Block		
1	*0.035*	*Nr. Flat No. CA / 9A*
2	*0.067*	*Nr. Flat No. CA / 3A*
3	*0.067*	*Nr. Flat No. CA/27A*
4	*0.074*	*Nr. Flat No. CA/31A*
5	*0.035*	*Nr. Flat No. CA/41A*
6	*0.037*	*Nr. Flat No. CA / 59A*
7	*0.275*	*Nr. Flat No. CA / 57A*
8	*1.41*	*Nr. Flat No. CA/17*
Name of RWA: Pitampura RU - Block RWA		
1	*0.324*	*Nr. H. No. 193 to 196*
2	*0.072*	*Nr. H. No. RU 190*
3	*0.203*	*Nr. H. No. 127 to 130*
4	*0.195*	*Nr. H. No. RU 70*
5	*0.073*	*Nr. H. No. RU -1*
6	*0.334*	*Nr. H. No. 325 to 316*
7	*0.205*	*Nr. H. No. 97 to 91*

Sl. No	Area in acre	Location of Park
8	*0.113*	*Nr. H. No. 268 to 271*
9	*0.782*	*Nr. H. No. 250 to 285*
10	*0.062*	*Nr. H. No. RU 369*
11	*0.11*	*Nr. H. No. 379 to 382*
Name of RWA: Deepali RWA Pitampura		
1	*0.6*	*Nr. H. No. 188*
2	*0.75*	*Nr. H. No. 259*
3	*0.41*	*Nr. H. No. 371*
4	*0.52*	*Nr. H. No. 420*
5	*1.16*	*Nr. H. No. 073*
Name of RWA: Chanderlok Enclave RWA Pitampura		
1	*2.21*	*Nr. Maingate*
Name of RWA: Sandesh Vihar RWA Pitampura		
1	*0.942*	*Desu Park*
2	*0.722*	*Central Park*

120- Jh egUæ xk;y ¼ क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले विधायक का वर्ष 2013–14 का विधायक फंड खर्च नहीं किया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विधायक फंड लैप्स नहीं होता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बार–बार प्रार्थना किए जाने के बावजूद इन फंड्स को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(घ) इस संबंध में हुई देरी के कारण हैं?

'kgjh fodkl e=h % (क) **'kgjh fodkl ¼y[kk foHkkx½ %** जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2013–14 में विधायकों का फंड संशोधित अनुमान रुपये 280 करोड़ था उसमें से वास्तविक व्यय के लिए रुपये 245.11 करोड़ जारी किया गया था।

'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- ySM½ % जी हां, एम.एल.ए. लैड दिशा निर्देशों के अनुसार विधायक फंड उस विधानसभा की अवधि के दौरान उपयोग किया जा सकता है।

Rule 10 of MLALAD Guidelines-2012:-

10. Un-lapsable Fund

The funds under the scheme shall be considered and treated as un-lapsable; therefore, the release of funds under the scheme, if not fully utilized due to unavoidale circumstances and unrleased fund left with the government in a particular year, is allowed to be carried forward/released for subsequent three years and four years respectively etc. on the recommendation of concerned MLA and after obtaining the approval, as per procedure laid down by the urban Development Department, GNCTD and finance Department, GNCTD respectively.

(ग) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- ySM½ %** उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं।

(घ) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- ySM½ %** उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं।

vrkjkfdr iz'uksa ds fyf[kr mÙkj

280- Jh egUæ xks;y % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा की अनाधिकृत कॉलोनी विजय विहार से गुजर रही खतरनाक हाई टेंशन तारों को अंडर ग्राउंड करने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन हाई टेंशन तारों को कब तक अण्डर ग्राउण्ड कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **vukf/kÑr dkWyksuh ¼'kgjh fodkl½%** जी हां।

(ख) से (घ) **vukf/kÑr dkWyksuh ¼'kgjh fodkl½ %** विजय विहार अनाधिकृत कॉलोनी में हाईटेंशन तारों को अन्डर ग्राउंड करने का प्रस्ताव ज्ञापन 23.09.2013 के अनुसार विचाराधीन है और अनाधिकृत कॉलोनी का जीएसडीएल नक्शा ऊर्जा विभाग में हाईटेंशन लाईन को नक्शें पर निशान लगाने के लिये भेजा गया है।

281- Jh egUæ xks;y % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अब विधायक निधि कोष से विकास कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग से पत्राचार होगा;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभाग अभी भी डीएसआर सन् 2014 के मुताबिक ही पैरा देगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इन पुरानी दरों में अब कार्य होने संभव है;

(घ) सरकार को डीएसआर सन् 2016 करने में क्या आपत्ति है; और

(ङ) शहरी विकास विभाग कब तक डीएसआर 2016 को लागू कर लेगा, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएं?

'kgjh fodkl e=h ½ (क) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- yM½ ½** जी हां।

(ख) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- yM½ ½** जी हां।

(ग) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- yM½ ½** शहरी विकास विभाग द्वारा एम.एल.ए. लैड योजना के अन्तर्गत फंड, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10.09.2014 (**vkn'k dh ifrfyfi layXu**) के अनुसार डीएसआर 2014 के मुताबिक, जारी किया जा रहा है।

(घ) **ykd fuek.k foHkkx ½** इस बारे में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) **'kgjh fodkl ¼,e,y, yM½ ½** वित्त विभाग, दिल्ली सरकार से डीएसआर 2016 से संबंधित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त लागू किया जाएगा।

ykd fuek.k foHkkx

उपरोक्त 'घ' अनुसार लागू नहीं है।

No. F 8/2//2007-AG/GD-012S5543/2014-15/Exp/664-796

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

FINANCE (INFRA/E-IV) DEPARTMENT

Dated: September 10, 2014

ORDER

Sub: Adoption of DSR-2014 in place of DSR-2012 for capital works in National Capital Territory of Delhi

In partial modification of Government Order of even No.F.8/2//2007-AC/CD-01295543/2012-13/Exp-4/854-73 dated September 12, 2012, Lieutenant Governor, Delhi is pleased to approve the adoption of Delhi Scheduled Rates-2014 (DSR-2014), DPAR-2014 (Civil works) & DSR-2014 (Electrical works) in place of Delhi Scheduled Rates-2012 (DSR-2012) for capital works/projects of Government of NCT of Delhi to be executed by various work executing agencies including PWD, l&FCD, DSIIDC, DTTDC, DUSIB, DTIDC and Local Bodies as per followina stipulations:

Sl. No.	*Nature of works*	*Existing stipulation as per GO dated 12.9.2012*	*Revised stipulation*
1.	*Bridge works*	*DSR-2012 minus 5%*	*DSR-2014 minus 5%*
2.	*Building works*	*DSR-2012 minus 12%*	*DSR-2014 minus 12% DPAR-2014 minus 12%*
3.	*Development works (Roads & side drains)*	*DSR-2012 minus 12%*	*DSR-2014 minus 12%*
4.	*Electrical works*	*-*	*DSR-2014*

2. The adoption of DSR-2014, DPAR-2014 and DSR-2014 (Electrical) is further subject to the followings.

i. Contingency, third party quality control, labour cess and art work (wherever necessary) shall be continued to be charged @ 1% each

ii. Consultancy charges (wherever necessary) shall be fixed lump sum subject to a maximum of 3% of original project cost for work costing above Rs.30.00 crore whereas consultancy work shall not be outsourced for projects costing upto Rs.30.00 crore.

iii. Project Management charges/ Departmental charges to agencies other than PWD and I&FCD shall be restricted to maximum of 5% of the original project cost.

3. The adoption of DSR-2014, DPAR-2014 for civil works and DSR-2014 (Electrical) for electrical works will be applicable only for estimation/ sanction of new projects. The work already sanctioned or being executed or in the process of tender on the basis of estimation prepared on earlier DSRs shall not be reviewed wife reference to this order.

(Dr. M.M.Kutty)
Pr. Secretary (Finance)

1. All Administrative Secretaries, GNCT of Delhi

2. All Head of the departments, GNCT of Delhi

282- Jh egUæ xk;y % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम अब अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में अनाधिकृत कॉलोनियों में नई स्ट्रीट लाईट लगाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है;

(ग) अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईन लगाने वाले विभाग के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सभी अधिकारियों के नाम व फोन नंबर उपलब्ध करवाए जाए;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार की अनाधिकृत कॉलोनी विजय विहार से खतरनाक हाई टेंशन तार को हटाने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का पूर्ण विवरण क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½%** जी हां।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % हां, यह सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य नहीं करती है।

(ख) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½ %** शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या ***WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/***

1627-1643 दिनांक 16.09.2016 जारी किया गया था जिसके अनुसार संबंधित डिस्कॉम्स डीएसआईआईडीसी के माध्यम से अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने एवं मरम्मत का काम करेंगी।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % शहरी विकास विभाग आदेश दिनांक 16.09.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी विभाग की है।

(ग) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½** % चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल– श्री वीरेन्द्र सिंह 9818100558

श्री प्रवेश सिन्हा सीईओ टीडीडीपीएल–66112202 टीडीडीपीएल नार्थ–66112300

(घ) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½** % जी हां।

(ङ) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½** % उक्त प्रस्ताव उर्जा विभाग में विचाराधीन है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
(UNAUTHORISED COLONIES CELL)
10th LEVEL, 'C' WING, DELHI SECRETARIAT I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.No. WPC 3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 Dated:16.9.2018

ORDER

Sub: Allotment of all unauthorized colonies to the DSIIDC in respect of street light installation and maintenance work

In partial modification of order No. F.No.1/33/UC/UD/Policy/07/partfile/486 dated 29.03.2016 vide which PWD was assigned the maintenance and augmentation of street lights work in the unauthorized colonies, it has been decided, in the Meeting held on 10.08.2016 under the Chairmanship of Minister, Urban Development, that all new as well as maintenance of street lights in unauthorized colonies shall continued to be executed by concerned DISCOMs through DSIIDC so that the continuity is maintained.

2. It is therefore requested that all the above works of street lights in the unauthorized colonies may be taken up by DSIIDC in accordance with the guidelines dated 19/12/2012.

3. It is further requested that DSIIDC should also ensure proper maintenance of the street lights installed by them and already existing in the unauthorized colonies and closely supervise the said work.

4. It is also requested that DSIIDC may obtain all the records relating to installation and : maintenance of street lights in unauthorized colonies (with physical and financial status UC wise) if undertaken by them along with certified copies of vouchers and expenditure statements from the PWD for records and future reference purposes.

5. This issues with the approval of the Hon'ble Minister, Urban Development.

(Lakshmi Krishnan)
Dy. Secretary (UC)

Copy for necessary action:

1. *Secretary, Public Works Department, GNCTD, 5th floor, Delhi Secretariat, New Delhi.*
2. *Commissioners, East DMC, Patparganj Industrial area, Delhi*
3. *Commissioner, North DMC, Civic Centre, New Delhi.*
4. *Commissioner, South DMC, Civic Centre, New Delhi*
5. *Managing Director, DSIIDC, Connaught Place, New Delhi.*
6. *C.E.O., NDPL, Kingsway Camp, Delhi*
7. *C.E.O., BSES, Nehru Place, New Delhi*
8. *C.E.O., BYPL, Karkardooma, New Delhi.*

Copy for information to:-

1. *Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.*
2. *Secretary to Minister of UD, Delhi Secretariat, New Delhi.*
3. *Secretary to Minister (PWD), GNCTD, Delhi Secretariat*
4. *The Special Secretary (UD-II/PIg). UD Department, GNCTD, New Delhi.*

5. ***The Director (Planning), Planning Department, GNCTD, 6th level, Delhi Sectt.***

6. ***PS to Pr. Secretary (UD), UD Department, GNCTD, New Delhi.***

7. ***Joint Director (Planning), UD Department, New Delhi.***

8. ***PA to Special Secretary (UC) UD Department, New Delhi.***

9. ***PA to Joint Secretary (UC) UD Department, New Delhi.***

(Lakshmi Krishnan)
Dy. Secretary (UC)

283- Jh vf[kys'kifr f=ikBh % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमसीडी को आवारा कुत्तों एवं अन्य पशुओं के उचित प्रबन्धन के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस आदेश को पूर्णतः लागू करने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, इसका जोन वाइज विवरण क्या है;

(ग) आवारा कुत्तों एवं अन्य पशुओं को हटाने के लिए अभी तक एमसीडी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अभी तक कितने आवारा कुत्ते एवं पशुओं की नसबंदी कब–कब की गयी, उसका जोन वाईज पूर्ण विवरण दें?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYYh uxj fuxe %** जी हां।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के निर्देश दिए है कि वो डॉग रूल्स 2001 का पालन करे।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % माननीय उच्चतम न्यायालय में कुत्तों के संदर्भ में लंबित एक याचिका की सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की संख्या को विभिन्न निगमों द्वारा नियंत्रित करने हेतु चर्चा हुई थी।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल ***(Dogs) Rules 2001*** की अनुपालन में एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत के दिशा निर्देशों ***(SLP 691/2009)*** की अनुपालन में आवारा कुत्तें पर नियंत्रण के लिए उनकी नसबंदी व एंटीरेबीज टीकाकरण का कार्यक्रम जारी है।

आवारा पशुओं को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में पकडवाकर दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गौसदनों/गौशालाओं में पहुचा दिया जाता है। दिनांक 13.04.2017 से आवारा पशुओं को उठाने का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने गौ/गौवंशों को लेने में असमर्थता जताई है जिसके चलते निगम द्वारा आवारा पशु पकड़ने के अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यह प्रक्रिया तकरीबन बंद है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग, में भारत सरकार द्वारा जारी डॉग रूल्स 2001 का पालन किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर बिना नसबंदी हुए आवारा कुत्तों को पकड़कर एनजीओ के माध्यम से उनका बंध्याकरण एवं रेबीज रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। वर्ष मई, 2012 से फरवरी, 2018 तक 28226 आवारा कुत्तों का बंध्यकरण रेबीज रोधी टीकाकरण किया गया है।

nf{k.k fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैः–

1. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018 तक कुल 53,539 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गयी है जिसका जोन वाइज विवरण संलग्न है (***Annexure-I***)

2. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस वित्त वर्ष में 10 नयी डॉग वैन आवारा कुत्तों की नसबंदी के कार्य को करने वाले एनजीओ एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में आवंटित कर दी गयी है। विभाग द्वारा आवारा कुत्तों की संख्या की नियंत्रित करने के लिए उनके बन्ध्याकरण कार्य हेतु 12 अतिरिक्त नयी डॉग वैन इन वित्त वर्ष में खरीद ली गई है जिनको ***Fabricaton*** के पश्चात् मई माह के अंत तक कार्य पर लगा दिया जाएगा।

3. दिल्ली सरकार के चार पशु चिकित्सालयों–नगली सकरावती, बिजवासन, मसूदपुर एवम् मुडेंला में चार नये बन्ध्याकरण केन्द्र स्थापित किए गए है जिन पर आवारा कुत्तों के बन्ध्याकरण को कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

4. आवारा कुत्तें के बन्ध्याकरण हेतु एक नया बन्ध्याकरण केन्द्र सेक्टर–29 द्वारका में स्थापित किया गया है जिस पर जून 2018 से कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

5. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को एक नया बन्ध्याकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु तेहखंड गांव में 1000

स्कवायर मीटर का प्लॉट का आवंटन को किया गया था जिस पर क्षेत्रीय निवासियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से इस भूमि पर बन्ध्याकरण केन्द्र के निर्माण कार्य पर स्टेले लिया गया है।

6. दिल्ली सरकार के दो पशु चिकित्सालयों–मदनपुर खादर एवं सतबडी में आवारा कुत्तों के बन्ध्याकरण हेतु दो अतिरिक्त नये केन्द्र बनाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से पत्र व्यवहार किया गया है। इस संदर्भ में निदेशक, पशुपालन विभाग का उत्तर लंबित है।

7. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अगस्त, 2016 में आवारा कुत्तों की संख्या में अनुमान हेतु एक सर्वे का कार्य किया गया था जिसके अनुसार उस समय 1,89,285 आवारा कुत्ते थे। विभाग द्वारा इस वर्ष पुनः सर्वे कराने की प्रक्रिया जारी है जिससे इस अवधि में किये गये बन्ध्याकरण के कार्य का आंकलन किया जा सके।

8. आवारा पशुओं के विरूद्ध दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है (***Annexure-II***)

(ग) **mÙkjh fnYYh uxj fuxe %** आवारा कुत्तों को पकड़वाकर एन. जी.ओ. द्वारा नसबंदी करवाई जाती है एवं एंटीरेबीज का टीका लगवाकर वापस उनके नियत स्थान पर छोड़ दिया जाता है। इस दिशा में निगम ने भी तीन स्थानों पर ***Sterilization*** केन्द्रों का निर्माण किया है जैसे उद्योग नगर, रोहिणी सेक्टर–27, लखनऊ रोड़ तिमारपुर।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने वर्ष मई, 2012 से फरवरी, 2018 तक 28226 आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण एवं रेबजी रोधी टीकाकरण किया गया है। और अन्य पशुओं को मई, 2013 से फरवरी, 2018 तक जिनकी कुल संख्या 3135 है को पकड़कर निर्धारित गौशाला एवं तिमारपुर पशु बंदी गृह में भेजा गया।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** % उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 9866 आवारा कुत्तों की नसबन्दी व टीकाकरण किया गया।

वर्ष 2017—2018 में (01.04.2017 से 31.01.2018 तक) 17224 कुत्तों की नसबन्दी व टीकाकरण किया गया। इस अवधि के दौरान वर्ष 2016—17 में 4382, वर्ष 2017—18 में 1814 आवारा पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भेजा गया। गौशालाओं में आवारा पशुओं के पुर्नस्थापन हेतु उचित स्थान उपलब्ध न होने कारण, आवारा पशु हटाने का अभियान सुचारू रूप से लागू करने में बाधा हो रही है। फिर भी, विभाग अवारा पशु समस्या के निदान हेतु निम्न कार्यवाही कर रहा है।

1. जहां भी अवैध डेरी पायी जाती हैं उन परिसरों को सील करना। विभाग ने इस वर्ष में 36 अवैध डेरियों को सील किया है।

2. डी.एस.पी.सी.ए. अधिनियमों के तहत अवैध पशुपालकों के विरूद्ध कार्यवाही।

3. आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने के लिए अवैध डेयरियों का चालान।

4. अवैध डेयरी मालिकों के विरूद्ध संबंधित पुलिस स्थानों में एफ.आई. आर. लॉज करने हेतु शिकायत भेजना।

अवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाली एन.जी.ओ. का विवरण निम्न प्रकार है।

(a) Friendicoes Seca

(b) Sanjay Gandhi Animal care Centre

(c) Krishna Aashram

(d) World Without Suffering Society

(e) Humane Welfare Society

(f) Dr. Rajeev Kumar

(g) Neighborhood Woof

iwohZ fnYyh uxj fuxe % पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने वर्ष मई, 2012 से फरवरी, 2018 तक 28226 आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण एवं रेबजी रोधी टीकाकरण किया गया है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार

ANNEXURE 'I'

South Delhi Municipal Corporation
Department of Veterinary Services

Details of sterilization of stray dogs w.e.f. April, 2017 to February, 2018:

Months	*South zone*	*Central zone*	*West zone*	*Najafgarh zone*	*Total*
Apr-17	*549*	*1139*	*1167*	*1424*	*4279*
May-17	*1233*	*1377*	*1518*	*1062*	*5190*
Jun-17	*1098*	*1284*	*2226*	*1072*	*5680*
Jul-17	*1121*	*1040*	*1753*	*1043*	*4957*
Aug-17	*1192*	*912*	*1199*	*957*	*4260*
Sep-17	*1273*	*813*	*1066*	*1022*	*4174*
Oct-17	*1764*	*1106*	*632*	*973*	*4475*
Nov-17	*1128*	*1161*	*1310*	*1771*	*5370*
Dec-17	*1319*	*847*	*1489*	*1721*	*5376*
Jan-18	*1098*	*801*	*1501*	*1577*	*4977*
Feb-18	*1102*	*590*	*1657*	*1352*	*4801*
Total	*12877*	*11170*	*15518*	*13974*	*53539*

ANNEXURE - II

South Delhi Municipal Corporation
Department of Veterinary Services

Efforts made by Department of Veterinary Services to round up the stray cattle.

1. ***During 2017-18 upto (Feb 2018), Department (VS) has rounded up 3331 number of cattle from the roads and illegal dairies.***

2. ***In order to intensify the work of removal of stray cattle from the roads, Department of Veterinary Services/ South Delhi Municipal Corporation is going to hire 50 number of labours form an external agencies for the work of cattle: and dog catching activities for which the work order has been issued.***

3. ***Department is also taking joint action in different areas by pooling the manpower and machinery from different zones.***

4. ***279 challans have been issued against those dairy owners who are rurjning illegal dairies.***

5. ***18 illegal dairies have been removed during this financial year.***

6. ***In order to strengthen the activities of cattle catching, the Department is also in process of purchasing additional 08 cattle catching trucks for catching of Stray cattle.***

Addl. Director (VS)-I

284- Jh vf[ky'kifr f=ikBh ¼ क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधानसभा में वर्ष 2016 से अब तक जितनी भी इमारतों में निर्माण हुए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये सभी निर्माण एमसीडी द्वारा नक्शा पास कर बनाये जा रहे हैं;

(ग) जिन इमारतों में निर्माण हो रहा है, उनका पते सहित विवरण क्या हैं;

(घ) सभी इमारते वैध रूप से नक्शे के अनुसार बन रही हैं, यह सुनिश्चित करना किस अधिकारी/विभाग का दायित्व है;

(ङ) जनवरी, 2016 से आज तक कितनी अवैध निर्माणाधीन इमारतों के खिलाफ एमससीडी द्वारा क्या एक्शन किया गया है;

(च) क्या यह सत्य है कि एमसीडी द्वारा एक्शन लेने के बाद भी अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं;

(छ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है; और

(ज) इसके लिए किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(झ) मॉडल टाउन विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से आज तक कितनी इमारतों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, उनका पता व अनुमति पत्र की प्रति सहित विवरण दिया जाए?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** मॉडल टाउन विधानसभा में वर्ष 2016 से अब तक 246 इमारतों का निर्माण हुआ है जिसका ब्यौरा **vuqyXud ^d* ij layXu** है।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्त 'क' के अनुसार उपरोक्त लिखित ईमारतें निगम नक्शे स्वीकृति के उपरान्त निर्माण किए गए हैं।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्त क संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** क्षेत्रिय कनिष्ठ अभियन्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जहां भवन का निर्माण कार्य चल रहा है वह भवन नक्शें की स्वीकृति के अनुरूप बन रही है।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई हैः–

अवैध निर्माणों की बुकिंग संख्या	अवैध निर्माणों में की गई सिलिंग की संख्या	अवैध निर्माणों के विरूद्ध किए गए ***Prosecution***	अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही की संख्या
275	06	10	156

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** इस सम्बन्ध में जब भी ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध डी.एम.सी. एक्ट के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्तानुसार

(ज) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** जब भी कोई अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(झ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** मॉडल टाउन विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से आज तक 4 इमारतों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। विवरण **vu|yXud ^[k* ij l|yXu** है।

List of Online sanction building plan, Bldg. Deptt, 11, Civil Lines Zone

Sl. No.	*Property addres*	*Ward No.*	*Online ID*	*Date*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	*B-1/33, Model Town, Delhi.*	*72*	*10034126*	*19-05-2016*
2	*4/63, Roop Nagar, Delhi.*	*70*	*10033965*	*25-05-2016*
3	*102, Gujrawala Town Part-II, Delhi.*	*72*	*10034324*	*26-05-2016*
4	*16, Ishwar Colony, Pambari Road, Delhi.*	*70*	*10034338*	*26-05-2016*
C	*Z-7, Model Town, Delhi.*	*72*	*10034446*	*31-05-2016*
6	*B-1/5, Rana Partap Bagh, Delhi.*	*70*	*10034208*	*02-06-2016*
7	*E-10, Model Town*	*72*	*10034795*	*16-06-2016*
8	*10/20, Shakti Nagar, Delhi.*	*69*	*10034366*	*20-06-2016*
9	*143, Kalyan Vihar, Delhi.*	*70*	*10034697*	*22-06-2016*

1	2	3	4	5
10	5-A/l, Jawahar Nagar	69	10034982	30-06-2016
11	Plot No. 167, Derawal Nagar	72	10034141	30-06-2016
12	B-86, Gujrawala Town Part-I	72	10034274	30-06-2016j
13	Plot No. 7, Back D/13, Model Town	- 72	10035083	04-07-2016
14	UA/49, Jawahar Nagar, Delhi.	69	10034614	01-07-2016,
15	82, Priya Darshani Vihar	70	10034931	06-07-2016'
16	19-A (5927-28) UA Jawahar Nagar	69	10034263	13-07-2016
17	29/14, Shakti Nagar	69	10034920	15-07-2016
18	Plot No. 9, Block No. 39, Shakti Nagar	69	10035411	18-07-2016:
19	D-123,SBI Colony, Employes CHS Ltd. Near Rana Pratap Bagh, GTK Road, Delhi.	70	10034740	15-07-2016
20	B-167, Gujranwala Town	72	10034049	21-07-2016
21	B-2/18, Rana Pratap Bagh	70	10035335	01-08-2016
22	101, Gujranwala Town Part-II	72	10035576	03-08-2016
23	Z-11, Model Town, Delhi.	- 72	10035203	12-08-2016
24	K-1/20, Model Town, Delhi.	72	10035382	12-08-2016
25	13, Block-B, Gujrawala Town Part-II	72	10035835	16-08-2016
26	Plot No. 24, Block-B, State Employees Co Operative House Building Society GT Road (B-24, C. C. Colony)	72	10035632	16-08-2016

1	2	3	4	5
27	*20/21, Shakti Nagar, Delhi.*	*69*	*10035703*	*02-09-2016*
28	*Plot No. 31, Block No. K-1, Model Town, Delhi.*	*72*	*10035825*	*05-09-2016*
29	*C-43, Shakti Nagar Extension.*	*69*	*10035510*	*08-09-2016*
30	*Plot No. 21, Block-18, Shakti Nagar, Delhi.*	*69*	*10035863*	*14-09-2016*
31	*17/3, Shakti Nagar, Delhi.*	*69*	*10034957*	*19-09-2016*
32	*A-70, Gujranwala Town Part-I, Delhi.*	*72*	*10036111*	*19-09-2016*
3 J	*A-145, Derawal Nagar, Delhi*	*. 72*	*10036224*	*20-09-2016*
34	*20, Sanjay Nagar, Gulabi Bagh, Delhi.*	*69*	*10035848*	*21-09-2016*
35	*128, State Bank Colony, Delhi.*	*72*	*10036195*	*22-09-2016*
36	*D-16, Pocket 9, Model Town, Delhi.*	*72*	*10036323*	*28-09-2016*
37	*12/6, Shakti Nagar, Delhi.*	*69*	*10035937*	*30-09-2016*
38	*Plot No. 21, Block C-6, Model Town, Delhi*	*72*	*10036162*	*04-10-2016*
39	*43, Veer Nagar Jain Colony*	*72*	*10036241*	*04-10-2016*
40	*A-332, Derawal Nagar, Delhi.*	*72*	*10036504*	*07-10-2016*
41	*D-6/9, Raiia Partap Bagh, Delhi*	*70*	*10036476*	*14-10-2016*
42	*E-107, Kamla Nagar*	*69*	*10035597*	*19-10-2016*
43	*C-22, C. C. Colony*	*70*	*10036412*	*20-10-2016*
44	*D-21, Old Gupta Colony*	*70*	*10036371*	*20-10-2016*

1	2	3	4	5
45	263, Kalyan Vihar Delhi	70	10036243	25-10-2016
46	29-D, Kamla Nagar	69	10036041	26-10-2016
47	D-84, Kamla Nagar, Delhi.	69	10036609	02-11-2016
48	A-135, Gujrawala Town Part-I	72	10036807	08-11-2016
49	13-20, Derawal Nagar, Delhi.	72	10036087	14-11-2016
50	40/18, Shakti Nagar	69	10036948	16-11-2016
51	Plot No. 179, Old No. 11, Old Gupta Colony	70	10036429	17-11-2016
52	39/18, Shakti Nagar, Delhi	69	10036922	21-11-2016
53	A-130, Derawal Nagar	72	10036845	24-11-2016
54	20/6, Shakti Nagar	- 69	10036997	24-11-2016
55	41-B, New Gupta Colony	70	10036698	29-11-2016
56	A-1/17, Ran Pratap Bagh, Delhi.	70	10036848	30-11-2016
57	144, Gujrawala Town, Part-11	72	10036996	30-11-2016
58	Plot No. 15, Block-24, Shakti Nagar	69	10036592	01-12-2016
59	41, Kalyan Vihar	70	10036863	01-12-2016
60	C-4/15, Rana Partap Bagh	70	10036408	14-12-2016
61	B-201, Gujrawala Town Part-I	72	10037240	21-12-2016
62	28, Kalyan Vihar, Delhi.	70	10036491	26-12-2016

List of online sanction building plan, Bldg. Deptt., II, Civil Lines, Zone W.E.F. 01/01/2017 to 31/08/2017

Sl. No.	Online ID	Date	P. No.	Ward No.	Date of Sanctin
1	2	3	4	5	6
1	10037445	07-01-2017	Plot No-112, Gujrawala Town Part-II	72	13-01-2017
2	10037593	18-01-2017	Plot No-18, Block-F/2, Model Town, Delhi-110009	72	23-01-2017
3	10037660	23-01-2017	251, Block-B, Derawal Nagar, Delhi-09	72	27-01-2017
4	10037672	23-01-2017	D-3/2-A, Rana Partap Bagh, Delhi-	70	14-03-2017
5	10037678	23-01-2017	B-145, Derawal Nagar, Delhi-	72	27-01-2017
6	10037818	01-02-2017	193, Block-A, Gujrawala Town-I, Delhi-	72	06-02-2017
7	10037648	03-02-2017	D-65, Veer Nagar, Jain Colony	70	13-02-2017
8	10036485	03-02-2017	117, Block-G, Veer Nagar Jain Colony	70	14-02-2017
9	10037899	09-02-2017	4, Ishwar Colony, Bhama Shah Marg, Delhi-	70	13-02-2017
10	10037220	13-02-2017	124, Veer Nagar, Jain Colony, G.T. Road, Delhi-	70	11-04-2017
11	10037838	15-02-2017	Plot No-18, Blk-21, Shakti Nagar	69	02-03-2017

12	*10038038*	*15-02-2017*	*Plot No-05A, Mpl-85, Old Gupta Colony*	*70*	*02-03-2017*
13	*10038171*	*18-02-2017*	*B-57, Gujrawala Town Co.op House Building Society Ltd. Gujrawala Town*	*72*	*27-02-2017*
14	*10038183*	*21-02-2017*	*190, 189/2, Prem Nagar, Shakti Nagar, Delhi-52*	*69*	*02-03-2017*
15	*10038213*	*21-02-2017*	*Plot N0-18a, Block-F4, Model Town*	*72*	*14-03-2017*
16	*10038269*	*01-03-2017*	*4/5, Singh Sabha Road, Roshnara Extn. Delhi*	*69*	*28-03-2017*
17	*10038414*	*03-03-2017*	*22-B, Sanjay Nagar, Gulabi Bagh*	*69*	*22-03-2017*
18	*10038330*	*03-03-2017*	*22-A, Sanjay Nagar, Gulabi Bagh, Delhi-*	*69*	*29-03-2017*
19	*10038305*	*07-03-2017*	*Plot No-9, Kalyan C.H.B.S Ltd Known as Kalyan Vihar*	*70*	*24-03-2017*
20	*10038485*	*09-03-2017*	*73, Gujrawal Town Part-II*	*72*	*14-03-2017*
21	*10038558*	*14-03-2017*	*68, Old N0-8b, Old Gupta Colony*	*70*	*22-03-2017*
22	*10038619*	*16-03-2017*	*B-1 8, Gujrawala Town Part-I, Delhi-*	*72*	*21-03-2017*
23	*10038718*	*22-03-2017*	*2/50, Roop Nagar, Delhi-110007*	*70*	*23-03-2017*
24	*10038679*	*27-03-2017*	*K-I/27, Model Town-II*	*72*	*06-04-2017*
25	*10038745*	*30-03-2017*	*Plot No. 160, Block-1, Veer Nagar, Jain Colony, Delhi.*	*70*	*24-05-2017*

1	2	3	4	5	6
26	*10038940*	*31-03-2017*	*Plot No. 97-D, Kamla Nagar, Delhi.*	*69*	*03-04-2017*
27	*10039034*	*05-04-2017*	*B-6/4, Rana Pratap Bagh*	*70*	*06-04-2017*
28	*10039178*	*14-04-2017*	*Plot No. 32, Block-4, Roop Nagar, Delhi.*	*70*	*19-04-2017*
29	*10039247*	*19-04-2017*	*Plot No. 57-UA, Mpl. No. 5981, Jawahar Nagar, Delhi-110009*	*69*	*25-04-2017*
30	*10039136*	*20-04-2017*	*Plot No. 16, Block-D, C. C. Colony, Opp. Rana Partap Bagh, Delhi.*	*72*	*11-05-2017*
31	*10039315*	*24-04-2017*	*Plot No. 37, Block- B, Gujrawala Town Part-I*	*72*	*25-04-2017*
32	*10039024*	*25-04-2017*	*Plot No. 5, Block-D, C. C. Colony, Opp. Rana Partap Bagh, Delhi.*	*70*	*07-06-2017*
3 3	*10039483*	*27-04-2017*	*A-192, Derawal Nagar, Delhi-110009*	*72*	*05-05-2017*
34	*10039161*	*29-04-2017*	*Plot No. B-7/3, Rana Partap Bagh, Delhi-07*	*72*	*26-05-2017*
35	*10038943*	*03-05-2017*	*P. No. 6A, Block-C-4, Model Town-III, Delhi.*	*72*	*12-05-2017*
36	*10039572*	*04-05-2017*	*6-A, Sanjay Nagar Gulabi Bagh, Delhi.*	*69*	*16-05-2017*
37	*10039556*	*18-05-2017*	*D-15, C. C. Colony, Opp. Rana Partap Bagh, Delhi.*	*70*	*21-06-2017*

38	*10039924*	*23-05-2017*	***Plot No. 1, Block-F-3, Model Town, Delhi.***	*72*	*30-05-2017*
39	*10040039*	*31-05-2017*	***P. No. 105, Block-B, Derawal Nagar, Delhi.***	*72*	*13-06-2017*
40	*10040089*	*31-05-2017*	***Plot No. 23, Block No. 24, Shakti Nagar, Delhi.***	*69*	*12-06-2017*
41	*10040022*	*09-06-2017*	***A-1, Sardar Nagar, Delhi-09***	*70*	*25-07-2017*
42	*10040156*	*05-06-2017*	***D-4/2, Rana Pratap Bagh, Delhi-07***	*70*	*28-06-2017*
43	*10039924*	*11-06-2017*	***Plot No. 1, Block-F-3, Model Town, Delhi.***	*72*	*16-06-2017*
44	*10040492*	*19-06-2017*	***P. No. 182, Block-B, Gujrawala Town Part-I, Delhi***	*72*	*20-06-2017*
45	*10040277*	*20-06-2017*	***39, Ishawar Colony Polo Road, Delhi.***	*70*	*21-06-2017*
46	*10040514*	*21-06-2017*	***C-2/3, Rana Partap Bagh, Delhi.***	*70*	*06-07-2017*
47	*10040608*	*26-06-2017*	***Plot No. 5, Block No. 14, Roshanara Extension Scheme, Shakti Nagar, Delhi***	*69*	*17-07-2017*
48	*10040622*	*27-06-2017*	***B-120, Gujrawala Town Part-I, Delhi***	*72*	*29-06-2017*
49	*10040689*	*28-06-2017*	***A-174, Derawal Nagar, Delhi.***	*72*	*04-07-2017*
50	*10040672*	*02-07-2017*	***Plot No. 13, Property No. EMI, Old Gupta Colony, Delhi.***	*70*	*28-07-2017*
51	*10040867*	*07-07-2017*	***P. No. 41, Block-A-8, Rana Partap Bagh, delhi.***	*70 **	*12-07-2017*

1	2	3	4	5	6
52	10041023	12-07-2017	1, Kalyan Vihar	70	21-07-2017
53	10041188	20-07-2017	P. No. 127, Block-A, Gujrawala Town Part-I, Delhi-09	72	26-07-2017
54	10041140	24-07-2017	C-7/2-A, Model Town-Ill, Delhi.	72	08-0,8-2017
55	10041176	25-07-2017	A-13/3, Rana Partap Bagh, Delhi-07	70	26-07-2017
56	10041230	25-07-2017	P. No. 13, Block-D-10, Model Town, Delhi.	72	31-07-2017
57	10041415	03-08-2017	Plot No. 62, Block No. G-3, Model Town, New Delhi-09	72	22-08-2017
58	10041343	08-08-2017	P. No. 81, Block-F, Kamla Nagar, Delhi.	69	09-08-2017
59	10041503	08-08-2017	A-225, Derawal Nagar, Delhi.	72	09-08-2017
60	10041298	11-08-2017	Plot No. 7, Block-12, Shakti Nagar, Delhi.	69	22/8/2017
61	13041778	24-08-2017	P. No. 24, Block No. 21, Shakti Nagar, Delhi	69	25-08-2017
62	10041882	25-0S-2017	Plot No. 49, Block No. 4, Roop Nagar, Delhi	70	09-01-2017
63	10041953	28-08-2017	P. No. 102, Block-B, Derawal Nagar, Delhi.	72	09-05-2017
64	10041981	30-08-2017	49, Gujrawala Town Part-II, Delhi-110009	72	09-01-2017
65	10042055	30-08-2017	P. No. 8, Block-F-11, Model Town, Delhi-09	72	09-01-2017
66	10041816	31-08-2017	Plot No. 18, Block-B, C. C Colony, Delhi.	70	28/9/2017

Sl. No.	Property No.	Name of Colony	File No.
1	2	3	4
1	F-8/13	Model Town	15/10032228/EE/B-II/CLZ/2016
2	F-5/4	Model Town	01/10032008/EE/B-II/CLZ/2016
3	23	Priyadarshini Vihar	13/10032035/EE/B-II/CLZ/2016
4	F-5/1	Model Town	07/10032052/EE/B-II/CLZ/2016
5	D-11/15	Model Town	05/10031952/EE/B-II/CLZ/2016
6	E-1/2	Model Town	307/EE/B-II/CLZ/2015
7	201	Old Gupta Colony	314/EE/B-II/CLZ/2015
8	150	Kalyan Vihar	26/10032138/EE/B-II/CL272016
9	D-8	C. C. Colony	39/10032731 /EE/B-II/CLZ/2016
10	D-32-A	Old Gupta Colony	289/EE/B-II/CLZ/2016
11	134-D	Kamla Nagar	33/10032291/EE/B-II/CLZ/2016
12	145	Kalyan Vihar	25/10032526/EE/B-IIl/CLZ/2016
13	S7-C & 38-A. Block-UA	Jawahar Nagar	23/10032423/EE/B-II/CLZ/2016
14	El-38	Gujrawala Town	51 /10033050/EE/B-II/CLZ/2016
15	A-304	Derawal Nagar	46/10032919/EE/B-II/CL2/2016
16	C-3/5	Model Town	36/10032416/EE/B-II/CLZ/2016
17	C-11/19	Model Town	42/10032655/EE/B-II/CLZ/20J 6
18	10-A/30	Shakti Nagar	47/10032697/EE/B-II/CLZ/2016
19	D-5/13	Model Town	50/10033061/EE/B-II/CLZ/2016
20	D-121	State Bank Colony	34/10032123/EE/B-II/CLZ/2016

1	2	3	4
21	*F-3/8*	*Model Town*	*57/10032672/EE/B-II/CLZ/2016*
22	*F-3/15*	*Model Town*	*54/10032821/EE/B-II/CLZ/2016*
23	*B-15*	*C. C. Colony*	*60/10032936/EE/B-II/CLZ/2016*
24	*A-173*	*Derawal Nagar*	*64/1003209/EE/B-IIl/CLZ/2016*
25	*13/11*	*Shakti Nagar*	*55/EE/B-II/CLZ/2016*
26	*A-349*	*Derawal Nagar*	*61/10033243/EE/B-II/CLZ/2016*
27	*S, Blocky Pkt. C-05*	*Rana Partap Bagh*	*69/10032858/EE/B-II/CLZ/2016*
28	*73, Block UB*	*Jawahar Nagar*	*78/10033469/EE/B-II/CLZ/2016*
29	*C-25*	*C. C. Colony*	*74/10032877/EE/B-II/CLZ/2016*
30	*3-251*	*Derawal Nagar*	*84/10033763/EE/B-II/CLZ/2016*
31	*73 Kalyan Co-operative House Building Socieity Ltd.*	*Kalyan Vihar*	*67/10032527/EE/B-II/CLZ/2016*
32	*40/3*	*Shakti Nagar*	*87/10033807/EE/B-II/CLZ/2016*
33	*175*	*Old Gupta Colony*	*53/EE/B-II/CL272016*
34	*20*	*Ishwar Colony, Bhama Shah Marg*	*97/EE/B-II/CLZ/2016*
35	*108*	*Kalyan Vihar*	*83/10032995/EE/B-II/CLZ/2016*
36	*74-A*	*New Gupta Colony*	*73/EE/B-II/CLZ/2016*
37	*C-7, Mpl. No. 57, Village FJajpur Chhaoni*	*Old Gupta Colony*	*178/EE/B-II/CLZ/2015*
38	*B-16*	*Derawal Nagar*	*72/EE/B-II/CLZ/2016*

1	2	3	4
39	*Z-7*	*Model Town*	*118/10034446/EE/B-II/CLZ/2016*
40	*B-199*	*Derawal Nagar*	*116/EE/B-II/CLZ/2016*
41	*8*	*Sanjay Nagar Gulabi Bagh*	*112/EE/B-II/CLZ/2016*
42	*B-60*	*New Gupta Colony*	*109/EE/B-II/CLZ/2016*
43	*F-5/1*	*Model Town*	*121/EE/B-II/CLZ/16*
44	*17/34*	*Shakti Nagar*	*119/EE/B-II/CLZ/2016*
45	*18/21*	*Shakti Nagar*	*127/10035863/EE(B)-II/2016*
46	*20*	*Sanjay Nagar Gulabi Bagh*	*123/10035848/EE(B)II/16*
47	*D-177, Kamla Nagar*		*07/Saral/Scheme/B-II/CLZ/2016 dated 30/08/2016*
48	*D-42, Old Gupta Colony, Delhi.*		*08/Saral/Scheme/B-II/CLZ/2016 dated 05/09/2016*
49	*13-17. New Gupta Colon*		*15/Saral/Scheme/B-II/CL272016 dated 31/09/2016*
50	*16, Priyadarshni Vihar, Delhi.*		*17/Saral/Scheme/B-II/CLZ/2016 dated 04/10/2016*
51	*98, Old Gupta Colony*		*18/Saral/Scheme/B-H/CLZ/2016 dated 5/10/2016*
52	*D 83, Old Gupta Colony*		*21/Saral/Scheme/B-II/CLZ/2016 dated 27/10/2016*
53	*Plot No. 66, Prem Nagar, Subzi Mandi, Delhi.*		*31/Saral/Scheme/B-II/CLZ/2016 dated, 20/12/2016*

1	2	3	4
54	*D-21,*	*Gupta Colony*	*130/UR7B-I/CLZ/2016*
55	*179*	*Old Gupta Colony*	*128/UR/B-I/CLZ/2016*
55	*C-46*	*Veer Nagar (Displaced) Jain CHBS Ltd. Delhi*	*132/EE/B-II/CLZ/2016*
57	*Block-19, Plot No. 4*	*Block-19, Plot No-4, Shakti Nagar*	*01/SP/B/HQ/NDMC/2016 dt. 22.1.16*
58	*15 Block, No. 40*	*15, Block No-40, Sahkti Naqar*	*107/EE/B-II/CLZ/2016 dt. 12-5-16*
59	*38/188*	*Old Gupta Colony*	*35/Saral/B-II/CLZ/17*

vuqyXud ^[k*

List of C.C issued in last five years:

S. No.	*Property No.*	*Date of Issue*
1.	*Bright Educational Society (Near Shiv Mandir) Darewal Nagar Delhi-9*	*05.05.2016*
2.	*P.N0.-8, BLK-C-4, Model Town, Delhi-9 (Online)*	*08.03.2018*
3.	*P.No.-13, BLK-F-8, Model Town, Delhi-9 (Online)*	*08.03.2018*
4.	*P.N0.-251, BLK-B, Darewal Nagar, Delhi-9 (Online)*	*08.03.2018*

285- Jh vf[ky'kifr f=ikBh % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कहाँ–कहाँ पर यूनिपोल लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं;

(ख) किन–किन एजेंसीज को यह कार्यभार सौंपा गया है;

(ग) एक पोल के बाद कितनी दूरी पर दूसरा पोल लगाने का प्रावधान है;

(घ) यदि बिना अनुमति और सिस्टम से हट कर कोई यूनिपोल लगा हो तो उसका जिम्मेदार किस विभाग का कौन सा अधिकारी होगा;

(ङ) यूनिपोल लगाने का पूरा पॉलिसी मैटर, टेंडर, जो लग चुके हैं या लगने वाले हैं, उनके वर्क ऑर्डर की प्रति उपलब्ध करें;

(च) आउट डोर एड पॉलिसी की पूरी जानकारी प्रदान करें;

(छ) पिछले पांच वर्षों में किन–किन स्थानों पर यूनिपोल लगाने से कितना–कितना वर्षवार राजस्व प्राप्त हुआ, पूरा विवरण क्या है; और

(ज) पिछले पांच वर्षों में किन–किन एजेंसियों को टेंडर दिया गया और उनसे कितना–कितना राजस्व प्राप्त हुआ या अभी राजस्व मिलना शेष है?

'kgjh fodkl ea=h ¼ (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe ¼** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में यूनिपोल के आवंटन हेतु 15 कलस्टर बनाये गए हैं, जिसमें से 07 कलस्टर विभिन्न एजेंसियों को दिए गए हैं जिसका विवरण तथा बिना आबंटित कलस्टरों में आबंटित यूनिपोलों का विवरण संलग्न हैं। **¼vuqyXu ^d* o ^[k*½**[1]

ubl fnYyh uxj ikfydk ifj"kn ¼ जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र की बात है प्रवर्तन विभाग ने 10 यूनिपोल लगाने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दी है और ये सभी चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके इस प्रकार हैः–

1. बाल सहयोग

---

1. सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

2. अंध विद्यालय

3. दिल्ली वक्फ बोर्ड

i|ohl fnYyh uxj fuxe ½ सूची **l|yXud ^d*** पर है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe ½ विभाग द्वारा टैंडर किये गये क्लस्टर और व्यक्तिगत यूनिपोल की सूची संलग्न 'ए' है।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** ½ संलग्न सूची में एजेंसियों का नाम भी दिया गया है। (**vu|yXud ^d* o ^[k***) पर है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe ½ उपरोक्त के अनुसार।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** ½ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में यूनिपोलों का आवंटन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत ***Outdoor Advertisement Policy-2017*** के तहत दिया जाता है, जिसके अनुसार एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 75 मीटर होनी चाहिए।

ubl fnYyh uxj ikfydk ifj"kn ½ डी.ओ.ए.पी. 2017, क्लाज संख्या 7.1 श्रेणी–1 के अनुसार यूनीपोल के मध्य कम से कम 75 मीटर की दूरी निश्चित की गई है।

i|ohl fnYyh uxj fuxe ½ ओ.ए.पी.–2017 के प्रावधान अनुसार दो पोलों के बीच कम से कम दूरी 75 मीटर होनी चाहिए। सूची **l|yXu ^[k*** के अनुसार है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe ½ आउटडोर विज्ञापन नीति 2017 के अनुसार दो यूनिपोल के मध्य कम से कम 75 मीटर का अन्तर होना चाहिए।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** नियम एवं शर्तों के अनुसार आबंटित कलस्टरों में अवैध विज्ञापन हटाने के लिए जिम्मेदारी कलस्टर धारक की है, इसके अतिरिक्त यदि बिना अनुमति या नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में कोई यूनिपोल पाया जाता है तो उसके लिए विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % क्रम संख्या (क) उत्तर के अलावा प्रवर्तन विभाग ने किसी अन्य को यूनिपोल लगाने की अनुमति नहीं दी है एवं इसका उल्लंघन होने पर पोल को हटा दिया जाता है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % डीएमसी एक्ट में विज्ञापन के लिए दी गई धाराओं व इन धाराओं के अंतर्गत बनाये गये नियम व शर्तों का अनुपालन एवं प्रयोग विज्ञापन विभाग सुनिश्चित करता है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % विज्ञापन विभाग और संबंधित विज्ञापन निरीक्षक उनके क्षेत्र में लगे यूनिपोल के लिए जिम्मेदार है।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Outdoor Advertisement Policy-2017*** को स्वीकृति दि जा चुकी है, जिसको उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लागू करने हेतु नियम एवं शर्तों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया जा चुका है, जिसकी स्वीकृति के पश्चात् नए टेंडर लगाए जाएगें। आबंटित कलस्टरों के ***Allotment letters*** साथ में संलग्न है। (**vuqyXud ^M***)

iwohZ fnYyh uxj fuxe % सूची संलग्न 'क' के अनुसार।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % वर्तमान में चल रहे अनुबंध/टैंडर की एक प्रति नमूने के तौर पर संलग्न 'बी' है।

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** आउट डोर एंड पोलिसी–2007 की कॉपी साथ संलग्न है। **¼vuqyXud ^?k*½**

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % डी.ओ.ए.पी. 2017 की प्रतिलिपि संलग्न है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % ओ.ए.पी. 2017 की पूर्ण प्रति **layXud ^x*** पर है।

fnYyh fnYyh uxj fuxe % आउट डोर विज्ञापन नीति 2017 की एक प्रति संलग्न 'सी' है।

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** पिछले पांच वर्षों में प्राप्त विज्ञापन विभाग की आय साथ संलग्न है। **¼vuqyXud ^x*½**

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % क्रम संख्या (क) उत्तर के अनुसार।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % सूची **layXud ^?k*** पर है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % व्यक्तिगत यूनिपोल अनुसार सूचना बनाई गयी है। पिछले पांच वर्षों समेकित रूप से अर्जित राजस्व की सूची संलग्न 'डी' है।

(ज) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** आबंटित कलस्टरों एवं यूनिपोलों की सूची में एजेंसी का नाम तथा मासिक लाईसेंस फीस का विवरण भी दिया गया है। (**vuqyXud ^d* o ^[k***)

ubl fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % क्रम संख्या (क) उत्तर के अनुसार।

iohl fnYyh uxj fuxe % सूची 'क' व 'घ' के अनुसार है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % सूचना उपरोक्त सूचना सूची संलग्न 'ए' में दी गई है और राजस्व संबंधित सूचना सूची 'डी' में दी गई है।

286- Jh vf[kys'kifr f=ikBh % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधानसभा में कौन–कौन सी पार्किंग वैध रूप से चल रही हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि आजादपुर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमला नगर मार्किट, गुजरावाला टाउन, डेरावाल नगर में चल रही पार्किंग वैध रूप से चल रही है;

(ग) यदि हां, तो एजेंसी का नाम, मैप और टेंडर की प्रति उपलब्ध करें;

(घ) पूरी दिल्ली में किस–किस एमसीडी ने कहां–कहां पर किस–किस एजेंसी को पार्किंग चलाने की अनुमति दे रही है, तिथि व किस समय से किस समय तक अनुमति दी गयी है, पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें; और

(ङ) पार्किंग अनुमति/लाइसेंस देने के एवज में पिछले 5 वर्षों में कितने–कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और किस–किस एजेंसी व पार्किंग स्थल से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, पूर्ण विवरण दें?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** मॉडल टाऊन विधानसभा क्षेत्र में एम.एल.यू.जी. पार्किंग साइट, रोड साईड, मॉडल टाऊन–02, पैन्टामाईड अस्पताल तथा नानीवाला बाग आजादपुर में चल रही हैं।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** पैन्टामाईड अस्पताल तथा नानीवाला बाग आजादपुर की पार्किंग को लाभकारी परियोजना विभाग द्वारा दिया गया है तथा कमला नगर की पार्किंग अभियांत्रिक विभाग द्वारा पी.पी.पी. आधार पर दी गई है।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** पैन्टामाईड अस्पताल ***M/s Starline Security Services Pvt. Ltd.*** तथा नानीवाला बाग आजादपुर ***M/s New Urban*** को लाभकारी परियोजना विभाग द्वारा दी गई है। नक्शे व आबंटन पत्र की कॉपी संलग्न है। कमला नगर की पार्किंग अभियांत्रिक विभाग द्वारा पी.पी.पी. आधार पर दी गई है।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** लाभकारी परियोजना विभाग, उ.दि.न.नि. द्वारा दी गई पार्किंगो की सूची विवरण सहित संलग्न है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पार्किंग सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % लाभकारी परियोजना विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई अस्थायी सतही पार्किंगो की सूची संलग्न 'क' पर है।[1]

---

1. सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** पिछले 5 वर्षों का राजस्व का विवरण संलग्न है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % पिछले 5 वर्षों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को पार्किंग से प्राप्त राजस्व का विवरण संलग्न है।

iwoh fnYyh uxj fuxe % पिछले 5 वर्षों के राजस्व का विवरण संलग्न 'ख' पर है।

287- Jh euftnj flg fljlk % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली में टाउन वेडिंग कमेटियों को गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक गठित हो जायेंगी;

(ग) यदि नहीं, उसको क्रियान्वित करने में क्या दिक्कतें हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने चुनाव पूर्व वह वायदा किया था कि सरकार तीन महीनें के अंदर रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आजीविका को पूर्ण संरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी;

(ङ) यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है;

(च) क्या सरकार वैंडिंग कमेटियों को लेकर अपनी तरफ से कोई पहल कर रही है; और

(छ) सरकार इस बारे में कानून कब तक सदन पटल पर लाएगी?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½** % दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 की दिल्ली सरकार ने 10.01.2018 को अधिसूचित किया है कि नियम–12 के अनुसार टाऊन वेडिंग कमिटियों की गठित करने की योजना है।

(ख) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½** % टाउन वेडिंग कमेटी गठित करने का कार्य स्थानीय निकायों का है और इसके बारे में उनको अवगत कर दिया गया है। इसलिए इस विषय में वांछित सूचना वही दे सकते है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % टाउन वैंडिंग कमेटी गठित करने का कार्य सूचीबद्ध तैयार किया जा चुका है और प्रक्रिया समयबद्ध पूरी की जा रही है।

(ग) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½** % 'ख' के अनुसार

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % टाउन वैंडिंग कमेटी गठित करने का कार्य सूचीबद्ध तैयार किया जा चुका है और प्रक्रिया समयबद्ध पूरी की जा रही है।

(घ) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½** % कोई टिप्पणी नहीं है।

(ङ) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½** % कोई टिप्पणी नहीं है।

(च) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½** % पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम–2014, के तहत दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 जो कि दिल्ली सरकार ने 10.01.2018 को अधिसूचित किया है कि नियम–12 के अनुसार टाऊन वेडिंग कमिटियों की गठित करने की योजना है।

(छ) **'kgjh fodkl ¼,e-ch-½ %** कोई टिप्पणी नहीं है।

288- Jh euftanj flag fljlk % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पेसिफिक मॉल के पीछे केशवपुर मंडी के पास, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल के पीछे तथा सार्वजनिक मार्गों के किनारों पर अत्यधिक अतिक्रमण है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अस्पताल प्रबन्धन तथा विधायकों द्वारा बार–बार शिकायत करने के बाद भी वहां से अतिक्रमण नहीं हटाये गये हैं; और

(ग) यदि अतिक्रमण कब तक हटा दिए जायेंगे?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** लाईसेसिंग ब्रांच के फिल्ड स्टाफ द्वारा समय–समय पर स्थानीय अतिक्रमण को हटाया जाता है। पैसिफिक मॉल के पीछे केश्वपुर मंडी के पास, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल के पीछे वार्ड सं.–008–एस. के अंतर्गत दिनांक 16.03.2018 एवं 21.03.2018 को स्थायी अतिक्रमण हटा दिया गया है, जिसकी फोटो संलग्न है।[1]

(ख) और (ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** 'ख' और 'ग' उपरोक्तानुसार।

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

289- Jh vk- ih- 'kekZ % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के पास अपना कोई टाउन प्लानिंग विभाग है;

(ख) क्या सरकार ने कभी इसकी आवश्यकता महसूस की है;

(ग) क्या यह सत्य है कि शहरीकृत गांवों, लाल डोरा क्षेत्रों तथा अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जोनल प्लान बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है;

(घ) सरकार का कौन–सा विभाग यह दायित्व निभाता है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि बिना किसी नक्शें और जोनल प्लान के सभी वैध और अवैध गतिविधियां चल रही हैं?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **'kgjh fodkl foHkkx ¼vukf/kÑr dkyksuh½ %** जी नहीं।

yksd fuekZ.k foHkkx % लोक निर्माण विभाग के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है।

(ख) **'kgjh fodkl foHkkx ¼vukf/kÑr dkyksuh½ %** जी हां। अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमन में एवं विकास कार्य हेतु टाउन प्लानर की आवश्यकता महसूस होती है।

yksd fuekZ.k foHkkx % उपरोक्तानुसार।

(ग) **'kgjh fodkl foHkkx ¼vukf/kÑr dkyksuh½ %** पूरी दिल्ली का जोनल प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाती है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % शहरीकृत गांवों के प्लान डी.डी.ए. तथा नगर निगमों द्वारा बनाए गए है परन्तु जहां प्लान नहीं है वहां राजस्व विभाग से एन.ओ.सी. लेकर नक्शों को स्वीकृत किया जाता है। इसके पश्चात् अनाधिकृत कॉलोनियों का कार्य शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है।

ykd fuekZ.k foHkkx % उपरोक्तानुसार।

(घ) **'kgjh fodkl foHkkx ¼vukf/kÑr dkyksuh½ %** उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्त 'ग' अनुसार।

ykd fuekZ.k foHkkx % उपरोक्तानुसार।

(ङ) **'kgjh fodkl foHkkx ¼vukf/kÑr dkyksuh½ %** उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जैसे ही कोई अवैध गतिविधि भवन विभाग के संज्ञान में आती है भवन विभाग डी.एम.सी. एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करता है।

ykd fuekZ.k foHkkx % उपरोक्तानुसार।

290- Jh vk- ih- 'kekZ % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीलिंग की कार्रवाई सिर्फ छोटे–छोटे उल्लंघनकर्ताओं पर हो रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाले सभी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बिना किसी सजा के अपना काम करते रहते हैं;

(ग) सीलिंग रोकने और इस समस्या के सर्वमान्य समाधान के प्रति दिल्ली सरकार के दृष्टिकोण की विस्तृत जानकारी दें;

'kgjh fodkl ea=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** नहीं, यह सत्य नहीं है। जिन संपत्तियों में एम.पी.डी.–2021 का उल्लंघन पाया जाता है उन संपत्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशानुसार सिलिंग की कार्यवाही की जा रही है।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % नहीं, यह सत्य नहीं है। जिन संपत्तियों में एम.पी.डी.–2021 का उल्लंघन पाया जाता है उन संपत्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशानुसार सिलिंग की कार्यवाही की जा रही है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्तानुसार।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ग) दिल्ली सरकार लगातार मॉनिटरिंग कमेटी के संपर्क में है और सभी राजनैतिक दलों के साथ लगातार बैठकें कर इस समस्या का समाधान ढूंढ

रही है। दिनांक 16.03.2018 को विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और एक प्रस्ताव भी सदन द्वारा पारित किया गया।

291- Jh idt i"dj % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के तिमारपुर के अंतर्गत आने वाले वजीराबाद गांव, रामघाट एवं संगम विहार कॉलोनी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की भवन निर्माण की नीति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यमुना के किनारे स्थित इस क्षेत्र. में कभी भी किसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि यहां पर बीते 2 वर्षों में अंधाधुंध 5–6 मंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है और इनमें कई भवन एक ओर झुक गए हैं;

(घ) वजीराबाद गांव, रामघाट एवं संगम विहार के क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में तथा अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018, तक कितने बहुमंजिला भवन बने हैं;

(ङ) वजीराबाद गांव, रामघाट एवं संगम विहार के क्षेत्र में 2016–17, अप्रैल 2017 से जनवरी, 2018 तक कितने भवनों का नक्शा पास हुआ है;

(च) यदि इन भवन का नक्शा पास हुआ है, तो उससे उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कितने राजस्व की हानि हुई है; पूर्ण विवरण दें; और

(छ) अप्रैल, 2016 से अब तक अवैध–निर्माण को रोकने के लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार रहे, उनका नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर क्या है?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** : वजीराबाद गांव में भवन निर्माण की संस्तुति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा सकता है।

रामघाट एवं संगम विहार अनाधिकृत कॉलोनी होने की वजह से भवन निर्माण की संस्तुति प्रदान नहीं की जाती है।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** : जी हां।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** : भवनों के निर्माण के विषय में कोई रिकार्ड तैयार/उपलब्ध नहीं है तथा झुकने संबंधी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि निर्माण अवैध पाये जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत 123 सम्पत्तियों को 01.04.2016 से बुक किया गया है। झुकने संबंधी सूचना संज्ञान में आते ही भवन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** बहुमंजिला भवनों के सन्दर्भ में कोई रिकार्ड तैयार/उपलब्ध नहीं है। तथापि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 54 एवं 01.04.2017 से 31.01.2018 तक कुल 69 सम्पत्तियों को पुराने वार्ड संख्या 10 एवं नये वार्ड संख्या 12 के अन्तर्गत बुक किया गया है।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** भवन विभाग, सिविल लाईन क्षेत्र के द्वारा कोई नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ है।

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** : उपरोक्त 'ङ' के अनुसार।

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** : भवन विभाग, सिविल लाईन क्षेत्र, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस (भारत सरकार) एवं सम्बन्धित (एस.डी.एम.) दिल्ली सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिम्मेदार है।

292- Jh txnhi flag % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद के द्वारा बनाये गये कुल कितने विद्यालय भवन दिल्ली में स्थित हैं;

(ख) इन स्कूलों के भवनों की चारदीवारों पर कितनी अवैध दुकानें, मंदिर मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरिजाघर स्थित हैं;

(ग) ये सभी अवैध निर्माण किस दौरान हुए;

(घ) इन अवैध निर्माणों को रोकने की जिम्मेदारी किस–किस विभाग के किन–किन अधिकारियों की थी, उनकी सूची क्या है; और

(ङ) विद्यालय प्रमुखों, उप–निदेशकों, शिक्षा निरीक्षकों और निगम, निगम परिषद शिक्षा अधिकारियों ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए कितनी प्राथमिकी दर्ज कराई गई और की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा क्या है?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **f'k{kk foHkkx] fnYyh ljdkj %** दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अर्न्तगत बनाये गये कुल विद्यालय भवनों की संख्या 728 है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में 102 विद्यालयों भवन हैं जिनमें 187 विद्यालय चल रहे हैं।

शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में 127 विद्यालय भवन हैं जिनमें 187 विद्यालय चल रहे हैं। कुल विद्यालय भवन 229 हैं।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के 434 विद्यालय साईटों में से 414 विद्यालय भवन स्थित हैं। 20 विद्यालय साईट का विद्यालय भवन निर्माणाधीन है।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 567 विद्यालय भवन हैं।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn~ % नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के द्वारा बनाये गए कुल 42 विद्यालय भवन दिल्ली में स्थित हैं।

(ख) **f'k{kk foHkkx] fnYyh ljdkj %** विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कुल 12 विद्यालय भवनों की चार दिवारी पर अवैध निर्माण किया गया है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % निगम विद्यालय नन्दी नगरी बी–4, ब्लॉक स्थित विद्यालय परिसर में मजार है और शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी विद्यालय की चारदीवारी में कोई भी अवैध दुकानें, मंदिर, मस्जिद गुरूद्वारे नहीं है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विद्यालयों भवनों की चारदीवारी पर कोई भी अवैध दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारें, गिरिजाघर स्थित नहीं है।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % 08 विद्यालयों की बाहरी चारदीवारी अतिक्रमण है।

1. शकूरपुर ई–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर मकान है।
2. शकूरपुर जी–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर दुकान है।
3. शकूरपुर एच–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर दुकान है।
4. शकूरपुर आई–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण है।
5. वजीरपुर जे.जे. न्यू विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर व मस्जिद है।
6. वजीरपुर जे.जे. ओल्ड विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर व दुकान है।
7. जहांगीरपुरी एच. ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर है।
8. जहांगीरपुरी ए. ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn~ % नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय भवन के चार दीवारों पर कोई भी अवैध दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरजाघर स्थित नहीं हैं।

(ग) **f'k{kk foHkkx] fnYyh ljdkj %** सभी अवैध निर्माण कई दशक पुराने हैं।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % ये सभी अवैध निर्माण विद्यालय स्थापित होने से पूर्व की हैं।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % यह सभी अवैध अतिक्रमण पुराने है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % उत्तर 'ख' के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(घ) **f'k{kk foHkkx] fnYyh ljdkj %** अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग की है। सभी अधिकारियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि सरकारी भवरों पर अवैध निर्माण के खिलाफ चौकसी रखी जाए।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % विद्यालय परिसर के अन्दर अतिक्रमण (अवैध निर्माण) को रोकने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है यह निर्माण विद्यालय स्थापित होने से पूर्व का है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % इन अतिक्रमणों को हटाने का कार्य क्षेत्रीय अभियांत्रिक विभाग व पुलिस का है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % उत्तर ख के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) **f'k{kk foHkkx] fnYyh ljdkj**

1. जिला पूर्व के दो विद्यालयों में से एक विद्यालय के एक अवैध निर्माण पर परिवार न्यायालय में विचाराधीन है।

2. जिला उत्तर पश्चिम बी के अन्तर्गत सर्वोदया कन्या विद्यालय मंगोल पुरी एच. ब्लॉक से अवैध कब्जें को हटाने के लिए एम.एच.ओ. मंगोलपुरी को दिनांक 08.08.2016 को एफ.आई.आर. के लिए पत्र लिखा एवं 19.08.2016 को अनुस्मारक जारी किया गया। इस संदर्भ में एस.डी.एम. ऑफिस को भी दिनांक 11.08.2016 व 19.08.2016 को पत्र लिखा गया।

3. जिला मध्य/नई दिल्ली के अन्तर्गत सर्वोदया कन्या विद्यालय जीनत महल में अवैध निर्माण को हटाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. एवं राजस्व विभाग को क्रमशः पत्र दिनांक 14.03.2018 व 16.11.2017 प्रेषित किये गये।

4. जिला पश्चिम ए के एस. के. बी. नम्बर 02 टेगोर गार्डन के संदर्भ में दिनांक 24.08.2016 को पत्र संख्या 200 के द्वारा भूतपूर्व मैयर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, निगम पार्षद, विधायक, एस.एच.ओ. (राजौरी गार्डन) एवं डिप्टी कमिश्नर दि.न.नि. को अवगत कराया गया। पत्र संख्या 427 दिनांक 17.12.2016 के द्वारा फिर से अनुस्मारक कार्यवाही हेतु दिया गया।

इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रमुख्यों, उप निदेशकों द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के लिए समय–समय पर संबंधित विभागों को सूचित किया जाता रहा है।

iloh fnYyh uxj fuxe % क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है अतः इसे हटाने के लिए निदेशक, शिक्षा द्वारा धार्मिक कमेटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को मई–2013 में पत्र लिखा गया था।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।

ubZ fnYyh uxj ikfydk ifj"kn % उत्तर ख के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

293- Jh txnhi flag % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र (खजान, बस्ती, नांगल, आदि) में गाड़ियों की अवैध कटाई का धंधा दिन–पर–दिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसडीएमसी/दिल्ली पुलिस ने इनके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इससे कब तक कितना राजस्व इकट्ठा हुआ है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र (खजान बस्ती, नांगल, आदि) में गैस कटर्स का अभी भी प्रयोग हो रहा है, जबकि एनजीटी/न्यायालय ने इस पर रोक लगाई हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र खजान बस्ती, नांगल आदि में गाडियों की अवैध कटाई के विषय में इस कार्यालय में कोई जानकारी नहीं है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

nf[k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

fnYyh ifyl % एन.जी.टी. ने गैस कटर पर कुछ शर्तों के साथ रोक लगा रखी है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्तानुसार।

fnYyh ifyl % कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

294- Jh txnhi flg % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएमसी ने वार्ड 9एस/10एस/11एस में क्रमशः कितने किओस्क आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि एसडीएमसी ने केवल 17 किओस्क ही आबंटित किए हुए हैं और शेष अनाधिकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी इनके लिए कौन–से अधिकारी जिम्मेदार हैं, और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इन किओस्क के प्राप्त राजस्व का विवरण क्या है;

(ङ) वार्ड 9एस, 10एस व 11एस में एसडीएमसी द्वारा स्वीकृत कितने वैध यूनीपोल हैं और कितने अवैध यूनीपोल हैं; और

(च) इन यूनीपोल से प्राप्त राजस्व का विवरण क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** उपलब्ध जानकारी के अनुसार वार्ड 9एस/10एस/11एस में कुल किआस्क आबंटित किए गए है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत चारों क्षेत्राों में किआस्क का विवरण निम्नलिखित है:—

1. दक्षिणी क्षेत्र के कुल 24 किआस्क हैं। जिसमें से 19 कार्यरत हैं और 05 सील्ड हैं।

2. नजफगढ़ क्षेत्र के कुल 16 किआस्क हैं। जिसमें से 07 कार्यरत हैं और 09 कार्यरत नहीं हैं।

3. मध्य क्षेत्र के कुल 27 किआस्क हैं। जिसमें से 19 कार्यरत हैं और 07 कार्यरत नहीं हैं और 01 बन्द है।

4. पश्चिमी क्षेत्र के कुल 07 किआस्क कार्यरत हैं।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

(ङ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** वार्ड के अनुसार यूनीपोल का आवंटन नहीं किया जाता। पश्चिमी क्षेत्र में केवल दो यूनीपोल क्लस्टर हैं। क्लस्टर नम्बर 01 की एम.एल.एफ. रुपये 20,73,904/— हैं। क्लस्टर सूची संलग्न 'ए' में हैं। कुछ व्यक्तिगत यूनीपोल भी आवंटित नहीं हैं जिसकी सूची संलग्न 'बी' है।

(च) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्त के अनुसार।

ANNEXURE 'A'

Cluster No-1 Ring Road (West Zone)

Sl. No.	*Location/Landmark*	*(Single/ Double side)*
1	*2*	*3*
Maya Puri to Raja Garden		
1	*Near Indian Oil Petrol Pump, West Gate Mall, FTC Raja Garden Chowk to Punjabi Bagh*	*Single side*
2	*Near Subway opp. ESI Hospital FTC, Raja Garden to Punjabi Bagh.*	*Single side*
3	*Near Temple, west Gate Mall, FTC FTC Raja Garden to Punjabi Bagh*	*Double side*
4	*Adjoining to Najafgarh drain, near Mahatma Gandhi Camp, Ring Road, FTC Raja Garden Chowk to Punjabi Bagh (10 mtrs from the edge of drain)*	*Double side*
5	*Opp. Mahtma Gandhi Camp, Ring Road FTC Punjabi Bagh, to Raja Garden.*	*Double side*
6	*Between Metro Pillar No. 101 & 100, Ring Road, FTC Raja Garden to Punjabi Bagh*	*Double side*
7	*Adjoining Metro Pillar no. 98, Ring Road, FTC Raja Garden Chowk to Punjabi Bagh*	*Single side*
8	*Near Drain Ring Road FTC, Raja Garden to Punjabi Bagh.*	*Double side*

1	2	3
9	*Opp Metro Pillar no-71, Ring Road FTC, Raja Garden to Punjabi Bagh*	*Double side*
10	*Opp. Presidium School/Park, Ring Road, FTC Punjabi Bagh to Raja Garden*	*Double side*
11	*In front of Electric pole no. HT1303-49, ESI boundary wall, FTC from Punjabi Bagh to Raja Garden*	*Double Side*
12	*In front of M/s Subhlaxmi marbles adjoining to Metro pillar no. 189 FTC Mayapuri Chowk to Raja garden*	*Single side*
13	*In front of P. No.D-5 B, Rajouri Garden M/s Charbhuja Marble Co. adjoining to Metro Pillar no. 185, FTC Mayapuri Chowk to Raja garden*	*Single side*
14	*In front of M/s T&T Motors adjoining to Metro Pillar no. 177 FTC Mayapuri Chowk to Raja garden*	*Single*
Cluster No-2:- (Club Road, Najafgarh Road, Pankha Road, Jail Road, Vikas Puri, Rohtak Road Janak Puri) (West Zone)		
1	*In front of Shop No. 52, DDU Market, Rajouri Garden, Opp. Metro Pillar No. 425, Najafgarh Road, FTC Raja Garden to Uttam Nagar*	*Single side*
2	*In front of Metro Pillar No. 587, Najafgarh Road, FTC Raja Garden to Uttam Nagar*	*Single side*
3	*Adjoining the Metro Pillar No. 600, in front of newly constructed shopping mall, Najafgarh Road, FTC Raja Garden to Uttam Nagar*	*Single side*
4	*New Krishna Park Opp. Metro Pillar no. 599, Najafgarh Road, FTC Uttam Nagar to Raja Garden*	*Single side*

1	2	3
5	*Near Electric Pole no-213, Adjoining vikash kunj Apartment FTC, Uttam Nagar to Tilak Nagar*	*Single side*
6	*In front of M/s Eicon Enterprises, near JanakPuri (East) Metro Station, Najafgarh Road, FTC Uttam Nagar to Raja Garden*	*Single side*
7	*Near Telephone exchange Rajouri Garden FTC, Tilak Nagar to Raja Garden*	*Single side*
Pankha Road		
8	*In front of Property no. A-1/4, JanakPuri, Pankha Road, FTC Uttam Nagar to SagarPur*	*Single side*
9	*In front of Property no. RZ-1, (Honda Showroom), Dabri Extn. Pankha Road, at corner of transformer, FTC Sagarpur to Uttam Nagar*	*Single side*
10	*Infront of Property no-A-51, Sitapuri, (Harijan Basti) FTC Dwarka to Dabri Mod*	*Double side*
Club Road, Punjabi Bagh		
11	*Between Metro Pillar no-550 & 551, near nanjgali jalib entry gate, janakpuri FTC Tilak nagar to Uttam nagar.*	*Double side*
12	*Corner of lane adjoining to plot no. 50, Punjabi Bagh, Club Road, FTC Road no. 29 to Ring Road*	*Single side*
	Rohtak Road	
13	*In front of corner of gate of Police Station Punjabi Bagh, Opp Metro Pillar-No. 123 FTC Punjabi Bagh to Peerah Garhi Rohtak Road.*	*Single side*

1	2	3
Jail Road, Tilak Nagar to Delhi Cantt.		
14	*Opp. main gate of the Office of Commandant Tamilnadu Spl. Police Tihar Jail, Jail road inside the parking FTC Tilak Nagar to Delhi Cantt.*	*Double side*
Vikas Puri		
15	*Near Metro Pillar-577, Distt. Centre Janakpuri, FTC Tilak nagar to Uttam Nagar*	*Single side*
Janak Puri, B-Block		
16	*Near Nangal Raya Fly over Pillar no-23, FTC, Dilhi Cantt to Tilak Nagar*	*Double side*
Punjabi Bagh Central Market		
17	*Parking Central Market Punjabi Bagh, Near Pahwa Institute Corner, Beside Park, FTC- Main Road.*	*Single side*
18	*Near gate no-1 of Pacific Mall, Main Najafgarh Road (Double Side)*	*Double side*
19	*Inside the Boundary ¡ll of Vacant Land, Near Janakpuri West Metro Station (Double Side)*	*Double side*
20	*Near Flyover opp Metro Pillar No. 583, FTC Tilak Nagar (Singal Dide)*	*Single side*
21	*Inside Nala Near Subhash Nagar Petrol Pump Opp. Metro Pillar 467 FTC Raja Garden) (Double Side)*	*Double side*
22	*Adjoining Metro Pillar No. 580, 3 meters away from road edge in Kachcha Portion, Below Metro Track, In Front of Shop No. G-9, Showroom of Archies Gallary, District Centre, Janakpuri, (Singal Side)*	*Single side*

ANNEXURE 'B'

Individual Unipoles Sites in West Zone

Sl. No.	U.Id	Advertiser/Address	Allotment/Address	Date of Commence-ment of contract	Date of Expiry of contract	MLF
1	2	3	4	5	6	7
1	W-2	M/s Guru Kirpa Advertising Co. 339, SF, Tmgore Garden Extn Vishal Market New Delhi-110027	Opp. Property no.A-12, Rajouri Garden(After foothpath) FTC Moti Nagar to Tilak Nagar(Double Side)	15.06.2017	14.06.2020	95,095/-
2	W-5	M/s Triple Ess Communication Pvt. Ltd.	Near City Square Mall Opp. Metro Pillar no-392 (Singal Side)	14.06.2017	13.06.2020	1,12,750/-
3	W-12	M/s Triple Ess Communication Pvt. Ltd.	Between Metro Pillar no-535 & 536, 3 meter away from road edge in Kachcha Portion below metro track, Opp. Shop No- WZ-1/4-5 Ganesh Nagar Market of M/s Vohra	15.09.2017	14.09.2020	1,47,750/-

1	2	3	4	5	6	7
			Enterprises on Najafgarh Road FTC Rajouri Garden to Uttam Nagar.(Double Side)			
4	*W-19*	*M/s Outdoor Communication Pvt. Ltd, A-250 SF Road No 6, Mahipal Pur Extn New Delhi*	*Opp. Metro Pillar No. 634 FTC Uttam Nagar (Double Side)*	*16.06.2017*	*15.06.2020*	*1,11,950/-*
5	*W-20*	*M/s Outdoor Communication Pvt. Ltd, A-250 SF Road No 6, Mahipal Pur Extn New Delhi*	*3 Meters away from road edge, adjoining foot over bridge, near Maharashi Dayanand Park, FTC Uttam Nagar to Rajouri Garden (sinrol ridp)*	*15.09.2017*	*14.09.2020*	*96,950/-*
6	*W-28*	*M/s Hindustan Publicity (P) Ltd. 4727/21, Darya Ganj Delhi-110007*	*Near BQS Tihar Jail FTC Hari Nagar Depot (Double Side)*	*15.09.2017*	*14.09.2020*	*1,41,190/-*
7	*W-11*	*M/s Guru Kirpa Advertising Co. 339,*	*Parking Tilak Nagar Opp Vishal Mega Mart (Double*	*01.05.2015*	*30.04.2018*	*103485/-*

		SF, Tagore Garden Extn Vishal Market New Delhi-110027	*Side)*			
8	*W-33*	*M/s Guru Kirpa Advertising Co. 339, SF, Tagore Garden Extn Vishal Market New Delhi-110027*	*Parking Tilak Nagar Opp 2/17 Double Storey, FTC Uttam Nagar (Double Side)*	*01.05.2015*	*30.04.2018*	*103463/-*
9	*W-36*	*M/s Outdoor Communication Pvt. Ltd, A-250 SF Road No 6, Mahipal Pur Extn New Delhi*	*Near Dhalao No. 94, Ward No. 105, Rajouri Garden (Double Side)*	*01.05.2015*	*30.04.2018*	*76230/-*
10	*W-23*	*M/s Hindustan Publicity (P) Ltd. 4727/21, Darya Ganj Delhi-110007*	*Near Janak Petrol Pump Janakpuri desu colony FTC Dabri ChowkCDouble Side)*	*01.05.2015*	*30.04.2018*	*66901/-*
11	*W-3*	*M/s Sita Outdoor Media*	*Opp Metro Pillar No. 169, Rajouri Garden,FTC Maya Puri to Rajouri Garden(Doble Side)*	*01.05.2015*	*30.04.2018*	*119802/-*

295- Jh txnhi flag % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वीवीआईपी/वीआईपी के अपने क्षेत्रों में दौरे के समय सभी तीनों नगर निगम चूना पाउडर बिछाते हैं;

(ख) वर्ष में 2016–17 व 2017–18 के दौरान इसके लिए क्रमशः कितनी राशि का, कितनी मात्रा में चूना पाउडर प्रयोग किया गया;

(ग) क्या यह सत्य है कि चूना पाउडर प्रदूषण कारक है; और

(घ) यदि हां, तो इस चूना पाउडर के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** % जी नहीं, यह सत्य नहीं है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसरों पर निगम सफाई कर्मचारियों द्वारा चूना पाउडर बिछाया जाता है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % चूने का प्रयोग सफाई कार्यों में किया जाता है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % जी हां, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वीवीआईपी/वीआईपी के अपने क्षेत्रों में दौरे के समय एवं नियमित रूप से कूड़ा घरों एवं अन्य सफाई के स्थानों पर चूने का पाउडर निस्संक्रामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe** % वर्ष 2016–17 में कुल 14765 बैग (प्रत्येक बैग 25 किलोग्राम) व वर्ष 2017–18 में 13700 चूना पाउडर

बैग उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बिछाया गया है जिन पर क्रमशः 24,06,695 व 16,62,495 रुपये की राशि व्यय की गई।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सफाई कार्यों हेतु वर्ष 2016—17 में 3375 क्विंटल चूना कुल कीमत 22,86,000/— एवं वर्ष 2017—18 में 2500 क्विंटल चूना 20,62,500/— की कीमत में खरीदा गया है।

iwoh fnYyh uxj fuxe % वर्ष 2016—17 व 2017—18 के दौरान इसके लिए प्रयोग की गई मात्रा निम्न प्रकार है।

वर्ष	मात्रा (लगभग कि.ग्रा.)	राशि (लगभग रुपये लाख में)
2016—17	4 लाख	28.75
2017—18	4.5 लाख	31.80
कुल योग	8.5 लाख	60.55

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % चुने का प्रयोग रोगाणुओं से मुक्ति के लिए सफाई कार्यों में किया जाता है।

iwoh fnYyh uxj fuxe % वर्तमान में इस तरह की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % चुने का प्रयोग रोगाणुओं से मुक्ति के लिए सफाई कार्यों में किया जाता है।

iwoh fnYyh uxj fuxe % लागू नहीं।

296- lqJh jk[kh fcMyk % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्नकर्ता द्वारा मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित कौन–कौन से एस्टीमेटस दिसम्बर, 2017 से शहरी विकास विभाग में लम्बित हैं; पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) लगभग ढाई महीने बीतने के पश्चात् भी उपरोक्त सारे एम्टीमेटस ग्राउण्ड पर नहीं आ पाने के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या एस्टीमेस भेजने के पश्चात् इसको क्लीयर होने की कोई टाइम लिमिट है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इतने लम्बे समय तक विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य न हो पाने का दायित्व किसका है?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- yS.M½ %** 13 दिसम्बर, 2017 के बाद शहरी विकास विभाग में मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 06 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और सिर्फ 02 प्रस्ताव लंबित हैं जिनकी अनुमानित लागत 68.28 लाख रुपये है।

(ख) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,-yS.M½ %** डूडा (उत्तर–पश्चिम), राजस्व विभाग से एम.एल.ए. लैड योजना की शेष राशि, शहरी विकास विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,-yM½ %** मौजूदा एम.एल.ए. लैड दिशानिर्देशों के अंतर्गत कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

(घ) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,-yM½ %** उपरोक्त 'ग' के संदर्भ में लागू नहीं है।

(ङ) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,-yM½ %** प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त उसका परीक्षण ***(Examination)*** किया जाता है। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसका निष्पादन एजेंसी ***(Executive Agency)*** से निराकरण कराया जाना आवश्यक हो जाता है।

(च) **'kgjh fodkl ¼,e-,y-,- yM½ %** 13.12.2017 से पहले एम.एल.ए. लैड योजना डूडा द्वारा क्रियान्वित की जाती थी परन्तु इसके उपरान्त यह योजना शहरी विकास विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। डूडा से शेष धनराशि प्राप्त होने में समय लग रहा है।

297- lqjh jk[kh fcM+yk % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित कतरन मार्केट के पास एक पार्किंग है;

(ख) क्या पार्किंग एमसीडी द्वारा ऑथराईज्ड है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त पार्किंग जब ओथराईज्ड हुआ, एवं कब इसका टेन्डर कॉल किया गया; और

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण डाक्युमेंट के साथ उपलब्ध करें?

'kgjh fodkl e=h ¼ (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe ½** हां।

(ख) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe ½** हां।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe ½** उपरोक्त पार्किंग श्री पवन कुमार (पार्किंग ठेकेदार) को 23.12.2016 से 2+2 वर्षों (संभावित विस्तार) के लिए आबंटित की गई है। इसका ई–ऑक्शन दिनांक 13.10.2016 को हुआ था।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe ½** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पार्किंगों का आबंटन ई–ऑक्शन द्वारा उच्चतम बोलीदाता को दिया जाता है। संबंधित दस्तावेज संलग्न है।[1]

298- lJh Hkkouk xkM+ ½ क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन उप नियमों के अनुसार दिल्ली में बहुमंजिला भवनों की अधिकतम निर्धारित उंचाई कितनी है;

(ख) पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राज नगर, पालम गांव, महावीर एन्क्लेव, मधु विहार, हरिजन बस्ती, रामफल चौक के पास इस निर्धारित उंचाई के कौन–कौन से भवन बनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कुछ भवन–निर्माताओं/बिल्डर्स द्वारा इन भवनों की पार्किंग के स्थान में भी छोटे फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भवन निर्माण के नियमों के उल्लंघन नहीं हैं; और

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ङ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भवन–निर्माणों में दोषी भवन–निर्माताओं/बिल्डर्स के विरूद्ध क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** बहुमंजिला भवनों की ऊंचाई–6 यूनिफाईड बिल्डिंग बाईलॉज–2016 के अनुसार निम्नलिखित हैः–

1. ग्रुप हाउसिंग–ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)
2. रात आश्रय–26 मीटर
3. स्टूडियों अपार्टमन्ट–ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)
4. सामुदायिक केन्द्र, जिला केन्द्र–उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)
5. व्यवसायिक प्लांट– ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)
6. होटल, मोटल– ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)
7. फ्लैटिड समूह उद्योग–26 मीटर
8. जिला न्यायालय–ऊंचाई प्रति प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)

9. अस्पताल–ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग, डी.एम.ए., एन.एम.ए. तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)

10. अन्य अस्पताल सुविधाएं–26 मीटर

11. प्राईमरी स्कूल/उच्चतम माध्यमिक विद्यालय–18 मीटर

12. विश्वविद्यालय/उच्चतम माध्यमिक विद्यालय–37 मीटर

13. खेल कूद–ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)

14. सामाजिक सांस्कृति सुविधाएं, 26 मीटर

15. विज्ञान केन्द्र–26 मीटर

16. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र– ऊंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए. आई/अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद)

17. अन्य सामाजिक केन्द्र–26 मीटर

18. सार्वजनिक अर्ध–सार्वजनिक–26 मीटर

19. धार्मिक स्थल (शहरी विस्तार में उप शहर का स्तर)–26 मीटर

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** इस संबंध में भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का कोई विशष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्तानुसार।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** हां, उपरोक्तानुसार।

(ङ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % यह सूचित किया जाता है कि अनाधिकृत निर्माण के बारे में भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2018 से 19.03.2018 41 निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। (उपरोक्त प्रश्न 'ख' में दिखाए गए वार्डों के अनुसार)

299- l|Jh Hkkouk xkSM+ % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में पालम वार्ड के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने मेन रोड पर लगभग 700 गज जमीन पर बेसमेंट सहित बिल्डर–फ्लैट्स एवं कमर्शियल–कॉम्लेक्स बनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भवन बिल्डिंग–बाईलॉज के अनुसार बनाई जा रही है;

(ग) इस भवन में पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) इस भवन के निर्माण के लिए पानी की आपूर्ति कहां से की गई थी;

(ङ) क्या इस भवन में सीवर–कनेक्शन भी दिया गया है;

(च) क्या पालम विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के अन्य भवन भी बन रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के रिकार्ड के अनुसार, डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत इस प्रोपटी पर कार्यवाही कर दी गई है।

(ख) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % जी नहीं।

(ग) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % उपरोक्त भवन निर्माण के अन्दर तहखाने के ऊपर ***(Stilt Floor)*** पार्किंग की व्यवस्था की गई है एवं भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के रिकार्ड के अनुसार डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत इस प्रोपटी पर कार्यवाही कर दी गई है।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % रिकार्ड के अनुसार, यह सूचना भवन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ङ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

(च) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % इस संबंध में इस भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। यदि अनाधिकृत निर्माण के बारे में भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत निर्माणकर्त्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

(छ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe** % इस संबंध में इस भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

300- lJh Hkkouk xkM+ % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साध नगर वार्ड में नसीपुर रोड़, कैलाशपुरी चौक के पास जे.बी.एम. पब्लिक स्कूल के सामने कुछ जमीन खाली पड़ी है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की देखरेख में है;

(ख) यदि हां, तो इस जमीन का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) इस जमीन की वर्तमान में क्या स्थिति है;

(घ) क्या यह सत्य है कि उक्त जमीन पर अवैध कब्जा है;

(ङ) यदि हां, तो यह अवैध कब्जा किन लोगों द्वारा किया गया है और कब्जा करने वालों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **fnYyh fodkl izkf/kdj.k %** हां, यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है।

(ख) **fnYyh fodkl izkf/kdj.k %** इस जीमन का क्षेत्रफल 3735 वर्ग मीटर है।

(ग) **fnYyh fodkl izkf/kdj.k %** 3735 वर्ग मीटर में से 780 वर्ग मीटर में कम्यूनिटी हॉल निर्माणाधीन है। बाकी जमीन रिक्रेशन सेन्टर के लिए है।

(घ) **fnYyh fodkl izkf/kdj.k %** उक्त जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है।

(ङ) **fnYyh fodkl ikf/kdj.k %** उपरोक्त उत्तर 'घ' के अनुसार लागू नहीं है।

(च) **fnYyh fodkl ikf/kdj.k %** उपरोक्तानुसार।

301- I|Jh Hkkouk xkM+ % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डी.डी.ए. कॉलोनियों में मास्टर प्लॉन 2021 का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) क्या डी.डी.ए. की कॉलोनियों में भवन निर्माण हेतु नक्शा पास करवाना जरूरी है;

(ग) क्या ये नक्शे दिल्ली नगर निगम द्वारा पास किए जाते हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि डी.डी.ए. स्वीकृत कॉलोनियों में भी बिल्डर के सहयोग से मकान बन रहे हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि एक ही फ्लोर पर सारी सुविधाएं देने के लिए सारा एरिया कवर किया जा रहा है;

(च) क्या यह सत्य है कि नियमानुसार डी.डी.ए. स्वीकृत कॉलोनियों में घर के बाहर का हिस्सा कवर नहीं किया जा सकता; और

(छ) क्या यह भी सत्य है कि अधिकांश लोगों ने अपने घर के बाहर का हिस्सा कवर करके बाकायदा ग्रिल लगाकर पक्की पार्किंग बना ली है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **fnYyh fodkl ikf/kdj.k %** यह सत्य नहीं है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं उन कॉलोनियों में यदि कोई भवन मास्टर प्लान–2021/भवन उप–नियमों के उल्लंघन में पाया जाता है तो उस भवन विरूद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % डी.डी.ए. द्वारा विकसित कॉलोनियों में भवन निर्माण करने से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक है। डी.डी.ए. से नगर निगम को कॉलोनी ट्रांसफर होने के बाद नगर निगम नक्शा स्वीकृत करता है तथा इससे पहले डी.डी.ए. ही नक्शा स्वीकृत करता है। कॉलोनी ट्रांसफर होने के बाद भवन निर्माण में मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ख) **fnYyh fodkl ikf/kdj.k %** भवन निर्माण हेतु नक्शा पास करवाना जरूरी है।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % जी हां।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जी हां।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी दिल्ली, नगर निगम को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं उन कॉलोनियों का नक्शा उ.दि.न.नि. द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं उन कॉलोनियों का नक्शा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(घ) **nf{k.kh fnYyh uxj fuxe %** यदि कोई भवन मास्टर प्लान–2021/भवन उप–नियमों के उल्लंघन में पाया जाता है तो उस भवन विरूद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % नक्शा स्वीकृत कराते समय मालिक को बताना होता है कि उसका किसी बिल्डर से भवन निर्माण के लिए इकरारनामा है कि नहीं।

(ङ) **fnYyh fodkl ikf/kdj.k %** इस विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % मास्टर प्लॉन 2021 के अनुसार किसी भी फ्लोर पर अधिकतम फ्लोर एरिया निर्धारित है। इस सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

(च) **fnYyh fodkl ikf/kdj.k %** इस विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित हो चुकी हैं उन कॉलोनियों में सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है यदि ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % किसी भी कॉलोनी में घर के बाहर सड़क पर कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते।

(छ) **fnYyh fodkl izkf/kdj.k %** इस विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रावधन नहीं दिया जाता।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % उपरोक्त 'च' के अनुसार।

iwohZ fnYyh uxj fuxe % घर के बाहर सड़क पर इस तरह का निर्माण पाए जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

302- Jh fot; xks;y % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितना अनाधिकृत कॉलोनियां हैं;

(ख) सरकार ने अपने तीन वर्ष में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित की हैं;

(ग) इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या 2020 तक सभी अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का वायदा किया था;

(च) क्या यह सत्य है कि सरकार ने जल्द ही इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का ऐलान किया था;

(छ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

'kgjh fodkl e=h % (क) **'kgjh fodkl ¼vukf/kÑr dkWyksuh½ %** संशोधित दिशानिर्देश 2007 के अनुसार शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार को वर्ष 2007–2008 में 1797 आवेदन प्राप्त हुए थे और वर्ष 2013 में 244 विस्तारित लाल डोरा आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल कितनी अनाधिकृत कालोनियां हैं इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkWyksuh½ %** दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 01.01.2015 के द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के अस्तित्व में आने के तिथि 31.03.2002 से 01.06.2014 और अनाधिकृत कॉलोनियों में पचास प्रतिशत को अनिवार्यता की तिथि 02.02.2007 से 01.01.2015 कर दी। दिल्ली सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के विनियमन दिनांक 24.03.2008 और संशोधित दिशा निर्देश 2007 को बदलने/संशोधित करने का प्रस्ताव शहरी विकास और आवास मंत्रालय, भारत सरकार में लम्बित है। उक्त मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से सभी अनाधिकृत कालोनियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। जिसे राजस्व विभाग से जुटाया जा रहा है।

अनाधिकृत कालोनियों का नियमित करने की प्रक्रिया शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के संशोधित विनियमन जारी होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(ग) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½ %** उपरोक्तानुसार।

(घ) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½ %** उपरोक्तानुसार समय सीमा बताना इस समय उचित नहीं है।

(ङ) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½ %** शहरी विकास विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½ %** शहरी विकास विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(छ) **'kgjh fodkl ¼vukfèkÑr dkyksuh½ %** उपरोक्तानुसार।

303- Jh fotUæ xqIrk % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले तीन माह से दिल्ली में सीलिंग जारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने व्यापारियों को इससे राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या व्यापारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार का इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है;

(घ) माननीय उपराज्यपाल से 8 फरवरी को मंजूरी मिलने के बाद भी 351 सड़कों को सीलिंग से राहत देने की फाइल पर अब तक कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार मॉनिटरिंग कमेटी से बातचीत कर व्यापारियों को राहत देने के बारे में विचार कर रही है?

'kgjh fodkl ea=h % (क) **iwohZ fnYyh uxj fuxe** % जी हां।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % जी हां।

mÙkjh fnYyh uxj fuxe % जी हां।

(ख) **'kgjh fodkl ¼fun's'kd LFkkuh; fudk;½** % सरकार इस विषय में अंतरिम आवेदन माननीय मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों पर सिलिंग के विषय में छूट देने के लिए अंतरिम आवेदन फाईल कर चुकी है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % डी.डी.ए. ने मास्टर प्लॉन में संशोधन करके व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की परन्तु यह संशोधन सर्वोच्च न्यायलय में विचाराधीन है।

(ग) **'kgjh fodkl ¼fun's'kd LFkkuh; fudk;½** % उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % इस विषय में डी.डी.ए. एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा एफिडेविट फाईल किये जा चूके हैं।

(घ) **'kgjh fodkl ¼fun'kd LFkkuh; fudk;½ %** सरकार इस विषय में अंतरिम आवेदन माननीय मौनटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों पर सिलिंग के विषय में छूट देने के लिए अंतरिम आवेदन फाईल कर चुकी है।

nf{k.kh fnYyh uxj fuxe % दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 04.05.2007 को 307 सड़कें एवं दिनांक 07.05.2007 को 44 सड़कें स्टैंडिंग कमेटी से पास कराकर तथा तत्पश्चात् निगम से स्वीकृत करवाकर 351 सड़कों (307+44) के जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका जबाव भी नियम के द्वारा दिल्ली सरकार को भेज दिया गया था।

(ङ) **'kgjh fodkl ¼fun'kd LFkkuh; fudk;½ %** ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग की जानकारी में नहीं है।

304- Jh lkjHk Hkkj}kt % क्या **'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगदम्बा कैम्प पर नाले की सफाई के लिये कौन सा विभाग जिम्मेदार है;

(ख) जगदम्बा कैम्प पर नाले के पुनः निर्माण के लिये आवश्यक पुलिस बल प्रदान करने हेतु यदि दिल्ली पुलिस के उपायुक्त सहयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या डीयूएसआईबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस मामले की चर्चा पुलिस आयुक्त अथवा मुख्य सचिव से की हैं;

(ग) यदि हां, तो एतद संबंधी पत्राचार फाईल, नोटिस, मीटिंग–मिनिटस की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायें;

(घ) क्या यह सत्य है कि सड़क के किनारे प्रायः लोहार का काम करते हुये दिखने वाले लोहार बंजरों के पुनर्वास के लिये नीति पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार की इस जन नीति के पुनर्वास हेतु क्या योजना है;

(च) डीयूएसआईबी के पास जगदम्बा कैम्प नाला के सम्बन्ध में 1 मार्च, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(छ) डीयूएसआईबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की हैं। एतद सम्बन्धी फाइल नोटिस की प्रति उपलब्ध कराएं;

(ज) एसडीएमसी से चिराग दिल्ली का सामुदायिक केन्द्र लेने के लिए डीयूएसआईबी द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनसे संबंधित फाइल नोटिंग्स उपलब्ध कराएं?

'kgjh fodkl e=h % (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (दक्षिणी क्षेत्र)

(ख) माननीय विधायक महोदय ने पत्र दिनांक 11.03.2016 द्वारा नाले के पुनर्निर्माण कार्य की योजना बनाने से पहले यह आश्वासन दिया था की झुग्गी वासी स्वयं अतिक्रमण हटा लेगे। परन्तु जब कार्य शुरू किया गया तो नाले के पुनर्निर्माण को सुचारू रूप से चलाने के लिए झुग्गी वासियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया जिसकी वजह से कार्य में व्यवधान आया। इसकी सूचना माननीय विधायक जी को पत्र दिनांक 25.05.2017 को दे दी गई थी। इसके बाद माननीय विद्यायक जी के साथ मौखिक विचार विमर्श के बाद पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का निर्णय हुआ।

इसके बाद डीयूएसआईबी द्वारा नाले पर से अतिक्रमण हटाने के लिये पत्र दिनांक 19.08.2017, 24.08.2017, 07.09.2017, 14.09.2017 एवं 20.11.2017 द्वारा 5 बार प्रोग्राम तय किया गया जो पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने को कारण निष्पादित नहीं हो पाया। इस विषय पर अभी तक पुलिस आयुक्त अथवा मुख्य सचिव से चर्चा नहीं हुई है।

(ग) पत्र दिनांक 11.03.2016, दिनांक 25.05.2017 एवं 5 बार प्रोग्राम तय करने के पत्र दिनांक 19.08.2017, 24.08.2017, 07.09.2017, 14.09.2017 एवं 20.11.2017 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। अनुलग्नक–अ

(घ) सड़क के किनारे प्रायः लोहार का नाम करते हुये दिखने वाले लोहार बंजरों के पुनर्वास के लिये अलग से कोई नीति नहीं है। परन्तु यदि ये लोहार झुग्गी समूह में रहते हैं तथा दिल्ली स्लम एवं जेजे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2015 की शर्तो को पूरा करते है तो दिल्ली शाहरी आश्रय सुधार बोर्ड सम्बंधित भूस्वामी संस्था के अनुरोध पर बोर्ड की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, दिल्ली स्लम एवं जे जे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2015 के अंतर्गत अग्रिम पुनर्वास राशि प्राप्त होने के पश्चात् पुनर्स्थापन का कार्य करता हैं।

(ङ) वर्तमान में इस श्रेणी के पुनर्वास हेतु अलग से कोई योजना नहीं है।

(च) कुल दो शिकायतें प्राप्त हुई। कॉपी संलग्न हैं।

(छ) शिकायतें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्बोधित न हो कर सम्बधित अधिशासी अभियन्ता को थी, इसलिए इन शिकायतों पर की गई

कार्यवाही का विवरण शिकायतकर्ता को संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र दिनांक 25.05.2017 के माध्यम से सूचित कर दिया गया कि नाले की सफाई का कार्य दक्षिणी दि.न.नि. के अन्तर्गत है। उपायुक्त दक्षिणी दि.न.नि. (दक्षिणी क्षेत्र) को भी नाले की सफाई के विषय में पत्र लिखे गये। (प्रतिलिपियां संलग्न हैं) अनुलग्नक–ब। इस बारे में अधिशासी अभियन्ता द्वारा फाईल/नोटिंग नहीं बनाई गई हैं।

(ज) संलग्न है। (अनुलग्नक–स)[1]

305- Jh iadt i"dj % क्या **'kgjh fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के मलका गंज वार्ड के अन्तर्गत आने वाली डूसिब के कितने कटरों का मूल स्वरूप खत्म करके बिल्डर माफिया द्वारा वर्तमान में फ्लैट बना दिए गए हैं, कृपया सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) कितने कटरों की स्थिति खतरनाक या दयनीय है, कृपया पूरी सूची उपलब्ध कराएं;

(ग) इन कटरों के पुनर्निर्माण की विभाग की क्या योजना है;

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ मामलों में जिन कटरों का पुनर्निर्माण अप्रैल, 2015 के बाद किया गया है, उन पर भी पूर्व विधायक, संसद सदस्य या निगम पार्षद द्वारा पुनर्निर्माण किए जाने के पत्थर लगे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(च) ऐसे मामलों में तथ्यात्मक जानकारी देने की सरकार की क्या योजना है?

'kgjh fodkl e=h % (क) अभी तक ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब अवैध निर्माण की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी सूचना पुलिस व उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कार्यवाही हेतु भेज दी जाती है।

(ख) डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अनुसार किसी भी भवन को खतरनाक घोषित करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम के पास है।

क्षेत्रिय विधायक, कटरा निवासी, अन्य किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी गण द्वारा निरीक्षण के समय मरम्मत के योग्य पाये गये कटरों में विभाग द्वारा मरम्मत की कार्यवाही की जाती है वर्तमान में ऐसे कटरों की सूची निम्नलिखित हैः–

1. कटरा संख्या 1947 में कार्य प्रगति पर है।
2. कटरा संख्या 638 में निविदा प्राप्त हो गई है।
3. कटरा संख्या 3220 में निविदा प्राप्त हो गई है।
4. कटरा संख्या 182 से 215 में आंकलन कर चैकिंग प्रक्रिया में है।

(ग) कटरों में पुनर्निर्माण की कोई योजना इस विभाग में नहीं है। सभी मरम्मत के कार्य दिल्ली सरकार की प्लान स्कीम ''स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमैन्ट व रिहैब्लिटेशन'' स्कीम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जाता हैं।

(घ) नहीं, 2015 के बाद कटरों में मरम्मत या नवीनीकरण के कार्यों में किसी भी पूर्व सांसद, विधायक या निगम पार्षद के नाम का पत्थर नहीं लगाया गया है। पूर्व सांसद, विधायक या निगम पार्षद के नाम के जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वे 2015 से पहले हुए कार्यों के समय के लगे हुए है।

(ङ) उपरोक्त उत्तर के दृष्टिकोण से लागू नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार।

306- l|Jh jk[kh fcMyk % क्या **'kgjh fodkl e|=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित डीयूएसआईबी के सभी टॉयलेट खण्डहर बन चुके हैं;

(ख) क्या डीयूएसआईबी के पास उपरोक्त टॉयलेटस के नव–निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों; और

(ङ) ऐसे टॉयलेटस को लेकर सरकार की क्या कार्य योजना हैं;

'kgjh fodkl e|=h % (क) जी, यह सत्य नहीं हैं। इस विधानसभा क्षेत्र मे डीयूएसआईबी का एक भी टॉयलेट खण्डहर अवस्था में नहीं हैं तथा सभी 9 टॉयलेट चालू और अच्छी अवस्था में पब्लिक के द्वारा प्रयोग में हैं।

(ख) क्योंकि डीयूएसआईबी के किसी भी टॉयलेट में नव निर्माण की जरूरत नहीं। इसलिये इस तरह की कोई भी योजना डीयुएसआईबी में प्रस्तावित नहीं है।

(ग) उपरोक्त उत्तर के दृष्टिकोण से लागू नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

307- Jh txnh'k i/kku % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने शराब के गोदाम कहां—कहां स्थित हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि शराब के गोदाम पूर्ण रूप से इंस्पेक्टर के अधीन होता हैं;

(ग) यदि हां, तो इंस्पेक्टरों को गोदाम पर किस आधार पर रखा जाता हैं;

(घ) एक गोदाम पर कितने इंस्पेक्टर रखे जा सकते है;

(ङ) क्या इसकी कोई गांइडलाइंस हैं;

(च) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या हैं।

(छ) वर्तमान समय में किस—किस इंस्पेक्टर को निरीक्षण हेतु कितने—कितने शराब के गोदाम दिए गए हैं?

mie[;e=h ¼ (क) दिल्ली में 88 शराब के गोदाम हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. भारत निर्मित विदेशी शराब—64 सूची **l yXud ^d***[1]

2. विदेशी शराब—18 सूची **l yXud ^[k***

3. देशी शराब—06 सूची **l yXud ^x***

(ख) जी नहीं। दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 88(1) के अन्र्तगत गोदाम के मामले में निरीक्षक और लाईसेन्सधारकों के संयुक्त ताला—चाबी के अधीन होता है। लेकिन गोदाम में शराब के स्टाक का आवागमन गोदाम निरिक्षक द्वारा सत्यापित दस्तावेज के द्वारा ही किया जाता हैं।

(ग) दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 85 के आधार पर रखा जाता हैं।

(घ) दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 85 के अन्तर्गत एक निरीक्षक को एक से अधिक गोदाम दिया जा सकता हैं।

(ङ) निरीक्षकों को कार्यालय आदेश के द्वारा लगाया जाता हैं।

(च) उपरोक्त 'च' के अनुसार।

(छ) सूची संलग्नक 'घ'

---

1. सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

308- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबकारी नियमों के अनुसार किसी शराब उत्पाद या अन्य किसी उत्पाद, जिसका नाम किसी शराब उत्पाद के समान हो, का इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रतिबंधित हैं;

(ख) इन नियमों के क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है;

(ग) जो अधिकारी इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके नाम व पदनाम क्या हैं;

(घ) क्या इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) प्राप्त शिकायतों में से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई और शिकायत के जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम क्या हैं;

(च) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जिम्मेदार अधिकारियों ने स्वतः ही कंपनी द्वारा किए गए नियम–उल्लंघन का संज्ञान लिया हो; और

(छ) उक्त में से प्रत्येक मामलें में क्या कार्रवाई की गई?

mie[;e=h % (क) प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में शराब उत्पाद या अन्य किसी उत्पाद जिसका नाम किसी शराब उत्पाद के समान हो, का विज्ञापन दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियमों 26, 27, 28 तथा 29 के तहत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

fu;e 26- fiiV ehfM;k ¼i=&if=dkvk½ e foKkiu ij ifrc/k ¶ कोई व्यक्ति किसी समाचार–पत्र, पुस्तक, पुस्तिका, इश्तहार अथवा किसी अन्य प्रकाशन में शराब या मादक दवा या शराब के किसी ब्रैंड के समान नाम वाले किसी अन्य उत्पाद के इस्तेमाल अथवा पेशकश को दर्शाने वाला कोई विज्ञापन या कोई अन्य सामग्री प्रकाशित अथवा अन्यथा प्रदर्शित या वितरित नहीं करेगा।

fu;e 27- byDVkfud ehfM;k e foKkiu ij ifrc/k ¶ कोई व्यक्ति अपने शराब उत्पाद अथवा शराब उत्पाद के समान नाम वाले किसी अन्य उत्पाद को इलेक्ट्रोनिक मीडिया में तब तक विज्ञापित नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा विज्ञापन केवल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रोग्राम कोड (कार्यक्रम संहिता) और ऐडवरटाइजमेंट कोड (विज्ञापन सहित) के अनुरूप न हो।

fu;e 28- 'kjkc d foKkiu okyh lkexh d ilkj ij ifrc/k ¶ कोई व्यक्ति दिल्ली से बाहर मुद्रित और प्रकाशित किसी ऐसे समाचार–पत्र, पुस्तक, पुस्तिका, इश्तहार अथवा अन्य प्रकाशन का प्रसार, वितरण या बिक्री नहीं करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती नियम में वर्णित स्वरूप का कोई विज्ञापन या सामग्री निहित हो।

fu;e 29- fon'kh fiUV ehfM;k ¼i=&if=dkvk½ dk foKkiu ifrc/k l NV ¶ नियम 26 और 28 के प्रावधान भारत से बाहर मुद्रित या प्रकाशित किसी अखबार, पुस्तक या पत्रिका पर लागू नहीं होंगे।

(ख) समय–समय पर इनफोर्समेंट एक्टिविटी कराई जाती हैं।

(ग) इन नियमों के पालन की जिम्मेदारी कानूनन लाईसेंस धारियों की हैं। समय–समय पर या शिकायत मिलने पर प्रर्वतन शाखा द्वारा इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कदम उठायें जाते हैं।

प्रर्वतन शाखा में तैनात अधिकारी व निरीक्षकों की सूची **l|yXud ^d*** पर हैं।

(घ) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(च) ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

vu|yXud ^d*

The following officer/inspectors working at Enforcement Branch:–

Sl. No.	*Name of the Enforement ASSITT. COMMR./Inspector*
1.	*Shri Sanjeev Kumar Sharma, Ac (Enforcement).*
2.	*Shri Neeraj Vats, INSP.*
3.	*Shri Laxmi Narain, INSP.*
4.	*Shri Jitender Singh, INSP.*
5.	*Raj Kumar Yadav, INSP.*

Sl. No.	*Name of the Enforement ASSITT. COMMR./Inspector*
6.	***Shri Vijay Raj, INSP.***
7.	***Shri Rajesh Vij, INSP.***
8.	***Shri Sanjay Singh, INSP.***
9.	***Shri Sanjay Kumar, INSP.***
10.	***Shri Praveen Bhardwaj INSP.***
11.	***Shri Narender Tokas INSP.***
12.	***Shri Ashok KR. Molri, INSP.***
13.	***Shri Ramesh Chand, INSP.***

309- Jh vt'k ;kno % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महिला आयोग से शराब की जिन दुकानों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) क्या प्रत्येक शिकायत की जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो जांचकर्ता अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या विभाग ने किसी शराब की दुकान को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी उल्लंघनकर्ता दुकान विवरण क्या हैं; और

(च) उन अधिकारी का नाम क्या है जिसने लाइसेंस हेतु मानक–अनुकूलता की दृष्टि से दुकान का निरीक्षण किया था?

mie[;e=h % (क) दिल्ली महिला आयोग द्वारा नवम्बर, 2016 के पश्चात सूची 'क' में उल्लिखित शराब की दुकानों के विरूद्ध शिकायते प्राप्त हुई हैं। सूची **lyXud ^d***[1]

(ख) जी हां।

(ग) जांचकर्ता अधिकारियों के नामों की सूची **lyXud ^[k*** पर हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

(च) लाइसेंस हेतु मानक–अनुकूलता का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की सूची **lyXud ^x*** पर हैं।

lyXud ¼d½

Sl. No.	*Licnese*	*Vend Details*
1.	*L-7*	*Sardar Singh Bhatti at Ground floor, Pankaj Conner, Plaza 3 LSC Plot No. 8 Mandawali Delhi*
2.	*L-6 (DSIIDC)*	*Shop MM Plaza CSC, Pocket -16 Sector -20, Rohini, Delhi*
3.	*L-8 (DSIIDC)*	*Shop MM Plaza CSC, Pocket -16 Sector -20, Rohini*
4.	*L-8 (DTTDC)*	*Shop No 15/2, RBC, Nangal Raya, Delhi*
5.	*L-6 (DTTDC)*	*Shop No. G-21, Ground Floor, Pocket J, Sector -5 Vardhman Mall Bawana, Delhi*

1. सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

Sl. No.	License	Vend Details
6.	L-10	M/s Origin Appliances Pvt. Ltd. Shop no. A-23,24,25,28;29,30 DD Mai Bawana, Delhi
7	L-12 (Departmental Store)	M/s Adharv Enterprises, Shop No, C-30, Block-C, Community Centre, Janakpuri, New Delhi-58
8	L-12 (Departmental Store)	M/s Sequence Galary, C-24, GF, Community Centre, Janakpuri, Delhi-58
9	L-6 (DTTDC)	1 Janak Cinema Complex, Janakpuri Delhi
10	L-9	M/s United Brewery Ltd. 31, Block C, Community Centre Janakpuri Delhi

lyXud ¼[k½

List of officials inspected the Liauor vends on complaints from Delhi Commission for Women.

1. Sh. Rajesh Kumar, Asstt. Commissioner (Excise)
2. Sh. JMS Rawat, Excise Inspector
3. Sh. Sanjay Kumar, Excise Inspector
4. Sh. Raj Kumar Yadav, Excise Inspector
5. Sh. Sanjay Kumar, Excise Inspector
6. Praveen Kumar, Excise Inspector
7. Sh. Ritesh Raj, EIB staff
8. Officials of M/s. DTTDC

lyXud ¼d½

List of site inspection officials for grant of license.

1.	*Sh. N.K. Kohli, DEO (Enf)*
2.	*Sh. P.C. Seth, DEO (Enf)*
3.	*Sh. A.K. Trivedi, D.E.O.*
4.	*Sh. K.K. Gaur, D.E.O.*
5.	*Sh. O.P. Panday, Assistant Commissioner (Excise)*
6.	*Sh. Kumar Rahul, Assistant Commissioner (Excise)*
7.	*Sh. M.B. Vijh, Asssitant Commissioner (Excise)*
8.	*V. James, Excise Inspector*
9.	*Rakesh Singhmaar, Excise Inspector*
10.	*Sh. Ravinder Kumar, A.E.T.O.*
11.	*Sh. Sanjay Sharma, A.L.T.O.*
12.	*Sh. Somveer, Suptt. (Excise)*
13.	*Ms. Hemlata, Excise Inspector*
14.	*Sh. Sunil Atal, Excise Inspector*
15.	*Sh. Varun Anand, Excise Inspector*
16.	*Sh. Rakesh Kumar, Excise Inspector*
17.	*Sh. Subhash Chand, Excise Inspector*
18.	*Sh. M.S. Sridhar, Delhi Tourism*
19.	*Sh. A.B. Shukla, Collector of Excise*
20.	*Ms. Renu Sharma, SDM Punjabi Bagh*
21.	*Sh. A. S. Rawat, Excise Inspector*
22.	*Sh. Vimal Malhotra, Div. Manager, DSIIDC*

310- Jh fo'k"k jfo % क्या **mieq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 10 वर्षों में शराब की दुकानों के कारण जनता को होने वाली परेशानी से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत 10 वर्षों में शराब की दुकानों के विरूद्ध आबकारी नियमों के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दस वर्षों में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है जिनकी जांच कराई गई;

(घ) जांच/निरीक्षण करने वाले अधिकारी के नाम सहित वर्षवार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) विगत दस वर्षों में प्राप्त ऐसी कितनी शिकायतों पर जांच नहीं कराई गई; और

(च) वे कौन–से अधिकारी थे जिन्होंने यह निर्णय किया कि इन शिकायतों में जांच कराने की आवश्यकता नहीं हैं?

mieq[;ea=h % (क) से (ग) सामान्यतया दुकान के विरूद्ध होने वाली शिकायतों की जांच प्रवर्तन शाखा के द्वारा की जाती हैं। तथा इन शिकायतों का संकलन वर्षवार, व शीर्षक बार नहीं किया जाता हैं। प्रवर्तन शाखा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 407 शिकायतों पर जांच की कार्यवाही नियमानुसार की गयी।

(घ) प्रवर्तन शाखा के निरीक्षको के दल इन शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त किये जाते हैं। विगत वर्षों में प्रवर्तन शाखा में तैनात निरीक्षकों की सूची संलग्न हैं। **l;yXud ^^d****

(ङ) इस तरह का कोई मामला इस विभाग के संज्ञान में नहीं हैं।

(च) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

l;yXud ^d*

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री संजय सिंह	निरीक्षक
2.	श्री संजय कुमार	निरीक्षक
3.	श्री राजकुमार यादव	निरीक्षक
4.	श्री निरज वत्स	निरीक्षक
5.	श्री विजय राज	निरीक्षक
6.	श्री जितेन्द्र सिंह	निरीक्षक
7.	श्री राजेश विज	निरीक्षक
8.	श्री अशोक मोरली	निरीक्षक
9.	श्री परवीन भारद्वाज	निरीक्षक
10.	श्री नरेन्द्र टोकस	निरीक्षक
11.	श्री लक्ष्मी नारायण	निरीक्षक
12.	श्री रमेश कुमार	निरीक्षक

क्र.सं.	नाम	पद
13.	श्री अशोक बंसल	निरीक्षक
14.	श्री राजेश बत्रा	निरीक्षक
15.	श्री जय कुमार	निरीक्षक
16.	श्री जगमोहन सिंह रावत	निरीक्षक
17.	श्री सुधीर कुमार	निरीक्षक
18.	श्री विकटर	निरीक्षक
19.	श्री नफिस अहमद	निरीक्षक
20.	श्री मनोज कुमार	निरीक्षक
21.	श्री वरूण आनंद	निरीक्षक
22.	श्री अजय तिवारी	निरीक्षक
23.	श्री जगजीत सिंह	निरीक्षक
24.	श्री विरेन्द्र कुमार	निरीक्षक
25.	श्री ब्रिजेश तायल	निरीक्षक
26.	श्री हरकेश कुमार	निरीक्षक
27.	श्री सुभाष	निरीक्षक
28.	श्री अनिल कुमार	निरीक्षक
29.	श्री गोपीनाथन	निरीक्षक
30.	श्री दिनेश चन्दर	निरीक्षक

क्र.सं.	नाम	पद
31.	श्री अमित शर्मा	निरीक्षक
32.	श्री अमित डबास	निरीक्षक
33.	श्री संजय भाटिया	निरीक्षक
34.	श्रीमती उपनिता चौहान	निरीक्षक
35.	सुभाष चन्द	निरीक्षक
36.	श्री बुधराज सिंह	निरीक्षक
37.	श्री ओमप्रकाश	निरीक्षक
38.	श्री शैलेन्द्र कुमार	निरीक्षक
39.	श्री जुगराज	निरीक्षक
40.	श्री सुरेन्द्र सिंह	निरीक्षक
41.	श्री डी.के. सचदेवा	निरीक्षक

311- Jh iadt iq"dj % क्या **mieq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हैं कि स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास एक निश्चित दूरी के अन्तर्गत शराब की दुकानों को लाईसेन्स नहीं दिए जा सकते;

(ख) यदि हां, तो तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हडसन लेन, विजयनगर के पास नगर निगम के प्राथमिक स्कूल के गेट के एकदम पास शराब और बार के लाईसेन्स क्यों दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त संदर्भ में प्राथमिक स्कूलों को स्कूल नहीं माना जाता;

(घ) यदि हां, तो इस नीतिगत विसंगति को दूर करने के मामले में सरकार की क्या योजना हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि घनी आबादी के बीच स्थित शराब की दुकानों से स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है और उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता हैं;

(च) स्थानीय लोगों के विरोध की स्थिति में इन दुकानों को स्थानान्तरित करने या बन्द करने की सरकार की क्या नीति है;

(छ) क्या यह सत्य है कि शराब की दुकानों को लाईसेन्स देने में स्थानीय निवासियों की राय/अनुशंसा को नीति में स्थान देने के मामले में सरकार पहल कर रही हैं;

(ज) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण क्या हैं?

mie[;e=h % (क) जी हां। इन स्थलों से दूरी का निर्धारण दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 51(1) के अनुसार किया जाता हैं। नियम की प्रति **lyXud ^d*** पर हैं।

(ख) हडसन लेन, विजयनगर के पास नगर निगम के प्राथमिक स्कूल के पास बार के लाईसेंस दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 51(1) के अनुसार दिये गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) नियम 51(1) के प्रावधानों पर फिलहाल संशोधन की कोई योजना नहीं हैं।

(ङ) दिल्ली में शराब की दुकानों के लाईसेन्स तथा उनका अस्तित्व दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा लागू शर्तों के अनुसार हैं।

(च) दुकानों को नियम 22(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानातरित किया जाता हैं।

(छ) लाईसेंस देने की प्रक्रिया नियम अधिनियम के अनुसार की जाती हैं। फिलहाल स्थानिय निवासीयों की राय/अनुशंसा को नीति में स्थान देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ज) उपरोक्त ज के सन्दर्भ में लागू नहीं हैं।

lyXud ^d*

49. **,slh ifjfLFkfr esa ykblsal 'kqYd dk fjQaM tc foyEc ykblsal /kkjd ds dkj.k gqvk gksA**

(1) अगर किसी लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क का स्वरूप वार्षिक हो और लाइसेंस वित्त वर्ष प्रारंभ होने के बाद दिया गया हो, तो सरकार अगर वह इस बात से संतुष्ट हो कि विलम्ब लाइसेंसधारक के कारण नहीं हुआ है, देय शुल्क में उतरी राशि के बराबर छूट दे सकती है, जो लाइसेंस प्रदान करने से पहली तिमाही के लिए आनुपातिक राशि से अधिक न हो।

(2) जब कोई लाइसेंस किसी ऐसे कारण से रद्द किया गया हो, जो लाइसेंस की शर्तें, भंग किए जाने से भिन्न हो, तो लाइसेंसधारक को लाइसेंस की शर्त के अनुसार बकाया देय शुल्क के भुगतान से माफ किया जा सकता है और यदि शुल्क का भुगतान अग्रिम कर दिया गया हो, तो लाइसेंस की शेष अवधि के लिए आनुपातिक शुल्क रिफंड किया जायेगा।

50- lHkh ykblsalks ij ykxw lkekU; 'krsZ

इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक लाइसेंस इस शर्त के अधीन प्रदान किया जायेगा कि लाइसेंसधारक अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अपने लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों और समय–समय पर जारी आबकारी आयुक्त के आदेशों का अनुपालन करेगा और इस तरह के अनुपालन के लिए निर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट पद्धति से और निर्दिष्ट राशि के लिए प्रत्याभूमि प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी चाहे, तो लाइसेंसधारक प्रतिभू सहित या उसके बिना उतनी राशि के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा, जितनी कि सम्बद्ध प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए वांछनीय हो।

51- ykblsalhÑr ifjlj ls lEc) 'krsZ

(1) भारतीय शराब विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होगाः–

(क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान

(ख) धार्मिक स्थल,

(ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालः

परन्तु खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर ''पर'' शराब के सेवल संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगीः

परन्तु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद प्रदान किए जायेंगेः

परन्तु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देशी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

स्पटीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्रायः है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान।

स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढाचा।

स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के वास्तविक मुख्य प्रवेश/द्वारा के मध्य बिन्दु से उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) में वर्णित भवन या स्थलों के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के मध्य बिन्दु तक की पारणीय दूरी।

(2) लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस में निर्दिष्ट परिसरों, जिसे यहां बाद में ''लाइसेंसीकृत परिसरों'' कहा गया है, के सिवाय, अन्यत्र कहीं भी अपने लाइसेंस से संबंधित कोई व्यापार अथवा लाइसेंस के अंतर्गत बचने के लिए कोई शराब स्टोर नहीं करेगा या उसका अन्यथा लेन–देन नहीं करेगा। परन्तु, आबकारी आयुक्त, किसी मामले में लाइसेंसीकृत परिसर से भिन्न परिसर में शराब स्टोर करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। यह अनुमति निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने पर दी जायेगी और केवल ऐसे मामलों में दी जायेगी, जिनमें लाइसेंसीकृत परिसरों में अपेक्षित स्टॉक स्टोर करना अव्यवहारिक हो। मंजूरी देने से पहले आबकारी आयुक्त स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि प्रस्तावित स्थान भली–भांति सुरक्षित है और लोगों के उसमें दाखिल होने का कोई माध्यम नहीं है।

(3) लाइसेंसीकृत परिसर की स्थापना और रख–रखाव लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं की लागत पर किया जायेगा।

(4) आबकारी आयुक्त की अनुमति के सिवाय, शराब की बिक्री और स्टोरेज संबंधी किसी भी लाइसेंसीकृत परिसर का इस्तेमाल किसी अन्य व्यापार के लिए नहीं किया जायेगा। एक से अधिक लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों को अपने व्यापार के लिए अनिवार्यतः पृथक परिसर रखने होंगे। प्रत्येक लाइसेंस के अंतर्गत की गई बिक्री के लिए पृथक लेखा रखा जायेगाः

परन्तु, शराब के लाइसेंस के अंतर्गत बिक्री के लिए पृथक लेखा रखने संबंधी प्रावधान को छोड़कर यह उपनियम प्रारूप एल–12 में लाइसेंस रखने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पर लागू नहीं होगा।

312- Jh lkjHk Hkkj}kt ¼ क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बायोमैट्रिक पीओएस मशीनों के कारण राशन बांटने में असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से कितने लोगों को पीओएस मशीनों के कारण समय पर राशन नहीं मिला;

(ग) क्या पीओएस मशीनों के विषय में कैबिनेट के कोई फैसले हुए;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा दिया जाए;

(ङ) क्या कैबिनेट के किन फैसलों को लागू किया गया, सूची उपलब्ध करें;

(च) पीओएस से संबंधित कैबिनेट के जिन फैसलों को लागू नहीं किया गया, उसके कारण बताते हुए सूची उपलब्ध करें; और

(छ) ऊपर दिए गए कारणों की फाईल नोटिंग की कापी उपलब्ध करें?

mie[;e=h ¼ (क) जी हां। कुछ राशनकार्ड धारकों को बायोमैट्रिक सत्यापन फेल होने से राशन लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

(ख) विभाग ने उन सभी राशन कार्डधारियों को राशन दिया है जो राशन दुकान पर राशन लेने आयें।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली में पीओएस मशीन संबंधित निर्णय कैबिनेट के डिसिजन नं. 2481 दिनांक 20.06.2017 व कैबिनेट डिसिजन नं. 2555 दिनांक 20.02.2018 द्वारा लिया गया।

(ङ) डिसिजन नं. 2481 दिनांक 20.06.2017 को लागू कर दिया गया है।

(च) और (छ) कैबिनेट डिसिजन नं.–2555 दिनांक 20.02.2018 के अनुमोदन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः संबंधित फाईल विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

313- Jh txnh'k i/kku % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि राशन कार्ड धारकों के फिंगर प्रिंट मशीन से नहीं मिल रहे है;

(ख) राशन कार्ड धारकों के फिंगर प्रिंट मशीन से न मिलने की स्थिति में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो, इस हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है;

(ग) ऐसे कितने राशन कार्ड धारक हैं जिनके फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे है; और

(घ) इनके लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है?

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हैल्प लाइन नं. की जानकारी देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाये है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण दे;

mie[;e=h % (क) जी हां। कुछ राशनकार्ड धारकों को बायोमैट्रिक सत्यापन फेल होने से राशन लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

(ख) बायोमैट्रिक सत्यापन विफल होने पर लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

1. कार्डधारक की पहचान के लिए फिंगर प्रिन्ट, आंखों की छाप (***IRIS***) तथा ओ.टी.पी. ***(O.T.P)*** का प्रावधान है।
2. पी.ओ.एस. मशीन की केनेक्टीविटी दुरूस्त करने के लिए 2 सिम का प्रावधान किया है।
3. जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कमजोर है वहां पर वेव ऐन्टीना उपलब्ध कराई गई है।
4. पूरी दिल्ली में कोई भी कार्डधारी किसी भी दुकान से राशन ले सकता है।
5. कार्डधारी का सत्यापन नहीं हो पाता तो हस्त वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्डधारी को राशन दे दिया जाता है ऐसे मामलों की उचित दर दुकानदार बिक्री रजिस्ट्रर में आवश्यक प्रविष्टि करता है।

(ग) जनवरी माह में 31,199 तथा फरवरी माह में 19,998 फिंगर प्रिंट फेलियर हुए हैं।

(घ) बायोमैट्रिक विफल होने पर लाभार्थियों को राशन हस्त प्रणाली के माध्यम से देने के आदेश किये गये हैं। ऐसे मामलों की उचित दर दुकानदार बिक्री रजिस्ट्रर में आवश्यक प्रविष्टि करता है। साथ ही साथ विभाग ऐसे लाभार्थियों को आधार कार्ड दुरूस्त कराने व बनवाने में मदद करता है।

(ङ) जी नहीं क्योंकि हैल्प लाइन नं. 1967 एंव 1800–11–0811 वर्ष 2013 से अस्तित्व में है एवं यह सभी दुकानों के सूचना बोर्डों पर दर्शाया गया है। यह नं. विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(च) उपरोक्तानुसार।

314- Jh egsUæ xks;y % क्या **mieq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की उचित दर दुकान के उपभोक्ताओं को राशन उनके घर पर देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की लागू करने में क्या समस्याएं आ रही है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

mieq[;ea=h % (क) जी हां।

(ख) और (ग) राशन की घर द्वार डिलिवरी योजना को कैबिनेट द्वारा आदेश संख्या–2561 दिनांक 06.03.2018 को मंजूरी दे दी गई है जो अनुमोदन की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।

315- Jh ,l- d- cXxk ¼ क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में विभाग ने कितने राशन कार्ड बनाए है;

(ख) इस अवधि में कितने राशन कार्ड रद्द किए गए है;

(ग) राशन कार्ड रद्द करने के क्या कारण है;

(घ) नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है तथा इसमें कितना समय लगता है;

(ङ) दिल्ली में टोटल कितने राशन कार्डधारी है; और

(च) राशन कार्ड में अमेन्डमेन्ट की कितनी एप्लीकेशन पेन्डिंग हैं?

mie[;e=h ¼ (क) वर्ष–2016 में 3891 तथा वर्ष 2017 में 10418 राशन कार्ड बनाये गये।

(ख) इस अवधि में निम्नलिखित राशन कार्ड रद्द किए गए:–

2016–22691

2017–3969

(ग) राशन कार्ड रद्द करने के निम्नलिखित कारण है:–

1. लाभार्थी की आर्थिक स्थिति बढ़ने पर।

2. बिजली का लोड 2 किलोवाट से अधिक होने पर।

3. दिल्ली में ए से ई श्रेणी में जमीन के मालिक होने पर।

4. यदि परिवार के कोई सदस्य केन्द्रीय/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय निगम/स्वायत निकाय के कर्मचारी होने पर।

(घ) आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सर्कल कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् एफएसआई आवेदक के नामित पते पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और अनुमोदन/स्वीकृति के लिए एफएसओ को अग्रेषित करेगा। अगर एफएसओ संतुष्ट हो तो एनएफएस के तहत् राशन कार्ड को मंजूरी देगा। इन सब में 30 दिन का समय लगता है।

(ङ) पोर्टल पर उपलब्ध मार्च माह की एलोकेशन के लिए फ्रीजड डाटा के अनुसार दिल्ली में कुल 1941861 राशन कार्ड हैं।

(च) राशन कार्ड में अमेन्डेमेन्ट की 2955 एप्लीकेशन पेन्डिंग हैं।

316- Jh idt i"dj % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी राशन वितरण प्रणाली में वर्तमान में नई दुकान आबंटित किये जाने के लिए क्या–क्या जरूरी अहर्ताएं हैं और यह कब से लागू है;

(ख) नई दुकान के आकार आदि के भवन संबंधी मानक क्या है;

(ग) क्या दुकान के आकार आदि के ये मानक पहले से चल रही दुकानों पर अलग तरीके से लागू है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में एक समान कार्य कर रही पुरानी दुकानों एवं नये आवेदनकर्ताओ के बीच असमान मानक किस तरह न्यायसंगत है; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि अनियमितताओं के कारण कैंसिल हुई दुकानों के लिए जब नये आवेदन आते हैं तो उन पर नये आवेदनकर्ता को मानक अलग होने के कारण अधिक किराये के भवन को लेना पड़ता है, ऐसी स्थिति में ईमानदार तरीके से काम करने वाले आवेदनकर्ता के लिए दुकान चलना असंभव हो जाता है और अनियमितताओं के साथ चलने वाली पुरानी दुकानों का गठजोड़ बना रहता है; और

(च) उक्त विसंगति को दूर करने की सरकार की क्या योजना है?

mie[;e=h ¼ (क) वर्तमान में नयी दुकान आबंटित करने से संबंधित आदेश दिनांक 27.07.2015 से लागू है। इससे संबंधित जरूरी अहर्ताएं संलग्न हैं।

(ख) इससे संबंधित मानक 'क' के अनुसार संलग्न है।

(ग) और (घ) उचित दर दुकान का क्षेत्रफल पहले भी 15 वर्ग मीटर था तथा वर्तमान में भी 15 वर्ग मीटर ही है। पहले दुकान की माप 5 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर ऊंचाई थी जबकि अब दुकान का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर होती है।

(ङ) दुकानों का आबंटन उपरोक्त 'क' के अनुसार निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाता है।

(च) लागू नहीं।

ANNEXURE

Eligibility criteria for Issue of licence of Fair Price Shops (FPS) in Delhi

I A. General criteria:

(i) *An individual or partnership firm, limited liability partnership, companies incorporated under the Companies Act 2013. Women Self Help Group, self help group of educated unemployed youth, local authority, government, semi government organization, Non-Government Organisations (NGOs), Cooperatives, organized groups of ration card holders will be eligible to apply for an FPS license.*

(ii) *Non-Government Organisations and Groups of Ration Card Holders must be registered under the Societies Registration Act 1860 within the NCT of Delhi.*

B. Age:

(i) *In case of an individual, partnership, including the limited liability partnership, the person including all the partners should not be less than 18 years and more than 60 years of age.*

(ii) *In case of Self Help Groups, NGOs and other groups, there shall not be any member in the Group who is below 18 years of age and above 60 years of age.*

(iii) *In case of ex- servicemen, there will be relaxation of upto 5 years in the upper age limit in all categories.*

(iv) *the age shall be calculated on the last date of submitting application for a fresh license or renewal of an existing license.*

In any case upper age limit enhancement shall not be allowed.

C. Educational Qualifications:

(i) In case of an individual candidate, he must be at least class 10 pass from any recognized Board in India.

(ii) In case of Partnership, Limited Liability Partnership Women Self Help Group, Self Help Group of Educated Unemployed Youth Organized Groups of Ration Card Holders, NGOs, Cooperatives at least 2 members of the group or partnership must be class 10 pass.

(iii) In case of a Company, at least two of the Directors of the Company must be class 10 pass.

D. Financial Standing: The applicant must have an account in a bank branch in the NCT of Delhi.

2. Specification of Fair Price Shops.

Proposed premises to be used as FPS:-

(i) The proposed premises must be at least 15 square meters in area and must have a height of 3 metre.

(ii) In case of slums and colonies of F, G and H category, smaller premises of minimum 8 square metres will be considered provided that the applicant also has legal possession of a godown of at least 7.5 sq. meter size within one km distance of the proposed FPS.

(iii) In case of Mobile FPS, the capacity of the vehicle should be at least 3 metric tonnes and the applicant must also have valid possession of a godown of at least 15 sq. meters area with height of at least 2 meters.

(iv) In such cases of FPS requiring godown as per aforesaid guidelines, the license for the FPS and the godown will be issued together.

(v) The proposed premises should be situated on at least 12 feet wide road.

(vi) The applicant must have valid possession over the proposed premises and the godown wherever applicable.

(vii) The proposed premises should be a pakka structure and should not have more than one door and should not have any window or any other opening.

(viii) The applicant must be able to prove his possession over the premises either by ownership document, rent agreement, allotment letter or any other document.

(ix) There should be no atta chakki adjoining the proposed premises

3. Residence of the applicant

The applicant, except a Company, local body or a Government entity oust be the resident of the district in which the FPS is to be located. In case of group societies, at least 50% of the members of the group societies must be resident of the circle.

4. Disqualifications

The following shall not be qualified to obtain an FPS license:

a. Person of unsound mind

b. Proprietor or partner of a cancelled FPS or a Kerosene Oil Depot

c. If the applicant/his family member already has an FPS licence

d. The applicant convicted for an offence under the Essential Commodities Act 1955 or for any other offence under the Indian Penal Code or any other law in force in India from time to time.

In case of groups, disqualification of any member of the groups shall disqualify the entire group.

5. Preferential allotment: *While issuing the license for an FPS the preference will be given to the following:*

(i) Companies, Boards, Societies and other entities owned by the Government of NCT of Delhi and the Central Government

(ii) Local Bodies, Panchayat Raj Institutions.

(iii) Ration card holders groups representing at least 100 ration card holders.

(iv) Women Self Help Groups. Groups of unemployed youth.

(v) Physically handicapped person who are not totally incapable of running the FPS.

(vi) Ex servicemen.

(vii) Person having Graduate/Post Graduate educational qualification.

(viii) Cooperative Societies.

(ix) Nominated agency of the Government like Kendriya Bhandar. Person holding license of kerosene oil depot in the past.

I. Submission of the application

The application must be submitted in the prescribed proforma duly filled in along with the following documents

i. Proof of identity

ii. Proof of residence if the residential address is not mentioned in the identity proof

iii. ***Proof of educational qualification***

iv. ***Poof of legal possession of the proposed premises***

v. ***Copy of passbook or bank statement***

vi. ***If the application is being submitted under any preferential reserved category document showing that the applicant belongs to that particular category***

vii. ***copy of Aadhar card or Aadhaar enrollment slip containing the EID of the applicant***

viii. ***Self declaration that the applicant has read the terms and conditions and is eligible for getting an FPS licence.***

ix. ***Age proof***

Note: All the documents must be self attested by the applicant.

317- Jh fotUæ xlrk % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राशन की डोर स्टैप डिलीवरी प्रारंभ करने पर एक राशनकार्ड धारक को राशन पहुंचाने में लगभग कितना व्यय आएगा;

(ख) डोर डिलीवरी पर वर्ष 2018–19 में कितना व्यय आने का अनुमान है;

(ग) सरकार द्वारा इसकी भरपाई की क्या योजना है;

(घ) यदि सरकार को डायरेक्ट वैनिफिट ट्रांसफर करना पड़े तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) सरकार राशन दुकानों की व्यवस्था और डोर स्टैप डिलीवरी दोनों योजनाएं एक साथ कैसे चलाएगी?

mie[;e=h % (क) डोर स्टैप डिलीवरी पर कैबिनेट निर्णय संख्या–2561 दिनांक 06 मार्च, 2018, अनुमोदन की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) डीबीटी स्कीम को राज्य सरकार में लागू करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आटा चाहने वाले कार्डधारी को राशन वितरण डोर स्टेप डिलवरी से दिया जाएगा तथा आटा न चाहने वाले कार्डधारी के लिए राशन दुकानें की चलती रहेंगी तथा उन पर गेहूँ मिलेगा।

318- Jh fotUæ xIrk % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजधानी में कुल राशन कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड से लिंग करने के बाद कुछ राशन कार्ड नकली पाए गए है;

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है;

(घ) इस समय कितने राशनधारी कार्डों से राशन लिया जा रहा है;

(ङ) कितने राशन कार्डों से राशन नहीं लिया जा रहा है;

(च) सरकार ने ऐसे लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की है जो निर्धारित अवधि के बाद भी राशन नहीं लेते हैं;

(छ) सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कितने राशन कार्ड रद्द किये है;

(ज) इस समय सरकार के पास नये राशन कार्ड बनवाने के कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(झ) इनको कब तक नये राशन कार्ड जारी कर दिये जायेंगे?

mie[;e=h % (क) पोर्टल पर उपलब्ध मार्च माह की एलोकेशन के लिए फ्रीज्ड डाटा के अनुसार दिल्ली में कुल 1941861 राशन कार्ड हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

(घ) जनवरी माह में 15,28,557 तथा फरवरी माह में 15,41,242 कार्डधारी राशन ले गये।

(ङ) जनवरी माह में 4,13,413 तथा फरवरी माह में 4,00,508 कार्डधारी राशन लेने नहीं आये हैं।

(च) सरकार द्वारा इन कार्डधारियों को नोटिस देकर उनका कार्ड निरस्त किया जा सकता है।

(छ) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में कुल 3513 राशन कार्ड रद्द किये गये।

(ज) दिनांक 18.03.2018 को विभाग के पास 1,28,143 राशन कार्ड बनवाने के आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(झ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अयोग्य कार्डधारियों के राशन कार्ड निरस्त करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) तक नये कार्ड जारी किये जाते हैं।

319- Jh iou dqekj 'kekZ ¼ क्या **mieq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों में योजना विभाग द्वारा कितने मूल्यांकन–अध्ययन करवाए गए, वर्षवार ब्यौरा दें;

(ख) प्रत्येक अध्ययन के बारे में जानकारी दें कि यह किस विभाग की किस परियोजना/कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए था;

(ग) प्रत्येक अध्ययन पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कितना खर्च किया है;

(घ) प्रत्येक अध्ययन के बारे में सूचित करें कि यह कब पूरा हुआ; और

(ङ) मूल्यांकन–अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को संबंधित विभाग द्वारा लागू किया गया?

mieq[;ea=h ¼ (क) विगत दस वर्षों में योजना विभाग द्वारा कुल 48 मूल्यांकन–अध्ययन करवाए गए, वर्ष वार ब्यौरा संलग्न तालिका 'क' में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा सलंग्न तालिका 'क' में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक अध्ययन पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अलग से खर्च नहीं किया है क्योंकि यह सभी अध्ययन योजना विभाग के नियमित अधिकारियों द्वारा किया गया।

(घ) ब्यौरा सलंग्न तालिका 'क' में दिया गया है।

(ङ) मूल्यांकन—अध्ययन की रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जाती है और उसमें दिए गए निष्कर्षों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होती है।

l;yXud d

Details of Concurrent Evaluation Studies of Projects conducted by Project Efficiency Unit, Planning Department, Government of NCT of Delhi

Sl. No.	*Department*	*Name of the Project*	*Year*
1	*2*	*3*	*4*
1	*PWD*	*Construction of Bridge across River Yamuna Near Geeta Colony, Delhi*	*2007-08*
2	*PWD*	*Widening of Road No.51 from Azadpur Intersection to Mukundpur Chowk on NN-1*	*2007-08*
3	*PWD*	*Corridor Improvement for Outer Ring Road from NT Gate to NH-08 (Fly Over at Rao Tula Ram Marg Bento Jupaz Marg Intersection (March 2007-Dec 08)*	*2007-08*
4	*PWD*	*Construction of Flyover at Vivekkanand Marg & Nelson Mandela Marg (March 2007-08)*	*2007-08*

1	2	3	4
5	*PWD*	*Widening of MP Road No.102 Mayur Vihar Phase-III Delhi from DDA Chilla Sports Complex to Khoda Chowk From 4 Lane to 6 Lane and Strengthning/Improvement of Riding Quality*	*2007-08*
6	*PWD*	*Construction of 36 Type-V and 16 Type VI Quarters at Vasant Kunj, Delhi*	*2007-08*
7	*Transport*	*Construction of Bus Depot at Sector-8, Dwarka, New Delhi*	*2007-08*
8	*PWD*	*Widening of Ring Road from 6 to 8 Lane from Rajghat to Ashram*	*2007-08*
9	*PWD*	*Construction of Bridge Across Neela Hauz at Aruna Asaf Ali Road No.16 New Delhi*	*2007-08*
10	*Education*	*Construction of Pucca School Building For S.S. School at Sec 6 Site-1 Dwarka*	*2007-08*
11	*PWD*	*Construction of Under Pass ONG Outer Ring Road No.26 Including 2 Fobs at Intersection of Jawalaheari Behra Enclave*	*2008-09*
12	*PWD*	*Construction of Under Pass and Four Clover Lives with FOB Footwear Bridge at ITO Chungi Crossing Delhi*	*2008-09*
13	*Training & Technical Education*	*Construction of NSIT Complex Phase-III at Sector-3 Dwarka*	*2008-09*
14	*Training & Technical Education*	*Construction of Additional Block in College of Art at Tilak Nagar New Delhi*	*2008-09*

1	2	3	4
15	*PWD*	*Construction of Residential Quarters for Judicial Officers at Sec-19 Dwarka Delhi*	*2008-09*
16	*PWD*	*Construction of General Pool Office at Metcalf House Delhi*	*2008-09*
17	*PWD*	*Construction of Parking Block at District Court Complex at Shaahdra Delhi*	*2008-09*
18	*PWD*	*Construction of FOB at Sector 12 and 13 at R.K. Puram Station Road Delhi Cantt*	*2008-09*
19	*PWD*	*Construction of FOB with Escalators for Pedestrian across Ring Road Near ISBT Kashmiri Gate Delhi-54*	*2008-09*
20	*PWD*	*Construction of District Court Complex Saket which Comprises Main Court Building Residential Complex Lawyer Chamber*	*2008-09*
21	*PWD*	*Construction of FOB with Ramp and Escalators across Road No.63 Meet Nagar Delhi*	*2008-09*
22	*Higher Education*	*Construction of Building Sheed Rajguru College of Applied Sciences at Vasundhra Enclave*	*2009-10*
23	*Health & Family Welfare*	*Construction of 500 Beded New Ward Block at GTB Hospital Consisting of 410 General Beds and 90 Private Beds*	*2009-10*
24	*PWD*	*Corridor Improvement of UP Link Road From NN*	*2009-10*
25	*PWD*	*Corridor Improvement of UP Link Road From NN-24 Crossing to Noida Mor to Chilla Regulator*	*2010-11*

1	2	3	4
26	*Health & Family Welfare*	*Construction of 200 Beded Hospital at Kokiwala Bagh Ashok Phase-IV New Delhi*	*2010-11*
27	*PWD*	*Construction of Railway Underpass (RUB) At Railway Crossing No.07 Between Shalimar Bagh and Azadpur Fruit Mandi Near Rajsthan Udhyog Nagar*	*2010-11*
28	*Home*	*Construction of Prison Complex L/C Housing Complex at Mandoli in Delhi*	*2010-11*
29	*Education*	*Pilot Study Over 198 School of GNCTD (Renovation and Repair of 198 Schools of The Delhi Govt.) Roopanter Project*	*2011-12*
30	*Higher Education*	*Construction of Maharaja Agrasen College at Vasundhara Enclave Delhi*	*2011-12*
31	*Education*	*Construction of Govt. Senior Secondary School at Jahangirpuri at Site No.5A Block*	*2011-12*
32	*Home*	*Construction of Prison Complex L/C Housing Complext at Mandoli in Delhi*	*2011-12*
33	*Health & Family Welfare*	*Construction of 200 Beded Hospital at Kokiwala Bagh Ashok Vihar Phase-IV New Delhi*	*2012-13*
34	*Department of SC&ST*	*Construction of Hostel Building for SC Girls at Ishwar Nagar Delhi*	*2012-13*
35	*Home*	*Construction of Prison Complex L/C Housing Complex at Mandoli in Delhi Phase-II Study*	*2012-13*

1	2	3	4
36	*UD Deptt.*	*Pilot Study-Concurrent Evaluation Study on Renovation Reconstruction/Beautification of Chaupals Urban Villages in Delhi*	*2012-13*
37	*Education*	*Construction of SPS Schools at Sannoth Villages and GTB (Old Site) Delhi*	*2012-13*
38	*Education*	*Construction of SPS Schools at Keshopur (Pump House Staff Quarter Site) and Nilothi (Cement Store Site) Delhi*	*2012-13*
39	*Health & Family Welfare*	*Concurrent Study of 200 Beded Hospital, Burari Delhi*	*2013-14*
40	*Education*	*Construction of Pucca School Building at Mandwali, Fazalpur Delhi*	*2013-14*
41	*Social Welfare*	*Construction of 5 Half ¡y Home Delhi at 3 Location Rohini in Sector 3-2, & Sector 22, Narela, Dwarka*	*2013-14*
42	*Tourism*	*Construction of Delhi Haat at Janakpuri*	*2013-14*
43	*Higher Education*	*Construction of Deen Dayal Upadhyay College, Dwarka*	*2014-15*
44	*Tourism*	*Revised Study of Delhi Haat Janakpuri*	*2014-15*
45	*Health & Family Welfare*	*Reviseed Study of 200 Beded Hospital at Kaushik Enclave Burari*	*2014-15*
46	*Technical Education*	*Construction of ITI Mangolpur, Delhi*	*2014-15*

1	2	3	4
47	*Health & Family Welfare*	*Construction of Fabricated Structure of Dr. BSA Medical College, Rohini Delhi*	*2015-16*
48	*Environment*	*Evaluation Study of Society (Mahatma Gandhi Institute for Combating Climate Change (MGICCC)*	*2015-16*

320- Jh xqykc flag ¼ क्या **mieq[;ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 15 वर्षों में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों से आये प्रस्तावों पर कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की, उनकी प्रति उपलब्ध कराई जाए;

(ख) दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को कितनी धनराशि तक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति है, इसकी जानकारी भी दें;

(ग) क्या वित्त विभाग नॉन डीएवीपी रेट पर किसी समाचार पत्र–पत्रिका को विज्ञापन जारी करने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए; और

(ङ) विज्ञापन, उसकी राशि, समाचार पत्र, पत्रिका का नाम, किस तारीख को प्रकाशित हुआ, ये जानकारी भी दी जाए, साथ ही विज्ञापन की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए?

mieq[;ea=h ¼ (क) वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्रस्ताव/फाइल की जांच के बाद या तो वितीय स्वीकृति देता है या अपनी टिप्पणी देता

है और आवश्यक कार्रवाई के लिए फाइल को संबंधित विभाग को लौटा देता है।

(ख) (1) डेलीगेशन ऑफ फाइनेंसियल पावर, रुलस के अंतर्गत प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को वित्त विभाग के दिनांक 12.03.2015 के आदेश द्वारा डैलीगेटड वित्तीय शक्तियों से अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां वित्त विभाग में निहित है।

(2) वित्त विभाग में कैपिटल वर्क्स एवं मरमत मद में व्यय स्वीकृत करने की शक्तियां निम्न हैः—

क्र.सं.	पद	अधिकतम
1.	प्रधान सचिव (वित्त)	दस करोड़ से ज्यादा एवम रु. 15 करोड़ तक
2.	ई.एफ.सी.	रु. 15 करोड़ से ज्यादा रु. 100 करोड़ तक
3.	कैबिनेट (मंत्रिमंडल)	100 करोड़ से ज्यादा

(ग) वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्रस्ताव/फाइल की जांच के बाद या तो वित्तीय स्वीकृति देता है या अपनी टिप्पणी देता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए फाइल को संबंधित विभाग को लौटा देता है। इस कार्यालय ने जनसम्पर्क विभाग से यह सूचना मांगी है। संकलित सुचना प्राप्त होते ही विधान सभा को भेज दी जाएगी।

(घ) (ग) के अनुसार

(ङ) (ग) के अनुसार

321- Jh lkjHk Hkkj}kt % क्या **mie[;e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि किसी भी सोसाइटी व बैंक में डीसीएस रूल 2007 के रूल 25 के तहत ही सदस्य बनाये जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2011 से 2014 तक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में रूल 25 के हिसाब से सदस्य बने हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) ऐसे सदस्यों को हटाये न जाने के क्या कारण है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिनांक 15.11.2017 को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के सीईओ ने गलत तरीके से बने सदस्यों की सूची देते हुए पत्र लिखा था और, उस पर क्या कार्रवाई हुई, पूर्ण जानकारी व संपूर्ण नोटिंग सहित फाईल की कापी दें;

(च) यदि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कारण का उल्लेख करें;

(छ) क्या यह सत्य है कि हाल में हुए दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव में सीईओ के पत्र को दर किनार कर गलत तरीके सब बने सभी सदस्यों को वोटिंग का अधिकारी दे दिया गया जिनमें डीसीएस एक्ट 2003 व डीसीएस रूल 2007 व बैंक के सदस्य बनाने के नियम का उल्लंघन किया गया था एवं उनके वोट के दम पर भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व बोर्ड के परिवार के लोग ही पुनः चुनाव जीतकर आ गये;

(ज) ऐसा करने में विभाग की भूमिका की जानकारी दें;

(झ) क्या यह सत्य है कि 01.09.2017 से अब तक विभिन्न जांच अधिकारी ने अपने रिपोर्ट विभाग को सौंपी है परंतु भ्रष्टाचारियों से मिलीभगत के चलते किसी भी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाई नहीं की गई है;

(ञ) यदि हां, तो सभी रिपोर्टों पर कार्रवाई न करने के कारण बताते हुए सभी रिपोर्ट की कापी दें;

(ट) क्या यह सत्य है कि आरबीआई द्वारा दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के भ्रष्टाचार के संदर्भ में हुई जांचों की रिपोर्ट की कापी मांगी गई थी;

(ठ) यदि हां, तो क्या उन्हें वह कापी दे दी गई है;

(ड) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ढ़) उक्त पत्र से संबंधित पूर्ण फाईल की कापी दें;

(ण) क्या यह सत्य है कि सदन सिंह यादव ने 16.07.2015 को लोन के मामले में बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिकायत की थी जिस पर कार्यवाई न होने पर दिल्ली हाईकोर्ट के डब्ल्यूपीसी 739822015 से एक केस डाला था जिस पर 05.08.2015 को हाईकोर्ट ने उसकी शिकायत का निवारण करने का आकलन करने को 4 हफ्ते में कहा था परन्तु 2 वर्ष उपरांत 10.07.2017 को अपने आदेश में बैंक के हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।

(त) क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(थ) यदि हां, तो रिपोर्ट की कापी दे;

(द) यदि नहीं तो देरी होने के क्या कारण है;

(ध) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में 03.12.2017 को हुए चुनाव में आरसीएस ऑफिस के सभी वर्तमान व पूर्व कर्मचारियों की डयूटी लगी एवं चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्चा किया गया;

(न) यदि हां, तो कर्मचारियों की लिस्ट व खर्चें का पूर्ण विवरण व चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया की फाईल दें;

(प) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में जो सीईओ जितेन्द्र गुप्ता की नियुक्ति की गई है, वह विभिन्न भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाए गए हैं;

(फ) यदि हां, आरसीएस अधिकारी ने क्या कार्यवाई की; और

(ब) क्या यह सत्य है कि पूर्व बोर्ड के सदस्यों के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कर्मचारियों सस्पेंड कर परेशान किया जा रहा है;

(भ) इस संदर्भ में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दें?

mie[;e=h % (क) यह कानूनी प्रावधान है जिसके अंतर्गत सोसाईटी व बैंक में सदस्य बनाए जाते हैं।

(ख) सभी सहकारी बैंकों में रूल 25 के अनुसार सदस्य बनाए जाते हैं। और दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में भी इसी रूल के तहत सदस्य बनाए गए हैं। यह कार्य संबंधित समिति द्वारा किया जाता है। इसलिए यह कार्यालय इसे पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं कर सकता। इसकी जानकारी

उपरोक्त दस्तावेजों की जांच के बाद ही दी जा सकती है। वर्ष 2011 से 2014 तक लगभग 20000 सदस्य बनाए गये थे। इनके दस्तावेजों की जांच में करीब 6 माह का समय लगेगा। इसके पश्चात् ही यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ग) यदि कोई त्रुटि इस कार्यालय की जानकारी में आती है तो उस पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

(घ) किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता से हटाने का प्रावधान सैक्शन 40 डीसीएस एक्ट 2003 में है। प्रबंधन समिति इस विषय में प्रस्ताव पास करके आरसीएस के सम्मुख उसके अनुमोदन के लिए भेज सकती है। इस तरह का कोई प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। बाकी का उत्तर उपरोक्तानुसार।

(ङ) जी हां, यह पत्र प्राप्त हुआ और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(च) इस पत्र में न तो धारा 40 के अनुरूप किसी सदस्य की सदस्यता निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है और न ही किसी और कार्यवाही का निवेदन किया गया है।

(छ) यह चुनाव माननीय उच्च न्यायाल के निर्देशानुसार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की निगरानी में कराए गये थे। चुनावों के नतीजों के बारे में यह विभाग कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

(ज) उपरोक्तानुसार।

(झ) यह सत्य नहीं हैं। 01.09.2017 के बाद आई सभी रिपोर्टों पर यथोचित कार्यवहाी चल रही है।

(ञ) उपरोक्त।

(ट) सत्य है।

(ठ) कॉपी दे दी गई है।

(ड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ढ) फाईल की कॉपी संलग्न है।

(ण) इस संदर्भ में आरसीएस के ऑर्डर दिनांक 10.07.2017 के द्वारा एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। उस कमेटी का गठन 22.09.2017 को किया गया था।

(त) उस कमेटी की 9 बैठकें हो चुकी है। और कमेटी की रिपोर्ट अपेक्षित है।

(थ) उपरोक्तानुसार।

(द) उपरोक्तानुसार।

(ध) 03.12.2017 को हुए चुनाव में चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कराने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। जिसमें आरसीएस ऑफिस के भी कुछ कर्मचारी थे। चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों की नियुक्ति में इस कार्यालय का कोई हस्तक्षेप नहीं था। चुनाव अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार चुनाव कुल खर्चा 22,51,513/– रुपये हुआ।

(न) बैंक द्वारा भेजी गई सूची व खर्चे का विवरण संलग्न है।[1]

(प) बैंक के सीईओ की नियुक्ति बैंक के अधिकार क्षेत्र में आती है। यदि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाये जाते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी बैंक के कार्य क्षेत्र में ही आती है।

(फ) बैंक के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में आरसीएस ऑफिस की भूमिका नहीं है।

(ब) बैंक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

(भ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

322- Jh ,l- d- cXxk % क्या **i;kZoj.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेड़ों की हैवी छटाई के लिए आवेदन देने के बाद इस कार्य में कितना समय लगता है;

(ख) वर्ष 2016 वर्ष 2017 पर्यावरण विभाग ने कितने पौधे लगाए है;

(ग) वर्ष 2016 वर्ष 2017 पर्यावरण विभाग ने कहां–कहां पौधे लगाए; और

(घ) पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किए है;

i;kZoj.k ea=h % (क) पेड़ों की हैवी छटाई के लिए दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 9(3) के अंतर्गत वृक्ष

1. ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

अधिकारी/उप–वन–संरक्षण अपना निर्णय आवेदन देने के बाद 60 दिन के अन्दर प्रदान करेगा।

(ख) वर्ष 2015–16 में वन विभाग ने कुल 3,53,761 पौधे लगाए।

वर्ष 2016–17 में वन विभाग ने कुल 2,96,310 पौधे लगाए।

किन्तु वर्ष 2015–16 और 2016–17 में वन विभाग और लगभग 20 ग्रीन एजेंसियों ने मिलकर कुल 9,73,822 और 8,72,499 पौधे लगाए गए।

(ग) वर्ष 2015–16 में वन एवं वन्य जीव विभाग, दिल्ली सरकार निम्न जगह पौधे लगाए गएः–

nf{k.kh ou iHkkx }kjk&

नेब सराए, जौनापुर, डेरा मंडी, छतरपुर, मंडली वैली, आया नगर, शूटिंग रेंज, शाहूरपुर, देवली और संगठन द्वारा झूमंडल में।

उत्तरी वन प्रभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर पौधे लगाए गए।

if'peh ou iHkkx }kjk&

मोती बाग, नजफगढ़, मलिकपुर, खडखडी, नांगलोई, रिठाला, अलीपुर।

वर्ष 2016–17 में वन एवं वन्य जीव विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा निम्न जगह पौधे लगाए गएः–

nf{k.kh ou iHkkx }kjk&

मंडी वैली, जौनापुर, आया नगर, डेरा मंडी, असोला भट्टी।

mÙkjh ou iHkkx }kjk&

शास्त्री पार्क बेला फार्म, गढ़ी मांडू पॉकेट ई. एण्ड बी., शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन।

if'peh ou iHkkx }kjk&

मोती बाग, नजफगढ़, घुमनहेरा, मित्राव, नसीरपुर, अलीपुर, मलिकपुर, नांगलोई।

(घ) दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए 08.11.2017 वाले सप्ताह के दौरान उठाये गये इन आकस्मिक कदमों के साथ ही निम्नलिखित कदम निरंतर उठाये गये हैं:

* **[kys e vif'k"V@dMk&djdV tykus okys ij utj vkSj mudk f[kykQ dkjokbZ %** सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों/कूड़ा–कर्कट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

1. पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने ''मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 मोबाइल नंबरों पर अपना व्हाटस्प खाता'' खोला है।

2. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ–साथ तहसीलदारों (कार्यपालक

मजिस्ट्रेट) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

3. सूखी पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कहा गया है कि अगर उल्लंघन का पता चलता है तो संबंधित एस.ओ. (बागवानी) और सफाई निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

* **/ky mMu l jkdu d fu;e d mYy?ku dh fuxjkuh vkj mud f[kykQ dkjokbl %** सरकार ने निर्माण–कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान शुरू किया है। क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहायक अभियंता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों से मुआबजा वसूल किया जा रहा है।

1. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) के साथ–साथ तहसीलदारों (कार्यपालक

मजिस्ट्रेट) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

2. सभी स्थानीय निकायों और डीडीए को भी कहा गया है कि वे धूल नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए आम जनता और खास तौर पर ऐसे मालिकों तथा बिल्डरों को कहें, जिन्होंने अपनी भवन निर्माण योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

3. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने ऐसी निर्माण परियोजनाओं (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

* सभी संबद्ध पक्षों/एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा–कर्कट, प्लास्टिक, रबड़ आदि को खुले में जलाने से रोक लगे और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय किये जाएं।

* दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में होम गार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर पालिका निगमों के वार्डों में 84 होम गार्ड तैनात किए गए है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया भी

विकसित की गई है। अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए इन सभी होम गार्ड के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अंतर्गत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हें पर्यावरण विभाग की आंखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लंघन को सूचित करने के निर्देश दिए गए है।

* फॉगिंग/पानी छिड़काव के माध्यम से धूल नियंत्रण के प्रस्ताव विचारार्थ हैं।

* माननीय उपराज्यपाल के निर्देशानुसार सभी विभागों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसकी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित ***High Level Task force (HLTF)*** भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।

* **,uthVh dk vkns'k@fu.k; %** ओ.ए. सं. 21/2014 में वायु प्रदूषण संबंधी एनजीटी के आदेशों/निर्णयों का दिल्ली के मुख्य सचिव के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के जरिए संबद्ध विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है और इस संबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के अंतग्रत (सीएमसी) को समय–समय पर अवगत कराया जा रहा है।

* **cSVjh pkfyr okguks dk c<kok %** प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि

को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

* माननीय उप–राज्यपाल रा.रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने और अल्पावधि व दीर्घावधि कार्य योजनाओं पर अमल के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

* **iVk[kk pykus ij jksd** ¼ धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौकों पर पटाखे चलाने/आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (नियमावली), 1983 के नियम–20क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देश जारी किये गये।

* **ykbV vkSj gYdh M;wVh okf.kfT;d okguksa dk fnYyh esa izos'k djus ij i;kZoj.k eqvkotk 'kqYd ¼bZlhlh½ dh olwyh** ¼ माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और

16.12.2015 के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी है।

* **'kgj dk gjk&Hkjk cukus dk i;kl %** भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट 2017 के अनुसार दिल्ली का हरित आवरण जो 1997 में 26 वर्ग किलोमीटर था बढ़कर अब 305.41 किलोमीटर हो चुका है। यह बढ़ा हुआ हरित क्षेत्र कार्बन को एकत्र करने वाले स्थान की तरह कार्य करता है। 2017–18 में सभी संबद्ध एजेंसियों के लिए 21.6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

* **lMdk dh lQkbl %** सड़कों की सफाई ***MCDs, NDMC & PWD*** के द्वारा लगाये गए ***31 Mechanical Road Sweepers*** कि मदद से कि जा रही है। सड़को पर पानी का छिड़काव ***PWD*** और ***DFS*** द्वारा किया जा रहा है।

* **tu tkx:drk %** उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत, आने वाले क्षेत्रों के लिए ''किसी भी प्रकार की सामग्री को खुले में जलाने पर रोक–बड़ा नतीजा हासिल करने के लिए छोटा सा कदम'' विषय पर आधे दिन की कार्यशालाओं का आयोजन 14.06.2017, 14.09.2017 और 1.02.2018 को दिल्ली सचिवालय में किया गया। ये कार्यशालाएं जन जागरूकता बढ़ाने और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श के उद्देश्य से आयोजित की गयी। इसमें

उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के अधिकारियों, यानी एसआई/एएसआई और उद्यान शाखा कर्मियों के साथ–साथ दोनों नगर निगमों के आरडब्ल्यूएज, स्कूलों/कालेजों ने भी हिस्सा लिया।

* हर साल स्कूलों/कॉलेजों के इको क्लबों के सहयोग से पटाखा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है।

* पत्तियों, कूड़े–कर्कट, अपशिष्ट आदि को खुले में जलाने पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गयी।

* केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण और दिल्ली की परिवेश वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 42 निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्रवाई और संबंधित विभाग परिभाषित किए गए है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

* राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अब तक दिए गए ओ.ए. 21/2014 ***(Vardhman Kaushik vs UoI & Ors.)*** के संदर्भ में वायु प्रदूषण रोकने हेतु निर्देशों के अनुपालन के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय निगरानी समिति और मुख्य सचिव, राज्य स्तर समिति गठित की है, जिनकी संबंधित विभागों के साथ बैठकें हो चुकी हैं।

* वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ***Comprehensive Action Plan for Air Pollution Control*** जो कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ***(Environment Pollution Control Authority)*** द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया है तथा ***Graded Response Action Plan for Delhi & NCR*** जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, लागू किया जार रहा है।

इन योजनाओं का कार्यान्वयन, संबंधित विभागों के साथ मिल कर किया जा रहा है।

Ekkuuh; v/;{k }kjk O;oLFkk

v/;{k egkn;% मैं एक रूलिंग दे रहा हूँ इसमें, बीच में आज के 280 के जितने भी संदर्भ हैं; मैं नाम पढ़ देता हूँ: श्री राजू धिंगान जी, श्री जगदीश प्रधान जी, सही राम जी, श्री पवन कुमार शर्मा जी, श्री सिरसा जी, सुश्री राखी बिड़ला जी, महेन्द्र गोयल जी, रघुविन्द्र शौकीन जी, गिरीश सोनी जी, श्री नारायण दत्त शर्मा जी, ये बहुत गंभीर विषय है जो अब चल रहा है। मैं चाहता हूँ बहुत विधायक बोलना चाह रहे हैं। ये सारे 280 के पढ़े हुए माने जाए और इनका उत्तर विधिवत् रूप से अधिकारी दें। ये मैं सदन के सामने रख रहा हूँ। हाँ, बताइए रवि जी।

Jh fo'k"k jfo% एक और सवाल इसका जवाब नहीं आया है, उसकी जानकारी आपके आगे रख रहा हूँ। सर, दिल्ली में दिल्ली के जो हमारे माननीय अधिकारी हैं, इनके काम न करने पर जब इनकी शिकायतें कमेटी के पास जाती हैं विधानसभा की कमेटियों के पास जाती है और वहाँ कमेटियों के अंदर वो अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं और उसके लिए जब वो कोर्ट

जाते हैं। कोर्ट से स्टे लेने के लिए जाते हैं तो ये प्रश्न हमने लगाया था कि उस स्थिति में जब वो कोर्ट जाते हैं, कमेटी में न आने के लिए, स्टे लेने के लिए तो वहाँ पर वकील और वकील का खर्चा कौन करता है, किसके कोटे से जाता है, ये जानकारी भी नहीं आई है जो हमने माँगी थी। जो जानकारी हमारे पास है, वो ये है कि पिछले तीन–चार मामलों के अंदर चाहे वो अश्वनी कुमार जी का मामला हो, चाहे कुट्टी जी का मामला हो, चाहे अभी हाल ही के अंदर जो सीएस साहब हमारे हैं, वो कोर्ट गए हैं या जो दो अधिकारी जे.बी.सिंह जी और शूरबीर सिंह जी ये लोग भी जब कोर्ट गए हैं, कमेटी की मीटिंग में नहीं आने के लिए वहाँ जो वकील खड़े हुए हैं, इनकी बात करने के लिए, उनका खर्चा एलजी साहब की अप्रूवल से दिल्ली गर्वमेंट से गया है और ये कैसे हो रहा है ये? दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों की बात उठाने वाली कमेटी जहाँ दिल्ली के लोगों के हित की बात की जा रही है, जो अधिकारी दोषी हैं, उनको बुलाया जा रहा है और वही दोषी अधिकारी जब कोर्ट जा रहे हैं तो उसकी पेमेंट एलजी साहब दिल्ली सरकार के खजाने से करवा रहे हैं और वो भी दिल्ली सरकार के खिलाफ करवा रहे हैं। सर, ये सारे मामले जितने भी मामले हैं, सामने आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल साफ हो रहा है कि एलजी साहब सारे नियम कानून, संविधान और दिल्ली के हित के विरोध में, गरीबों के विरोध में, दिल्ली के नागरिकों के विरोध में काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरा सदन के सामने ये प्रस्ताव है कि पूरे सदन को एलजी साहब की शिकायत करनी चाहिए माननीय राष्ट्रपति जी जिनके नुमाइंदे ये हैं। हम सबको मिलकर राष्ट्रपति जी के पास जाकर इनकी शिकायत करनी चाहिए, बताना चाहिए उनको कि यहां पर बैठकर एलजी साहब कैसे दिल्ली के संविधान का उनके

अधिकारों का हनन कर रहे हैं और दिल्ली के निवासियों के हित का हनन कर रहे हैं, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% सोमनाथ भारती जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। चूंकि इस तरह से दिल्लीवासियों का जो हक है, उसको छीना जा रहा है। इस पूरी विधानसभा जो एक सवैंधानिक संस्था है, संविधान में बाकायदा संशोधन करके लाया गया, बनाया गया। उसको एक निकम्मा बनाने के प्रयास और ये कर क्यों रहे हैं एंटी करप्शन ब्रांच है, उस पर हमारा हक नहीं है। विजिलेंस है, उस पर हमारा हक नहीं है, दिल्ली पुलिस है, हमारा हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो भ्रष्ट लोग है, उनको संरक्षण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही ऐण्टी करप्शन ब्रांच जो 49 दिन की सरकार हमारी आई थी, उस वक्त ऐण्टी करप्शन ब्रांच के जरिए, पूरी दिल्ली में खौफ था। पूरा दिल्ली जानता था कि एक ऐसी सरकार आई केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, इसमें किसी भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया जैसे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बनते के साथ ही सबसे पहले ऐण्टी करप्शन ब्रांच के ऊपर षिकंजा कस दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि... कहते तो रहे 14 में कि हम तो जितने भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़कर बंद करेंगे, न खायेंगे न खाने देंगे। लेकिन खायेंगे और खाने देंगे तो छोड़िए, यहां तो भ्रष्ट कर्मचारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को बाकायदा संरक्षण दिया जा रहा है और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी एलजी ने जो इतना बड़ा सवैंधानिक गौरव का पद है, उन्होंने विधानसभा के अंदर लिखित में भेजा

है कि सर्विसेज के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारियों को बचाने के प्रयत्न हैं फिर तो डूब मरना चाहिए ऐसे एलजी को! शर्म आ रहा है!

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी संविधान देख रहा था जब आप पढ़ रहे थे, कहीं भी नहीं, ये तो इंटरप्रिटेशन कर दिया गया जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के तहत विचाराधीन है, जजमेंट आने वाला है। एक जीत तो हमें मिल चुकी, 20 विधायकों की। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी 239एए में सर्विसिज राज्य से लिया नहीं गया, अदर देन पुलिस लॉ एण्ड आर्डर एण्ड लैंड बाकी सारे के सारे राइट्स और राज्यों की तरह हमारे राज्य के पास भी हैं और उसी के कारण ऐण्टी करप्शन ब्रांच के जरिए जो दिल्ली के अंदर एक ईमानदार माहौल पैदा किया गया तो 49 दिन की सरकार में, जिसके लिए दिल्ली का नाम देश में नहीं, विदेशों में भी हुआ। दिल्ली की जनता आज भी याद करती है कि उसके कारण, उस खौफ के कारण दिल्ली के पुलिस और दिल्ली का भ्रष्ट एमसीडी किस तरह से खौफ खाता था। लेकिन ये दिख रहा है। आज तो साफ–साफ जाहिर हो गया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे विपक्ष के साथी भी हमारे साथ हैं इसमें कि किस तरह से कुछ न कुछ निकालकर के, वो कर्मचारी शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, सर्विसेज का हो, ट्राँसपोर्ट का हो, किसी का भी हो, उस भ्रष्ट की रक्षा की जा रही है, दुर्भाग्य है इस देश के लिए! और आज जिस भाव से आपने अपनी बात रखी है, आज आपका जो भाव दिख रहा है, आपकी बेचैनी दिख रही है और हम सब बेचैन हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बेचैनी में हमारे विपक्ष के साथी भी साथ हैं। क्योंकि आखिरकार सब लोग चुनकर आए हैं कि दिल्ली के अंदर जो सरकार आई है, जो जनता की सेवा करने आई है, उसे किस तरह से रोका जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष

महोदय! पूरे सदन को, जैसे हमारे साथी विशेष रवि ने कहा, पूरे सदन को इस मामले पर जाना चाहिए प्रेजिडेंट महोदय के पास और इस बात को उजागर करना चाहिए कि किस तरह से चुनी हुई सरकार के खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है और हमें काम करने से रोका जा रहा है। अगर हम भ्रष्ट के खिलाफ न पूछेंगे तो किसके खिलाफ पूछेंगे? अगर हम हमारे काम... आज तो बड़ा, जिस तरह से साथियों ने बातें उठाई कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आज से हमारी सरकार और हमारे साथियों की मंशा साफ हो गई है कि हम किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, पहली ऐसी सरकार आई देश के अंदर जिन्होंने अपने मंत्रियों को खुद ही सीबीआई के हवाले किया, ऐसा कभी नहीं हुआ था अध्यक्ष महोदय। ये मैं अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो मंशा जाहिर की, इसी मंशा के डर से एलजी महोदय इस तरह के हथकंडे अपनाकर के भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय!

v/;{k egkn;% धन्यवाद, धन्यवाद। अखिलेश जी।

Jh vf[ky'kifr f=ikBh% अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोलना चाह रहा था कि पीछे मैंने क्वेश्चन किया था, उसका उत्तर आया नहीं था। और मैंने पूछा था कि पिछले 20 सालों में जो भी मंत्री विदेश दौरों पर गए, सरकार के खर्चे पर, वो खर्चा कहाँ से आता है। वो खर्चा आपके द्वारा अलाउ किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से पूरे सदन की सहमति से। यहां से पैसा जाता है और लोगों को पैसा मिलता है। पैसा इकट्ठा करना... तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। पैसे इकट्ठा करके खर्चा करना एलजी

साहब से पूछना पड़ेगा, इकट्ठा करके अगर उसको कहाँ–कहाँ होगा, उसकी अनुमति लेनी है तो आपसे मिलती है। जो भी खर्चा यहां से जाता है, क्यों न जो–जो अधिकारी आज विदेश दौरे पर गए हैं, जिसका खर्चा नहीं या वकील वाला... अभी कह रहे थे विशेष भाई कि वकीलों को सरकारी खर्चे पर रखा जा रहा है। तो क्यों न विधानसभा ऐसे लोगों से कटौती भी कर सकता है, जो पैसे दिए गए है, उसको कटौती का प्रस्ताव भी ला सकते हैं यहां पर। उनका काटा जाना चाहिए खर्चा और अगर वो लड़ रहे हैं तो अपने पैसे से खर्चे से लड़ें। हमारी सरकार के खर्चे का, हमारी जनता के पैसे का खर्चा और हमारे जनता के खिलाफ उसका प्रयोग, ये संभव नहीं होगा। आज के बाद, इस विधान सभा के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव होना चाहिए अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि, इस पर विचार करें।

v/;{k egksn;% विशेष जी, आप कह चुके भई। अब, महेन्द्र जी। इसके बाद महेन्द्र गोयल जी।

Jh egsUæ xks;y% धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुद्दा बहुत गंभीर है और इस सदन के माध्यम से मैं दो लाइने कहना चाहूंगा एल.जी. साहब को भी।

काम करो कुछ ऐसा... एक कवि की ये कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कहीं पर।

'काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लोटने का इंतजार करें,
न करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें,

लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें...

आज मैं देख रहा हूँ। इस समय में एलजी साहब के माध्यम से गवर्नमेंट वर्सिज ऑफिसर्स बन गए हैं। ये कहीं पर भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अफसर भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट चलाने वाले प्रतिनिधि भी, जो जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। लोकतंत्र के अन्दर वो भी एक संविधान की रक्षा के लिए ही बने होते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सिर्फ एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस लड़ाई को छोड़कर लोगों के हित की भावनाओं को देखें। मेरे सामने... मैं बजट पर एनालाइसिस कर रहा था तो बजट को मैं देख रहा हूँ। पिछले तीन साल के उसके अन्दर कि 2015–16 के अन्दर 41 हजार करोड़ के बजट की पेशकश की गई है इनसे। लेकिन खर्च कितना हुआ 35 हजार 196 करोड़ रुपये।

v/;{k egkn;% महेन्द्र जी, इसकी बजट पे चर्चा करना। अभी, अभी।

Jh egUæ xks;y% इस तरह से एक मिनट, एक मिनट ठहर जाइए। हिस्सा है इसका।

v/;{k egkn;% नहीं, ये इसका हिस्सा नहीं है।

Jh egUæ xks;y% अध्यक्ष जी, इसका हिस्सा है, मैं तभी बात कह रहा हूँ। इस बात को सुन लीजिए आप प्लीज। ये क्यों कह रहा हूँ। ये कहीं न कहीं अफ्सरों के अन्दर और दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के बीच की लड़ाई है। ये हिस्सा उसी का है कि यदि वो पैसे इस जनता के ऊपर, इन अफ्सरों के द्वारा सही समय के ऊपर खर्च हो जाते। ये इसलिए बताना भी जरूरी हो रहा है मेरे सामने। 2016–16 के अन्दर 46 हजार 600 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। लेकिन खर्च कितने हुए 37 हजार 263 करोड़ रुपये और 17–18 के अन्दर 48 हजार करोड़। लेकिन

खर्च कितने हुए 44 हजार 470। तो मेरा यही कहना है कि यदि ऑफिसर्स सही ईमानदारी से और सही समय के ऊपर काम करें। जितने का बजट हम इस विधान सभा के अन्दर पेश करते हैं, ये उससे फालतू खर्च हो सकता है, कम नहीं। सीसीटीवी कैमरे लगाने थे हम लोगों को। जनता से...

v/;{k egkn;% महेन्द्र जी, ये चर्चा करिएगा, प्लीज, बजट की चर्चा पर।

Jh egUæ xk;y% ये इसी के लिए, ऑफिसर्स के लिए है ये सब।

v/;{k egkn;% नहीं। इसकी चर्चा नहीं है ये। इसकी चर्चा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए।

Jh egUæ xk;y% मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, ऑफिसरों से भी अनुरोध कर रहा हूँ और एल.जी. साहब से भी।

v/;{k egkn;% अनुरोध किस लिए कर रहे हैं ऑफिसरों से? किस बात का अनुरोध कर रहे हैं आप?

Jh egUæ xk;y% मैं चिट्ठी का अनुमोदन करता हूँ और ये इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं हक है।

v/;{k egkn;% पुष्कर जी। बहुत संक्षेप में पुष्कर जी, विषय पर रहिए। विषय से जाएंगे वो विषय।

Jh iadt iq"dj% बहुत संक्षेप में। विजिलेंस के सवाल के जवाब में, जवाब नहीं आया माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के बाद भी फिर

एलजी साहब के सचिवालय का हस्तक्षेप हुआ। आपने जो इस सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया है, मैं सिर झुका के उसको सलाम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संसद और विधान सभाओं को सवाल पूछने का अधिकार मिला है, ये किसी से भीख में नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लम्बे संघर्षों के बाद, सैकड़ों शाहदतों के बाद ये सवाल पूछने का अधिकार मिला है। नहीं तो पहले कबीला तंत्र और तानाशाही हुआ करती थी। राजतंत्र हुए करते थे। राजा हुक्म करता था, वही आदेश हो जाता था। ये जो मंत्रीमण्डल का विचार है, ये जो विधान सभाओं की शक्ति है, सवाल पूछने की। ये लम्बे संघर्ष से पैदा हुई है। मैं केवल माननीय उपराज्यपाल महोदय की संवैधानिक शक्ति के सामने सिर झुकाते हुए कहना चाहता हूँ कि हम लोकतंत्र के सिपाही हैं। अगर वो और संघर्ष चाहते हैं, अगर वो और शाहदत चाहते हैं, इस सवाल पूछने की शक्ति की रक्षा के लिए तो हम उस शहादत के लिए तैयार हैं। हम हँसते हँसते उनके गीत गाते गाते और शहादत देंगे, जरूरत पड़ी, पसीना बहाएंगे, जरूरत पड़ी, खून सड़को पर बहाएंगे। लेकिन हम इस लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करेंगे। मैं संविधान के सामने अपनी शपथ को दौहराते हुए मैं एलजी साहब को और माननीय स्पीकर महोदय का जो हमारे दोनों, संविधान के अभिभावक हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस सदन की गरिमा की संरक्षा के लिए, संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। ये सलाम उन तक पहुंचे।

v/;{k egksn;% श्री तोमर जी।

Jh ftrsUæ flag rkej% धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जो भी इस सदन में जो भी चर्चा अभी हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद इस विषय

को लेकर देश की किसी भी विधान सभा में और इस विधान सभा के अन्दर भी ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जो आज हुआ है कि रिजर्व सब्जेक्ट के नाम पे, सर्विसिज के नाम पे सवालों के जवाब तक बंद कर दिए गए हैं। अभी जो आपने कहा कि अंग्रेजों के शासन की याद आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। आज जो लॉर्ड साहब जो चला रहे हैं, दिल्ली वो चलाना चाहते हैं डंडे के माध्यम से। और मुझे ये समझ नहीं आता कि भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों पैटरॉनाइज कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आज कि हमारे विपक्ष के साथी भी इस विषय पर हमारे साथ हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनसे भी, क्यों न हम सब लोग एक बार राष्ट्रपति महोदय के पास जाएं। उनको जाके हम एल.जी. साहब के बारे में बताएं कि देखो, वो तमाम जो हम जनता के हित के काम करना चाहते हैं, उसमें अड़ंगा लगाते हैं; चाहे वो कोई भी काम रहा हो, चाहे हमारे डोर स्टेप डिलिवरी का हो। तमाम बहुत सारे हमारे ऐसे काम है, जो जो जनता के हित के काम हैं, उनको रोकने में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हर प्रयास उनका रहता है कि कोई दिल्ली सरकार ऐसा काम न कर जाए, जिससे लोगों का हित हो, लोगों का फायदा हो।

तो मैं इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब विधायक 70 के 70, इनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा जो चार हमारे विपक्ष के साथी हैं, ये भी हमारे साथ चलें राष्ट्रपति जी के पास और जा के बताएं कि ये जो विधान सभा की गरिमा का हनन हो रहा है, उसको रोका जाए और जो हस्तक्षेप हो रहा है, उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको रोका जाए। इसके लिए हम सब... मैं प्रार्थना करना चाहूँगा विजेन्द्र जी, आप भी कुछ इसमें बोल दें अपना कि आप साथ चलेंगे।

v/;{k egkn;% हाँ, वो बोल देंगे, मेरे पास स्लिप आ गई है।

Jh ftrUæ flag rkej% तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;% श्री सिरसा जी।

Jh euftUnj flag fljlk% धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मेरे को इसपे बोलने का मौका दिया। इसमें को शक नहीं, विधान सभा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और किसी भी अधिकारी को विधान सभा से माँगे हुए सवाल का जवाब न देने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या परिस्थितियाँ हमने बना दी आज! इस विधान सभा की गरिमा जो है, उसको हर हाल में हम सबका फर्ज बनता है उसको बचाने का। सवाल कोई भी हो, जवाब कोई भी हो। लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो अध्यक्ष महोदय से और विधान सभा से जो भी कार्रवाई करी जाए, उस कार्रवाई के ऊपर किसी अफसर की हिम्मत नहीं हो सकती, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उसको रोका जाए। आज का विषय क्योंकि ये सवाल का जवाब माँगा गया कि पिछले इतने सालों में कौन कौन अधिकारी रहे हों या मिनिस्टर रहे हों, कौन कौन गए और क्या क्या खर्चा हुआ, मैं भी जब वो परसों पढ़ रहा था, मेरा ख्याल 24 तारीख को, शायद 25 का ये सवाल लगा हुआ था तो मैं भी बड़ा हैरान था कि इसका जवाब देने में क्यों हिचकिचाहट की जा रही है। ऐसा क्या है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। पर इन सभी बातों की बीच में अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग एक जो विधान सभा की गरिमा है, उसका हम ध्यान कोई भी नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, आप इस विधान सभा के अध्यक्ष हैं और आप हम सबके सम्मानित हैं, बड़े हैं।

आप ही के आदेश से ये विधान सभा भी चलती है, ये परिसर चलता है। पर हमें... जो लेफ्निेंट गवर्नर है, इसी तरह वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं। ऐसा लगता है कि ये जितनी भी प्रक्रिया चलाई जाती है, उसका मूल कारण केवल एक ही रहता है और उसके चलते हमारा जो मूल स्वाद होता है, वो कहीं न कहीं दबकर रह जाता है। आज भी मैं जो देख रहा हूँ, मैं सौ फीसदी अपने सभी सम्मानित मैम्बर साहिबानों के साथ हूँ। विपक्ष भी आपके इस मामले में आपके साथ है। किसी अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो विधान सभा द्वारा माँगी हुई किसी भी सवाल का जवाब न के रूप में देने की हिम्मत करे। लेकिन इसमें क्या आप अपनी बात करिए, आप सबको मौका मिलेंगे। आपके पास तो बहुत टाइम है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है।

v/;{k egkn;% एक सेकेंड, एक सेकेंड विशेष जी, उनको कहने दीजिए। ये मैं अपने आप, नहीं सिरसा जी, सिरसा जी, सिरसा जी एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं चाह रहा हूँ। आप थोड़ा देर से आये थे। एलजी साहब ने एक पत्र लिखा है कि रिजर्व सब्जेक्ट पर अध्यक्ष को प्रश्न पूछने का, प्रश्न स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। उस लेटर के रेफरेंस में अधिकारी उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ।

Jh euftanj flag fljlk% मैं समझ गया अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% विधान सभा अध्यक्ष को रिजर्व सब्जेक्ट पे प्रश्न स्वीकार करने का ये अधिकार नहीं है।

Jh euftnj flag fljlk% बिल्कुल ठीक। मैं भी अध्यक्ष जी, यही कह रहा हूँ कि जो मूल हमारा सवाल है, उसका जवाब मिले, मकसद तो हमारा यही है न और...

v/;{k egkn;% नहीं नहीं, मकसद ये भी है। ये लेटर यहां एक रिकॉर्ड में आया है, एक एलजी या कोई भी, किसी स्टेट का गवर्नर या कोई इस ढंग की बात रखे कि विधान सभा के अध्यक्ष को किसी भी सब्जेक्ट पर जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं, प्रश्न स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है। मान लीजिए कल को कोई आपके विधान सभा में रेप होता है, आप क्वेश्चन लगाते हो, पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की...

Jh euftnj flag fljlk% नहीं, नहीं, मैं तो मानने को...

v/;{k egkn;% वो प्रश्न स्वीकार करने का अधिकार नहीं।

Jh euftnj flag fljlk% मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं भी उसी बात पर आ रहा हूँ।

v/;{k egkn;% उत्तर तो बाद में आयेगा, आप अभी समझे नहीं, मेरी बात को।

Jh euftnj flag fljlk% मैं समझ गया अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% देखिये, माननीय सदस्यों से एक मैं प्रार्थना कह रहा हूँ कि उत्तर तो बाद में आयेगा, एलजी साहब ने ये लिखा है कि मुझे प्रश्न स्वीकार करने का ही अधिकार नहीं है। प्रश्न ये है। हम उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। हम उत्तर पर जोर दे रहे हैं।

Jh euftnj flg fljlk% तो अध्यक्ष जी, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, आप मेरी... अध्यक्ष जी, ऐसा है... बिल्कुल आपने ठीक है, मैं सवाल भी समझ गया और ये बात भी समझ गया हूँ, पर मैं भी ये कह रहा हूँ। मेरे मित्रों को मैं विनती करता हूँ, आपके पास खुला समय है बोल देना, मुझे एक मिनट अपनी बात कर लेने दो।

अध्यक्ष जी, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा लिखा है, जो कि लिखा है, जो कि आपके संज्ञान में पत्र आ चुका है तो अध्यक्ष जी, ये तो किसी संविधान के तहत ही लिखा है। आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। आप उनको लिखित तौर पे भी पूछना चाहिए कि कौन से संविधान के तहत आप हमारे राइट का खंडन कर रहे हैं, किस रूल के तहत आप हमारे राइट का हनन कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई कानून है तो आपको बैठ के उसपे चर्चा करानी चाहिए। क्यों ऐसा कोई कानून है, क्यों संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जिसके अंदर अगर अध्यक्ष को...

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नहीं...

Jh euftnj flg fljlk% वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे ही हैं। ये आपके लिए तो कोई कानून ही मायने नहीं रखता। आप मेरे को, मेरी बात करने दें। कमाल हो गया! आप अध्यक्ष जी, सिर्फ बात...

v/;{k egkn;% देखिये, आप लोग बैठेंगे।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% आप लोग बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए इसको हँसी में मत लाइये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, इसको बहस में मत उड़ाइये, प्लीज। सिरसा जी, एक बात समझ... नहीं, नहीं, आप एक बार समझ लीजिए बात को।

Jh euftnj flg fljlk% मैं समझ गया बात को।

v/;{k egkn;% नहीं, आप दो मिनट रुकिये, मैं आपको पूरा बता देता हूँ।

Jh euftnj flg fljlk% मुझे बोलने का राइट भी नहीं है! जो ये सुनना चाहता है, मैं वही बोलूँ?

v/;{k egkn;% सिरसा जी, या तो दो मिनट... एक बार समझ लीजिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। उन्होंने किसी कानून का हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा, क्योंकि ये रिजर्व सब्जेक्ट है, इसलिए अध्यक्ष इन रिजर्व सब्जेक्ट पर... मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। ये रिजर्व सब्जेक्ट है, इस लाइन पर प्रश्न नहीं स्वीकार कर सकते। कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं।

Jh euftnj flg fljlk% मैं भी यही तो कह रहा हूँ।

v/;{k egkn;% कोई धारा नहीं।

Jh euftnj flag fljlk% वो आप सुन नहीं रहे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अगर स्पीकर साहब...

v/;{k egkn;% आप ये कह रहे हैं कि एलजी ने किस हिसाब से कहा।

Jh euftnj flag fljlk% हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको पूछना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था हैं, ये दोनों। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी संवैधानिक संस्था है। आप स्पीकर महोदय, आपकी भी संवैधानिक संस्था है।

v/;{k egkn;% एलजी को पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि इतना सा पत्र लिख रहा हूँ।

Jh euftnj flag fljlk% आपको पूछना चाहिए।

v/;{k egkn;% मेरी रूलिंग, ये भी है साथ में। इसको रिकॉर्ड पर ले लें।

Jh euftnj flag fljlk% आप इगो की लड़ाई क्यों बना रहे हैं?

v/;{k egkn;% इसको रिकॉर्ड में ले लें।

Jh euftnj flag fljlk% इसको...

v/;{k egkn;% एलजी को पहले... एलजी को पहले मुझसे पूछना चाहिए...

Jh euftnj flag fljlk% बिल्कुल ठीक है।

v/;{k egkn;% कि मैं ऐसा पत्र अधिकारियों को लिख रहा हूँ।

Jh euftnj flag fljlk% बिल्कुल ठीक कहा आपने।

v/;{k egkn;% मुझसे पूछना चाहिए था।

Jh euftnj flag fljlk% मैं कहूँ अगर आपसे नहीं पूछा तो हम इसको इगो की लड़ाई क्यों बना रहे हैं? हम हर चीज को ईगो की लड़ाई बनाके, उसको...

v/;{k egkn;% ईगो की लड़ाई नहीं, ईगो की लड़ाई वहाँ से बनी हुई है।

Jh euftnj flag fljlk% मैं प्रिंसिपली आपके साथ सहमत हूँ।

v/;{k egkn;% देखिये...

Jh euftnj flag fljlk% सौ परसेंट सहमत हूँ, आपके साथ अध्यक्ष जी। मैंने पहली बात ये कही थी।

v/;{k egkn;% अच्छा अब एक मिनट, तो ये कहेगा...

Jh euftnj flag fljlk% अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn;% कि आई एम द गवर्नमेंट।

Jh euftnj flag fljlk% आप ऐसी बात करते हैं, अच्छे नहीं लगते, मैं आपको...

v/;{k egkn;% जब एक व्यक्ति... नहीं सिरसा जी, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ।

Jh euftnj flg fljlk% आप अध्यक्ष हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैंने अपनी पहली सहमति कहा कि जो आपका सवाल है, वो जायज है।

v/;{k egkn;% सौरभ जी।

Jh euftnj flg fljlk% पर मैंने... इसके साथ ये भी कह रहा हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि...

v/;{k egkn;% अब इसमें दस मिनट का समय... मैं ज्यादा नहीं...

Jh euftnj flg fljlk% दो संवैधानिक संस्थाएं हैं।

v/;{k egkn;% सौरभ जी, अलका जी...

Jh euftnj flg fljlk% अध्यक्ष जी...

v/;{k egkn;% भई अब नहीं... नहीं बस, नहीं हो सकता, बजट पे चर्चा होनी है।

Jh euftnj flg fljlk% हम भी इसी तरह अध्यक्ष जी...

v/;{k egkn;% मेरी बात को समझ लीजिए थोड़ा सा, बजट पे चर्चा...

Jh euftnj flg fljlk% डाँटते नहीं, टालते नहीं, मेरा एक ही आपसे... बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं सौ परसेंट आपसे समहत हूँ, प्रिंसिपली पहली बात में मैं आपसे सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल... आपकी जो अतिशयोक्ति है, जो आपकी

राय है, बिल्कुल जायज है, पर मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये ईगो की लड़ाई मत बनाई जाये। अगर स्पीकर महोदय ने संविधान के किसी एक्ट के तहत लिखा है, हम फिर भी आपके साथ हैं क्योंकि अध्यक्ष जो हैं, वो सर्वोपरि हैं। अगर सरकार... विधान में चुने हुए 70 लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में और आप ही को जवाब नहीं आयेगा तो किसको जवाब आयेगा? पर अगर स्पीकर महोदय ने लिखा है तो ये चर्चा होनी चाहिए थी, उनसे पूछ कर आपने संविधान के किस एक्ट के तहत लिखा है। आपने किस रूल के तहत लिखा है, अगर आपने ऐसा लिखा है, हमारे मेम्बरों की सहमति नहीं है इसके साथ, लेकिन मेरा इतना कहना है कि इसको ईगो की लड़ाई मत बनाया जाये ये, किसी को दोष पर दोष की लड़ाई बनाया जाये, इसमें से कुछ रिजल्ट निकाला जाये।

v/;{k egkn;% धन्यवाद, धन्यवाद। बैठिए प्लीज कमांडो जी, कमांडो जी, बैठिए प्लीज। सौरभ जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt% जी।

Jh vt; nÙk% अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी, बैठिए पहले। पहले बोल लेने दीजिए अजय जी को। क्या कहा बाहर बैठिये।

Jh lkjHk Hkkj}kt% सर, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए।

v/;{k egkn;% नहीं, बोल लेने दीजिए उनको। जो कुछ है उनके पास, बोल लेने दीजिए। नहीं, वो कहेंगे खड़े होकर।

Jh vt; nÙk% अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

पहले तो मैं सभी सदस्यों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि सबके अपने विचार हैं और उनमें किसी को कम न समझें। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, हो सकता है कि सब्जेक्ट पे हमारी बहुत नॉलेज न हों, लेकिन हम भी बोल सकते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले दो चीज कहना चाहता हूँ। एक ये कि संविधान ने एक चुनी हुई सरकार, पूरा संविधान... अगर भारत का देखा जाये तो उसमें ये हम भारत के लोग प्रिएम्बल में भी ये लिखा है और वो देश चला रहे हैं और वो दिल्ली चला रहे हैं तो सबसे सर्वोच्च जनता की चुनी हुई सरकार है, उसके बाद नौकरशाही है। नौकरशाही को ही नौकरशाही इसीलिए कहा जाता है कि वो जनता के लिए काम करे और एलजी महोदय, उस नौकरशाही को रिप्रजेंटेंट करते हैं, वो आपको... मुझे ये लगता है और जो संविधान के दायरे में भी है कि वो आपको... इस विधान सभा को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। ये चुनी हुई लोगों की विधान सभा है और वो कोई आपको ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप इस विषय पर अपना काम कर सकते हैं और इस विषय पे अपना काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत असंवैधानिक तौर से ये लेटर आपको भेजा गया है और सर्विसेज मैटर एक अलग विषय है। वो अगर किसी को ट्रांसफर्र, पोस्टिंग करना चाहते हैं, वो अलग विषय है लेकिन इस चुनी हुई विधान सभा को, दिल्ली की विधान सभा और दिल्ली के लोगों को ये अधिकार है कि वो आपकी ये हर सर्विसेज के हर मैटर को ये पूछ सकें। तो अध्यक्ष जी, मैं ये एक अपनी बात... विषय खत्म कर रहा हूँ कि इसमें हम सभी आ आते हैं और मैं भी आता हूँ कि अगर एलजी साहब ने इस तरीके का गंभीर लेटर आपको लिख के दिया है...

v/;{k egkn;% अगर कहाँ से आ गया! लिखा है, मैंने पढ़ के सुनाया है। आप अगर जोड़ रहे हैं।

Jh vt; nÙk% नहीं, नहीं, लिख के दिया है तो इस पर हम सब लोग उनसे जवाब चाहते हैं कि ये चुनी हुई सरकार का क्या महत्व है? इस चुनी हुई सरकार को क्या आप ऑर्डर देंगे काम करने के लिए या हम नौकरशाही को ऑर्डर देंगे! ये बात तय करने का विषय है।

v/;{k egkn;% बैठिये, बैठिए प्लीज।

Jh vt; nÙk% धन्यवाद।

v/;{k egkn;% सौरभ जी, अभी अलका जी इसके बाद।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी, बेहद दुःखद बात है कि एलजी साहब ने जनता से जो लड़ाई शुरू की है, उसको आज इस लेबल पे ले आये हैं कि आज एलजी साहब का निर्देश आया है कि अफसरों से जुड़े हुए कोई भी सवाल; चाहे वो उनकी तनख्वाहों से संबंधित हो, चाहे वो इनकी विदेशी दौरों से संबंधित हो, चाहे सरकार के खिलाफ ही उन्होंने जो वकील किए हैं, उनको फीस कितने दी है, अफसरों को छुट्टी कौन देता है, अफसरों को अपनी ही सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की अनुमति कौन दे रहा है, कब कब वो अनुमति दी गयी है, इस तरीके के सवाल मैंने लगाये थे, उनके जवाब भी नहीं आये हैं और अध्यक्ष जी सीधा सीधा देखा जाये तो इसकी शुरूआत पहले इस तरह से हुई थी कि कैसे अफसरों को चुनी हुई सरकार के काम को रोकने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। अफसरों को कहा गया कि आप चुनी हुई सरकार के सब कामों के अंदर

रोड़े अटकायें। अब सवाल भी देखिये, सवाल लगाये गये थे कि डोर स्टेप डिलिवरी आफ राशन के अंदर किन किन अधिकारियों ने एतराज लगाये, बताइये। क्योंकि विपक्ष के लोगों को पता है कि अफसरों ने ऐतराज लगाये होंगे। उनकी दिलचस्पी इसमें हैं कि किन किन अफसरों ने उसके अंदर ऐतराज लगाये फिर भी वो कैसे कैबिनेट के अंदर पास हो गया और अफसरों के ऐतराज के बाद भी वे कैबिनेट से पास हो गया तो एलजी हैं ऐतराज लगाने के लिए क्योंकि एलजी साहब का... एलजी साहब मेरी कांस्टीट्युएंसी में रहते हैं। जीके–2 में, एक बेहद आम तरीके के बाबू थे, उनके नाम को आप गूगल करें तो उन्होंने जिंदगी में कोई एक काम ऐसा नहीं किया, जिसके लिए इतिहास, भारत या दिल्ली उनको याद रखे। एक भी काम नही किया। उनकी उम्र के तमाम बुजुर्ग कम से कम अपने आसपास के पार्क के अन्दर थोड़ा बहुत गमला ही लगा देते हैं या कहीं पर कोई सोशल वर्क के अन्दर ही काम करते हैं। आरडब्लूए के अन्दर ही बता देते हैं। बेटा, ये फुटपाथ ठीक नहीं है, इसको करा दो। उन्होंने ये काम भी अपनी जिन्दगी में कभी नहीं किया। ये समझिए, आईएएस ऑफिसर एक साधारण हमारे जो बैजल साहब हैं, बिल्कुल साधारण। मैं उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं करना चाहता। बेहद साधारण बाबू थे अपनी जिन्दगी में और अब वो जब रिटायरमेन्ट के 10–15 साल अपने घर में आराम कर रहे थे तो उनको अब एलजी बना दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा ही घटिया काम है कि आपने एक ऐसे आदमी को वहाँ पर बिठा दिया! इससे ही इस मंशा का पता चलता है कि आपको दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना है। अब जब आपने अफसरों का इस्तेमाल करना शुरू किया कि ये अफसर फलाँ मंत्री का काम रोकेगा, ये अफसर फलां मंत्री का काम रोकेगा, ये अफसर असेम्बली के अन्दर कमेटियों का काम रोकेगा तो अब

आपको अफसरों को संरक्षण देना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि असेम्बली के क्वेश्चन्स के माध्यम से या असेम्बली में कमेटी के माध्यम से उन अफसरों पर सवाल लगाये जा रहे हैं। उन अफसरों को सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं और कई जगह कमेटीज के सामने ये साबित हो रहा है कि ये अफसर भ्रष्टाचार के अन्दर लिप्त हैं। इनका भ्रष्टाचार कागजों पर उजागर हो रहा है और अब असेम्बली की कमेटी कह रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब एलजी साहब कार्रवाई के नाम पर ये कह रहे हैं कि ये मामला तो सर्विसेज का है। भाई, सर्विसेज का तो हम भी मान रहे हैं, मगर कार्रवाई तो करो। हम ये कोई न कह रहे हैं कि ये मामला सर्विसेज का नहीं है। मगर ये आदमी भ्रष्टाचारी है इसके ऊपर कार्रवाई करो। एलजी साहब कह रहे हैं, ये सर्विसेज का है। हम ये कह रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। कुला मिलाके एलजी ये कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई नहीं करूँगा क्योंकि ये काम मेरा है और मुझे कार्रवाई करनी नहीं है हर जगह। भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की सिर्फ एक जगह है, अनिल बैजल का घर। वो एलजी साहब का जो घर है, जो एलजी हाउस है, वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का एक अड्डा बन गया है। मेरा मानना है कि हर विधायक को अपने विधायक के दफ्तर में अनिल बैजल साहब की एक तस्वीर लगानी चाहिए और उसके ऊपर लिखना चाहिए, 'भ्रष्टाचारियों का संरक्षक, माननीय अनिल बैजल साहब।' हम सब संरक्षक हैं। नहीं, सरगना जो है, वो कहना अभी ठीक नहीं है क्योंकि इसके सबूत मेरे पास नहीं हैं। मगर इसके सबूत मेरे पास हैं और पूरे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से ये प्रार्थना है कि अपने यहां ये तस्वीर लगाके उसके ऊपर लिखें, 'भ्रष्टाचारियों के सरक्षक माननीय अनिल बैजल साहब।'

अब मैं भाजपा के अपने दोस्तों के पास आता हूँ। उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की कि उनको इस चीज से एतराज है कि विधान सभा के अधिकारों को कम किया जा रहा है। मगर इन अधिकारों को कम करने की गंगोत्री कहाँ से आई? गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के लॉ डिपार्टमेन्ट से। एलजी साहब के पास कारतूस ही नहीं है कि वो बन्दूक चला सकें। कारतूस तो केन्द्र सरकार के पास है। एलजी साहब का तो कन्धा रहता है। एलजी साहब ने क्या किया? एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखी है लॉ डिपार्टमेन्ट को, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को। और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के लॉ डिपार्टमेन्ट ने जवाब दिया कि जी, हाँ इस तरीके के रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर सवाल पूछने का अधिकार इस असेम्बली को नहीं है। लिहाजा एलजी साहब ने वो कोरियर का काम करते हुए, वो चिट्ठी आपको दे दी है। अगर मेरे भाजपा के मित्र इस चीज के लिए वाकई में ही सीरियस हैं तो वो कल ही सुबह गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से मिलें और कहें कि आपके डिपार्टमेन्ट में बैठे हुए एक बाबू ने एक षडयंत्र का काम किया है। कृपया करके अपनी इस चिट्ठी को तुरन्त वापस लें और नई चिट्ठी दें। हम भी मानेंगे कि हमारे भाजपा के मित्रों ने वाकई दिल्ली असेम्बली के अधिकारों के लिए ये काम किया है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;% विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUæ xqIrk% अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि असेम्बली के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और असेम्बली के अधिकार बढ़ने चाहिए लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम यहां से डिबेट करें, डिस्कसन करें और फिर उसमें से कुछ निष्कर्ष न निकले तो जिस इस एसेम्बली के हाथ

में है, पहले वो ये एसेम्बली करे। क्योंकि ये जो रूल बुक है, ये इसी एसेम्बली के पास इसका अधिकार है। हमारे पास इसका अधिकार है। इसको अगर कोई भी परिवर्तन करना है, अमेन्डमेन्ट करना है तो हमारा अधिकार है। हमारी ही रूल बुक में लिख दिया गया। जो आपने 29 का जिक्र किया। रूल–29 में लिखा है प्रश्न, प्रश्नों का विषय। प्रश्न, प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्रवाई का सुझाव देना होगा। जब हमारी बनायी हुई किताब में अगर हमने खुद ही ये लिख दिया कि प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है तो फिर हम किसी और से जाकर क्या लड़ेंगे? तो पहला तो इसको मैं कहूँगा कि इस सदन में एक प्रस्ताव लाके क्योंकि ये 33(1) एनसीटी एक्ट में ***The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi made rules for regulating its Procedure and Conduct of Business which have and which were notified by the L.G...*** तो मेरा ये कहना है कि हमें रूल 29 को बदलने की जरूरत है। अगर रूल 29 यहां खड़ा हुआ है। यहां हमारे बीच में है तो फिर हमारी डिबेट आगे कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगी, ये हमको विचार करना चाहिए। असेम्बली को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सवालों के जवाब प्राप्त करे लेकिन अगर वो सरकार तक ही सीमित है तो फिर ये हमारा जो सरकारी के उत्तरदायित्व से बाहर है। ये तो हमने खुद ही लिख दिया। हमने रूल बुक खुद ही बनाया हुआ है। असेम्बली ने ही बनाया हुआ है फिर क्या करोगे आप?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, एक सेकेण्ड, सोमनाथ जी।

...(व्यवधान)

Jh fotsUæ xqIrk% बैठिए, बैठिए, इसको बदलिए।

v/;{k egkn;% विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं। नियम 29 को आप पढ़िए पूरा। इंगलिश वर्जन मैं पढ़ रहा हूँ। ***question must relate to matter of administration for which the Govt. is responsible, govt. means ...***

Jh fotsUæ xqIrk% गवर्नमेन्ट मीन्स स्टेट गवर्नमेन्ट। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेन्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ। बदलो इसको पहले। अगर आपने यही लिख दिया।

v/;{k egkn;% स्टेट गवर्नमेन्ट रिसपांसिबल है। उसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है।

Jh fotsUæ xqIrk% कौन सा? एनसीटी।

v/;{k egkn;% उसका अर्थ ट्विस्ट हो गया। अलका जी। सौरभ जी, दो मिनट।

lqJh vydk ykEck% धन्यवाद अध्यक्ष जी, मामला बहुत ही गम्भीर है और आपके पत्र के बाद बहुत निराशा भी नहीं लगी। निराशा इसलिए हुई कि अपने शब्दों को कहने से पहले एलजी साहब की उम्र, अनुभव और पद की गरिमा का ध्यान रखूँगी एक–एक शब्द पर और यही उम्मीद मैं एलजी साहब से भी कर रही थी कि वो भी अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और ऐसा कोई भी पत्र लिखने से पहले हजार बार सोंचेंगे। निराश इसलिए

हो रही हूँ अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने कहा पुलिस, कानून–व्यवस्था, जमीन और अपना सर्विसेज जो है, वो एलजी साहब के अधीन है। अभी जेएनयू में नौ पीएचडी की छात्राओं के साथ एक प्रोफेसर ने किस तरीके से जो है, वो गम्भीर उस पर आरोप लगे। हमने जाकर उन्हें यकीन दिलाया। प्रेस कान्फ्रेंस करी कि आप चिन्ता मत करिए, हम सदन में भी सवाल को उठाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। जरूरत हुई तो देश के गृह मंत्री और एलजी साहब के पास भी जाएंगे। आज जब ये पत्र पढ़ रहे थे आप, तो मुझे लग रहा था निराशा हो रही थी कि जेएनयू की उन बेटियों को, जिसको बेटी बचाओ के नारे के तहत हम उम्मीद देकर आये हैं कि आपको न्याय मिलेगा, इस सदन में भी आवाज उठेगी। एलजी साहब के पास भी जाएंगे और आपका पत्र पढ़ने के बाद मुझे लगता है, उन्हें जाकर कहना पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिएगा। एलजी साहब ने एक फरमान जारी किया है। हम अपनी दिल्ली की बेटियों को नहीं बचा सकते क्योंकि पुलिस और कानून का मैटर है। जो दिल्ली सरकार नहीं, एलजी साहब के अधीन आता है। अध्यक्ष जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले नजीब जंग साहब भी एलजी रहे पिछले तीन सालों में। अब ये अनिल बैजल साहब आये हैं। क्या दोनों में कोई दिक्कत है। दोनों में कोई कमी है। दोनों पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। एक ही सूत्र है–केन्द्र की भाजपा सरकार। आज यहां पर जो भाजपा के सदस्य बैठें हैं अध्यक्ष जी, इन्होंने जब बात की कि हाँ, वो भी इसको गलत मानते हैं और उन्होंने भी आज सत्ता पक्ष के साथ स्वर में स्वर मिलवाया और इस पत्र को जो आपने पढ़ा है, उसका विरोध किया है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि केन्द्र में बैठी सरकार ही नियुक्त कर रही है एलजी और एलजी को अधिकार है किसी की नियुक्ति, ट्रांसफर,

परमोशन, पोस्टिंग सब अधिकार आपके पास है लेकिन अगर दिल्ली में कानून–व्यवस्था से सम्बन्धित कोई प्रश्न होगा। इस सदन में चर्चा नहीं होगी। यहां से दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं मिलेगा तो एलजी साहब तो किसी को मिलते नहीं। परसों प्रैस कान्फ्रेंस करके जेएनयू की बेटियों के लिए समय माँगा, अभी तक अध्यक्ष जी, हमें समय नहीं मिला है। मैं गरिमा की बात कर रही हूँ, यह सबसे पहले तो जेएनयू की बात हुई।

एक और उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। चाहे वो एलजी का पद हो संवैधानिक, चाहे देश के राष्ट्रपति जी का पद हो और चाहे राष्ट्रीय चुनाव आयोग हो, तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। किस तरीके से पिछले तीन सालों में इस सरकार और इस सदन को कमजोर करने के लिए लोकतंत्र में इन संवैधानिक पदों का इस्तेमाल किया है, मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहती हूँ। सोचा तो था कि भारत सरकार, जो बीजेपी की है, उसे सबक मिल गया होगा। पहले इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा का बिना ध्यान रखे अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थिर लोकतंत्र की सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू किया। हाई कोर्ट गए मुँह की खानी पड़ी। अध्यक्ष जी, फैसला आया, राष्ट्रपति शासन हटाया गया और सरकारों को बहाल लोकतंत्र में किया गया। यह बहुत बड़े पद की गरिमा थी राष्ट्रपति का फैसला था और अभी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, आपने भी देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो है, 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। यह दूसरा मामला है, यहां पर राष्ट्रपति जी की गरिमा को दाँव पर लगाया गया। यह तीसरा मामला है अरुणाचल, उसके बाद उत्तराखंड और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है, वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का इस्तेमाल करकर जो है, हमें बर्खास्त

किया गया और राष्ट्रपति जी की मुहर लेकर आए, बोला कि राष्ट्रपति जी को चुनौती नहीं देंगे। यही बात कोर्ट में न्यायालय ने, अदालत ने, जज साहब ने कही। ऐसा नहीं है, संविधान हमें आपसे बेहतर मालूम है और जज साहब ने यही दो उदाहरण बताये कि पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं और उन्होंने फैसला लिया। मैं हाथ जोड़कर केंद्र की भाजपा सरकार से कहूँगी कि बख्श दीजिए, हम अभी अपने साथी से चर्चा कर रही थी, आपको क्या लग रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या लग रहा है क्या एलजी साहब के ऊपर चाहे अनिल बैजल साहब हों, चाहे उनसे पहले नजीब जंग साहब हों, क्या केंद्र सरकार का दबाव है। तो यह कान में आया कि नहीं, दबाव तो हो सकता है लेकिन लालच भी हो सकता है। लालच किस बात का है! आपको क्या आगे चाहिए, क्यों आप चमचागिरी कर रहे हैं, क्यों केंद्र में आपके आकाओं को आप खुश करने के लिए एक लोकतंत्र के अंदर संविधान के साथ चुने हुए सदन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? हाथ जोड़कर अनिल बैजल साहब से जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सदन की कार्रवाई को सुन और देख रहे होंगे अपने घर पर बैठकर। आपसे हाथ जोड़कर हम लोग उम्मीद करते हैं। देश और दिल्ली की जनता इस चुने हुए सदन से उम्मीद करती है, न कि आपसे उम्मीद करती है, वरना यह देश, दिल्ली की जनता आपके दरवाजों पर होती। वो हमारे दरवाजों पर अपने महत अधिकारों की आवाज लेकर नहीं आती। वो हमारे पास आती है, वो उम्मीद करती है, इसी सदन से जवाब मिलेगा। मैं आपसे अध्यक्ष जी, यही कहती हूँ अनिल बैजल साहब अगर सुन रहे होंगे, अपने इस पत्र को वापस लें वो कि उनसे बहुत बड़ी गलती और भूल हुई है और जहाँ तक नेता, विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा है, उन

संभावनाओं को भी खोज लेंगे हम लोग, चर्चा कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि संविधान की किसी किताब के किसी नियम में उसे लोकतंत्र में हमें कमजोर किया जा रहा है, चुने हुए सदन को कमजोर किया जा रहा है तो उसमें भी अगर बदलाव करने की कोई सम्भावना होगी तो इस सदन में बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। पर मैं एलजी साहब को कहूँगी, लोकतंत्र में इसे कमजोर मत करिये। अपने इस लैटर को वापस लें। बहुत निराशा हुई है आपसे, जयहिंद।

v/;{k egkn;% नितिन त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh% v/;{k egkn;] यह 29 नंबर तो पढ़वा दिया। यह 48 नंबर पर, इसमें लिखा है कि ***The Speaker shall decide the admissibility of the Question*** इसमें कहीं नहीं लिखा और पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा कि एलजी भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एडमिसिबल है, क्या एडमिसिबल नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एलजी स्पीकर को कहीं से कहीं तक भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कौन सा एडमिसिबल है, कौन सा एडमिसिबल नहीं है। हाँ, यह जरूर नहीं पूछ सकते कि किसको सर्विसेज में कहाँ पर, कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। हो सकता है पूछ सकते हों, न पूछ सकते हों। पर यह तो पूछा जाएगा कि वो कहाँ पर है? छुट्टी किसने दे दी, काम के समय पर गायब कायम कहाँ था। अगर कानून व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती है, किसी की हत्या होती है, किसी का रोड एक्सीडेंट होता है, छाती पीटने तो पहुँच जाते हो वहाँ पर। उसके लिए सदन में अगर पूछा जाएगा कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी, पुलिस काम क्यों नहीं कर रही। हम लोग यहां किसलिए आते हैं, जनता की आवाज उठाने आते हैं ना, जिन लोगों ने हमको चुन कर भेजा,

उनकी आवाज उठाने आते हैं ना। या यह पूछकर आते हैं कि मैं यह तुम्हारी बात उठा पाऊँगा और यह नहीं उठाऊँगा वहाँ पर। हमें तो हर दुःख, हर दर्द, हर परेशानी उठानी है उनकी यहां पर आकर। इसमें तोड़–मोड़कर, शब्दों का हेर–फेर लाकर, पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं हम लोग! हम लोग सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं कि हम क्या बात उठाएंगे, क्या नहीं उठाएंगे? जो दर्द है हमारी जनता का, हम वो उठाएंगे। वो हमारा हक भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है। इसी बात की कसम खाई थी हमने। यही हमारे मैनिफेस्टो कहते हैं। हमारा भी कहता है, आपका भी यही कहता है। आप जरूर भूल गए होंगे कि आपने भी कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। हाँ, याद है, हमको याद है, आज भी याद है और आगे भी याद रहेगा। आप जरूर भूल गए होंगे कि दिल्ली के लोगों को एक न्याय दिलवाएंगे। जो यहां से सात एमपी लड़े थे, वो जरूर भूल गए कि दिल्ली के लोगों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। हर बार बिल में छिपे बैठे होते हैं। हम नहीं भूले हैं, हमें याद है कि एक–एक शब्द जो हम लोगों ने वायदे किए थे।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% नितिन जी, कन्क्लूड करिये।

Jh fufru R;kxh% यही बताना चाहूँगा कि ये पब्लिक को, सदन को गुमराह करने के लिए सेलेक्टिव चीजें न पढ़ा करें। इसमें साफ लिखा है कि 'पावर वेस्ट्स विद द स्पीकर ओनली' कि कौन सा क्वेश्चन एडमिसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। इसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा कि एलजी इंस्ट्रक्ट करेगा स्पीकर को और इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में।

स्पीकर साहब, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग में, यह बहुत शर्मनाक हरकत है उनकी और इसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए। यह पत्र भी वापस लेना चाहिए। मैं जितेन्द्र तोमर जी के इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूँ, हम सब को चलकर राष्ट्रपति जी से बात करनी चाहिए कि यह जो आपने अप्वाइंट किया है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहा। हमें नहीं पता किसके लिए काम कर रहा है, पर दिल्ली के विकास को, दिल्ली की शांति को भंग करने के लिए काम जरूर कर रहा है। देखिये, बहुत जरूरी है दो डिफरेंट चीजें हैं; एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको वो हैड कर रहे हैं और जनता के हम लोग नुमाइंदे हैं, हम जनता की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक लेकर जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। वो लोग काम करते होते तो हमारी जरूरत न पड़ती, पर वो लोग काम नहीं करते हैं। हमें एक होना पड़ेगा, आपको भी एक होना पड़ेगा। आज आप वहाँ बैठे हो, वैसे तो ऐसा नहीं होगा पर हो सकता है कभी इस तरफ आ जाए। आप भी फेस कर सकते हो, इसके लिए आपस में भिड़े बिना।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn;% बैठिये, बैठिये।

Jh fufru R;kxh% मुझे लगता है हम सब को जाना चाहिए। धन्यवाद।

v/;{k egkn;% मैं, विजेन्द्र जी ने जो प्रश्न उठाया था सरकार उत्तरदायी है, मैं इसको या तो समझने में अंतर है, हो सकता है मैं पहली बार अध्यक्ष बना हूँ, मेरी समझ में अंतर हो सकता है लेकिन विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठ जाइये प्लीज। प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से संबंध होना

चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। क्या सर्विसेज हमारे किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती, एक सेकेंड रुक जाइये दो मिनट। मैं विजेन्द्र जी से बात कर रहा हूँ। क्या पुलिस हमारे दिल्ली के किसी मंत्रालय में गृह विभाग में नहीं आती, क्या भूमि हमारे किसी मंत्रालय के विभाग में नहीं आती? प्रश्न नंबर एक। अगर हम इसको उल्टा डिस्कशन ले जाएंगे तो बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। दूसरा प्रश्न, जो लिखा है सरकार उत्तरदायी है भारतीय सेना के विषय में दिल्ली सरकार उत्तरदायी नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। खनिज पदार्थों के विषय में जितनी भी खानें हैं देश में, कोयला ये वो, उसके विषय में दिल्ली सरकार उत्तरदायी नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। पेट्रोलियम पदार्थ कितने इम्पोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं दिल्ली सरकार उसके लिए उत्तरदायी नहीं है प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इनकम टैक्स केन्द्रीय सरकार का विभाग है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है दिल्ली सरकार उसका प्रश्न नहीं पूछ सकती। इससे रिलेटिड जो आपने कहा है 29 की क्लेरिफिकेशन दी, मैं यह समझ रहा हूँ, एक बात। बात नंबर दो, यह क्लियर मैसेज जाना चाहिए, यह विधान सभा मैसेज नहीं देगी। सत्ता बदलेंगी, आएंगी, जाएंगी लेकिन दिल्ली के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, हम एक नहीं हुए। दूसरी बात, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ; रिजर्व सब्जेक्ट पर निर्णय आया था 4/8/2016 को और एलजी की आँखें आज खुली हैं एक साल, चार महीने बाद। एक साल चार महीने तक, इस सदन में प्रश्न पूछे जाते रहे। इसी सदन में इन्हीं सब्जेक्टों को लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे। रिजर्व सब्जेक्ट पर निर्णय 4/8/2016 को आया। मैंने अभी डेट निकलवाई है। कहकर के डेट निकालिये। वो भी एक साल सात महीने बाद एलजी को होश आया है, यह पत्र लिखने का। तब होश

आया है जब अधिकारियों के ऊपर क्वेश्चन लगे। विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे गए, अधिकारी कहें हम तो फंस गए। सौरभ जी ठीक कह रहे थे, सोमनाथ जी ठीक कह रहे थे, तब उनका सुझाव हुआ, ऐसा कर दीजिए, रिजर्व सब्जेक्ट है, कोई कानून नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की राय ले लीजिए। राय ली और लिख डाला। अंधेरे में तीर चला डाला तो यह एक साल सात महीने बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्व सब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो अब एलजी साहब कौन सा पहाड़ टूट गया था! कौन सी आफत आ गई थी! दिल्ली कौन सी तबाह होने जा रही थी जो आपको पत्र लिखना पड़ रहा है! तो मैं बहुत गंभीरता से यह प्रश्न कर रहा हूँ, पार्टियों से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हमें मालूम है हम चाहे आज जितना भी पक्ष लें; ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, कैसे करती है, कैसे चलाती है देश को और इसका गंभीर चिंतन करना चाहिए।

Jh fotUæ xqIrk% अध्यक्ष जी, ये बात तो बिलकुल ठीक है जो आपने कही। जो नेशनल इश्यूज हैं अलग, लेकिन जो इंटरडिपार्टमेंट इश्यूज हैं। पुलिस से भी दिल्ली असेंबली का विभागों का संबंध है। डीडीए से भी बहुत सारी जमीनों से संबंधित है, स्कूल की जमीन की बात है।

v/;{k egksn;% आपने जो 29 पढ़कर सुनाया, मैं उस पर बड़ा गंभीर हूँ। आपकी डेफिनेशन बहुत गलत है।

Jh fotUæ xqIrk% मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे एक मिनट का मौका दीजिए, बस। जहाँ तक 109 प्रश्न जहाँ से बात शुरू हुई, उसके जवाब का प्रश्न है, बिलकुल सदन के समक्ष उसमे 29 का बहाना नहीं लिया जाना चाहिए।

v/;{k egkn;% नहीं आपने 29 को कहा, ये कानून बदलना चाहिए। आपने ये बात कही। इस कानून को बदलने की आवश्यकता नहीं। कानून अपने आप में पूर्ण है।

Jh fotUæ xIrk% मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, अपना व्यू आपके समक्ष रख रहा हूँ; विजिलेंस है, कोई भी विभाग है, ये एक इलेक्टेड हाउस है, इस इलेक्टेड हाउस को जानने का अधिकार है। सदस्यों को उसको कानून की पेचीदगियों में नहीं फंसाना चाहिए। जो क्लियरकट आपने कहा डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाता है; मंत्रियों के विधायकों के दौरों के बारे में या अधिकारियों के दौरों के बारे में तो उसका जवाब आना चाहिए। उसको फिर आप उसकी बारीकियों में जाकर के चीजों को अगर उसको मोड़ना चाहेंगे, असेंबली को जवाब नहीं देना चाहेंगे तो हम उसके हक में नहीं हैं। हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसके विपक्ष में हैं। विजिलेंस सर्विसेज का मामला है, यह कहकर सवालों का जवाब नहीं आएगा, हम इससे सहमत नहीं हैं। विजिलेंस हो, सर्विसेज के इश्यू हों, कोई भी हों जो दिल्ली की असेंबली में किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका जवाब सदस्यों को मिलना चाहिए। हम इस हक में नहीं कि जवाब से कोई विषय नहीं बनता है, कोई फैसले नहीं हो रहे हैं और फैसले जब होंगे तो उसमें कोई अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन हमारा ये अधिकार है कि हम सवालों के जवाब हमको मिलने चाहिए। उसको बारीकियों में, उसको कानूनी पेचीदगियों में नहीं फंसाना चाहिए। अगर इंटरडिपार्टमेंट इश्यू हैं तो ये कहकर जवाब कैसे रोका जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने उदाहरण के तौर पर डीडीए से कितने विद्यालयों के लिए जमीन मांगी तो अगर डीडीए के पास उस फाइल को

भेजना पड़ा जवाब के लिए और डीडीए ये लिखकर भेज दे कि हम इसका जवाब नहीं देंगे। क्योंकि ये इस असेंबली के अंतर्गत नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से गैर वाजिब होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटररिलेटेड होती हैं। विद इन द लॉ एंड आर्डर की महिला सुरक्षा की बात हम करेंगे तो पुलिस से हम पूछ सकते हैं।

एक बहुत बड़ा इश्यू, अभी एक प्रश्न के जवाब में उत्तर आया कि दिल्ली की सड़कों पर प्रतिवर्ष कितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, 1584 लोग मरते हैं। दिल्ली में ब्लैकस्पॉट कौन कौन से हैं तो ट्रैफिक पुलिस बताती है पीडब्लूडी को कि ये ब्लैकस्पॉट हैं, ये एक्सडेंट प्रोन हैं इनको आप ठीक करिए। पीडब्लूडी उसको ठीक करती है लेकिन अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ये कह देगी कि हम आपको जवाब नहीं देंगे या हम आपको नहीं बताएंगे ब्लैकस्पॉट कौन से हैं, तो वो ठीक कैसे होगी? तो इसलिए ये राजनीति से ऊपर चर्चा है। मैं कहूँगा कि इसमें बारीकियों पर...

अध्यक्ष महोदय: बस, अब हो गया विजेन्द्र जी, अब नहीं प्लीज। अभी 5 बजे बजट पर चर्चा करनी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: उसकी गहराई में जाकर उसकी बाल की खाल निकालकर उन चीजों को रोकना नहीं चाहिए। ये हम इसके हक में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, ओमप्रकाश जी, अब हो गया।

श्री ओमप्रकाश: माननीय अध्यक्ष जी, अभी सदन में 109 नंबर का जो विदेश के दौरों के विषय में आया, तो पूरे सदन का जो मानस है, मैं ये

समझता हूँ कि इस सदन में बैठे 70 के 70 लोग भूमि, भवन और पुलिस का कोई भी सवाल जो दिल्ली से संबंधित है, वो पूछने का हम सबका अधिकार है। इसके साथ साथ इसके ऊपर निर्णय करने का अधिकार केन्द्र सरकार का हो सकता है लेकिन सवाल पूछने का अधिकार हर सदस्य का है, नंबर एक। नंबर दूसरा ये जो 109 नंबर की जो बात कर रहे हैं सर्विसेज की, इसका उससे कोई लेना–देना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी में जिन लोगों ने पब्लिक फण्ड का उपयोग किया है, उसका ब्यौरा देने में किसी को भी किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिए और यदि कोताही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रोवीजन किया जाना चाहिए, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% अब आधा घंटे के लिए चाय ब्रेक, धन्यवाद सभी का।

(सदन की कार्यवाही चायकाल हेतु आधे घंटे के लिए स्थगित की गई)

lnu vijkgu 5-13 ct: i|u% leor g|vkA

v/;{k egkn; ¼Jh jkefuokl xk;y½ *पीठासीन हुए।*

/;kukd'k.k ¼fu;e&54½

v/;{k egkn;% बजट पर चर्चा से पूर्व श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUæ x|rk% अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वो दिल्ली के पब्लिक स्कूलों से सम्बन्धित है। जो विषय मेरे संज्ञान में आया है, मुझे लगता है हम में से हरेक सदस्य के संज्ञान में वो आ रहा होगा। और मुझे पूरा विश्वास

है दिल्ली की सरकार... क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत सजग हैं, वो इसका संज्ञान लेकर इस पर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में क्योंकि नया वर्ष प्रारम्भ हो रहा है तो तीन चीजें: पहला, नौवीं ओर ग्यारहवीं के विद्यार्थियों का विद्यालय का परिणाम सौ प्रतिशत दिखाना या सभी की डिस्टिंक्शन आई है, सभी 60 परसेंट से ज्यादा है, वगैरह। लोगों के सामने अपनी स्कूल की एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए विद्यालय नौवी और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि उनके परिणामों में फेल किया जाता है या डिटेंन किया जाता है। जिसके कारण बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ता है और उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है, वो एल्कॉन पब्लिक स्कूल का भी मामला कहीं न कहीं उसी तरह का मामला है डिटेंशन का, जिसके कारण एक बच्ची एक्स्ट्रीम स्टेप तक गयी।

तो पहला तो इश्यू ये कि पब्लिक स्कूलों के नौवीं और ग्यारहवीं के परिणामों को सरकार किसी न किसी तरह से उसकी निगरानी करे, उसमें कोई रिवैल्युएशन का स्कोप होना चाहिए, उसको जांचने का, उसको देखने का अधिकार उनके अभिभावकों को मिल सके। नहीं तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कमेटी उसको रिचेक कर सके और ये जो डिटेंशन और ये जो है, वो एक बहुत बड़े स्तर पर विद्यालयों में हो रहा है और इसके लिए दिल्ली के अंदर अभिभावक बहुत चिंता में हैं और बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय बनती है।

दूसरा विषय जो है स्कूलों के अंदर जो बुक शॉप्स हैं, वो एक तरह का बड़ा भारी बिजनेस है और वो सरकार से रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। शॉप्स, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जीएसटी वगैरह भी पे नहीं करते और वहाँ

पे लाखों रुपये की सेल प्रतिदिन उन जगहों पर हो रही है। उसका कारण क्या है कि स्कूल अपने लेवल पर सिलेबस बनाता है, बुक्स जो है, कोर्स के लिए रखता है और वो बुक्स कहीं नहीं मिलती कापी की जो डिजाईन है, वो भी इस तरह का होगा कि कापी भी यही यूज होगी। यहां तक कि मुझे तो लगता है कि कहेंगे पेन भी यही यूज होगा, पेंसिल भी यही यूज होगी और फिर वो कहीं नहीं मिलेगा और मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें हैं जिसमें ये कहा गया है कि कैश ही पेमेंट होगी, चेक से पेमेंट नहीं कर सकते आप। और फिर यहां तक एक अभिभावक ने तो लिख के भेजा है कि स्कूल ने कहा कि जाओ जो करना है, करलो जाकर के... ***I can complaine it to Dte. of Education regarding it. I complained it to your reception that I have been told that he will accept payment in cash only. if I want to make complaint, I can complain to Dy. Director of Education regarding it.***

इसके साथ साथ अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है 23 मार्च, 2018 इसी विषय पर और कोर्ट ने बोला है कि ये आप, मैं दो तीन लाइनें पढ़ देता हूँ: ***'As an interim measure, it is directed that the school will publish on the internet for information of all concerned including the petitioner of the case, the particulars of the other agencies where the text books or stationery items are available and can be procurred individualy. The needful shall be done by the school positively 5.00 P.M. tomorrow.'***

यानी 23 तारीख को कोर्ट ने बोला कि आप इसको अभी इंटरनेट पे दिखाओ कि ये किताबें, कापियाँ और कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं और ये कहाँ से प्रोक्योर कर सकता है। इसी तरह ही यूनिफार्म के मामले में

कि यूनिफार्म भी अब स्कूल से लेंगे। तो किताबों के आड़ में जो जिस तरह का ये व्यवसाय वहाँ चल रहा है, सरकार का जीएसटी तक नहीं आ रहा, बच्चों को किताबें... इस पर सरकार कोई नीतिगत फैसला कर... और अध्यक्ष जी मैं तो अनुरोध करूंगा कि अगर इस सदन की कोई समिति बना कर के भी शॉर्ट टर्म में, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है तो लिया जाना चाहिए, अभिभावकों के शोषण को रोकना चाहिए और बच्चों को मानसिक दबाव से... मैं इस पर चाहूंगा अगर मंत्री जी इस पर...

v/;{k egksn; % माननीय मंत्री जी।

mi eq[; ea=h % फिर वो बजट वाला रह जाएगा।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % नहीं नहीं, फिर बजट का चर्चा, नहीं ऋतुराज जी, प्लीज, ऋषि जी।

...(व्यवधान)

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत दिल्ली के लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट विषय सदन के समक्ष रखा है और सदन का ध्यान चाहा है इस पे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम पहले से भी कर रही है और आगे भी करेगी। उसका पहला पहलू तो यही है कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल बहुत बुरी हालत में रहेंगे, तब तक प्राईवेट स्कूल्स की मोनोपली चलती रहेगी और प्राईवेट में भी कुछ ही प्राईवेट स्कूल हैं, जो बेहतर परफॉर्म कर रहे

हैं, बाकी तो प्राईवेट स्कूल भी बहुत सारे प्राईवेट स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत बुरी स्थिति में थे। लेकिन सभी स्कूल अच्छे से परफॉर्म करें, वो एक उसका समाधान है ताकि ये स्केयरसिटी की वजह से पैदा होने वाली लूट खसोट बंद हो। आपने जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लेख किया है, मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। इसके पहले भी एक क्योंकि आपने जिक्र किया था तो मैंने एक ऑर्डर देखा था, उसमें सीबीएसई ने एक ऑर्डर किया था उसके तहत प्राईवेट स्कूलों में दुकानें; यूनिफॉर्म की और बुक्स की बंद करा दी गयी थीं। उसके बाद में एक पेरेंटस से माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर है 21 फरवरी का, ये 21 फरवरी का ऑर्डर है, 21 फरवरी के ऑर्डर में कहा गया, हाईकोर्ट ने खुद ही लिखा है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कि एक ***'Parents Students Welfare Association claiming to be Association of Parent of school going children.'*** उन्होंने... बड़ा अजीब है लेकिन अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि पेरेंटस की एसोसिएशन ने जाके सो काल्ड पेरेंटस की ऐसोसिएशन ने जाके कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया कि नहीं साहब, स्कूल में बंद नहीं कर सकते साहब। सीबीएसई के ऑर्डर के बाद स्कूलों में बंद हो गयी थीं और ये कुछ महीने तक रहा लेकिन अब उसके बाद जो भी आर्ग्युमेंटस रहे होंगे... प्रेस में, क्योंकि सीबीएसई ने इसको लड़ा कि ये ऑर्डर हमारे पास में है, इसमें ***'It is further directed that the business shall not be prohibited from selling of non NCERT books and uniforms also in the Tuk shops which have been allowed to be set up in the CBSE affiliated schools for selling NCERT books and stationery items vide circular dated this this..'*** सो उसको उन्होंने थोड़ी सी विंडो दे दी कि दुकानें खोल सकते हैं। पर ये जो ऑर्डर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा था।

इस ऑर्डर को एग्जैक्टली नहीं पढ़ा मैंने। ये इंपोर्टेंट है यहां कि उनको फिर बाकी सूचनाएं भी देनी पड़ेंगी और थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा तो मैं इससे सहमत हूँ। और आपने बताया कि जीएसटी भी नहीं पे करते हैं तो मैं अपने जीएसटी विभाग को भी आदेश दूँगा कि इस तरह की कुछ स्कूलों में जाके दुकानों को चैक करें; स्टेटस क्या है, हालांकि 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर ही उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य... क्योंकि... हाँ, है, होगा मतलब एक है कि एक्चुअल कितना है, एक है कि शो कितना कर रखा है। वो देखना, मतलब हम जाके दिखवाएंगे, मैं जीएसटी के ऑफिसर्स को भी भेजूँगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इन दोनों ऑर्डर्स की कंप्लायंस को देखते हुए इसके दायरे में जो भी आदेश पारित करने की जरूरत होगी, अगले कुछ दिनों में इस आदेश को भी, हाँ, एक पूरी... इसीलिए मैंने कहा कि जीएसटी के ऑफिसर से भी पता करा लेता हूँ, यहां से ऑर्डर भी करवा देते हैं और जो भी आपके पास भी अगर पेरेंटस की कंप्लेंट हैं किसी और सदस्य के पास भी हैं, दे दें। उसके बेस पे हम इसको इंक्वायरी कराके इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे

Lkjdkjh ladYi ¼fu;e&90½

v/;{k egkn;% सरकार इस संकल्प को नियम 90 के अन्तर्गत अब श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी माननीय समाज कल्याण मंत्री नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे।

Jh jktUæ iky xkre% धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें।

v/;{k egkn;% यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ, पक्ष जीता, हाँ, पक्ष जीता,
प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय मंत्री महोदय को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी।

Jh jktUæ iky xkSre% माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन में जो रेज्योल्यूशन पेश कर रहा हूँ, वह दिल्ली सरकार के दास कैडर के दशकों से लंबित कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। दास कैडर दिल्ली सरकार में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का सबसे बड़ा कैडर है। इस कैडर में विभिन्न ग्रेडस में लगभग 12 हजार स्वीकृत पद हैं किंतु वर्तमान में केवल सात हजार कर्मचारी 12 हजार कर्मचारियों के काम को अंजाम दे रहे हैं। इस कैडर की स्थापना 1967 में लगभग अब से 50 साल पूर्व हुई। इस सदन के सामने यह रेज्योल्यूशन पेश करने का मूल कारण यह है कि इस कैडर की दृष्टि चिन्ह्, इसकी स्थापना से लेकर आज तक कभी नहीं हुई है जबकि कानून की दृष्टि से रिस्ट्रक्चरिंग समय पर जरूरत के अनुरूप सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन ठीक करने और पब्लिक सेवाएं दुरुस्त करने के नजरिए से रेगुलर समय अंतराल पर होते रहने चाहिए। दिल्ली की आम पब्लिक... सभी जानते हैं कि दिल्ली की ज्यादातर सेवाएं देने वाले अधिकारी, कर्मचारी दास कैडर से आते हैं और पूरा प्रशासनिक तंत्र दास कैडर के कंधों पर ही चलता है। लेकिन बड़े दुःख

के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कैडर के कर्मचारी बेहद दयनीय हालत में हैं, दास कैडर के कर्मचारियों के साथ बिल्कुल दासों के जैसा ही व्यवहार हो रहा है। जो वर्षों से इनकी रिस्ट्रक्चर की डिमांड चली आ रही है। जिस पर हमारी सरकार ने कैबिनेट में पास भी किया था लेकिन उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार से ले लिया गया लेकिन ये बेशक से दिल्ली सरकार से ले लिया गया हो लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट को ये चाहिये था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्टेंग्थन करने लिये ताकि उनका मनोबल बढा रहे और वो बेहतर सर्विसिज दे सकें, इसके लिये उन्होंने दास कैडर का रिस्ट्रकचर करना चाहिये था और स्टेनो ग्रेड का भी उनको जैसे सैन्ट्रल सर्विस सैन्टर सैक्टर सर्विसिज हैं, जिस तरह उनका है, उसी पैरिटी पर इनका होना चाहिये। चूंकि ये बड़ा ही अजीब लगता है कि यूपीएससी या एसएससी के थ्रू जो असिसटेंट ग्रेड में जो भर्ती होते हैं, वो दिल्ली सरकार में उनको कुछ और वेतनमान मिलते हैं और सैन्ट्रल गर्वनमेंट में उनको कुछ और वेतनमान मिलते हैं। उसी तरह स्टेनो में भी एक स्थिति आने के बाद जब वो पीपीएस बन जाते हैं, पीएस बन जाते हैं किसी मिनिस्टर के, तो उनका दर्जा कुछ और होता है और उन्हीं के साथ एप्वाएंट हुए जो किसी मंत्री के साथ नहीं हैं, जो दूसरे विभागों में रहते हैं, उनका कुछ और कैडर होता है। उनका वेतनमान भी कम होता है और उनको वो सम्मानजनक पोस्ट भी उनको नहीं मिलती है। इसीलिये अपना कोई भी एम्पलॉयर हो, अगर वो ज्यादा आउट पुट देना चाहता है तो उसे अपने एम्पलाईज को सैटिस्फैक्शन देना चाहिये और जरूरत पड़ने पर समय समय पर उनको स्ट्रेंग्थन करना चाहिये। इसीलिये मैं आज सदन के सामने यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 26/03/18 को अपनी बैठक में यह संकल्प करती है कि;

'दिल्ली प्रशासन अधिनस्थ सेवायें दास कैडर के अधिकारियों की स्थितियों पर गंभीर चिन्तन करते हुए जो कि बहुत समय से लंबित कैडर पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के अवसरों में अभाव के कारण सभी स्तरों पर अत्याधिक टकराव का सामना कर रहे हैं, हमारी कैबिनेट में कैबिनेट निर्णय संख्या 2283 दिनांक 31/12/2015 के अनुसार दास कैडर के पुनगर्ठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। हम अत्यंत निराश हैं कि जिन अधिकारियों को इस प्रकार के सेवा विषयों के परीक्षण और उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष स्वीकृति क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व था, उनके ढुलमुल रवैये और उदासीन रवैये के कारण कैबिनेट का यह प्रस्ताव दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक लागू नहीं हो सका और अब यह सिद्ध हो जाने पर कि इन प्राधिकारियों ने समय की मांग की अपेक्षा की है और वे दिल्ली की जनता को एक समर्पित और सक्रिय श्रम शक्ति प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

यह सदन प्रस्ताव करता है कि कैबिनेट निणर्य संख्या 2283 दिनांक 31/03/2012 के अनुरूप दास कैडर को पुनर्गठित किया जाये और कैबिनेट नोट के पैरा पाँच में प्रस्तावित दास कैडर और सीएसएस कैडर में तत्काल बिना किसी विलंब के समानता स्थापित की जाये। चूंकि दस कैडर की ही भांति स्टेनो कैडर के कर्मचारी भी अत्यंत टकराव का सामना कर रहे हैं। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्टेनो कैडर को भी भारत सरकार के सैन्टर सैक्रेटरिऐट सर्विजिज कैडर की भांति पुनर्गठित किया जाये। दास नियमावली 1967 में परिवर्तन तथा दास और स्टेनो कैडर के पुनर्गठन हेतु

प्रक्रिया सम्मति औपचारिकताओं को सेवायें विभाग द्वारा इस संकल्प को सदन द्वारा स्वीकार किये जाने के ठीक एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाये।

साथ ही ये सदन संकल्प करता है कि इसके त्वरित कारण के लिये माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करके स्वीकृति प्रदान की जाये, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% माननीय सदस्य गण, इस पर चर्चा करने की जरूरत समझ रहे हैं क्या?

Jh fotsUæ xqIrk% हम सहमत हैं।

v/;{k egkn;% ठीक है, सभी की सहमति है। माननीय मंत्री महोदय ने अब और कुछ इस विषय पर बात तो नहीं करनी, चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी माननीय समाज कल्याण मंत्री नियम 90 के तहत प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ, पक्ष जीता हाँ, पक्ष जीता
संकल्प स्वीकार हुआ।

okf"kZd ctV ¼2018&19½ ij ppkZ

अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को प्रस्तुत वार्षिक बजट पर चर्चा होगी। सदस्यों से मेरा ये अनुरोध है कि अपना भाषण बजट की विषयवस्तु तक ही सीमित रखें

तथा अनावश्यक विस्तार न करें। भाषा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। हमें सदन के समय के सदुपयोग का पूरा ध्यान रखना है ताकि निर्धारित समय में अधिक से अधिक सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके और माननीय सदस्य किसी विषय को कृपया दोहरायें नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री अलका लाम्बा जी।

I|Jh vydk ykEck% धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली के वित्त मंत्री आदरणीय मनीष सिसौदिया जी द्वारा पेश किया गया शानदार ऐतिहासिक ग्रीन बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया है। मैं इससे पहले अध्यक्ष जी, आपसे इजाजत चाहूँगी कि इस सदन में मैं बजट पर बोल पाऊंगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ही नहीं, हम 20 विधायक जो न्यायालय हाईकोर्ट से जीतकर आये, किसी को भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इसी बजट सत्र में हम हाईकोर्ट से जीतकर आयेंगे और अपनी बात को रखेंगे।

अध्यक्ष जी, इसी बजट सत्र में मैं वहाँ पर भी बैठी थी, दर्शक दीर्घा गैलरी में। वहाँ पर बैठकर मेरा नजरिया इस हाऊस के लिये क्या था, कितनी गंभीरता थी, उसका एहसास हुआ। इस सदन से जब हम बाहर थे जब ऐतिहासिक बजट पढा जा रहा था, बहुत निराशा हो रही थी कि इस बजट को हम यहां बैठकर न सुन पा रहे हैं, न उस पर बात कर पा रहे हैं लेकिन हमारे हौंसले बुलंद थे। हमारी इच्छा ये थी कि 22 को बजट पेश हो और 23 को हाईकोर्ट का फैसला हुआ और हम इसी बजट में इस सदन में खड़े होकर आज इस बजट पर जो है, वो चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी अहमियत इस सदन की तब भी पता लगी जब ये पता लगा कि एक तरफ संसद का सत्र भी चल रहा है जिसमें 15 दिनों में

27 बार सदन को स्थगित किया गया है राज्य सभा में और 15 दिनों में सिर्फ पाँच घंटे काम हुआ है। हमें गर्व होता है इस सदन के ऊपर और आपके ऊपर अध्यक्ष जी, कि आपने हर रोज दो बजे से जो छह बजे तक की चर्चा होती है, उसे सात सात बजे तक रखा। एक एक घंटा चर्चा को बढ़ाकर आपने इतिहास कायम किया है कि यहां पर गंभीर चर्चायें होती हैं और इस सदन का जो समय और पैसा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, इस सदन ने बरकरार रखी हैं। उम्मीद करते हैं कि देश की लोकसभा राज्यसभाओं में भी इसी तरह काम जो है, वो होगा। अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहती हूँ।

अब इस बजट को, ग्रीन बजट ऐतिहासिक बजट है। क्योंकि उससे पहले ग्रीन शब्द जो है; पर्यावरण को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई लेकिन हैरान हैं सब लोग बहुत से विपक्ष के लोग भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, यहां के लोग अगर राजनीति छोड़ते हैं तो अपनी उन सरकारों को भी सबक देते हैं कि मनीष सिसौदिया जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका बजट सुनियेगा लेकिन इन्होंने ऐसे भारत की राजधानी की तस्वीर अपने राज्यों में पेश की कि दिल्ली से सीखने को कुछ नहीं है, दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया जी ने बजट पढ़ा और मुख्यमंत्री अरविंद जी ने उसका जिक्र किया और देश के सामने पता लगा कि 2015 में जब हम अध्यक्ष जी, आये थे तो इस सरकार का बजट लगभग तीस हजार करोड़ के करीब था और तीन सालों के अंदर ये बजट 23 हजार करोड़ बढकर 53 हजार करोड़ का हो गया है। वो मुख्यमंत्री जरूर भाजपा और कांग्रेस के अपने इन्हीं सदस्य से पूछते होंगे, अरे! बिजली के दाम आधे कर दिये तीन साल में! इतिहास है,

उठाइयेगा। मैं सब सरकारों को चुनौती देती हूँ। भाजपा कांग्रेस शासित राज्यों को कि उठाइये अपनी सरकारों के बजट को, इतिहास को देखियेगा किन सरकारों ने कब कब बिजली के दाम बढाये हैं। ये पहली बार कीर्तिमान होगा। मुझे लगता है गिनीज बुक आफ रिकार्ड में भी नाम दर्ज हो तो बड़ी बात नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने तीन सालों में एक बार भी एक रुपया भी बिजली के दाम बढाये नहीं हैं और न ही जो है, सब्सिडी को खत्म किया है और फिर भी ये सरकार घाटे में नहीं है। इसका बजट तीस हजार से जो है 53 हजार करोड़ पहुंच जाता है। पीने का पानी! लोग हैरान हैं! पीने का पानी मुफ्त दिया। एक एक हजार रुपया पैंशन बढ़ा दी। बहुत सी नौकरियाँ खोल दी। स्किल सैन्टर खोल दिये। इतने सारे शौचालय बन गये। सब कुछ बन गया लेकिन वो सरकारें जो भाजपा और काँग्रेस की दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, वो इतने पैसों के बाद भी घाटे में हैं। एक आम आदमी पार्टी सरकार सब कुछ मुफत देने के बावजूद भी जो है, वो घाटे में नहीं है हमारे इसी सदन में... हमारे भाई सदस्य बैठे हुए हैं, उनकी चिन्ताएं वाजिब थीं। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार का बजट पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ उन्होंने जब इस बात को उठाया, हमने गंभीरता से लिया और सोचा क्यों नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार के बजट में घोषणा थी कि इस 2017 मार्च तक दिल्ली के अंदर एक हजार मोहल्ला क्लीनक बनेंगे, नीयत साफ थी, इसलिये मनीष सिसोदिया जी ने हमारे वित्त मंत्री ने एक हजार मौहल्ला क्लीनिक के लिये बजट दे दिया। लेकिन बहुत दुःख की बात है कि आज तक, 2018 मार्च में मैं खड़ी हूँ, जो एक हजार मौहल्ला क्लीनिक बने थे, वो कम से कम 150 ही बन पाये और बाकियों का पैसा अभी तक पड़ा हुआ है। मैं अपने आदरणीय साथी से कहूँगी, आपकी चिन्ताएं

वाजिब हैं। जो आपकी चिन्ताएं थी, वो हमारी भी चिन्ताएं हैं। एलजी साहब से पूछियेगा, जब सरकार की नीयत है, पैसा और बजट है, क्यों आप इस तरह के प्रस्ताव जो जनता को सीधा फायदा देते हैं, ऐसे मौहल्ला कलीनिकों को आपने क्यों रोक लिया? मुझे लगता है, अगर ऐसा होता, ये जो पैसे की आप जिक्र करते हैं; बच गया है, वो बचता नहीं। अध्यक्ष जी, इसके अलावा एमसीडी की बात करूंगी। एमसीडी के बाद मैं, ग्रीन बजट जो ऐतिहासिक है, पहली बार भारत की किसी सरकार ने किसी राज्य की सरकार ने ग्रीन बजट कहकर पेश किया। इस पर मैं डिटेल में जाऊँगी क्योंकि आज मैं उसी एक बिंदु पर बोलना चाहती हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी, उससे पहले मैं नगर निगम को इस साल 2018 और 2019 में 6,903 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को मिलाकर दिए हैं, जो 13 प्रतिशत है। सबसे ज्यादा है, 6,903 करोड़ रूपया। अध्यक्ष जी, हम नगर निगम को पैसा तो देंगे, ये जनता का पैसा है, कोई अहसान नहीं कर रहे। जनता का पैसा देते हैं कि जनता की भलाई के लिए आप काम करें। आपकी गलियाँ, सड़के खुदी पड़ी हैं, कूड़ा और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपके पास कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं है। मेरी ही जामा मस्जिद में कस्तूरबा गाँधी अस्पताल, नगर निगम का है, बिल्कुल बदतर हालत में है। इतना पैसा देने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहें? उल्टा ये कहते है, आप पूछ भी नहीं सकते। आप सिर्फ पैसा दीजिए। उस पैसे का हम क्या करेंगे, ये जाँच करने का हक नहीं, पूछने का हक नहीं कि... पैसा बस दे दीजिए, क्या करेंगे!

अध्यक्ष जी, आज का ये अखबार है 'नवभारत टाइम्स' अखबार, आज का है, पिछले सदन में भी नगर निगम की बात की थी क्योंकि सीलिंग

की मार से पूरी दिल्ली और व्यापारी त्रस्त है। हम लोगों ने जब कल ही अखबार की सुर्खियाँ थी, इसी अखबार की, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रूपया भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने कन्वर्जन चार्ज के नाम पर दुकानदारों से वसूला था लेकिन अभी हकीकत सामने आई, वो 1,000 नहीं था। जब पूरी जाँच होती है तो ये 'नवभारत' की रिपोर्ट आज पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ रखती है, जिसका मैं हवाला दे रही हूँ, वो 1,000 नहीं, व्यापारियों से 5,000 करोड़ रुपये वसूले गए। कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग और वहाँ के डेवलपमेंट के नाम पर। ये वसूले जाते रहे कि आपकी सीलिंग नहीं होगी और व्यापारी भी इन्हें पैसा देते रहे। इतना ही नहीं, मेरी पुरानी दिल्ली शाहजहाँनाबाद में जितनी दुकानें हैं; चादंनी चौक, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट वहाँ तक था कि उस दायरे में जो आते हैं, शाहजहाँनाबाद में, उन्हें कन्वर्जन चार्ज नहीं देने, इन्होंने उनसे भी वसूले। इस भाजपा शासित नगर निगम ने उनसे भी वसूले 5,000 करोड़ और आज सीलिंग की मार फिर भी इन पर पड़ रही है। कोई पार्किंग के लिए आज भी वो मोहताज हैं। कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने मारा, अब एफडीआई की भी मार है और अब सीलिंग की मार झेल रहे हैं।

हम पूछें नहीं एमसीडी से कि दिल्ली सरकार लोगों का, जनता का खून पसीने का पैसा दे रही है आपको। ये 30,000 से 53,000 करोड़ अध्यक्ष जी, ऐसे ही नहीं हो गया, पार्दर्शिता थी, ईमानदारी थी, नीयत थी। इन्हीं व्यापारियों ने दिल्ली सरकार को ईमानदारी से कर भरे। इसीलिए तीनों साल का आप बजट उठाकर देखिए, ये 'पहली कर मुक्त सरकार' थी जिसने कभी भी कर नहीं बढ़ाया, कोई कर नहीं बढ़ाया। बिजली, पानी भी मुफ्त सुविधाएं देती रही और बजट को 30 से जो है, 53,000 करोड़ ले गई अपना

सिर्फ तीन सालों में। और वहीं अध्यक्ष जी, आप पीछे देखेंगे, पिछले की सरकारों ने, पीछे की सरकारों को अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं।

v/;{k egkn;% अलका जी, कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड, संक्षेप करिए।

l|Jh vydk ykEck: अध्यक्ष जी, 21 सालों में 1,000 करोड़ भी नहीं बढ़ा पाई पिछले की सरकारे 21 सालों के अंदर और इस सरकार ने तीन साल में इतना बजट बैठाया। ये इनकी पोल खोल रही हूँ।

अध्यक्ष जी, अब मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ, सीधा मुद्दे पर आती हूँ, जो मैं आज जिस पर बोलने वाली हूँ। क्योंकि बिंदु बहुत से हैं, बहुत बड़ा बजट, बहुत डिटेल में बजट पेश किया। 66 पेजिज का है और 19 नम्बर पेज, मैंने आज का अपना विषय चुना है 'ग्रीन बजट' क्योंकि आज से पहले भारत सरकार हो या किसी राज्य की सरकार ने अपने बजट में 'ग्रीन शब्द', पर्यावरण को लेकर इतनी चिंता नहीं जताई और ये सरकार की जो है, गम्भीरता दिखाती है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यक्ष जी, आज भी आपसे बात हो रही थी कि सुबह—सुबह बहुत से बुजुर्ग पार्कों में जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। इसकी गम्भीरता को देखते हुए, ये जो बजट दिल्ली सरकार ने रखा है, 'ग्रीन बजट' अध्यक्ष जी, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। आँकड़े भी रखूंगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम, 'एनजीटी' जो है, 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' हर बार दिल्ली को फटकार क्यों लगाती है? उसे हरियाणा, उसे पंजाब, उन्हें नौएडा, गुडगांवा, फरीदाबाद क्यों नहीं दिख रहा है? 'एनजीटी' को कहूँगी आपकी फटकार हो, आपके सुझाव हों, दिल्ली सरकार ने गम्भीरता से लिया है। ये इस बजट में भी दिखता

है और ये 'दैनिक जागरण' के आँकड़े हैं, अध्यक्ष जी, ये 'दैनिक जागरण' अखबार के आँकड़े हैं। क्योंकि अब प्रदूषण के ऊपर भी जो है, वो रोज की रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट का मैंने जो है, यहां पर जो है, 11 मार्च से, 11 मार्च, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और 22 मार्च तक के जो हैं आंकड़े लिए कि प्रदूषण का दिल्ली में लेवल क्या है। अध्यक्ष जी, आप इसको देखेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी, 11 जनवरी को दिल्ली का प्रदूषण का लेवल जो है, जो 2.5 पीएम, ऐयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा जो है वो 100 है, उसके बाद 68 है, 81 है, 89 है और अगर आप इसकी तुलना नोएडा और गुडगाँव से करेंगे, उनका प्रदूषण दिल्ली के प्रदूषण से कई गुणा ज्यादा है। दिल्ली ने बहुत प्रदूषण पर कंट्रोल किया है, ये मैं नहीं 'दैनिक जागरण' की रोज का अगर आप आँकड़ा देख लेंगे, उसमें साबित हो जाता है। इसमें लिखा है कि अगर आपका जो है 90 तक रहता है, तो वो नॉर्मल है, 90 से ऊपर चला जाता है 120 तक तो बुरा है और 160 से ऊपर जाता है तो खतरे की लाल घंटी बज जाती है लेकिन आप इसको देखिए, दिल्ली निरंतर जो है, वो सामान्य बनाया हुआ है, पिछले अगर मैं एक हफ्ते का ही आपके पास डाटा रखूँ, पुराना नहीं और ये आज का अखबार है, अगर आप पुरानों पर यकीन नहीं करेंगे तो अध्यक्ष जी, ये आज की खबर है 'दैनिक जागरण' 26 मार्च, इसके आप आँकड़े, मैं आपको सिर्फ इसी का आज का दिखा देना चाहती हूँ, दिल्ली के अंदर जो आज का अनुमान है 66 यलो में सामान्य है, यानी कि दिल्ली ने अचीव किया है, लाल से वो सामान्य में आ चुकी है और आज का बजट जो जिस तरह से पेश किया गया है, वो लगता है कि दिल्ली को बिल्कुल जो है, सामान्य कर देगा। उसके बाद अनुपात जो है; नौएडा का 115, जहाँ दिल्ली 66 पर खड़ी है

वहाँ नौएडा 115 पर खड़ा है, गुरूग्राम–गुडगाँव 139 पर खड़ा है। सौ के आँकड़े को पार करके। क्या इन राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि दिल्ली का पानी हो या हवा हो, ये साथ वाले हमारे पड़ोसी राज्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित अध्यक्ष जी, होती है। हम गम्भीरता से कदम उठा रहे हैं, 'एनजीटी' हमें फटकार लगाती है। हम आपकी फटकार को भी सुझाव से दिल्ली सरकार ले रही है, ये इसमें अध्यक्ष जी, पूरी तरह से दिखता है लेकिन उम्मीद करूँगी, जहां–जहां भाजपा और काँग्रेस की पंजाब, हरियाणा में सरकारे हैं, वो भी गम्भीरता से लें। कश्मीर में भी बर्फ पड़ती है अध्यक्ष जी, माहौल दिल्ली में पता लगता है कि बर्फ पड़ी है इसलिए आज जो है, मौसम थोड़ा बदला हुआ दिल्ली का लग रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए दिल्ली के हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने यहां आँकड़े पेश किए हैं कि आपने दिल्ली को 'ग्रीन' बनाने में कितने पेड़–पौधे लगाए हैं। आपने 2017 में 5.5 लाख पौधे लगाए, पिछले साल 5.5 लाख पौधे लगाए और इस साल अभी 3 लाख पौधे और लगाने का जो है, वो आपका टारगेट है। 7 लाख से ऊपर आपने डिवाइडर और सड़कों के किनारे पर पौधे लगाने का काम किया और 3.5 लाख पौधे लोगों को गिफ्ट किए हैं ताकि वो अपने घरों के आसपास इन पौधों को लगा पाएं।

इतना ही नहीं, आपने जो रेस्टोरेंट और कोयला तंदूर के ऊपर जो रोटी बनाते थे; छोटे–छोटे ढ़ाबे और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उन्हें भी आपने 5,000 रुपये आर्थिक मदद देते हुए, उन्हें भी अपना कोयले को छोड़कर इलैक्ट्रोनिक गैस तंदूर पर आने के लिए कहा। आपने 10 केवी या उससे अधिक के जो डीजल जेनरेटर चलते थे अध्यक्ष जी, इस सरकार ने उन डीजल जेनरेटर

को इलैक्ट्रॉनिक जेनरेटर में आने के लिए भी 30,000 रुपये की इस सरकार ने मदद का प्रावधान इसमें रखा हुआ है। 1,000 इलैक्ट्रॉनिक बसिज के लिए कि दिल्ली को बिल्कुल प्रदूषण रहित करने के लिए 1,000 इलैक्ट्रॉनिक बसिज के लिए आपने बजट रखा है, ये भी इसके लिए गम्भीरता दिखाता है कि आप प्रदूषण से ईमानदारी से लड़ना चाहते है। 905 इलैक्ट्रॉनिक फीडर बसिज जो हैं, अध्यक्ष जी, ये आंकड़े देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रयास दिखाता है कि दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है लेकिन दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दिल्ली की तो है ही है, पर पराली जो जलती है, जो खेती के बाद किसान मजबूर होता है हरियाणा और पंजाब में जलाने के लिए, उस दौरान, आज वो चीज क्यों नहीं है? अध्यक्ष जी, एक ही प्रश्न, आज वो धुंध, धुंआ, पॉल्यूशन जो बिल्कुल जानलेवा हो गया था, आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज हकीकत ये है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में किसान अपना बचा हुआ खेत का सामान वो नहीं जला रहे हैं इसलिए दिल्ली में नॉर्मल माहौल है और दिल्ली का जो है, आँकड़ा वो दिखाता है, बहुत सामान्य है...

v/;{k egksn;% अलका जी, समय पूरा हो गया।

lqJh vydk ykEck : अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

v/;{k egksn;% बिल्कुल, बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर! सौरभ जी।

Jh lkSjHk Hkkj}kt: अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। अध्यक्ष जी, बजट को प्रजेंट करते समय वित्त मंत्री और जो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने बजट की पूरी रूपरेखा दिल्ली वालों के सामने रखी और उन्होंने कई तरीके की नई चीजें बजट के अंदर

लाई, जिसके अंदर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये 'आउट कम बजट' और जब उनका 'आउट कम बजट' प्रजेंट हुआ, अगले दिन अखबारों के अंदर, उसके अंदर आधे—आधे पेज की, उन अखबारों के अंदर जिसमें हमारी तारीफ बहुत कम ही मिलती है, उसके अंदर भी उसकी तारीफ हुई कि ये एक परफार्मेंस अप्रेजल सिस्टम जिसके अंदर एक सरकार... पहले क्या होता था अध्यक्ष जी, कि सरकार के अंदर... सरकार जब बजट पेश करती थी तो बजट के अंदर सरकारें बड़ी—बड़ी बातें करती थी, बड़े—बड़े वादे करती थी। पैसा एलोकेट कर देती थी, फिर उसको भूल जाते थे और अगले साल एक नए वादे आ जाते थे बजट के अंदर और नया पैसे का एलोकेशन हो जाता था। इस बार एक अच्छी चीज ये हुई है कि सरकार ने ये बताया है कि जो वादे हमने पिछले साल किए थे और जहाँ हमने बजट उनके अंदर आबंटन किया, उन वादों का क्या हाल है आज और वो फरफार्मेंस इंडिकेटर्स तथ्यों के साथ, डेटा के साथ सरकार ने सदन के सामने रखे कि इस चीज में पीडब्ल्यूडी में हम यहां हैं, पानी में हम यहां हैं, शिक्षा में हम यहां हैं। ये बड़े दुःख की बात है अध्यक्ष जी, कि पीडब्ल्यूडी के विषय में जब सरकार ने रखा तो सरकार ने दिखाया कि पीडब्ल्यूडी के अंदर काफी बुरी हालत थी, जाहिर सी बात है... मैं पिछले साल अगर देखूँ और पिछले साल का अगर अब अखबार देखें तो हमें याद है कि पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी थे, अश्वनी कुमार उनकी अलग—अलग स्तर पे असेंबली कमेटी में विधानसभा में खूब चर्चा हुई कि वो बिल्कुल नालायक किस्म के अफसर थे। उन्होंने हर काम के अंदर टाँग अड़ाई। हर सरकार के प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कहीं न कहीं ओब्जेक्शन लगायी और जो सामान्यतः काम चलते रहते थे, उनके अंदर भी उन्होंने अड़ंगा लगाया और जाहिर सी बात है... देखा

गया कि क्योंकि उन्होंने सरकार के काम में इतना अड़ंगा लगाया इसलिए केन्द्र सरकार ने उनको प्रमोशन देके चीफ सेक्रेटरी बना दिया पुडुचेरी का। तो ये अप्रेज़ल सिस्टम मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। मैं करीब दस साल प्राईवेट कंपनीज के अंदर नौकरी करता रहा और मैंने देखा वहाँ पे हर साल हर एम्पलॉई का, चाहे वो एम्पलॉई बिल्कुल बैसिक लेवल पे एंट्री लेवल का हो, चाहे वो इंजीनियर लेवल का एम्पलॉई हो, सीनियर इंजीनियर हो, मैंनेजर हो, सीनियर मैंनेजर हो यहां तक की जो सीएओ हो कंपनी का, अध्यक्ष जी, उसका भी हर साल एक परफोर्मेंस एप्रेजल सिस्टम होता है। उसके अंदर उसके आसपास के जो अधिकारी होते हैं या उसका जो मैंनेजर होता है, वो उसके साथ बैठकर उसके गोल्स निर्धारित करता है कि आपके आने वाले साल में ये गोल्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। एक साल पूरा होने के बाद इसके बारे में चर्चा की जाती है कि आपने कितने काम पूरे किये और कितने काम आप पूरे नहीं कर पाये, ये आपका अप्रेजल सिस्टम होता है जिससे ये पता चलता है कि एक अधिकारी ने या एक एम्पलॉई ने क्या काम किया या क्या नहीं किया। हम देखते हैं कि प्राईवेट कंपनिज के अंदर छोटे से छोटे अधिकारी की एक जवाबदेही होती है कि उसने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। मेरी जवाबदेही है कि मेरे को हर हफते अपने मौहल्लों के अंदर जाके लोगों को जवाबदेही देनी पड़ती है कि भई, आज सीवर का काम हुआ, नहीं हुआ, राशन के अंदर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो पब्लिक मेरे से सवाल करती है और अगर फिर भी मैं नालायकी करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा तो पाँच साल बाद पब्लिक मेरे को निकाल के बाहर फेंक देगी।

वो कहेगी कि आपने काम नहीं किया, आप नालायक एमएलए हो। आप हमें नहीं पंसद, हम किसी और को लेके आयेंगे। ये एक प्रोफोर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है जो इस पूरे की पूरी हमारे प्रजातंत्र के अंदर इनबिल्ट है। अधिकारियों का भी होता है, इनकी भी हर साल एसीआर भरी जाती है। हर आदमी का यहां पे एक फीड बैक सिस्टम है, एक आन्सरेबिल्टी है और एकांउटिबिलिटी है। मगर इस दिल्ली प्रदेश के अंदर जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा पावर है, जिस ऑफिस के अंदर सारी की सारी पॉवर एक्यूमुलेट है, उपराज्यपाल का जो दफ्तर है, उसका कोई प्रोफार्मेंस एप्रेजल सिस्टम नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका कोई व्हाईट पेपर नहीं है कि इन्होंने एक साल में क्या काम किये, क्या काम नहीं किये, क्या काम अच्छे किये, क्या काम अच्छे नहीं किये। मैं मनीष जी का वक्तव्य सुन रहा था, मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने अपने वक्तव्य में करीब तीस से बत्तीस बार माननीय एलजी आफिस का इन्होंने मैन्शन किया, इन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है, हम इसमें इतना पैसा दे रहे हैं। ये हम कर देंगे बशर्ते आफिस इसमें टाँग न अड़ाये। ये ऐसा हो सकता है, बशर्ते एलजी आफिस उसमें मान जाये। हर चीज के अंदर सरकार ने कहीं न कहीं एलजी आफिस को दोष दिया। मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि ये जो सरकार चुनी हुई सरकार है, ये हमें बताये कि वाकई में ही एलजी आफिस किन–किन कामों में देरी करता है। अगर एलजी ऑफिस की तरफ से डिले है तो इस विधानसभा को मालूम होना चाहिए कि एलजी ऑफिस किन–किन फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं, डिले करते हैं। मैं मान सकता हूँ कि एलजी आफिस के पास फाइल जाती होगी, वो उसके ऊपर कुछ ओब्जेक्शंस लगाते होंगे, फिर वापिस आती होगी, तो एक

व्हाईट पेपर के तौर पे चुनी हुई सरकार को इस हाउस के अंदर एक आउट कम... जैसे ये आउट कम बजट लाये थे चुनी हुई सरकार का, ऐसे ही आउट कम ऑफ एलजी आफिस इनको लाना चाहिए कि पिछले साल एलजी ऑफिस ने क्या ठीक किया और इनके साथ क्या गलत किया और इसी विषय में एलजी साहब के विषय में ही और उनके एलजी ऑफिस के आउट कम के विषय में मैं एक रेजोल्यूशन पढ़ना चाहूंगा अध्यक्ष जी, अगर सदन को ठीक लगे तो इसके ऊपर बाद में वो चर्चा कर सके और अगर ठीक न लगे तो जैसा वो समझे, मेरा ये रेजोल्यूशन है अध्यक्ष जीः

"This House of Delhi Legislative Assembly in its sitting dated 26 March 2018 resolves:

Whereas, there have been many media reports and the budget speech of Dy. Chief Minister Shri Manish Sisodia mentioned about the role of Hon'ble Lt. Governor office for delays and roadblocks in effective execution of projects and programs of elected Govt. of NCT of Delhi.

Whereas, there have been many instances reported in the media, when critical decisions of Cabinet of Govt. of NCT of Delhi have not been implemented due to objections or delays at the level of Hon'ble Lt.Governor's office.

This House directs the Govt. of NCT of Delhi to present status report of Hon'ble LG office on the lines of outcome budget. The report should mention the files which have been delayed or blocked by Hon'ble LG office."

अध्यक्ष जी, हिन्दी में इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार एक व्हाईट पेपर इस सदन में इसी सैशन के दौरान, बजट सैशन के दौरान पेश करे कि ऐसी कौन सी फाइलें हैं या ऐसी कौन सी

पॉलिसिज हैं, प्रोजेक्टस हैं दिल्ली सरकार के, जो एलजी आफिस की वजह से या तो रोके गये हैं या ऑब्जेक्शन लगाये गये हैं या डिले किये गये हैं और व्हाईट पेपर के तौर पे वो सदन के अंदर पेश करें, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% धन्यवाद। सोमनाथ भारती जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh% अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हर बार की तरह इस बार भी मनीष जी का बजट बहुत ही बेहतरीन है और बहुत तरीकों से बेहतरीन है। उसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखी... चूंकि अक्सर और पार्टियां कहती रहती हैं कि तुम्हारी पार्टी का क्या है इकॉनोमिकल पॉलिसी, अब मैंने बहुत बार जानने का प्रयास किया कि बाकी और पार्टियों का क्या है इकॉनोमिकल पॉलिसी। उनका तो समझ में नहीं आया लेकिन इस बजट के अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट माननीय मनीष जी ने करने का प्रयास किया है। इन अंडरस्टैंडिंग आफ इकॉनोमिक पॉलिसी आफ गवर्नमेंटस। उसका इसमें जिक्र बहुत डिटेल तरीके से है और बहुत इफैक्टिव तरीके से है। अक्सर क्या होता है कि सरकारें डिपेंड करती हैं कैपिटलिस्ट के ऊपर कि तरह–तरह के कैपिटलिस्ट हमारे राज्य में आयें और प्रोजेक्टस लगायें, रोज़गार पैदा करें और उसके लिए वो उनको लुभाते हैं। बड़े–बड़े अखबारों के अंदर बड़े–बड़े एक्टस आते हैं कि इन्वेस्टमेंट सब्मिट हो रहा है। कैप्टिलिस्ट आयेंगे। वो आयेंगे तो फिर राज्य के अंदर प्रोजेक्टस लगायेंगे, इंडस्ट्रीज लगायेंगे फिर वो रोज़गार पैदा करेंगे और इस तरह से वो उस सिस्टम को कहा जाता है ट्रिकल डॉउन, ट्रिकल डॉउन के अंदर जब तक क्रोनिक कैप्टिलिस्ट आयेंगे नहीं, जब तक उनको व्यापार लगाने का मौका

नहीं दिया जायेगा, जमीनें नहीं दी जायेंगी सस्ते दाम पे और लोन नहीं दिया जायेगा, जब तक नीरव मोदी का बनना न तय होगा और इसके कारण बहुत भुगतना पड़ा देश को, हम सब ने देखा है। क्योंकि उस ट्रिकल डॉउन इफैक्ट से जो आखिरी आदमी है वहाँ तक पहुँचना असंभव सा हो जाता है। इसी चक्कर में जो लाखों करोड़ों रूपये जो आठ लाख करोड़ जो हमारा नॉन परफॉमिंग एसेट बन गया और जिसको माफ करने की तैयारी चल रही है, जिसके कारण नीरव मोदी पैदा हुए, जिसके कारण ललित मोदी पैदा हुए, जिसके कारण देश के अंदर माल्या जी पैदा हुए और उनको रैड कार्पेट एग्जिट दिया गया। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि पहले काला धन जायेगा, तब तो आयेगा। अभी तो जा रहा है। क्योंकि चार साल ये पहले भेज रहे हैं, अब पता नहीं उसका कितना हिस्सा मोदी जी के पास है, कितना हिस्सा बीजेपी के पास है, कितना हिस्सा कॉंग्रेस के पास है। हम सब ने देखा कि इन्स्पाइट आफ लुमरस प्रोमिसेज मेड टू द नेशन, कोई एम्पलाइमेंट ही जनरेट नहीं हुआ। आम आदमी की लाईफ में कोई इफैक्ट नहीं पड़ा। वो तो पड़ा ही नहीं, साथ में और सीलिंग को लेकर के दिल्ली के अंदर और व्यापारियों के ऊपर नोटबंदी का असर, जीएसटी का असर इन सबके कारण कई लाखों–करोड़ों नौकरियाँ चली गईं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मनीष जी ने इसमें ट्रिकल अप इकॉनोमिक्स की बात की, ट्रिकल–अप–इकॉनोमिक्स है क्या? इन्होंने कहा कि जो बड़ा एक... चूंकि मैं भी सोच रहा था, अक्सर लोग पूछते थे भई, तुम्हारे सरकार की पॉलिसी क्या, तुम्हारी पार्टी क्या कहता है, तो आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरे पास एक ठोस ऐसा एक तथ्य मेरे सामने आया, मनीष जी के डॉक्यूमेंट के जरिए कि मैं उसमें प्राउड भी फील करता हूँ और कह भी सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जब तक आखिरी आदमी इस पूरे व्यवस्था के अंदर जब तक आखिरी आदमी मजबूत नहीं होता, तब तक इकॉनोमी नहीं बढ़ेगी, देश नहीं बढ़ेगा, इसका एक ऐसा ढाँचा, नमूना इसके अंदर पेश किया है मनीष जी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बेहतरीन मॉडल पेश किया और किसी पार्टी के पास इकॉनोमिक पोलिसी है नहीं, ये पहली हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, जिसने बकायदा एक डिस्क्राइब्ड डिटेल्ड इकॉनोमिक पोलिसी दिया और किस तरह से आखिरी आदमी मजबूत होगा, वो बताया है। जब तक आखिरी आदमी मजबूत नहीं होगा, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा, जब तक एंटी पोलुशन मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, जब तक हमारे मिनिमम वेजिजेज नहीं बढ़ेगा, जब तक कई ऐसे सारे स्टैप नहीं लिए जाएंगे, तब तक आखिरी आदमी मजबूत नहीं होगा। आखिरी आदमी मजबूत होगा, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसकी खर्च करने की शक्ति बढ़ेगी, व्यवस्था के अंदर इन्वैस्टमैंट भी होगा और धीरे–धीरे करके देश की इकॉनोमी अपने आप बढ़ जाएगी उसको गति अपने आप मिल जाएगी, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एक मॉडल ट्रिकल डाउन से ट्रिक्लअप को कन्वर्ट करने का प्रयास किया, उसपे कुछ डेटा है और कुछ सवाल इन्होंने पूछे है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और कारण क्या है, इसमें एक फिलॉसफी है। ये कोई ऐसा–वैसा आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, ये कोई फिलोसफी है, बकायदा गहरा अध्ययन है, अध्ययन के आधार पे ये लाया गया है। उसपे जो रेट ऑफ इकॉनोमिक इनइक्वेलिटी है, जैसे कहा गया, कई बार हमने कहा भी कि इस देश का 56 परसेंट वैल्थ एक परसेंट पॉपुलेशन के पास है। अब ये डेटा और उसके साथ में ***Top 0.1 percent***

earners they are capturing more growth than the bottom fifty percent combined. नीचे से जो 50 परसेंट लोग हैं, उनसे ज्यादा जो टॉप 0.1 परसेंट लोग हैं वो कमा रहे हैं तो ये डेटा बड़ा साइंटिफिक है और तथ्यों के आधार पे है तो ***rate of economic inequality in our nation has crossed for the first time over USA, Russia and China.*** तो ***tricle down economics has not been able to fix these things, has not been able to describe that how it has happened, how come wealth after wealth in many developed nations and developing nations also, how come they have gone into 1% of the population and that is why.*** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही है, चार सवाल पूछे हैं। मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ कि ***what use it is to be among the fastest growing economy globally, if our govt. expenditure on education and health as% of GDP is the least among all bricks countries and even some SAARC countries.*** क्या फायदा है आपके इकॉनोमिक मॉडल का फायदा क्या है? अगर आपने स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर सबसे कम खर्च किया है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके जरिए बताना चाहूंगा कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सब साथियों ने सुना होगा, सैंट्रल गवर्नमेंट में जब इस बार बजट लाया गया तो कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, एक बार में पास कर दिया गया, लाया और पास कर दिया गया। और क्यों न हो, उनको पता था कि जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जब चर्चा का मौका दिया राज्यसभा के अंदर, तब हमारे साथी संजय सिंह जी ने क्या किया वहाँ, तो देखा अगर संजय सिंह ने अभिभाषण के ऊपर चर्चा में इतना कुछ कह दिया, हमारा इतना कुछ एक्सपोज कर दिया तो पता नहीं अगर मौका दें कि बजट

के ऊपर भी चर्चा हो जाए तो पता नहीं क्या–क्या एक्सपोज कर देंगे, अध्यक्ष महोदय। क्योंकि इनके पास दिखाने को कुछ है नहीं। दूसरा सवाल जो है, काउण्टलेस मेमोरैण्डम साइन हो रहे हैं ***with corporates, mega investors summit*** हो रहा है तो फिर...

v/;{k egkn;% सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिए, अब प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh% मैं दो मिनट ओर लूँगा अध्यक्ष महोदय और मुझे आज चूँकि ये बड़ा गर्व का मामला है आज।

v/;{k egkn;% ये 11 माननीय सदस्यों की सूची है।

Jh lkeukFk Hkkjrh% मुझे दो मिनट ओर दे दीजिए।

v/;{k egkn;% pfy,A

Jh lkeukFk Hkkjrh% तो इसमें अगर ***whenever 3rd of our children, when over 1/3rd of our children under 5 yrs of age, are mal-nourished and 3/4th our children studying in standard 6th 7th and 8th can not even read text books, so their objectives being set by this govt. and that is why*** अध्यक्ष महोदय ***what use it is to be attracting billions of dollors of foreign investment, if only 7% of our engineering graduates are getting jobs, if only 7% are employable and we have huge short fall in skilled manpower in almost in every sector...*** अध्यक्ष महोदय, ***what use it is to attract foreign investors to make in India or make grand announcements our smart cities if 9 out of 20 most of the polluted cities in the world are in India, and that is why the*** अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सरकार का पहला हमारा जो मंशा थी कि ***educate India, healthy India and strong India*** शिक्षित राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र और समर्थ राष्ट्र, ये जो एजेंडा सरकार का है,

उसको करने के लिए ये ट्रिकल डाउन अप्रोच से ट्रिकलअप अप्रोच अपनाया गया, इसके लिए मैं माननीय मनीष जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि आपने...

v/;{k egkn;% दो मिनट हो गए हैं सोमनाथ जी, प्लीज।

Jh lkseukFk Hkkjrh% एक साइंटिफिक तरीके से इस प्रोसैस को रिवर्स किया, अध्यक्ष महोदय, ***1/4th of investment of our budget, one quarter*** जो कि ***around 23%*** परसेंट है ***against that*** सारे जितने राज्य हैं, सबके एवरेज निकाल लीजिए तो 15.6 परसेंट ही खर्चा है एजूकेशन में। ***23% of the budget dedicated to education proves that this government is committed to empower the Aam Aadmi the ordinary citizen to the extent that they can shape up their on destiny later.*** अध्यक्ष महोदय, 13 परसेंट, 11.3 परसेंट जो बजट का अलोकेट हमने हैल्थ पे किया है, अन्य राज्यों की तुलना में, सारे राज्यों का मिला लीजिए तो वह सिर्फ आता है ऑन एन अवरेज 4.9 परसेंट एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार स्वास्थ पे और शिक्षा पे अपना बजट बढ़ा रही है, वहीं पर ये जो सो कॉल्ड आई थी, अच्छे दिन वाली सरकार, वो स्वास्थ और शिक्षा पे घटा रही है।

v/;{k egkn;% धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सोमनाथ जी, बहुत–धन्यवाद।

Jh lkseukFk Hkkjrh% अध्यक्ष जी, इतना अच्छा बजट लाने के लिए अपने माननीय मनीष जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ और जो आपने ये बकायदा जम्प करके एक ***economy policy*** का नाम दिया है, ***Tricle up appraoch*** कि शिक्षा के जरिए, स्वास्थ के जरिए, एम्पलाइमेंट के जरिए,

मिनिमम वेजिज को बढ़ा के किस तरह से आम आदमी मजबूत होगा और एक मजबूत आम आदमी मजबूत देश का नींव रख पाएगा, मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको भी बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;% सदन का समय 6.30 बजे तक बढ़ा रहे हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी।

Jh vke i:dk'k 'kek% धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभी मैं माननीय सिसोदिया जी के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक दृष्टिकोण पढ़ रहा था तो पिछले तीन साल के विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी चीजों के बारे में लिखा गया है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बजट में बड़े–बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब थोड़–बहुत तो मैं भी पढ़ा हूँ। ये ट्रिकल अप इकॉनोमी मैंने कम से कम नहीं पढ़ी, अब आपके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती होगी। तो जगह–जगह की बातें आउट कम बजट, ग्रीन बजट, वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट, ग्लोबल थिंक टेंक तो अनेकों अनेक बड़े भारी भरकम शब्दों को आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, मैं जो पिछले तीन साल का अपने अनुभव की यदि मैं बात करूँ तो दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया कॉलेज पिछले तीन साल में दिल्ली को नहीं दे पाई... बताइए, कौन सा है?

v/;{k egkn;% भई ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, एक कॉलेज तो मेरे यहां भी चालू हो गया।

Jh vke i:dk'k 'kek% नाम बताइए ना, ऐसे नहीं होता। अरे यार! ऐसे थोड़े होता है।

Jh egUæ xk;y% सुखदेव कॉलेज तो एक हमारे यहां खुला है।

Jh vke i:dk'k 'kek% सुखदेव बहुत पुराना है। अपनी जानकारी सही कर लीजिए श्रीमान जी। बहुत पुराना है, जमना पार से आया है शिफ्ट होके।

v/;{k egkn;% इन्हें मालूम है सारा।

Jh vke i:dk'k 'kek% झूठी बात सदन में मत बोलो।

v/;{k egkn;% भई महेन्द्र जी, उन्हें मालूम है सारा, देहली टैक्नीकल यूनिवर्सिटी ईस्ट देहली कैंपस मेरे यहां...

Jh vke i:dk'k 'kek% नहीं–नहीं, 2014 में पैसा दिया है, ये कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही!

v/;{k egkn;% सदन में गलत तो न कहें जी।

Jh vke i:dk'k 'kek% 2014 में राष्ट्रपति शासन में ट्रॉंस यमुना में गुरू गोबिन्द सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस का पैसा जब आया है, जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उसका आपकी सरकार से कोई लेना–देना नहीं है। रहा सुखदेव का... सुखदेव ऑलरेडी यमुनापार में चल रहा था, वो शिफ्ट हो रहा है। उसमें आपका क्या रोल है, मुझे समझ नहीं आता। हम अगर बात करें नया कोई अस्पताल खुला नहीं है। पानी की यदि हम बात करें, आज दिल्ली त्राहि–त्राहि कर रही है! दिल्ली के इतिहास में पानी की वजह से व्यक्ति का मर्डर होना, ये अपने आप में बड़ा दिल्ली को शर्मसार करता है। दिल्ली में भाई ऐसे बोलना है तो मुझे दो घंटे देने पड़ेंगे आपको फिर।

v/;{k egkn;% नहीं, आप बोलते रहिए अपनी बात। देखिए कहीं न कहीं...

Jh vke izdk'k 'kekZ% पानी की यदि अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के लोगों को आज पीने का पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है और जो आ रहा है, वो इस लायक नहीं है कि आदमी उसको पी सकें। तो ये इतने भारी—भरकम शब्दों से दिल्ली के लोगों की जो बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही... अब मैं आता हूँ आपके बजट पर। तो मुझे इसके विषय में कहना ये है कि अभी जो आप बड़ी—बड़ी इकॉनोमिक्स की बात कर रहे हो तो इस देश के अंदर अर्थशास्त्र के विषय में जो पश्चिम के अर्थशास्त्र के विषय की अगर उसके अलावा अगर हम बात इस देश की करें तो अर्थशास्त्र के बारे में सोचने का जो मौलिक अधिकार है या तो श्रीमान गाँधी जी का, श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी और चौधरी चरण सिंह केवल तीन ही व्यक्ति इस देश में हैं। जिन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में कुछ लिखा और मौलिक रूप से समझाया गया है। बाकी जितना भी कुछ हो रहा है, नकल के अलावा कुछ नहीं है। तो सवाल ये है कि आपने जो बजट था पुराना आपका, आप उसका पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए। खर्च क्यों नहीं कर पाए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमने इस पैसे को बड़े दर्द के साथ वो किया। अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रॉंस यमुना में माननीय सिसोदिया जी भी रहते हैं। हमारा जो बजट था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो 13 करोड़ रूपया तो माननीय सिसोदिया जी को दे दिया और बाकी जो मेम्बर्स हैं, उनके जो भी गए हैं, जितने भी एस्टीमेट वो कूड़े की रद्दी में पड़े हुए हैं। जब पैसा आप लोगों को देंगे नहीं, विकास के लिए जाएगा नहीं तो पैसा अल्टीमेटली आपको बचना ही बचना है। 50 घोषित योजनाओं

में कोई काम नहीं हुआ है, 3630 करोड़ रूपया आपने घटा ही दिया है। इसके अलावा जो संविदा में जो अस्थायी जो बार–बार आप वायदा करते हैं, उन लोगों को भी आपने पक्का नहीं किया है और इसी में अगर हम बाते करें तो 2014 में मेरे क्षेत्र में दीपक नर्सिंग होम के पीछे कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में डीलक्स वूमन होस्टल के लिए जो पैसा उस बजट के अंदर जो दिया गया था, मैं नहीं जानता, उसका क्या हुआ! तो मैं माननीय सिसोदिया जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया उसके विषय में कुछ बताएं कि पैसे का जो अलोकेशन हुआ, उसका क्या हुआ। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं; ये बहुत निराशाजनक रहा है कि सरकार ने दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाने में किसी प्रकार की कोई कसर छोड़ी नहीं। चौथे वित्त आयोग के हिसाब से कार्पोरेशन पैसा माँगते–माँगते आज पाँचवे वित्त आयोग की बात आ गई। चौथे का आपने पैसा दिया नहीं, पाँचवाँ आपने टेबल किया नहीं तो दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन आज पैसे के अभाव में जो काम करने में असमर्थ हो रही है, उसका कहीं न कहीं उसका नुकसान पूरी दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि यदि आप इनके साथ ईमानदारी बरतते और इनको चौथे वित्त आयोग के अनुसार पैसा देते और अब पाँचवें को आप टेबल करते तो कहीं न कहीं दिल्ली नगर निगम की जो सेवायें हैं, उसमें कुछ न कुछ सुधार होता और दिल्ली के लोगों को उसका लाभ प्राइमरी हैल्थ और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर दिल्ली के लोगों को उसका लाभ मिलता। अगर हम बात करें डार्क स्पॉट की बात करें तो डार्क स्पॉट जितने भी हैं, वहाँ जो पूरी दिल्ली में कैमरे लगाने की बात हुई। उसके बाद में हर एमएलए को दो–दो हजार कैमरा लगाने के लिए आपने पत्र भेजा। वो भी आपने कैंसिल कर दिया।

मुझे समझ नहीं आ रहा कि तीन साल में अभी आप ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कैमरे आप लगायेंगे, कैमरे एमएलए लगाएगा, कैमरे बसों में लगेंगे, कैमरे डार्क स्पॉट पर लगेंगे कहाँ लगेंगे क्या लगेंगे! तो ये चौथा साल आपका आ गया। तो तीन साल अभी आपको ये समझने में लग गए हैं कि बसों पे जो भी मार्शल लगने हैं, कैमरे लगने हैं और उन कैमरों को आज तक कोई फैसला कर नहीं पाए। पुनः आपने एक नया वायदा किया है कि स्कूलों में आप कैमरे लगायेंगे तो वायदा करते हुए तो आपको तीन साल हो गए, कब वो कैमरे लगेंगे! मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार जल्द से जल्द इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेगी और दिल्ली की जनता की जो जरूरत है वहाँ कैमरे एक समय सीमा में लगाने का आप प्रयास करेंगे।

इसी तरीके से अगर हम बात करें अनाधिकृत कालोनी का तो अनाधिकृत कालोनी के विकास की बात इस पूरे सदन में अनेकों–अनेक बार हम करते हैं। डीएसआईडीसी के द्वारा जो प्रपोजल बनाएं गए, इसमें जो अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए वो पूरे साल लगातार चक्कर में घूमने के बाद में आखिरी दिन जिस तरीके से ट्राँस यमुना बोर्ड का पैसा वापस हुआ है, इसी प्रकार डीएसआईडीसी और उसके बाद में साथ में आपने एक और एजेंसी को जोड़ा लेकिन कोई भी एजेंसी पाँच रुपये का भी काम करने में असफल रही है। तो ये अपना पुराना जो आपका रिकॉर्ड है, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ।

v/;{k egkn;% कन्क्लूड करिए ओम प्रकाश जी, प्लीज।

Jh vke izdk'k 'kek% बॉस पाँच मिनट तो और दे दो।

v/;{k egkn;% नहीं–नहीं, देखिए दस मिनट हो गए।

Jh vke i:dk'k 'kek% मैं पड़ोसी हूँ आपका, इतना तो करो थोड़ा सा।

v/;{k egkn;% दस मिनट हो गए हैं।

Jh vke i:dk'k 'kek% कोई नहीं, ये तो ये चलता रहेगा।

v/;{k egkn;% नहीं ऐसा नहीं, प्लीज।

Jh vke i:dk'k 'kek% अच्छा, बसों की अगर हम बात करें पिछले तीन साल से हम सुन रहे हैं, आप बसें ला रहे हैं। आप पता नहीं, कब बस लायेंगे, कब आप बस लायेंगे, कब उसमें कैमरे लगायेंगे, कब उसमें मार्शल आयेंगे, कब उसमें लोग चढ़ेंगे और कब महिला सुरक्षा का जो आप नारा देते हैं, वो दिल्ली में चरितार्थ होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जीडीपी जो बढ़ने आए हैं, तो जीडीपी केवल, केवल और केवल दिल्ली सरकार का ही कार्य है या इसके अंदर कहीं न कहीं केन्द्र सरकार का भी कोई योगदान है? तो आपको कम से कम इतनी कर्ट्सी दिखानी चाहिए कि केन्द्र सरकार का भी आप इसके लिए धन्यवाद करें। मैं जितनी योजनाएं... जो देख रहा हूँ, उसके अंदर बार–बार एक पूँछ लगी होती है कि अगर उपराज्यपाल जी का अनुमोदन होगा तो। अरे भाई! अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्यों कागज काले कर रहे हो? अगर सारा ही कुछ उपराज्यपाल ने करना है तो जितनी योजनाएं बनाई हैं, मेरी आपको एक सलाह है कि जितनी भी योजनाएं आप बनाएं, वो कानून और संविधान सम्मत होनी चाहिए। अगर कानून और संविधान सम्मत होगी, तभी वो पास होंगी।

v/;{k egkn;% ओम प्रकाश जी, अब कन्क्लूड करिए, धन्यवाद।

Jh vke izdk'k 'kekZ% और मौहल्ला क्लीनिक की बात कर रहा हूँ।

v/;{k egkn;% नहीं, अब प्लीज।

Jh vke izdk'k 'kekZ% आपके क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र के बीच में हैं और मोहल्ला क्लीनिक की आप इतनी—इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। विदेशों के अंदर उसमें लेख लिखवा रहे हैं। मेरे और माननीय स्पीकर साहब की सड़क के बीच में जो वो है, उसके अंदर गाय लेट रही है और मोहल्ला क्लीनिक के अंदर न डाक्टर है न कोई लेना है, न देना है। तो केवल ये चलते हुए फुटपाथ के ऊपर होर्डिंग लगाने के, बोर्ड के काम में यदि इनको लेना है तो आपने मोहल्ला क्लीनिक को तो आप तो ये समझिए कि आप अपना विज्ञापन कर रहे हैं। उसका लाभ जनता को कुछ मिल नहीं रहा है।

v/;{k egkn;% अब धन्यवाद ओम प्रकाश जी, देखिए हो गया... नहीं हो गया, प्लीज बैठिए।

Jh vke izdk'k 'kekZ% आपने तीस हजार अतिरिक्त बेड की बात की थी कोई बेड इस प्रकार का हुआ नहीं है। आप सेनेटरी नेपकिन की, छात्राओं के लिए बात कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई बातचीत नहीं हुई है।

v/;{k egkn;% थोड़ा सा बोलने के लिए और लोगों के लिए भी छोड़ दो भई, विजेन्द्र जी भी बोलेंगे।

Jh vke idk'k 'kek% अरे! तो बॉस, मेरे को तो कभी–कभी तो मौका मिलता है। जो आपके पास है। आपका पता नहीं, कल फिर भगा दोगे मुझे। अरे! थोड़ा तो समय दो।

v/;{k egksn;% प्लीज।

Jh vke idk'k 'kek% अच्छा भाई, बैठ गया धन्यवाद।

v/;{k egksn;% प्लीज, प्लीज, धन्यवाद। ऋतुराज जी, बहुत संक्षेप में प्लीज।

Jh _rjkt xkfon% बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egksn;% मेरे पास जो क्रमबद्ध है, मैं उसी ढंग से चल रहा हूँ।

Jh _rjkt xkfon% आपने बजट 2018 के विषय में मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितना शानदार बजट इन्होंने पेश किया। एक ऐसा बजट जो कि समाज में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है; चाहे वो जे.जे. कलस्टर के लोग हों, चाहे अनऑथोराइज कालोनी के लोग हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। हर किसी के लिए है और मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे बजट को पढ़ने का प्रयास कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि बजट के अंदर में अच्छा बजट होता क्या है। तो हमने बहुत सारे बजट देखे। केन्द्र के भी बजट देखे, स्टेटस के बजट देखे, अध्यक्ष महोदय। लेकिन मेरी नजरों में अच्छा बजट वो होता है, जिस बजट के अंदर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ हो।

हर वर्ग के लोगों के लिए हो और पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति को जो बजट डायरेक्ट और अनडायरेक्ट बैनिफिट पहुंचाता हो, वही सबसे अच्छा बजट होता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा बजट समाज में पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति को पूरी तरीके से डॉयरेक्ट और इनडॉयरेक्ट बैनिफिट पहुंचाने वाला बजट है, इसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, अन्य साथियों ने बात रखी और हर तरीके से समाज में समानता सोशल जस्टिस, उसकी बात... तो भाषण तो बहुत बड़े—बड़े लोग लाल किला से करते हैं। लेकिन सही मायने में जमीन पर उतारने का कार्य किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। सोशल जस्टिस से मतलब है मेरा कि दो तरह के एजूकेशन मॉडल होते थे; एक प्राइवेट स्कूल, एक सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा अनअऑथोराइज कालोनी में रहने वाले का बच्चा पढ़ेगा, जे.जे. कलस्टर का बच्चा पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल के अन्दर बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सब लोग जब एमएलएज अपने ऑफिस में बैठते हैं तो लोग हमारे पास सिफारिश लेकर के आते हैं कि फलाने वाले सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए और वो हमारे क्षेत्र के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंटस होते हैं जो इस बात की सिफारिश लेकर के आते हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। समाज के अन्दर समानता इस तरीके से आ रहा है अध्यक्ष महोदय, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जिस मॉडल को अपनाया गया, हमारी सरकार के द्वारा कि शिक्षा और चिकित्सा के अन्दर हम निवेश करेंगे, इंवेस्ट करेंगे

और उसका परिणाम है कि तीन साल के अन्दर दिख रहा है कि शिक्षा के अन्दर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। चिकित्सा के अन्दर इस प्रकार से बदलाव हुआ कि गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिल पा रहा है तो वो केवल और केवल इस मॉडल की वजह से हो पा रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए, मैं आऊँगा मुख्य बात पे...

अध्यक्ष महोदय, मैं अनआथोराइज कालोनी में रहता हूँ। एक ऐसी कालोनी का रिप्रजेंटेटिव हूँ, एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जहाँ पर 95 परसेंट अनआथोराइज कालोनी है। अनआथोराइज कालोनी में कौन रहता है? अनआथोराइज कालोनी में प्रवासी लोग रहते हैं; माइग्रेंटस। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नेबरिंग स्टेट से जो लोग आ करके छोटे छोटे 20 गज, 25 गज, 30 गज की जिन्होंने प्लाट खरीदे, मेहनत मजदूरी से कमाए हुए पैसों से। लेकिन आज तक 15–20 सालों के अन्दर, 25 सालों के अन्दर जितनी भी सरकारें बनी, केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही, अध्यक्ष महोदय। कभी किसी ने कुछ कार्य करने का काम नहीं किया। उनकी जरूरतें, बुनियादी जरूरतें थी; चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो सड़कों की हों, नालियों की हों सीवर की लाइन्स की हों। पीने के पानी के लिए टेंकरों के पीछे भागा करते थे। पानी की सुविधाएं नहीं होती थी। टेंकरों के नाम पर राजनीति होती थी और हमारी सरकार ने चार... साढ़े चार सौ कालोनियों के अन्दर पीने का पानी लाइन बिछाने का काम किया जिससे कि आज हमारे क्षेत्र के अन्दर में टूटी से पानी हर घर तक पहुँच गया है। बुनियादी चीजें सीवर की लाइन तो बहुत बड़ी चीज होती है अनआथोराइज कालोनी के लिए। सीवर का लाइन हो,

सड़क हो, नालियाँ हो और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मनीष सिसोदिया जी का कि पिछले साल 840 करोड़ रुपया उन्होंने अनआथोराइज कालोनी के लिए दिया था और इस बार बजट में उसको डबल करके 1500 करोड़ रुपया कर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस 1500 करोड़ रुपये का खर्च... अगर ये बात से हम सब लोग सहमत हैं कि अगर ये बजट बढ़ सके, जरूरत के हिसाब से तो हम लोग मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि जरूरत के हिसाब से इसको थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। मनीष जी पर हमें विश्वास कि इसमें ध्यान जरूर देंगे। तो अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि बुनियादी जरूरतें, चाहे वो पीने के पानी की लाइन बिछाने की बात हो, चाहे सड़के बनाने की बात हो, चाहे नालियाँ बनाने की बात हो और उससे भी ऊपर उठकर के सीवर की लाइन्स, जो डिसेन्ट्रलाइज एसटीपी की बात हुई है... अध्यक्ष महोदय, चाहे वो किराड़ी की बात हो, बुराड़ी की हो, नजफगढ़ की हो, छतरपुर की हो, बदरपुर की हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अनआथोराइज कालोनी बना हुआ है वहाँ पे डिसेन्ट्रलाइज एसटीपी के लिए जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारा ये मानना है कि अनआथोराइज कालोनी का डवलपमेंट का मतलब है कि समाज के अन्दर पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति का विकास होना और इससे इस पूरे इकॉनोमिक साइकल के अन्दर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक चीज का मुझे बहुत दुःख है अध्यक्ष महोदय, कि इन्हीं अनॉथराइज कालोनी के डवलपमेंट के लिए पिछली बार जो सरकार ने बजट दिया था, डीएसआईडीसी ने जानबूझकर के उस बजट को खर्च तक नहीं

किया। 109 करोड़ रुपया 9 मार्च को डीएसआईडीसी के एमडी को दिया गया था ताकि हमारे टैंडर लग सकें और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है और डीएसआईडीसी के एमडी न तो विधान सभा को उन्होंने सूचित किया, न उन्होंने अपने मंत्री को सूचित किया, वो विदेश चले गए और अपने अधिकारियों को कहके गए कि इनका अनआथोराइज कालोनी का टेंडर मत लगाना। उसके बाद ओम प्रकाश जी यहां पर आकर के ड्रामा करते हैं। कहते हैं कि आप पैसा खर्च नहीं कर पाए। अरे! तो जा कर कहते क्यों नहीं हो, 1250 करोड़ रुपये का टेंडर।

v/;{k egksn;% नहीं, उनको बोलने दो, प्रकाश जी वो करेंगे। मंत्री जवाब देंगे लास्ट में।

Jh _rqjkt xksfoan% अध्यक्ष महोदय 1250 करोड़ रुपये का एस्टीमेट्स टेंडर के लिए तैयार है। एक दिन के अन्दर में 1250 करोड़ रुपये का टेंडर हो सकता है। इतना चीज को हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। मैं विधान सभा कमेटी के अनआथोराइज कालोनी कमेटी का चेयरमैन हूँ। कई मीटिंग्स कर चुके हैं।

अधिकाँशतः अधिकारी आते हैं, आ करके आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। मैं आपसे एक चीज का डिमांड करता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि ऐसे अधिकारी जिस एमडी ने 109 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी अभी तक टेंडर नहीं किए हैं, केवल और केवल इसलिए ताकि 31 मार्च बीत जाए और इनकी सरकार की बदनामी हो, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनको प्रिविलेज कमेटी के अन्दर ये मैटर जाना चाहिए, इसकी मैं डिमांड करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय अनआथोराइज कालोनी के डवलपमेंट के लिए, 1800 कालोनी में रहने वाले लाखों लोगों के लिए जो काम हमारी सरकार ने इस बजट में किया, चाहे वो बिजली का हो... सॉरी, चाहे वो पीने के पानी के लाइन से संबंधित हो, डिसेन्ट्रलाइज एसटीपी से संबंधित हो, सड़क और नालियों से संबंधित हो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, अगर इसके अन्दर इन एजेंसीज का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इस बजट से अनआथोराइज कालोनी में रहने वाले लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। उनके घर घर तक पीने का पानी पहुँच सकता है, सारी सड़के बन सकती हैं।

v/;{k egkn;% कन्क्लूड करिए। ऋतुराज जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh _rjkt xkfon% सारी नालियाँ बन सकती हैं और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन सकते हैं जिससे की अनआथोराइज कालोनी के अन्दर भी एक सामान्य जीवन हम लोग स्थापित कर सकते हैं और उन लोगों का भी विकास हो सकता है जो पंक्ति के अन्दर आखिरी छोर पर खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% श्री नितिन त्यागी जी।

Jh lq[kchj flag nyky% अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में दो लाइन जोड़ता हूँ... मेरी विधान सभा क्षेत्र सं. 106 अनऑथराइज्ड कालोनी है जिसका कि मुझे एस्टीमेट एक साल हो गया है, 356 करोड़ का दिया हुआ है। लेकिन वो बजट... थोड़ा मंत्री जी से कहूँगा, इसको ढ़ाई हजार करोड़ कम से कम कर दिया जाए जिससे हमारा वो हो जाए। मेरी विधान सभा में 556 करोड़

के वो एस्टीमेट तैयार हैं। अगर वो नहीं हो पाएंगे तो हम जनता को कैसे वो करेंगे, आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, इसको 1500 से 2500 करोड़ कर दिया जाए। तो पूरी... मेरा ख्याल है, दिल्ली में सभी के लिए होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn;% चलिए। त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh% धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बजट के ऊपर इस बहस में मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया। सभी विषयों पे बजट के अलग अलग विषय हैं, उन सब पे सब लोग बात कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एजुकेशन पे सीमित रहूँ। मेरे खुद के विचार से एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे ऊपर है। अगर हम शिक्षित समाज बना पाएं तो मुझे लगता है शिक्षित लोग, लायक लोग अगर हम बना पाएंगे तो वो अपना विकास खुद कर पाएंगे और विकास के नाम पे झूठे वादे करके और फिर से राम के नाम पे वोट मांगने वाले थोड़ा पीछे हो पाएंगे।

हमारे देश में कई सालों से प्रथा चलती आ रही है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए और सरकारी स्कूलों को बहुत ही प्लांड तरीके से इतना तबाही की कगार पे ला के खड़ा करने की प्रथा रही, वो शायद ऐसा रहा कि एक पर्टिकुलर क्लास तक के लोग जो हैं, वो पढ़ाई कर पाएं और जो गरीब तबका है... अभी बात हो रही थी कि प्वाईंट वन परसेंट के पास 56 परसेंट वेल्थ है। मतलब, गरीब तबका कितना बड़ा! तो अब के 5 परसेंट हटा दो तो 95 परसेंट शायद गरीब तबके में ही आ जाएगा। वो लोग जो अपने बच्चों को... मजबूर होते है, आर्थिक

हालात की वजह से सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए वो मजबूर हों, उनके बच्चे न पढ़ पाएं, वो नहीं पढ़ेंगे तो मन की बात नहीं समझ पाएंगे। मन की बात के पीछे छुपे जहर को नहीं समझ पाएंगे और लगातार ये पिछले कई साल से होता रहा है। कोई भी सरकार केन्द्र में रही हो, उन्होंने कभी भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए क्योंकि अगर पढ़ जाएंगे तो सोचने लगेंगे। पर यही है ***here lies the beauty of this Aam Aadmi Party Government.*** उन्होंने ये फंडा ही चैंज कर दिया। हम बात ही ये कर रहे हैं कि हमें एजुकेटिड सोसायटी चाहिए। हम इसे बदलना चाहते हैं। इसे बदलना चाहते हैं, इसी वजह से सब जगह से हमारे खिलाफ लोग आवाजे उठाते हैं और स्कीम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं... इतने दिनों से हम स्कीम चला रहे थे, किसी तरीके से जो समाज दबा कुचला है वो दबा कुचला ही रहे। हमारे अहसानों के बोझ तले दबा रहे। हम बार बार उन पर अहसान करें, छोटी छोटी बातों पे अहसान करें। उन्हें कभी समझ न आए कि उनके हक क्या हैं, उन्हें दबाए रखे पर। ये तो इन्हें पढ़ा देंगे, तो वो सब समझ जाएंगे। वो ये समझ जाएंगे कि ***Constitution, We the people…*** से शुरू होता है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं हैं, ये समझ जाएंगे तो सवाल करेंगे। ये वो चाहते हैं और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर आदमी पढ़े। हर आदमी उस कॉस्टिट्यूशन को पढ़े। अपने राइट्स को पढ़े, अपनी ड्यूटीज को पढ़े, काबिल बने और इस देश का विकास करे। मैं मनीष सिसोदिया जी को बहुत बहुत मुबारक बाद देना चाहूंगा कि हर साल की तरह इस साल फिर से एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट स्पेशली एजुकेशन के लिए ले के आए। एक बहुत अहम मुद्दा इस साल बजट के अन्दर जोड़ा गया है, वो है,

जो गर्ल चाइल्ड है, फिमेल स्टूडेंटस हैं, लड़कियाँ जो हैं, हमारी बेटियाँ जो हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासिज का... ये बहुत जरूरी है। न सिर्फ उनके कंफीडेंस के, जिस तरीके के लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो पढ़ रहे हैं, इन स्कूलों में वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, एक्सपोजर की कमी है, आर्थिक संपन्नता की कमी की वजह से वैसे भी कंफीडेंस बहुत लो रहता है, पर ये सेल्फ डिफेंस की क्लासेज जो हैं, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके साथ साइकोलॉजिकल भी अगर जुड़े, उनको स्ट्रॉंग करने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ डिफेंस की क्लासेज आयेंगी तो बच्चों के अंदर ना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक हैप्पीनेस कोर्स शुरू किया जा रहा है। बच्चों को खुश रहने के बारे में बताना, सिखाना, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करना कि वो खुश रह सकें। बहुत जरूरी होता है कि बचपन में हमारे को ऐसे एक्सपीरियंसेज रहे हैं, हमारी बचपन की यादें सुखद हो, तभी एक अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत डिफरेंस आउट आफ द... वॉस्ट थिंकिंग है। ये बहुत छोटी सी इंप्लीमेंटेंशन हो सकती है, पर इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि हमने पिछली बार पिछले साल तक, सात आठ हजार क्लासरूम बना दिये हैं, दस–बारह हजार हम और बनाने वाले हैं और टीचर्स आ जायेंगे, हम लोग टीचर्स पे इंवेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों के मंत्री, हम लोगों के अफसर घूमने नहीं जाते हैं, एमएलए घूमने नहीं जाते हैं बाहर। पर हम टीचर्स को सीखने के लिए बाहर भेजते हैं, उनको काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ कि इन टीचरों के ऊपर इन्वेस्ट किया हो, वो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है।

ये सब है, पर एक छोटी छोटी सी चीजें जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं।

स्पोर्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन सा गिल्ली डंडा खेल के हम ओलंपिक का मैडल जीतेंगे पर अगर हम स्पोर्ट्स में खेल पायेंगे, स्पोर्ट्स में उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट की बात आयी तो यूथ को इन्वॉल्व करके टैलेंट हंट, सरकार के लेबल पे शुरू करना, जो हर मोहल्ले के लिए शुरू किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव... ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लोग कहते तो हैं, कौन सा कॉलेज खोल दिया, कौन सा स्कूल खोल दिया और कॉलेज अगर खुल रहे हैं नये, तो सिर्फ मैरिट नहीं, मैरिट के साथ साथ वो लोग उस पढ़ाई के खर्चे उठा पायेंगे कि नहीं उठा पायेंगे, इसका ख्याल आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। जहाँ पे आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं हैं, ढाई लाख रुपये से कम जिस परिवार की इन्कम है, वहाँ फिफ्टी परसेंट तक ट्यूशन फीस बच्चों की पे की जाएगी, जो मैरीटोरियस है। कौन सोचता है! आपका बच्चा मैरीटोरियस है, उसके वाबजूद आप उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए वो पकौड़े का ठेला लगा लेता है। पहली बार सोच रही है कोई सरकार कि उससे पकौड़े का ठेला नहीं लगवाना है, अगर तुझे काबिल बनाने की जिम्मेदारी ली है, तेरे माता पिता ने हमें वोट दिया था कि हमारे बच्चों को तुम काबिल बनाओगे, तो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यहां पर, जहाँ सोच शौचालय नहीं है। ये तो मैं कई बार सोचता हूँ जहाँ ये शौचालय में बैठ के सोचते हैं... एनीवेज, मैं ये मैरिट—कम—मीन्स लिंक जो फाइनेंसियल एसिस्टेंट्स स्कीम है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा

ऋतुराज भाई ने कहा कि जो अनआथोराईज कॉलोनी हैं, वहाँ पे प्रवासी लोग आते हैं, आ के आस पड़ोस से बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से...

v/;{k egksn;% नितिन जी, अब कंक्लूड...

Jh fufru R;kxh% सर, कर रहा हूँ, दो मिनट दीजिए। दो मिनट, मैगी। पंजाब से आते हैं, तेरह लैंग्वेजेज में अकाडमी खोलना, उन सब को और उन सबका जो कंट्रीब्यूशन दिल्ली के डवलपमेंट में है, उसको रिकॉगनाईज करना है। यहां ऐसा नहीं होता, महाराष्ट्रा की तरह कि यूपी और बिहार से नहीं आयेंगे जी। सब आइये, सब का स्वागत है, आपकी वजह से दिल्ली बसी है, आपका रिकॉगनाइजेशन भी है। जहाँ पूरे देश में कवायद चल रही है, किस तरीके से सरकारी स्कूल बंद किये जायें, चाहे वो महाराष्ट्रा हो, चाहे वो एम.पी. हो और सर ये हो रहा है। हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, एक प्लान तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राईवेट स्कूलों को उठाने के लिए, हमारे यहां पे यह कोशिश की जा रही है कि प्राईवेट स्कूलों की मनमानी को बंद किया जाये और उनके लेबल पे लाके सरकारी स्कूलों को खड़ा किया जाये, यह बहुत डिफरेंट है।

v/;{k egksn;% धन्यवाद, धन्यवाद।

Jh fufru R;kxh% सर, मैं कर रहा हूँ। बस दो मिनट... एक मिनट... एक लास्ट, एक लास्ट... लास्ट... एक लास्ट... सर, बोलने दीजिए, बस मुझे... मैं विपक्ष से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता है, जो कहीं पे भी कुछ कमी रह जाये, उस कमी को उजागर करे और एक डिस्ट्रक्टटिव विपक्ष होता है, जो बार बार एलजी के पास चला

जाये और ये तो काम अच्छा कर रहे हैं, इस काम को रुकवा दो, तो आप चूज कर लीजिए आप कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनना चाहते हैं या डिस्ट्रक्टिव विपक्ष बनना चाहते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव बनना चाहते हैं तो अच्छी स्कीमों में साथ दीजिए, धन्यवाद।

v/;{k egkn;% धन्यवाद। सौरभ जी, मैं बोल रहा हूँ। सौरभ जी ने अभी जो प्रस्ताव रखा था, अपनी चर्चा के दौरान, अपने भाषण में बोले गये संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति लेंगे।

Jh lkSjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में बोले गये संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

v/;{k egkn;% यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी।

Jh lkSjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी, मैं संकल्प एक बार पढ़ देता हूँ, माननीय सदन के लिए:

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा दिनांक 26 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में ये संकल्प करती है कि जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट आयी हैं और बजट भाषण में माननीय उप मुख्य मंत्री, श्री मनीष सिसोदिया ने भी चुनी हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की परियोजनाएं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन में देरी करने एवं अड़चन डालने में माननीय उप राज्यपाल कार्यालय की भूमिका के बारे में जिक्र किया है, जैसा कि मीडिया में भी कई उदाहरण, ऐसे कई उदाहरणों की रिपोर्ट आयी है, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के संवेदनशील निर्णयों को माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय की आपत्तियों के कारण लागू नहीं किया जा सका, यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय को आउट कम बजट की तरह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। इस रिपोर्ट में उन फाइलों की सूची होनी चाहिए या जिक्र होना चाहिए। सूची नहीं, अध्यक्ष जी, जिक्र है मुझे लगता है क्योंकि सूची बहुत ज्यादा आफिशियल हो जायेगा। इस रिपोर्ट में उन फाईलों का जिक्र होना चाहिए, जिनमें माननीय उपराज्यपाल के कार्यालय द्वारा विलम्बित किया गया है या रोका गया है।

v/;{k egkn;% अब श्री सौरभ भारद्वाज जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है, इससे पूर्व ये संकल्प पारित करें मैं माननीय उप मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूँगा कि इस विषय में कुछ वो कहें।

mi e[; e=h% अध्यक्ष महोदय मैंने तो अपने बजट भाषण में भी जगह जगह जिक्र किया था और पिछले तीन साल से जब से सरकार चल रही

है, मेरा अपना आकलन यही है कि एलजी आफिस का एक काम मुझे नहीं पता, पुलिस डिपार्टमेंट में वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के या बाकी डिपार्टमेंट जो डीडीए में क्या कर रहे हैं, पर दिल्ली सरकार की तरफ से तो कभी कोई ऐसा प्रस्ताव जाता है, जिससे बहुत लाँग, पेंडिंग समस्याओं का सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देता हो, तो वहाँ का सारा ब्रेन उनको रोकने पर यूज होता रहा है। वहाँ चाहे अफसर बैठें हों या एलजी साहब बैठें हो, उस अधिकार, उस दफ्तर की पावर्स का इस्तेमाल भी वहीं होता रहा है, ब्रेन का इस्तेमाल भी वहीं होता रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बना हुआ एक संस्थान लोगों की जिंदगी को हलकान करने के लिए जितनी रूकावटें डाल सकता है, डाल रहा है। तो मैं माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव से सहमत हूँ और जिस तरह से हमने... क्योंकि दिल्ली विधान सभा बजट पास करती है, इस पास बजट से ये सब जनता के टैक्स का पैसा है, दिल्ली विधान सभा का पैसा तो है नहीं, हमारा तो कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है, जनता का पैसा है।

यहां से प्लान और पास बजट को अगर हम मंत्री इस्तेमाल करते हैं या अधिकारी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सब का भी आउटकम है, तो एलजी के यहाँ, एलजी के दफ्तर में भी इसी बजट से काम होता है, जनता के टैक्स के पैसे से ही काम होता है तो अपने पिताजी के... अपने परिवार के कमाये हुए पैसे से तो खर्च करता नहीं है। तो सब लोग वहाँ जनता के ही पैसे से काम करते हैं, तो उनका भी आउटकम और पूरा लेखा—जोखा उनके काम का होना चाहिए। तो अगर सदन इस तरह की इजाजत देगा और सदन इस तरह का आग्रह करेगा तो मैं निश्चित रूप से एक रिपोर्ट बनाके, मुझे नहीं पता कि वो व्हाइट पेपर जैसी कंसेप्ट ठीक रहेगी या उचित होगी कि नहीं, लेकिन जिस तरह हमने दिल्ली के एक एक विभाग का

आउटकम रिपोर्ट कार्ड यहां पर पेश किया, इस सदन में ये परम्परा की शुरूआत होनी चाहिए कि एलजी आफिस का भी आउटकम रिपोर्ट कार्ड यहां पर होना चाहिए और मैं इससे सहमति व्यक्त करता हूँ और अगर ये सदन चाहेगा तो इसको हम इस साल से लगातार एलजी आफिस ने कितनी चीजें वैल्यू ऐड करके दीं। कितनी चीजें आबस्ट्रेक्ट कीं। कितनीं चीजें भारत सरकार के नाम पर अड़ायी। कितनी चीजें कानूनों के नाम पर इधर–उधर घुमाने के नाम पर अड़ायी। कितनी चीजें डरा के अड़ायीं अधिकारियों को। कितनी चीजें बहुत प्यार से पास कर दीं। क्योंकि एलजी आफिस है तो वैल्यू ऐडिशन भी आना चाहिए न वहाँ से। एलजी आफिस है तो इस बात का सॉल्यूशन भी आना चाहिए भई कि डीडीए से जमीन कैसे आये दिल्ली सरकार के पास। ताकि स्कूल से लेके कचरा प्रबन्धन तक की व्यवस्था हो सके। उसमें तो कोई प्रोग्रेसिव रोल दिखता नहीं। बच्चों की सुरक्षा से लेके महिलाओं की सुरक्षा में कोई प्रोग्रेसिव रोल दिखता नही, एक ही जगह प्रोग्रेसिव रोल दिखता है कि ये चुनी हुई सरकार अगर कोई ऐसी योजना बनाके भेजे जिससे राशन की चोरी का समाधान निकलता हो या गरीब लोगों के इलाज का समाधान निकलता हो तो उसको रोका कैसे जाए। तो मैं तो इस बात से बिल्कुंल सहमत हूँ कि जिस तरह से हम मंत्रियों का, अफसरों का यहां पर एक तरह से एक परम्परा शुरू की है कि जो भी हम एक साल में काम करें, उसका आउटकम रिपोर्ट कार्ड यहां आना चाहिए। एलजी आफिस का भी रिपोर्ट कार्ड यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और मैं इस वर्ष के इस रिपोर्ट कार्ड को बनाके पेश करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, थैंक्यू।

v/;{k egkn;% नहीं, क्या यह सम्भव है? दो दिन हमारे पास बजट सेशन में बचे हुए हैं। जो फाइलें वहाँ पर बाकी हैं, उनका यहाँ...

mi e|[; e=h% नहीं, ये तो एक बुनियादी रिपोर्ट है कि कितनी फाइलें उन्होंने लौटायीं। किस तरह की... जैसा वो भी कह रहे थे, सूचियाँ बनाना तो मुश्किल है लेकिन मेजर प्रोजेक्टस कौन—कौन से लौटाए, उन पर उन्होंने क्या टिप्पणियाँ की हैं। क्यों लौटाया है या कहाँ से उसे पास कर दिया है या कहाँ कोई वैल्यू एडिशन किया है। एलजी आफिस का अपना एक दायरा है। एलजी आफिस का अपना एक कान्स्टीट्यूशनल पॉवर्स हैं... अथॉरिटीज हैं। क्या उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में, किसी योजना में कोई वैल्यू एड की है क्या? वो भी अगर होगा तो मैं वो भी सदन के सामने रखूँगा। मुझे कोई नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड देने का शौक नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हाउस बढ़ा लेंगे।

v/;{k egkn;% माननीय वित्त मंत्री जी दो दिन हैं अभी। अगर ये सदन पटल पर...

mi e|[; e=h% मैं इसके बारे में कि कब प्रस्तुत कर सकता हूँ... कल सूचित कर दूँगा।

v/;{k egkn;% कल बता देंगे?

mi e|[; e=h% परन्तु मैं करूँ... मैं इससे सहमति व्यक्त करता हूँ कि ऐसा करना चाहिए।

v/;{k egkn;% भई संकल्प आ गया, उसमें कुछ एड करना है क्या?

Jh fo'k"k jfo% इसकी रिपोर्ट में ये भी आये कि जो माननीय सदस्यों द्वारा चिट्ठियाँ गई हैं एलजी साहब के पास। चाहे पुलिस से जुड़ी हुई है या लैण्ड से जुड़ी हुई है, उस पर कितना उन्होंने काम किया, कितना जवाब आया।

v/;{k egkn;% वो चर्चा में हो सकता है। अब ये संकल्प सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं; वो हाँ, कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वो न न कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ, पक्ष जीता, हाँ, पक्ष जीता,
संकल्प स्वीकार हुआ।

आज जिन माननीय सदस्यों के नाम थे... आये थे मेरे पास। बजट में चर्चा के लिए रह गये। मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। कल उनको चर्चा में लेंगे। संजीव झा जी, प्रकाश जारवाल जी, पंकज पुष्कर जी, राखी बिड़ला जी, अखिलेशपति त्रिपाठी जी और श्री महेन्द्र गोयल जी। कल का एक बार सुन लीजिए। एक अच्छी परम्परा आरम्भ हुई है। कल श्रीमान महेन्द्र गोयल जी हमारे बीस विधायक वापस आये सदन में, उसके उपलक्ष्य में अपनी ओर से कल लंच दे रहे हैं। आज का माननीय मंत्री जी का लंच का धन्यवाद कर ही चुके थे। महेन्द्र जी का कल कर देंगे।

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 27 मार्च 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 27 मार्च 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।